राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] नवम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का सातवां दिवस [संख्या : 5

मंगलवार,

22 सितम्बर, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सम्पतसिंहजी।

नगर (भरतपुर) की पेयजल योजना

99. **श्री सम्पतसिंह** (नगर), **श्री जगमालसिंह यादव** (तिजारा) एवं **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : (1) जनवरी, 1992 से अब तक नगर तहसील जिला भरतपुर में कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं प्रारम्भ की गयीं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त तहसील में कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां लगाये गये हैं ?

(3) यह तहसील पेयजल समस्या के सन्दर्भ में प्रान्त के किस वर्ग में आती है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किये गये एक सर्वे में इस तहसील में अत्यधिक रसायन पेयजल में उपलब्ध होने की रिपोर्ट है और यह तहसील समस्याग्रस्त तहसीलों की सूची में प्रथम स्थान पर है ? यदि हां, तो इसके निवारण और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) उल्लिखित अवधि में नगर तहसील में एक ग्रामीण योजना चालू की गयी है। वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त तहसील में उल्लिखित अवधि में स्थापित 46 हैण्ड पम्पों का वांछित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में प्रगतिरत राज्य स्तरीय सर्वेक्षण के अन्तर्गत अभी तक नगर तहसील में 46 ग्रामों का सर्वेक्षण हुआ है जिनमें से 30 ग्रामों में जल की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पायी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

गयी है सर्वेक्षण पूर्ण होने पर समस्या का सही आंकलन हो सकेगा।

(4) अभी तक किये गये सर्वेक्षण के अन्तर्गत 46 ग्रामों में से 30 ग्रामों में उपलब्ध भूजल की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पायी गयी है। भरतपुर जिले के समस्त ग्रामों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु चम्बल नदी स्रोत से एक वृहद् योजना का प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाया जाकर भारत सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है क्योंकि राज्य सरकार अपने स्रोतों से इतनी बड़ी योजना क्रियान्वित नहीं कर सकती।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री सम्पत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने खण्ड (3) और खण्ड (4) दोनों में यह माना है कि नगर तहसील में ज्यादातर ग्रामों में पीने का पानी इस लायक नहीं है कि वह मानव के लिए उपयुक्त हो। जहां मैन सोर्स है इस तहसील के लिए, इस कस्बे के लिए, तसई गांव जो हैं वहां डी.डी.एस. की मात्रा है 2,200 और नगर कस्बा, इट सैल्फ में जो आज सप्लाई आप करते रहे हैं उसमें टी.डी.एस. की मात्रा है 4,400 और नगर का जो स्थानीय सोर्स है, जो स्थानीय कुएं वगैरह हैं उनकी टी.डी.एस. की मात्रा है 5,600, ऐसी सूरत में आप 234 दोनों खण्डों में यह मानते हैं कि यह तहसील, यह क्षेत्र पहले के सर्वे के हिसाब से भी पूरे प्रान्त में समस्याग्रस्त होने के नाते नम्बर एक पर है। तो मैं जानना चाहता हूं क्या ऐसे समस्याग्रस्त क्षेत्र के लिए आपके चेम्बर में, उस समय तो दुर्भाग्य से मैं आपके साथ मंत्री भी था, मुख्य मंत्रीजी के मौखिक आदेश से अलवर, भरतपुर के उच्च अधिकारियों की कोई मीटिंग हुई थी जिसमें पेयजल विभाग के सचिव भी मौजूद थे और उस मीटिंग में क्या आपने यह आदेश दिये थे कि इस कस्बे की पेयजल समस्या के लिए जो सैकण्ड फेज हम शुरू करना चाहते हैं उसको हुडको के अन्दर लिया जाय या एन.आई.सी. की स्कीम के तहत लिया जाय? आपने तुरन्त उसको पूरा करने के लिए आदेश दिये थे। लगभग सालभर होने को आया उस आदेश का क्या हुआ?

दूसरा, मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आस-पास आपने स्कीम लागू करने की बात की, जिस पीरियड का मैंने आपसे निवेदन किया है उसमें तो कुल एक ही की है, हुसेपुर। इसके अलावा जो पहले की स्कीम चल रही हैं, सब खराब हैं। नगर के आस-पास जितने गांव हैं चाहे रसिया गांव हो, चाहे कुमारेड़ी गांव हो, चाहे फतेहपुर गांव हो, चाहे कुतकपुर गांव हो मैं सदन का समय जाया नहीं करना चाहता, एक भी स्कीम वहां शुरू नहीं हुई। तमाम जी.एल. आर. सूखे पड़े हुए हैं। क्या वजह है आपने जो सर्वे अब तक कराया है उन पर काम शुरू नहीं हुआ?

तीसरा आप इतनी महत्वपूर्ण स्कीम का जिक्र कर गये खण्ड चार में कि चम्बल से पानी लेने की केन्द्र में योजना पड़ी हुई है, बहुत अरसे से पड़ी हुई है। दो सौ करोड़ के करीब की वह योजना है उस पर

(श्री सम्पत सिंह)

आपने कोई डिवीजन कायम किया है क्या ? कोई एक्स.ई.एन. आपने मुकर्रर किया है क्या ? कौन उसकी मानीटरिंग कर रहा है ? कौन उसकी देखभाल कर रहा है ? इन स्कीम्स को पूरा करने के लिए आप कितना समय और लगायेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस आपके नगर के इलाके में पानी की, पेयजल की समस्या है। मैं आशा करता हूं कि इस बार जो बरसात हुई है उससे इस पानी की गुणवत्ता में सुधार आयेगा। पिछली बार भी बरसात नहीं होने से यह समस्या खड़ी हुई।

श्री सम्पत सिंह : वह तो इसलिए नहीं आयेगा कि एक बूंद भी पानी भरतपुर क्षेत्र में रुका ही नहीं है। सिचाई विभाग दिन छिपते ही आगरा में पहुंच जाता है तो पानी कैसे रुक जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : बाकी जो आपने जो कहा कि कोई स्कीम आपके यहां चालू नहीं है, केवल यह है। आपने यह पूछा था कि एक जनवरी से कौनसी चालू की गयी है ? मेरा यह निवेदन है, आपकी जानकारी में होगा कि आपके क्षेत्र में वर्तमान सरकार के आने बाद नौ स्कीम चालू हैं...

श्री सम्पत सिंह : वर्तमान सरकार के आने के बाद और जाने के बाद।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नौ स्कीम कार्यरत हैं और विश्वास है कि यह जल्दी पूरी होंगी। मैं समझता हूं असैल प्रॉब्लम जो है, जब तक चम्बल का पानी नहीं मिलेगा तब तक धौलपुर और भरतपुर, इन दोनों जिलों में इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

आपने कहा कि कोई आपने अलग से डिवीजन कायम किया है क्या ? अभी तो यह दिल्ली में इस बात के लिए पैंडिंग हैं, वहां स्वीकृति देंगे उसके बाद डिवीजन भी बन जायेगा। इसको जल्दी पूरी करने की कोशिश भी करेंगे। अभी यह डिवीजन काहे के लिए बनेगा ? अभी तो केन्द्र सरकार में यह मैटर पैंडिंग है। वह स्कीम को जब स्वीकृति दे देंगे उसके बाद क्रियान्विति के लिए जो आवश्यक होगा, डिवीजन या जो कुछ होगा उसको लगा दिया जायेगा और उसको जल्दी पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस इलाके में विराजे हैं, आप कोई ऐसा सुझाव अगर दे सकते हों, वह स्कीम आने में देर हो सकती है मैं मानता हूं, इसके बीच में आपकी समस्या के समाधान के लिए विभाग को कुछ करना हो जहां तुरन्त आपको लाभ मिल सकता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप समय देकर मुझे समझा दें, मेरे अधिकारी भी यहां मौजूद हैं, उसको भी हम कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान हो, यह तो इच्छा है ही हमारी लेकिन यह आप और हम मिल कर यदि कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे तो सरकार को भी कोई प्राब्लम नहीं होगी इसको पूरा करने के लिए।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो आज बात कही है, करीब-करीब ढाई साल से यही बात वह सदन में कह रहे हैं। हम पानी का सोर्स कहां से बतायें आपको उत्तर प्रदेश बताया हुआ है, वहां से ले लीजिए। आपके राजस्थान प्रान्त में हमारे पड़ौस में रूपारेल जहां से आती है वहां जयसमन्द दे दीजिए, कहीं से दे दीजिए। चम्बल में हमारी क्या पेशकश है। दो ढाई साल से दिल्ली में हम लगे हुए हैं, हम से पहले गुजरात वाले अपना प्रोजेक्ट क्लियर करा कर ले गये। वहां हमारी क्या प्रोग्रेस है? और आपको तो दया आनी चाहिए हमारे ऊपर कि गाँव और शहर में आप कितना फर्क कर रहे हैं। आप जयपुर में पानी के लिए यही पानी दे रहे हैं क्या? जो वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन है, जो हमारे नेशनल लेवल के विशेषज्ञों की राय है उससे भी ज्यादा टी.डी.एस. वाला पानी है। तीन हजार से ऊपर तो बिल्कुल जहर है, पीने लिए के वह अलाउ ही नहीं करते। 56 सौ टी.डी.एस. का पानी आप हमें पिलाने के लिये दे रहे हैं। शहर में आप उसी लेवल पर दे रहे हैं क्या? अव्वल तो ऐसा भेदभाव क्यों गांव और शहर में? आप इतने ही दयाशील है तो आप कृपा करिये, अपनी तरफ से आप अपने विभागों को थोड़ा-सा चालू करिये तो कम से कम पड़ौस में अलवर से पानी दिला दीजिए, जयसमन्द से दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जगमाल सिंहजी। ....(व्यवधान) श्री जगमाल सिंहजी ....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : अलवर में पानी है क्या? आपको पता है क्या, पानी है? ... (व्यवधान)....माननीय सदस्य, अलवर में पानी है क्या? ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा। ....(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : पानी लेना है अलवर ही बचा है क्या पानी लेने के लिए?

श्री अध्यक्ष : आप पूछ रहे हैं सवाल, तो फिर पूछिये आप। आपका नाम है ना।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया, भरतपुर जिले की एक व्यापक योजना भारत सरकार को भिजवायी है। यह योजना कितने गांवों की है, इसकी कितनी लागत है और यह योजना कब तक स्वीकृत होने की आपको आशा है?

श्री अध्यक्ष : इसमें लिखा है, आपने पढ़ा नहीं, भरतपुर जिले के समस्त ..

श्री परसादीलाल मीणा : समस्त ग्रामों की।

श्री अध्यक्ष : हां, तो कितने गांव हैं?

श्री परसादीलाल मीणा : जितने ग्राम हैं, शहरों की है, गांवों की भी है।

श्री अध्यक्ष : यह क्या सवाल हुआ? समस्त कहां हुए?

श्री परसादीलाल मीणा : कितने करोड़ की योजना है, वह योजना कब तक स्वीकृत हो जायेगी?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने सोचा गांव तो सारे ही आ गये।

श्री परसादीलाल मीणा : आपको आशा है, जब तक योजना स्वीकृत नहीं हो तब तक आप क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन् अध्यक्ष महोदय. यह योजना बनायें, इसका स्वागत है लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल इस योजना के बारे में यह है कि आप पानी धौलपुर से उठाने की बात कर रहे हैं. चम्बल से पानी उठायेंगे, धौलपुर के गांव प्यासे रह रहे हैं। भरतपुर के समस्त ग्रामों को सम्मिलित कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय और धौलपुर के एक चौथाई गांवों को भी इसमें नहीं लिया जा रहा है। इसलिये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि ···

श्री अध्यक्ष : अब यह सवाल नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह प्यासे मर रहे हैं, वहां पानी की बहुत गम्भीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल से सम्बन्धित नहीं है। अब यह धौलपुर वालों को पानी पिलाने का सवाल है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्री महोदय ने अभी सप्लीमेण्टरी का जवाब दिया है। यह सवाल मैं पूछता नहीं, श्रीमन्, अभी सप्लीमेण्टरी क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे मंत्री [illegible] ने कहा, हमने धौलपुर और भरतपुर की योजना ····

श्री अध्यक्ष : अच्छा, मंत्रीजी बोल रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मेरा प्रश्न इससे उत्पन्न हुआ है। सुनलें, मेरा सवाल सुनलें, मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं जवाब देता हूं ना क्या कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप अन्तर्यामी हो रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। मेरा नम्र निवेदन, अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जिस प्रकार आपने भरतपुर जिले के सब ग्रामों को शरीक किया है इस योजना में, उसी प्रकार धौलपुर जिले में पानी की भयंकर समस्या है। मुख्य मंत्रीजी को स्वयं मालूम है और मुख्य मंत्रीजी ने कहा भी है इनसे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्या धौलपुर जिले के सब ग्रामों को इस योजना में सम्मिलित करेंगे ? अन्यथा वहां पर इस योजना का विरोध होगा, यह मैं आपको आज निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना से कुल 1429 ग्राम लाभान्वित होंगे उसमें 101 आपके धौलपुर के हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : धौलपुर के 101 गांव 522 गांवों में से। यह कितना अन्याय है धौलपुर के साथ, श्रीमन् !

श्री अध्यक्ष : आपके लिये तो पानी की व्यवस्था हो गयी ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह हमारे क्षेत्र का पानी है इसका मतलब दुनिया भर का पानी है ? आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं इसको। हमने आपके विभाग को अवगत करा दिया है, आप यह अन्याय धौलपुर के साथ मत कीजिये। वहां का डूनीजान का इलाका प्यासा मर रहा है, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिये इनका।

श्री यदुनाथ सिंह : मुझे पूछना है। दूसरी योजना बनाओ, इस योजना में कैसे घुसेड़ देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी योजना हो, उस योजना की सीमा होती है। हम एक योजना से सब जगह लाभ पहुंचा सकें, यह तो कभी सम्भव नहीं होता है। वर्तमान में जो योजना बनी है उसमें 101 गांव ही धौलपुर के हैं और इस योजना में यदि गुंजाइश है, इसको मैं एक्जामिन कर सकता हूं कि बाकी इलाकों के बिना योजना को डिस्टर्ब किये अगर कुछ गांव जोड़े जा सकते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना चम्बल में इतना पानी है····(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 100

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह, (अनुपस्थित।) श्री रामप्रसाद।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)
श्री लक्ष्मीलाल।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य बीच में बोल गये, मंत्रीजी खुद बताना चाह रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : बोलिये, बोलिये आप शुरू करिये। अब मुझे दस सवाल लेने हैं, एक सवाल में बाकी के दस ले नहीं सकता। आप बोलिये।

श्री सम्पत सिंह : मंत्रीजी खुद बताना चाह रहे हैं, आपको क्या एतराज है ? मंत्रीजी जब खुद बता रहे हैं वैकल्पिक योजना, आपको क्या एतराज है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : मुझे दस सवाल लेने हैं, यह है।

श्री सम्पत सिंह : दस सवाल लेने का क्या मतलब हुआ ? कल तो लिये ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप, प्लीज सिट डाउन।

श्री सम्पत सिंह : नहीं, जब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज सिट डाउन। आप बोलिये। जवाब दीजिये।

श्री सम्पत सिंह : नो सिट डाउन।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री सम्पत सिंह : उन्होंने मुझसे पूछा है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंहजी, यह आपका एकाधिकार नहीं है, हाउस सबका है और इसलिये मेरे पास इतने सवाल हैं, मैं नैक्सट लेना चाहता हूं।'''(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : हाउस सबका है, हाउस तो हमारा है।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आ चुका।

श्री सम्पत सिंह : आप तो हमारे अधिकारों की रक्षा करिये।

श्री अध्यक्ष : आपको समय बरबाद करने की जरूरत नहीं है। I am not going to coti you. मैं आपको अलाउ नहीं करता। आप बैठिये।....(व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन।

श्री सम्पत सिंह : आप हमारे अधिकारों की रक्षा करिये।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। इनका नोट मत कीजिये।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : बोलिये, मंत्रीजी आप। आप हाउस को अपने अकेले अधिकार में नहीं ले सकते।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : There are so many Members. There are so many questions. और मैम्बर हैं। विराजिये आप। हां, बोलिये मंत्रीजी। यह क्या तरीका हो गया ?

श्री सम्पत सिंह : × × ×

प्रशासनिक सुधार हेतु गठित समिति की सिफारिशें

101. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री ललित किशोर चतुर्वेदी व श्री राजेन्द्र जैन कमेटियों के द्वारा निम्न स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों में व्यापक रूप से कमी कर दी गयी किन्तु उच्च प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के पदों में कोई कटौती नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त दोनों कमेटियों की सिफारिश पर समाप्त किये गये प्रस्तावित पदों की सूची मय संख्या के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उच्च पदों को भी कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन विभागों में किस-किस श्रेणी के कितने पदों को कम किया जावेगा ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) राजेन्द्र जैन समिति द्वारा जो पद समाप्त किये गये हैं, वे उस विभाग के कार्य अनुसार अधिक पाये जाने के कारण समाप्त किये गये हैं। समिति ने विभिन्न स्तर के पदों को किसी अनुपात विशेष में समाप्त

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

करने की सिफारिश नहीं की बल्कि विभाग के कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही सिफारिश की है। वित्त शीर्ष समिति, श्री ललितकिशोर चतुर्वेदीजी की अध्यक्षता में गठित की गयी थी। इस समिति द्वारा पदों को समाप्त करने की सिफारिश नहीं की गयी है।

(2) व (3) श्री राजेन्द्र जैन समिति ने प्रथम कार्यकाल, वर्ष 1987–88 से 1989–90 में 3739 पदों को समाप्त करने की सिफारिश की जिसका विभागवार विवरण परिशिष्ट–क पर संलग्न है। राजेन्द्र जैन समिति का पुनर्गठन दिनांक 5-4-90 को किया गया। समिति ने वर्ष 1990–91 से अगस्त, 1992 तक 1013 पद समाप्त करने की सिफारिश की है जिसका विवरण परिशिष्ट–ख पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : पूरे राजस्थान की वैकल्पिक योजनाएं पूछी जायेंगी क्या इस सवाल पर ? हर जगह पानी की कमी है।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई अधूरा नहीं रहा है। आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। मंत्रीजी बोलिये आप। बोलिये, लक्ष्मीलालजी। वह नहीं मानेंगे, आप बोलिये।

श्री लक्ष्मीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के पद ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चलिये, मंत्रीजी।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्लीज, माननीय सम्पत सिंहजी, आप मंत्री रहे हैं, जिम्मेदार आदमी हैं।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : मेरे पास इतने प्रश्न हैं। मैं खड़ा हूं, आप इतनी मर्यादा भी नहीं रख सकते ?

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : जब मैं खड़ा होता हूं तब आप खड़े होते हैं।

श्री सम्पत सिंह : कहां बैठें हैं ? आपके सवाल का जवाब आ गया। चम्बल की योजना पूरे भरतपुर के लिये इन्होंने बता दी। जो योजनाएं आपके क्षेत्र में लागू हैं वह आपको बता दीं। आपके सवाल का जवाब आ चुका। धौलपुर का सवाल इन्होंने पूछा उनका जवाब आ चुका। अब मेरी समझ में नहीं आया कि बाकी के प्रश्नों को

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सम्पत सिंह)

न सुनने देने के लिये जिद क्यों कर रहे हैं आप ?

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : बाकी के मैम्बर सवाल न पूछें, यह आपकी जिद क्यों है ? मुझे सदन के सारे सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है, अकेले आपका नहीं है। आपका सवाल आ गया, उसके बाद दूसरों को रोकने का अधिकार क्या है आपको ?

पूछिये, लक्ष्मी लालजी।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : This is no debate. This is no debate. Please sit down. मैं आपसे डिबेट करना नहीं चाहता। मैं आपसे डिबेट करना नहीं चाहता। प्लीज सिट डाउन।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : नहीं सुनना चाहता। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। आप सदन का समय खराब कर रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : It is not a good thing. पानी की बात पूछने में आप सारी मर्यादाओं को तोड़ कर सब मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आप से यह अपेक्षा नहीं करता था कि आप जैसे जिम्मेदार आदमी सदन की मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे और जब कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया, आप दूसरे लोगों को प्रश्न पूछने से रोकते हैं, यह उचित नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री सम्पत सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री लक्ष्मीलाल : मैंने मंत्रीजी से जो सवाल पूछा है उसका जवाब ठीक तरह से नहीं आया है। मैंने पूछा है कि उच्च प्रशासनिक स्तर के कितने अधिकारियों के समाप्त किये गये। दूसरा मैंने पूछा था, कर्मचारियों के और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के वर्गवार, श्रेणी वाइज पद कितने समाप्त किये। तीसरा मेरा पूछना यह कि वित्त शीर्ष समिति ने कितने वित्तीय साधन बढ़ाने की सिफारिश की है ? मेरे इन तीनों प्रश्नों को इसमें कोई जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1987-88, 88-89, 89-90 में जो राजेन्द्र जैन कमेटी थी उसने 3759 पद समाप्त करने के लिये सिफारिश की थी। इसका पुनर्गठन किया गया। 5.4.90 को राजेन्द्र जैन समिति का पुनर्गठन किया गया उसमें उन्होंने 1013 पद समाप्त करने की सिफारिश की थी। पहले वाली समिति ने 409 पद,

---

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

शीर्ष पद या गजेटेड ग्राफिसर्स के थे और दूसरी वाली जो समिति वापस गठित की गयी उसमें 63 पद गजेटेड ग्राफिसर्स के समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके साथ-साथ कुल 133 पद क्योंकि दूसरों में जरूरत थी इसलिये 838 पद यह जो विशिष्ट योजना संगठन है उसमें दिये गये, कुल मिलाकर 1013 पद इस तरीके से समाप्त करने के लिये कहा। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी प्रकार का पद समाप्त नहीं किया गया है।

श्री लक्ष्मीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल था। मैंने पूछा है कि यह आपने श्रेणीवाइज किस-किस तरह के पद समाप्त किये हैं और इसमें उच्च स्तर के कितने हैं और नीचे के कर्मचारी कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब यह आ गया है कि पद तो एक भी समाप्त नहीं किया गया है और समिति ने सिफारिश की वह आपको बता दी। पद समाप्त एक भी नहीं किया है।

श्री लक्ष्मीलाल : सिफारिश में यह भी नहीं आया कि गजेटेड आफिसर्स....

श्री अध्यक्ष : यह बताया है ना। गजेटेड ग्राफिसर्स की संख्या बता दी है।

श्री लक्ष्मीलाल : संख्या ही बतायी है। मैंने पूछा है कि किस-किस श्रेणी में कौन-कौन से पद समाप्त हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : संख्या आपको श्रेणी-वाइज दी है। इसमें श्रेणीवाइज लिखा हुआ है। गजेटेड ग्राफिसर्स इन्होंने बता दिये कि इतने गजेटेड आफिसर्स हैं। बाकी नान गजेटेड हैं।

श्री लक्ष्मीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विवरण में केवल विभागों के नाम दिये हैं श्रेणीवाइज पदों के नाम नहीं दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : गजेटेड की संख्या बता दी बाकी नान-गजेटेड हैं।

श्री लक्ष्मीलाल : संख्या बतायी लेकिन मैंने तो प्रश्न पूछा है कि कौन-कौन से पद समाप्त किये हैं। यह मैं जानना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : बताइये, माननीय मंत्री जी।

श्री शांतिलाल चपलोत : अभी तक कोई पद समाप्त नहीं किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री लक्ष्मीलाल : मैं श्रेणी वाइज यह चाहता हूं कि कौन-कौन से पद समाप्त करने की सिफारिश की है।

श्री शांतिलाल चपलोत : संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक लेखाधिकारी, पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सक, व्याख्याता चिकित्सा विभाग में, जिला कोष अधिकारी सहकारी विभाग में, संयुक्त पंजीयक, समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक, महिला शिशु एवं पोषण विभाग में महिला पोषण अधिकारी, खाद्य विभाग में विशिष्ट सचिव, कृषि विभाग में सहकारी कृषि अधिकारी इन पदों को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी।

श्री लक्ष्मीलाल : दूसरा मेरा प्रश्न था वित्त शीर्ष समिति ने....

श्री अध्यक्ष : दूसरा तो हो गया आपका। पहला आपने पूछ लिया कोई जवाब नहीं मिला उन्होंने जवाब दिया। फिर दूसरा पूछ लिया उसका जवाब मिल गया। आपके दोनों प्रश्न हो चुके हैं। गोविन्द सिंहजी पूछ रहे हैं, यह पूछ लेंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो समिति बनी थी क्या इसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में किसी आई. ए. एस. अधिकारी, किसी आई. पी. एस. अधिकारी, किसी आर. पी. एस. अधिकारी, किसी आर. ए. एस. अधिकारी के भी पद समाप्त करने का था ? अगर था तो एक भी पद इन उच्च पदों में से समाप्त नहीं करने के क्या कारण हैं ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं, आप स्वयं भी परिचित हैं कि एक परिपाटी चली हुई है कि जो उच्च पद हैं वह तो बढ़ते जायें। पहले एक आई. जी पी. होता था आज 4 डी. जी. हैं और पता नहीं कितने आई. जी. हैं। फारेस्ट विभाग में पहले एक सी. सी. एफ. होता था आज 6 सी. सी. एफ हैं और पता नहीं जाने कितने अधिकारी हैं। इसी तरह से और विभागों में जो उच्च, शीर्ष के पद हैं वह तो बढ़ते जा रहे हैं और नीचे के पदों को समाप्त करने के लिए यह कमेटियां काम कर रही हैं वित शीर्ष समिति जिसके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी संयोजक हैं, चैयरमैन हैं उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उससे कोई पद समाप्त नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं और मण्डल और निगमों में या जो ऐसे विभाग हैं जिनमें जरूरत से ज्यादा खर्चा हो रहा है उन में मितव्ययता लाने के लिए क्या उन्होंने कुछ परिवर्तन करने एवं पद समाप्त करने की सिफारिशें की हैं ?

तीसरा सवाल, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है, मैंने यह नहीं पूछा है कि किस अनुपात में किया है, आप देखेंगे कि हमने कोई अनुपात नहीं मांगा है लेकिन आपने जवाब में दिया है कि कोई अनुपात से पद समाप्त नहीं किये गये हैं, एक आई. पी. एस. का होगा तो 3 बाबुओं के होंगे। हमारे कहने का मतलब, माननीय मंत्रीजी, यह है कि एक परिपाटी चल रही है क्योंकि एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है कि वह अपने ही लोगों को तो बढ़ावा दे रहा है, अपने ही परिवार को बढ़ावा दे रहा है, परिवार से मतलब जो उस केटेगरी के लोग हैं उनसे है, लेकिन नीचे की जो श्रेणी है, हमारे पैर हैं उनको बढ़ावा देने के बजाय काटा जा रहा है। आप देखेंगे कि इसमें ज्यादा जो पद समाप्त किये गये हैं वह गांवों से संबंधित हैं, वन विभाग के हैं, सिंचाई विभाग के हैं। इस तरह के जो पद समाप्त किये गये हैं। कृषि विभाग के सबसे ज्यादा हैं। मेरा अनुरोध यह है, मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या सोचा है, क्या दृष्टिकोण है वह स्पष्ट करें कि वह बड़े पदों को भी समाप्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या ललित किशोर जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी....

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दीजिए बड़ा इम्पार्टेण्ट मामला पूछा है इन्होंने ।

श्री अध्यक्ष : सवाल आप पूछेंगे और रिपीटिशन वही होगा । एक ही चीज आ रही है । आपने जो पूछा है वही आपने पूछा है और वही आप पूछेंगे । आप सुन लीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : श्री ललित किशोर जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसकी क्या सिफारिशें थीं और यह राजेन्द्र जैन कमेटी के द्वारा पदों की समाप्ति की गयी है इसके बारे में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ? मोटे तौर पर पशु पालन विभाग, वन विभाग और सिंचाई विभाग में लगभग दो हजार पदों को समाप्त करने की बात की गयी है ।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न पूछ लिया इन्होंने और वही रिपीट कर रहे हैं । कोई नया सवाल पूछिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन पदों को समाप्त किया जायेगा या दूसरे विभाग में इन पदों का उपयोग किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : विश्नोईजी, पूछिये अब आप ।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने तो इनका जवाब देने के लिए कहा है ।

श्री अध्यक्ष : कोई नया सवाल पूछिये ना आप ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही सवाल है कि जो जैन कमेटी और ललित किशोरजी कमेटी की रिपोर्ट पेश की है उन सिफारिशों पर अमल कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 अप्रेल, 1990 को शीर्ष कमेटी का निर्माण हुआ कि खर्चा कैसे कम किया जाये । उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें माननीय ललित किशोर जी की अध्यक्षता रही, चन्दनमल जी बैद सदस्य, मानकचन्द जी सुराणा सदस्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सदस्य, श्री माधव सिंह दीवान, सदस्य श्री मंगल बिहारी, सदस्य, वित्त आयुक्त सदस्य और श्री राजेन्द्र जैन सदस्य, सचिव । इस तरीके से एक शीर्ष समिति गठित की गयी और दूसरी समिति जो इसी 5 तारीख को गठित की गयी वह राजेन्द्र जैन की अध्यक्षता में की गयी । वह भी इसी 5 तारीख को गठित की गयी और उनकी सिफारिशें जो आयीं उसमें यह आया कि कुछ निगम ऐसे हैं जिन में घाटा जा रहा है या जहां संख्या ज्यादा है, ऐसे निगमों को समाप्त किया जाय । तो मंत्री मण्डल ने उस पर निर्णय भी लिया । राजस्थान वन विकास निगम तथा राजस्थान भूमि विकास निगम को मर्ज करके नया निगम बनाया गया और उसमें यह तय किया गया कि

(श्री शांतिलाल चपलोत)

राजस्थान वन विकास निगम को तुरन्त प्रभाव से बन्द करके स्टाफ उससे वापस ले लिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सवाल का जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : दो सवाल हैं। वह पूछ रहे हैं ललित किशोरजी चतुर्वेदी समिति की सिफारशें क्या हैं? दूसरे वह पूछ रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिये हैं यह जो समिति ने सिफारिश की है उस पर सरकार क्या सोच रही है, निर्णय कब लेगी? यह है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरा सवाल यह है कि जो शीर्षपद हैं उनको भी किसी को समाप्त करने की योजना है या नहीं या नीचे वालों के ही पैर काटते रहेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है वह सही है और मैं भी उस चिन्ता के साथ हूं लेकिन इस चिंता का किस प्रकार से निस्तारण किया जाय यह बहुत बड़ी समस्या है। श्री गोविन्दसिंह जी ने यह कहा कि सीनियर आफिसर्स का तो एक्सटेन्शन हो रहा है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जूनियर आफिसर्स या जूनियर कर्मचारियों पर यह तलवार पड़ती है। इस सम्बन्ध में हमने कई बार इस पर विचार किया है कि कौन-कौन से पद समाप्त किये जाय। अब इसमें दो प्रश्न आते हैं। पद खतम करने से ही तो बचत नहीं होती। आज किसी भी आदमी को सर्विस से निकालेंगे तो वह कोर्ट में जायगा। सर्विस से निकालने का काम हो भी नहीं सकता। वह कोर्ट में जायेगा और कोर्ट में जाकर स्टे ले लेगा और स्टे लेने के बाद में फिर उसको वापस रखना पड़ेगा। इसलिए इसका एडजस्टमेंट किस प्रकार से किया जाय वह एडजस्टमेन्ट की बात हम कर रहे हैं, वह प्रोसेस चालू है। मुझे इस समय आप पूछेंगे कि कौन-कौन से विभागों में किया है, इस समय तो मैं नहीं बता सकता लेकिन विभागों में हमने इस प्रकार का एडजस्टमैण्ट किया है, जिससे आटोमेटिकली यह पद कम हों।

अब प्रश्न आया विभाग के बारे में। भूतपूर्व वन मंत्रीजी ने कहा कि इतने कंजरवेटिव हो गये, डी. एफ. ओ. यह सब हो गये। मैं ऐसा समझता हूं, आप तो वन मंत्री रहे हैं और किस कारण से यह किस तरह से एक्सटेंशन हुआ, आपके सामने भी विवशताएं थीं, मैं यह नहीं कहता कि आपने कोई जान बूझकर पद बढ़ाये हैं। यह पद किस प्रकार से बढ़े हैं, किस प्रकार से बढ़े हैं, किस प्रकार से इन पदों को कैसे कम किया जाये, इसमें सर्विस से अलग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अभी तीन दिन पहले इसी बात पर बैठक थी कि यह आई. ए. एस. और आई. पी. एस. आफिसर राजस्थान के कोटे में जितने देते हैं, मैंने स्वयं मांग की थी कि संख्या को कम किया जाय। लेकिन आज भारत सरकार भी उसको कम करने की स्थिति में नहीं है। वह भी कहते हैं कि जितना कोटा हमने निर्धारित किया है वह कोटा आपको लेना ही पड़ेगा। हमने कहा हमें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आवश्यकता नहीं आप जबरदस्ती हमको क्यों दे रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज में प्रमोशन देकर उससे काम चला लेंगे। उस काम से भी एक बहुत बड़ा एडजस्टमेण्ट हो सकता है। भारत सरकार ने फाइनली तो निर्णय नहीं किया है, दुबारा इसकी मीटिंग चीफ सैक्रेटरी लेवल पर बुलाकर वह तय करेगी। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि पद कम करने के मामले में एडजस्टमेण्ट के सिवाय कोई चारा नहीं है। आप पद बिल्कुल खत्म कर दें या किसी को सेवा से पृथक कर दें, इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा नहीं होगी।

जहां तक राजेन्द्र जैन कमेटी या ललित किशोर चतुर्वेदी कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, उस पर पिछले वर्ष हमने काफी अमल किया हैं। उससे सरकारी खर्चे में बचत भी हुई है। मैंने वह बचत के आंकड़े पिछले वर्ष जो बजट पेश किया था उस समय दिये भी थे।

अब तीसरा प्रश्न आता है निगमों का कि निगम किस प्रकार से खत्म किया जाय। अब मैं इतना बताऊं कि सदन अगर चाहे तो यह निगम जो भी घाटे में हैं उन निगमों को खत्म किया जा सकता है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन लोगों, जो आज निगमों में काम कर रहे हैं, के लिए भी दो तरीके हैं। या तो गोल्डन हैण्ड से उनको किया जाये या दूसरे विभागों में, सरकार की दूसरी गतिविधियों में उनका समायोजन किया जाय। दोनों के बारे में एक कमेटी बनायी है। उसमें मथुरादास जी माथुर बाकी दूसरे लोग हैं। इन दोनों प्रोसिजर में कौनसे प्रोसिजर से किस निगम को समाप्त किया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूं कि कई निगम बेकार में केवल सर्विसेज को एक मोडेट करने के लिए चला रखे हैं। उन निगमों को किस प्रकार से खत्म किया जाये ताकि लोग उसको सहर्ष स्वीकार कर लें। सदन का तो मुझे विश्वास है ही कि समर्थन मिलेगा, बाकी इसका प्रोसिवर तय होने के बाद में यह भी बहुत जल्दी आप सुन लेंगे कि कई निगमों का किस प्रकार से समायोजन किया गया हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक सप्लीमेण्टरी और। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी निगमों के सम्बन्ध में कुछ बात कही। मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोशन के मामले में कोई आपने नीति बनायी थी और आपने शायद वार्ता के लिए कुछ लोग बुलाये भी थे, कुछ फार्मूला तय भी किया था। क्या उसके सम्बन्ध में आप कोई नीति निर्धारित कर चुके हैं या अभी वह भी पैण्डिग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो सारे निगमों के सम्बन्ध में कहा है। एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन अकेला ही नहीं है और कई निगम ऐसे है जिनकी आवश्यकता नहीं है। उनकी एक्टीविटीज दूसरी तरह से चालू रखी जा सकती हैं। अब उनका किस प्रकार से समायोजन किया जाय, यह तो आप भी जानते हैं आज मैं पांच आदमियों को निकालूंगा, कल भूख हड़ताल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर बैठेंगे और फिर कोई एडजोर्नमैण्ट मोशन आयेगा, कई प्रकार की बात होगी। तो मैं यह भी चाहता हूं कि उनका सामंजस्य भी हो जाये और भूख हड़ताल पर बैठने का अवसर भी न आये।

श्री अध्यक्ष : श्री कुबेर सिंह।

झाड़ोल (उदयपुर) के तालाबों से सिंचाई

102. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): श्री कुबेर सिंह के स्थान पर क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति झाड़ोल, जिला उदयपुर के किन-किन तालावों से सिंचाई की जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तालाबों से विगत तीन वर्षों में कब-कब किस-किस गांव को पानी दिया गया ? प्रत्येक तालाब में आने वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक तालाब के कमाण्ड एरिया में आने वाले गांव को पर्याप्त पानी दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : (1) पंचायत समिति झाड़ोल जिला उदयपुर में सिंचाई विभाग द्वारा निम्न सात बांधों से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है:— (1) झाड़ोल (2) कंथारिया (3) नागमाला (4) ओगणा (5) कोल्यारी (6) झाडा पीपला (7) मानस।

(2) इन तालाबों से सिंचित होने वाले ग्रामों के नाम एवं नहरें किस दिनांक किस दिनांक तक चलाई गयीं, की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। इन बांधों की सिंचित क्षेत्र की सूचना राजस्व विभाग द्वारा बांधकर उपलब्ध कराई जाती है, न कि ग्रामवार। अतः किस गांव को पानी दिया गया, की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) सिंचाई हेतु पानी का दिया जाना प्रतिवर्ष पानी की आवक, बांध की भराव क्षमता एवं नहरों की स्थिति पर निर्भर करता है। विगत तीन वर्षों में भाग-1 में वर्णित 7 तालाबों में पानी की आवक एवं सिंचाई के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:—

वर्ष	पानी की आवक एम. सी. एफ. टी.	सिंचाई एकड़ में
1989–90	260.80	1315
1990–91	430.14	सूचना राजस्व विभाग से प्राप्त नहीं हुई।
1991–92	398.13	

(श्री कैलाश मेघवाल)

चूंकि उक्त तालाबों से 2500 एकड़ से कम कृषि भूमि सिंचित होती है, जिनका अभिलेख एवं वसूली राजस्व विभाग द्वारा की जाती है तथा उक्त विभाग से वर्ष 1990-91 व 1991-92 के सिंचित क्षेत्र के आंकड़े अभी तक सतत् प्रयास करने पर भी उपलब्ध नहीं हुए हैं अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि कमाण्ड क्षेत्र में पर्याप्त पानी उपलब्ध हुआ या नहीं। सिंचित क्षेत्र के आंकड़े प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दिये जावेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, कोंकणा बांध है उसका कमाण्ड एरिया 800 एकड़ का है, सिंचाई करते हैं तो क्या वहां कैनाल टूट गयी हैं या किन कारणों से आप पूरे कमाण्ड एरिया में पानी नहीं पहुंचा पाते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार पानी कम होता है और कई बार ज्यादा। जब ज्यादा पानी होता है तो कमाण्ड क्षेत्र को ज्यादा मिलता है, कम होता है तो कम मिलता है। मैं आपको यह विश्वास दिला दूं, इस बार तो पानी पर्याप्त हुआ है, जितना भी कमाण्ड एरिया है उस तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है और जो नहरें खराब हुई हैं उन नहरों की भी तुरन्त मरम्मत करने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह भी जानना चाहता हूं, इन तालाबों में पेटाकाश्त जो भूमि है उसका नियमानुसार अलाटमेण्ट नहीं होता है और कुछ व्यक्तियों ने अपना कब्जा कर रखा है और वही काश्त करते हैं, क्या यह सही है ?

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह की शिकायत आयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह उस क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं हैं, माननीय कुबेर सिंह जी हैं उन्होंने व्यक्तिगत भी मुझे कहा है, कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं रहने दिया जायेगा, नियमानुसार जिनका अधिकार है विशेष तौर से उनकी चिन्ता आदिवासियों को एकमोडेट करने की है उसके बारे में विचार चल रहा है और मैं उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीश्री चन्द कृपलानी।

निर्वाचन क्षेत्र निम्बाहेड़ा में "अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत कार्य

103. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने करेंगे:–

(1) "अपना गांव अपना काम योजना' के अन्तर्गत गत ढाई वर्षों में निम्बाहेड़ा (छोटी सादड़ी) विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने, कौन-कौनसे कार्य स्वीकृत हुए व इनमें कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी ?

(2) क्या विभाग के पास निम्बाहेड़ा (छोटी सादड़ी) विधान सभा क्षेत्र के लिए "अपना गांव अपना काम योजना" के तहत

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

नये कार्य प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कहां कहां व क्या क्या कार्य प्रस्तावित है तथा सरकार इनकी स्वीकृति कब तक देने का विचार रखती है ?

विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में गत ढाई वर्षों में अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत क्रमश: 13 एवं 5 कुल 18 कार्य स्वीकृत किये गये। इनमें से 13 कार्य 13,38, 900 रुपए के एवं 5 कार्य 3,80,700 रुपए के कुल 17,19,600 रुपए के स्वीकृत हुए। अब तक 13 कार्यों पर 8 लाख 65 हजार एवं 5 कार्यों पर 3,33,600 कुल 11,98,600 रुपये खर्च हुए हैं। गत ढाई वर्षों में स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है।

(2) निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के लिए अपना गांव अपना काम योजना के तहत विभाग के पास नये कार्य प्रस्तावित नहीं हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अपना गांव अपना काम में जो काम स्वीकृत करते हैं क्या यह विधायकों की अनुशंसा पर स्वीकृत किये जाते हैं ? यदि हां, तो यह जितने भी काम स्वीकृत किये गये उनमें से कितने विधायकों की अनुशंसा पर स्वीकृत किये गये ?

नम्बर–दो, सरकार ने जो यह योजना प्रारंभ कर रखी है 'अपना गांव अपना काम', इसमें 30 प्रतिशत तो जन सहयोग से इकट्ठा किया जाता है और 35 प्रतिशत जे. आर. वाई. का जो पंचायतों में आता है उसके माध्यम से लिया जाता है और बाकी के 35 प्रतिशत डी. आर. डी. ए. के माध्यम से लिये जाते हैं। तो मेरे इलाके में बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें पैसा तो इकट्ठा हो गया लेकिन पंचायतों का पैसा नहीं होने की वजह से यह कार्य स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या आपका विचार है कि इस तरह की कोई योजना बनायी जायगी कि गांव वाले जन सहयोग से पैसा इकट्ठा कर दें, उनके कार्य स्वीकृत हो सकें, जे. आर. वाई. का पैसा नहीं हो उसके बावजूद भी ? इस तरह का आपका कोई विचार है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 20 प्रतिशत पैसा जे. आर. वाई. का जिस पंचायत में उपलब्ध नहीं है उसमें अगर गांव वाले 50 प्रतिशत पैसा कर देते हैं तो 50 प्रतिशत अपना गांव अपना काम में दे दिया जायगा। जहां तक निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी का प्रश्न है, जितने भी कार्य माननीय विधायक जी ने बताये थे और जो प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें जन-सहयोग से 30 प्रतिशत जमा हुआ....

श्री अध्यक्ष : गांव वालों का 55 प्रतिशत हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : 50 प्रतिशत। और 20 प्रतिशत उस पंचायत में जमा नहीं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, 30 गांव का, 35 जे. आर. वाई. का, हां तो 55 प्रतिशत हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : 50 प्रतिशत हुआ, साहब।

श्री अध्यक्ष : अच्छा— (व्यवधान) 65 प्रतिशत हो गया। 65 प्रतिशत है। आप क्या बोल रहे हैं ? आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं यह बता रहा था कि पहले यह अपना गांव अपना काम में 33 प्रतिशत गांव के लोगों को करना था। वहां और डिमाण्ड आ रही है, लोग ज्यादा काम करने लग गये हैं उस काम को रोकने के लिये 25-30 पर्सेण्ट और प्रावधान कर दिया ताकि काम हो नहीं। क्या आप वापस उसी स्कीम, जो 30 पर्सेण्ट गांव के लोगों को करने का था, को रखना चाहते हैं या और अधिक लेना चाहते हैं ? अभी रेशियो क्या है और किन कारणों से इस रेशियो को आपने अडॉप्ट किया है ? वापस 25-30 पर्सेण्ट का....

श्री अध्यक्ष : बताइये, मंत्रीजी, बोलिये। इस पर गम्भीरता से विचार करिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर तो विचार कर लिया जायगा पर 30 पर्सेण्ट पैसा

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप इस गम्भीरता से विचार करिये। यह सबकी मांग है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह प्रश्न विचारणीय है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, ऐसा है, यह सबकी शिकायत है, मेरी भी है इसलिये कह रहा हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार कर लिया जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : वे कुछ कहना चाहते हैं आप नहीं कहने दे रहे हो। वे बता रहे हैं, साहब। क्या उनको गम्भीरता मालूम नहीं थी।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यह आपका नहीं है, निम्बाहेड़ा का प्रश्न उठा है, मेरी भी शिकायत है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जायगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो होगा जब....

श्री अध्यक्ष : यह सवाल विधान सभा में पहली बार उठा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : उठा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह मामला पहले....

श्री अध्यक्ष : 65 पर्सेण्ट का जो मामला है यह पहली बार उठा है, 30 पर्सेण्ट में होता था अब चूंकि 35 पर्सेण्ट जे. आर. वाई का कर दिया तो इससे जे. आर. वाई. का पैसा एक गांव को 35 पर्सेण्ट पैसा नहीं मिलेगा, यह ठीक बात है, इसलिये इस पर गम्भीरता से विचार कर लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सुझाव दिये वह अपनी जगह सही है। जिस समय स्कीम चालू की थी उस समय 30 पर्सेण्ट गांव वालों का कण्ट्रीब्यूशन था और 70 पर्सेण्ट सरकार की ओर से कन्ट्रीब्यूशन होने की बात कही । उस समय यह कल्पना भी नहीं थी कि गांव वालों का इतना कण्ट्रीब्यूशन आ जायगा। उसमें एक सबसे बड़ी समस्या यह पैदा हुई कि कई क्षेत्रों में बहुत पैसा इकट्ठा हो गया पंचायत समिति में या एक तहसील में जहां उनको दस लाख रुपये इकट्ठे करने थे, दस लाख रुपये इकट्ठे कर लिये, दूसरी ओर दूसरी पंचायत समिति और तहसीलें ऐसी आ गयी जिसमें 50 हजार भी इकट्ठे नहीं हुए और दबाव यह बढ़ने लग गया कि जिस पंचायत समिति के अन्दर पैसा इकट्ठा हो गया उसी अनुपात में उस जिले के लिये आवंटित धनराशि पूरी उस पंचायत समिति के अन्दर लगा दी जाय। उसके कारण से यह जहां गरीबों में या साधन सम्पन्न व्यक्तियों में एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको मिटाने के लिये यह जे. आर. वाई. का पैसा, उसमें शामिल किया गया है। लेकिन मैं भी मानता हूं इस स्कीम में कोई सुधार की आवश्यकता है, और उसके लिये पिछले एक महीने से हम विचार कर रहे हैं कि इसको किस प्रकार रिवाइज किया जाय ताकि जिन क्षेत्रों में पैसा इकट्ठा हो सकता है वह भावना उसी प्रकार से बनी रहे।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, नेता महोदय, आप चाहते नहीं कि गांव में जन-सहयोग से काम करवाया जाय। जन सहयोग से अगर काम करवाना चाहते हैं तो आपको इस प्रोग्राम को ....

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपकी बात मान ली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको यही कह रहा हूं कि जन सहयोग मिलने वाली भावना को कुठाराघात नहीं पहुंचे इस दृष्टि से यह स्पीरिट बनी रहे, इस स्पीरिट को एनक्रेज किया जाय इसलिये तो इसका रिव्यू कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

औषधि वितरण

104. श्री शांतिलाल (राजसमंद) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चालू वित्तीय वर्ष में औषधियों के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान रखा हुआ है तथा अब तक कितनी धनराशि का उपयोग हो चुका है ?

(2) अलग-अलग श्रेणी के औषधालयों हेतु प्रति वर्ष कितनी धनराशि की औषधियां प्रदाय की जा रही हैं ? चालू वर्ष में जिलेवार कितनी राशि की औषधियां वितरित कर सम्बन्धित औषधालयों में पहुंचा दी गयीं ?

(3) वास्तविक रूप से औषधियों के वितरण एवं नियंत्रण की क्या प्रभावी व्यवस्था की गयी ?

आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) चालू वित्तीय वर्ष 1992-

(श्रीमती विद्या पाठक)

93 में कच्ची और निर्मित औषधियों व अन्य घटक द्रव्यों के क्रय हेतु 80,12000 रुपये का प्रावधान विभागीय बजट में रखा हुआ है। अगस्त, 1992 तक इसके विरुद्ध 17,07,000 रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

(2) विभागीय रसायनशालाओं द्वारा निर्मित एवं क्रय किये गये अन्य घटक, विभागान्तर्गत संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों को उनकी गत वर्ष की उपलब्ध वार्षिक रोगी संख्या के आधार पर निम्न मापदण्ड के अनुसार सीमा निर्धारण कर सप्लाई की जाती है—

बहिरंग विभाग–1.00 रुपया प्रति रोगी प्रति दिन

अन्तरंग विभाग–3.00 रुपया प्रति रोगी प्रति दिन

औषधियों की सप्लाई उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये आनुपातिक आधार पर की जाती है।

वर्ष 1992-93 में औषधालयों और चिकित्सालयों को अब तक सप्लाई की गयी औषधियों का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) औषधियों के वितरण की प्रभावी व्यवस्था हेतु राज्य में 7 औषध वितरण केन्द्र एवं एक उप औषध वितरण केन्द्र स्थापित है। रसायनशालाओं एवं वितरण केन्द्रों के पास 9 वाहन औषध वितरण कार्य हेतु उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय उप निदेशकों एवं प्रभारी रसायनशालाओं के नियंत्रण में औषध वितरण कार्य सम्पन्न हो रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

श्री शांतिलाल : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद उपचार पद्धति के प्रति आम लोगों का रुझान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है किन्तु जिस तरह का बजटरी प्रावधान रखा है औषधियां क्रय करने के लिये वह मात्र 80 लाख रुपये है। दूसरी तरफ इण्डोर पेसेन्ट के लिये प्रति रोगी 3 रुपया प्रतिदिन का प्रावधान रखा गया है, आउट डोर पेसेण्ट के लिये एक रुपया प्रति दिन का प्रावधान रखा गया है यह, मैं समझता हूं, काफी कम है। एक तरफ हमारे बजट में जिस तरह का रेश्यो इन्क्रीज हो रहा है, एक साल के बाद दूसरे साल में जो इन्क्रीज हो रहा है उस रेश्यो को देखते हुए आयुर्वेद विभाग ने औषधियां क्रय करने की जो बढ़ोतरी की है वह बहुत कम है। 1991-92 के बजट में औषधियां क्रय करने के लिये 74 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था जबकि इस वर्ष मात्र 8 लाख रुपये बढ़ा कर 82 लाख रुपये किया। दूसरा, गत डेढ साल में 50 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस तरह का यह बजट प्रोविजन है, बहुत कम है और फिर एक रुपया, तीन रुपये का....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है। देखिये, एक मिनट। मेरे पास एक माननीय सदस्य की चिट आयी है कि तीन दिन से मेरा प्रश्न दसवें नम्बर पर आता है और

(श्री अध्यक्ष)

आज भी दसवें नम्बर पर है और वह आयेगा नहीं। अब यह माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा ....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : हां, यही आपकी भी है मगर मैं अब क्या करूं। आप भाषण मत दीजिये, सवाल पूछिये।

श्री शांतिलाल : हां, सवाल ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : आधा घण्टा क्वेश्चन आवर का और बढ़ा दें।

श्री शांतिलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय यह है कि जिस तरह के बजट में प्रोविजन्स रखे हैं, जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही है वह बहुत कम है। क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि जो बजट प्रोविजन है उसमें बढ़ोतरी की जाय? दूसरा, आयुर्वेद विभाग से जिस तरह की औषधियां सप्लाई की जाती हैं उसके उपयोग पर क्या कोई नियन्त्रण है कि उसका उपयोग सही ढंग से हो रहा है कि नहीं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।.... (व्यवधान).... पहले इसका जवाब तो आने दीजिये। पहले मैंने प्रश्नकर्त्ता है इनका जवाब तो आये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं। औषधियों का बजट कम है। आगामी वर्ष में आर्थिक उपलब्धता को देखते हुए इसके बजट में वृद्धि करने की कोशिश की जायगी। मगर वृद्धि निरन्तर हर वर्ष हो रही है। हालांकि रोगी जितने हैं और आबादी जितनी है उसके अनुपात में पूरी दवाइयां तो उपलब्ध करवाना तो सम्भव ही नहीं हो सकता। आपने पूछा है आउट डोर के लिये एक रुपया, इण्डोर के लिये तीन रुपये हैं, यह व्यवस्था कब की। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15-5-1990 से पहले आउट डोर पेशेन्ट के लिये 50 पैसा था और इण्डोर पेशेन्ट के लिये एक रुपया था। इसका मतलब 1990 के बाद एक रुपया और तीन रुपया किया गया है। यद्यपि महंगाई को देखते हुए यह कम है, इस पर विचार किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा सप्लीमेण्ट्री पूछ रहे हैं।

श्री शांतिलाल : अध्यक्ष महोदय, जो औषधि सप्लाई की जाती है औषधालयों को उनके उपयोग पर मुझे लगता है कि विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं है। अभी मैंने एक अतारांकित प्रश्न माननीय मंत्री महोदया को पूछा था कि आपके अमुक स्थान पर क्या वैद्य काम कर रहा है, तो पहले जवाब आया था गत सत्र में कि दो साल से काम कर रहा। जब मैंने देखा कि वहां पर कोई वैद्य काम ही नहीं कर रहा है और मंत्री महोदय ने इस तरह का प्रत्युत्तर दिया है तो मैंने दुबारा पूछा कि उनकी उपस्थिति मुझे दे दी जाय। तो अब

(श्री शांतिलाल)

उसका उत्तर आया है कि उपरोक्त पोस्टिंग तो कर दी है, 89 में लेकिन वहा पर उसने जोइन नहीं किया इसका सीधा सा मतलब यह है कि विभाग का इन औषधालयों पर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। यदि नियन्त्रण नहीं है तो फिर औषधियों के उपयोग पर नियन्त्रण कैसे होगा ? इसलिये मेरा अनुरोध है कि विभाग को थोड़ा चुस्त बनाया जाय।

दूसरा मेरा यह है कि जो औषधियां वहां पर सप्लाई की जा रही हैं उसके सही उपयोग के लिये जिला आयुर्वेद अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराये जायं ताकि इन वाहनों के कारण वे अच्छी तरह से उनका निरीक्षण कर पायें और जनता को लाभ भी मिले।

श्री अध्यक्ष : अब रोगियों के लिये तो पैसा नहीं है और आप कह रहे हैं कि वाहन उपलब्ध कराये जायं।

श्री शांतिलाल : नहीं तो फिर आयुर्वेद औषधालयों का मतलब ही नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है दवाइयों के उपयोग पर नियन्त्रण का इसके लिये यह स्वाभाविक है कि वहां उपस्थित चिकित्सक ही इस पर नियन्त्रकर्त्ता हो सकता है। इस सन्दर्भ में उन्होंने एक पिछले किसी क्वेश्चन का रेफरेंस दिया है। यह बात सही है उन्होंने जिस का रेफरेंस बताया है, दो वर्ष से वैद्य नहीं था मगर माननीय सदस्य ने उसके आगे की बात बतायी नहीं। जैसे ही यह प्रश्न आया इस पर कार्यवाही करके नियुक्त कर दिया गया है। मैं यह मानती हूं कि व्यवस्था में और सुधार की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वाहन की उपलब्धता पर चर्चा की है तो आर्थिक संकट को देखते हुए और राजेन्द्र जैन कमेटी की सिफारिशों को देखते हुए 15 वाहनों को पिछले 3 वर्ष पहले 9 कर दिया और अब संकट को देखते हुए कितना बढ़ा पायेंगे, कह नहीं सकती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामकरण सिंह। देखिये, ये शिकायत कर रहे हैं कि इनके भी सवाल आने दीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यूनानी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : यह यूनानी का सवाल नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह आयुर्वेद में ही आता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

कोटपूतली के सीमेण्ट कारखानों में ट्रीटमेंट प्लांट

105. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) कोटपूतली तहसील में सीमेण्ट के कितने कारखाने चालू हैं ? इनमें से कितने कारखानों में ट्रीटमेंट प्लांट (प्रदूषण शमन)

(श्री रामकरण सिंह)

लगे हुए हैं और बाकी में कब तक लगाये जावेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन कारखानों से प्रदूषण फैल रहा है उनको चलाने की इजाजत प्रदूषण विभाग व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों ने कब-कब किस-किस कारखाने को किस आधार पर दी ?

पर्यावरण मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) : (1) कोटपूतली तहसील में सीमेण्ट के तीन कारखाने चालू हैं। जिसमें से दो कारखानों में वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगे हुए हैं। शेष एक कारखाने में शीघ्र लगा लिये जायेंगे। सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान में 2 कारखानों को चलाने की इजाजत (सम्मति) विचाराधीन है। एक कारखाने की सहमति निरस्त की जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—8 देखें।)

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, ये दो कारखानों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगे हुए हैं इनके नाम बता सकेंगे आप ?

श्री लालचन्द डूडी : कोटपूतली सीमेण्ट, ग्राम रामसिंहपुरा और चन्द्रा सीमेण्ट, कोटपूतली।

श्री रामकरण सिंह : इसमें चन्द्रा सीमेण्ट कोटपूतली जो विचाराधीन रखा है, इससे साफ जाहिर है कि उसमें यह लगा हुआ नहीं है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि लगे हुए हैं, अभी विचाराधीन हैं। सम्मति ही नहीं ली आपकी।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, कारखाना जब चालू होता है तो उसके बाद·······

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, या तो वे नहीं समझ रहे हैं या आप नाम गलत बता रहे हैं। ये पूछ रहे हैं आपके जहां ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं उनके नाम।

श्री लालचन्द डूडी : ये चन्द्रा सीमेण्ट के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह आप, सैकेण्ड में कर रहे हैं कि अभी इसको इजाजत नहीं मिली है वह चालू है। ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, चन्द्रा सीमेण्ट में ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ नहीं है और बिना ट्रीटमेंट प्लांट के माननीय उद्योग मंत्रीजी उसका उद्घाटन भी कर आये और आसपास के लोगों का (व्यवधान)····इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्षजी, स्वदेशी सीमेण्ट है उसको निरस्त बताया है, उसमें ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ है और फिर भी वह चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, जवाब सुन लीजिये।

श्री रामकरण सिंह : यह स्वदेशी सीमेण्ट है वह चल भी रहा है और इधर निरस्त भी लिखा हुआ है और उसमें ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है, तो इसके लिए आप

(श्री रामकरण सिंह)

क्या व्यवस्था करेंगे ? क्या आगे दो दिन में चार दिन में उसे पाबन्द करेंगे कि वह इस तरह से खेती, जीवन पशुओं का और अन्य....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल तो हो गया, परिणाम पर मत जाइये ।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वदेशी सीमेण्ट का मामला है उसका कोर्ट के अन्दर चालान किया जा चुका है और वह केस चल रहा है । क्योंकि उसका मानक ठीक नहीं था इसलिए उसका चालान किया जा चुका है । चन्द्रा सीमेण्ट का जहां तक सवाल है, अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि उद्योग शुरू होने के बाद मानीटरिंग किया जाता है और मानीटरिंग करने के बाद अगर स्टेण्डर्ड तक नहीं पहुंचता है तब जाकर उसको बन्द किया जाता है । उसको सम्मति दी या नहीं दी वह सारा मानीटरिंग करने के बाद होता है । अभी इसका मानीटरिंग हो रहा है अगर मानीटरिंग के बाद यह ठीक नहीं पाया गया तो इसको बन्द करने की कार्यवाही करेंगे ।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मानीटरिंग कितने दिन में कर लेंगे ? और इस तरह के प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने, अगर वह नहीं करा सकें तो कब तक बन्द कर देंगे ? कब तक आदेश देंगे ? यह और बता दीजिये ।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मानीटरिंग कई दफा किया जाता है इसमें 4–6 महीने लग जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री गोविन्द सिंह गुर्जर ।

मूल्य नियन्त्रण

106. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा राज्य के मुख्य मंत्री को महंगाई रोकने एवं आवश्यक वस्तुओं के भावों को नियंत्रित करने के लिए इस सम्बन्ध में रखी गई बैठकों के बाद क्या कोई पत्र लिखे या निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त निर्देशों व पत्रों में महंगाई रोकने तथा आवश्यक वस्तुओं के भावों को नियन्त्रित करने के लिए क्या उपाय सुझाये गये हैं व तद्नुरूप सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुएं (ब्लैक मार्केटिंग) कालाबाजारी व जमाखोरी (होर्डिंग) निवारण अधिनियम के तहत कितने मामलों में कार्यवाही गत दो वर्ष में की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री राम किशोर मीणा :

(1) जी, नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) दिनांक 13-12-90 को जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा श्री लालचन्द

(श्री रामकिशोर मीणा)

पुत्र घेवरचन्द राका, निवासी अजमेर, धनराज पुत्र लालचन्द, निवासी अजमेर, भैरूलाल पुत्र श्री छगनलाल सुवालका, निवासी ग्राम मेजा तथा श्री अहसान मोहम्मद पुत्र अब्दुल मोहम्मद शेख, निवासी शेखजी का खेड़ा को डीजल के अवैध व्यवसाय एवं डीजल की कालाबाजारी करने में लिप्त पाये जाने से निरूद्ध करने के आदेश जारी किये गये थे। इनमें से भी श्री धनराज, भैरूलाल और अहसान मोहम्मद को पुलिस द्वारा निरूद्ध कर जेल में बन्द कर दिया गया था। बाद में चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रावधानानुसार अपराध कारित नहीं होने से इन तीनों को दिनांक 25-12-90 को रिहा कर दिया गया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, विभाग ने मेरे प्रश्न को समझा नहीं। जो मैंने प्रश्न किया उससे उन्हें समझ में नहीं आया। मैंने पूछा था कि प्रधानमंत्री ने मूल्यों के नियन्त्रण के लिए मुख्य मंत्रियों की कैसे बैठक बुलाई और तदुपरान्त कोई निर्देश इस सम्बन्ध में इनको दिये थे उनकी पालना में विभाग ने क्या कार्यवाही की। तो आपने जवाब दिया, "जी नहीं" और दूसरे का जवाब दिया, "प्रश्न नहीं उठता।" जहां तक मुझे जानकारी है प्रधानमंत्रीजी खुद हमारे बाड़मेर में आये थे और इससे पहले के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उस समय मैं खाद्य मंत्री था, उस समय भी उन्होंने एक कमेटी बनाई थी मूल्यों के नियन्त्रण के लिए। मुख्य मंत्रिजी, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री 4 आदमियों की एक कमेटी थी जो हर तीन महीने में मूल्य के नियन्त्रण के बारे में इवेल्यूएट करती थी, मानीटरिंग करती थी। इसी तरह हर जिले में एक मानीटरिंग स्टेशन बनाया गया उनको हाट लाइन दी हुई थी। उस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता था कि वर्तमान सरकार ने उन निर्देशों को या जो मुद्दे तय हुए हैं उनकी पालना में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पढ़िये ना। उसमें लिखा है कि कोई पत्र लिखे या निर्देश दिये। उन्होंने मना कर दिया, कोई पत्र नहीं आया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं कह रहा हूं निर्देश नहीं दिये ? यह जनजातीय क्षेत्र, मरु क्षेत्र, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो योजनाएं चालू हुई हैं यह कैसे चालू हुई ? बगैर निर्देश के हुई।

श्री अध्यक्ष : बैठकें हुई और बैठकों के बाद आपने पत्र लिखा क्या ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई उस बैठक में यह निर्णय हुए कि ऐसे दूर दराज के इलाके में उनको ये सुविधाएं दी जायं, उसमें निर्देश आये और निर्देश आने के बाद सरकार उनकी कुछ पालना भी कर रही है। फिर उसको नकारने के हमें कोई निर्देश ही नहीं मिले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शायद इस प्रश्न को मिक्स अप कर रहे हैं। आम महंगाई से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और पी. डी. एस. के थ्रू जो वस्तुएं वितरित की जाती है उस सम्बन्ध में ये दो इश्यू हैं। एक आम महंगाई का और एक पी. डी. एस. से कौन-कौन सी चीजें उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती हैं। उस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी और उस बैठक में कई प्रश्नों पर विचार किया गया था। विचार करने के बाद भारत सरकार की तरफ से जो मार्जिन का प्रश्न सारे मुख्य मंत्रियों ने उठाया कि जब तक मार्जिन का प्रश्न तय नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का प्रश्न तय नहीं होगा उस समय तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन एक निर्णय अवश्य हुआ जो माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 25-1-89 को गेहूं 225 रुपये प्रति क्विंटल बांटने का प्रावधान था वह 15-4-92 को 320 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, इसमें 42 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। माननीय सदस्य इसको अच्छी तरह से जानते हैं। उसी तरह से चावल 268 रुपये प्रति क्विंटल था उसको बढ़ाकर 412 रुपये कर दिया और इसमें 53·76 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। चीनी 5·25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थी जिसको बढ़ाकर 6 रुपये 90 पैसे कर दिया 31-1-92 को। यह चीजों के भाव जिसमें सब्सिडी कम करने की दृष्टि से भारत सरकार ने निर्णय लिया है पर न तो मार्जिन के सम्बन्ध में निर्णय लिया और न ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के सम्बन्ध में निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त भी कोई चर्चा हो तो आज तेल पर, पैट्रोल पर चर्चा होगी। उस समय माननीय सदस्य अपने विचार रख सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : दूसरा सप्लीमेण्टरी, अध्यक्ष महोदय, यह है कि होडिंग और ब्लैक मार्केटिंग निवारण का यह जो कानून है, यह इसी सन्दर्भ में बनाया गया था और इसमें मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा कि अभी जो चौमूं में घटना हुई अगर इस कानून का उपयोग किया जाता तो उस घटना से बचा जा सकता था और जो लोगों को तकलीफ हुई उस तकलीफ से बचा जा सकता था। केवल एक उदाहरण दो साल में इस बात का आया है और उस केस में भी उनको निकाल दिया गया। मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार को सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। आज ब्लैक मार्केटिंग और होडिंग के केसेज बहुत हो रहे हैं। बहुत लोग इस प्रकार से अनाप-शनाप पैसा कमा रहे हैं। उस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करने का कोई कारण नहीं है और सरकार को सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न चोर बाजारी निवारण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के आधार पर कार्यवाही करने का हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो प्रावधान थे उसमें संशोधन करके उसके प्रावधानों को बहुत कठोर कर दिया गया है, इस कठोर प्रावधान करने के बाद इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के बहुत कम मामले बनते हैं। जहां तक मेरी जानकारी मिलती है तो निश्चित तौर पर कार्यवाही करते हैं।

(श्री रामकिशोर मीणा)

जहां तक होर्डिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का सवाल है, हमने प्रभावी कार्यवाही की है। सन् 1985 से लेकर आज तक जितने भी....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह सरकार कालाबाजारी और होर्डिंग करने वालों व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखती है या नहीं ?

श्री रामकिशोर मीणा : क्यों नहीं रखेंगी ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : तो करिये कार्यवाही।

श्री रामकिशोर मीणा : कोई मामला होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

(12:00 मध्याह्न)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम समाहद (भरतपुर) का भूमि प्रकरण

100. श्री अरुणसिंह (डीग) एवं

श्री रामप्रसाद (बैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की तहसील रूपवास के ग्राम समाहद की भूमि खसरा नं. 18, 19, 21, 22, 23, 78, 79, 80, 84, 85, 86 कुल क्षेत्रफल 43 बीघा 13 बिस्वा को पूरनसिंह नाम के व्यक्ति ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने पुत्र राजेन्द्र, सुरेश, भीम के नाम राजस्व रिकार्ड में करवा ली है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को चारागाह हेतु छोड़ा गया है एवं ग्रामवासियों के आपत्ति करने पर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा ग्रामवासियों के हक में फैसला दिया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त फैसले पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है उक्त विवादग्रस्त चारागाह की पत्रावली वर्तमान समय में उप शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही विचाराधीन है ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त मामले के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सहायक कलक्टर, बैर ने मुकदमा नं. 567/87 राजेन्द्र वगैरह बनाम पूरन वगैरह अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 30-12-87 को एक आदेश पारित किया जिसके तहत ग्राम समाहद की भूमि खसरा नं 18, 19, 21, 22, 23, 78, 79, 80, 84, 85, 86 कुल क्षेत्रफल 43

(राजस्व मंत्री)

बीघा 13 बिस्वा किस्म चारागाह पर वादीगण राजेन्द्र, सुरेशचन्द्र व भीमसिंह पिता पूरनसिंह को खातेदार घोषित किया।

(2) यह सही है कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार चारागाह है। कलक्टर, भरतपुर ने अपने आदेश क्रमांक रीडर/92/47 दिनांक 21-1-92 के द्वारा तहसीलदार, रूपवास को रिसीवर नियुक्त किया गया था लेकिन कलक्टर, भरतपुर के उक्त आदेश के विरुद्ध भीमसिंह पुत्र पूरनसिंह द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल ने आदेश दिनांक 18-2-92 के द्वारा यह निर्देश दिये हैं कि विवादग्रस्त भूमि को काश्त हेतु नीलाम न किया जावे एवं प्रार्थी (भीमसिंह) से 200/- रु. प्रति बीघा प्रति फसल नकद जमानत लेकर उसे ताहुक्मसानो काश्त करने दें। राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के अनुसार श्री भीमसिंह द्वारा नकद जमानत राशि जमा करवा दिये जाने के कारण उसे काश्त करने से नहीं रोका गया है।

(3) जी नहीं।

(4) विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन निगरानी के अलावा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, भरतपुर में राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955 की धारा 232 तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत दो प्रार्थना-पत्र वर्तमान में विचाराधीन है। मामला सबज्यूडिस होने के कारण फिलहाल राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में सहायक कलक्टर्स के पद

129. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या (मुख्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट के कुल कितने पद हैं? वर्ष 1990 से अब तक कितने नये पद सृजित किये गये? नये पद सृजन के क्या मान दण्ड है?

(2) क्या तहसील मुख्यालय, विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय कस्बा नगर में पृथक् से सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट कोर्ट शुरू करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट के 71 पद हैं। वर्ष 1990 के बाद एक नया पद सृजित हेतु कोई माप-दण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में तहसील नदबई एवं नगर का कार्य सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नदबई (मुख्यालय नदबई) द्वारा किया जा रहा, जिनके पास 2306 मामले लम्बित हैं। इनमें तो 1044 मामले नगर तहसील से सम्बन्धित हैं वर्तमान में सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट नदबई द्वारा

(मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) मंत्री)

सप्ताह में 3 दिन नगर में कैम्प कोर्ट लगाई जाती है। नदबई से नगर की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। अतः कैम्प कोर्ट की अवधि के अलावा यदि किसी मामले को आवश्यक तौर पर विशेष रूप से निपटाने की आवश्यकता पड़ती है तो इसका निपटारा उनके द्वारा नदबई से कर दिया जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में तहसील नगर के लिये पृथक् से सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट का पद सृजित करने का विचार नहीं है।

राजसमंद का महाविद्यालय भवन

130. श्री शांतिलाल (राजसमंद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजसमंद जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने का औचित्य है ?

(2) क्या किसी दानदाता की ओर से महाविद्यालय भवन निर्माण कर सरकार को सौंपने का प्रस्ताव सरकार अथवा जिलाधीश को प्राप्त हुआ है ?

(3) यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) नये महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की राजसमंद में महाविद्यालय खोलने पर पूर्ति नहीं होती है क्योंकि राजसमंद के लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथद्वारा कार्यरत है।

(2) जी नहीं राजसमंद में महाविद्याल खोलने हेतु दानदाता द्वारा भवन निर्माण हेतु 21 लाख रुपये दिये जाने का आश्वासन प्राप्त हुआ है।

(3) प्राप्त प्रस्ताव पर प्रवेश में नया महाविद्यालय आरंभ करने के मापदण्डों के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थान विशेष के गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या-131

(स्थगित)

राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

132. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्वतन्त्रता दिवस पर राजकीय संस्थाओं पर ध्वजारोहण के क्या नियम हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कार्यालय पर 15 अगस्त, 1992 को राष्ट्रीय ध्वजारोहण के एक घण्टे पश्चात् ही ध्वज को उतार लिया गया ?

(3) क्या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) स्वतन्त्रता दिवस पर राजकीय संस्थाओं पर ध्वजारोहण के नियम भारतीय झण्डा संहिता की धारा 6 के भाग 6.1 में है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा रिग मशीनों का क्रय प्रकरण

133. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा जोधपुर जिले हेतु हैण्डपम्प ट्यूबवैल खोदने की रिग मशीनें 1980 से आज तक कब-कब और कितनी खरीदी गई ? इन मशीनों से कितने हैण्डपम्प व ट्यूबवैल खोदे गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रिग मशीनों के मरम्मत व स्पेयर पार्टस में प्रतिवर्ष कितना खर्च हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उल्लेखित अधिकारी द्वारा वर्ष 1980 से अब तक कोई रिग मशीनें क्रय नहीं की गई। उपरोक्तानुसार इन मशीनों से हैण्डपम्प व नलकूप खोदे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) रिग मशीनों का क्रय न होने के कारण मरम्मत व अतिरिक्त कलपुर्जों पर व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला सवाई माधोपुर की नल योजना

134. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की वर्ष 1990 से 1992 तक कुल कितनी नल योजनाएं विचाराधीन रहीं, कितनी स्वीकृत की गई ? यदि नहीं गई तो क्यों ? सूची योजना सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1990 से 1992 तक कितने हैडपम्प लगाये गये एवं नल योजना चालू की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सोकरवाड़ा, गोरडा, मनकपुरा तथा मजेडा (तहसील टोडाभीम) की नल योजना की स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र में उल्लेखित अवधि में 5 योजनाएं प्रस्तुत की गयी थी इनमें से 2 योजनाएं स्वीकृत हेतु विचाराधीन है एवं शेष तकनीकी जांच के आक्षेपों की पूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया में है। वांछित सूची मय योजनाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उल्लेखित अवधि में सवाई माधोपुर जिले में स्थापित 686 हैडपम्पों

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की संख्या तथा चालू की गयी 10 योजनाओं की तहसीलवार सूची परिशिष्ट "ख" व "ग" पर संलग्न है।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 4 में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर नगर में पीने के पानी का परीक्षण

135. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर नगर में प्रतिदिन कितना पानी प्रति व्यक्ति औसतन अपेक्षित है और कितना पानी वितरित किया जा रहा है ? बकाया की पूर्ति के लिए विभाग क्या प्रयत्न कर रहा है ?

(2) पिछोला, स्वरूप सागर एवं फतेह सागर के जल को पीने के पानी स्वच्छता की दृष्टि से परीक्षण माह में कितनी बार किया जाता है और यह किस एजेन्सी के द्वारा किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि होटलों के दूषित जल और जलकुम्भी से पीने का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हुआ है ? विभाग ने पेयजल वितरण करने के पूर्व इस सम्बन्ध में क्या परीक्षण कराया है ? या सर्वेक्षण किया हो तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जलकुम्भी के फलस्वरूप कौन-कौनसी बीमारियां फैल सकती हैं तथा जल कुम्भी फैलाव को रोकने के लिए क्या विभाग ने स्वयं प्रयत्न किया है या सिचाई विभाग को अपनी ओर से लिखा गया ?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या हेतु निर्धारित न्यूनतम 150 लीटर प्रतिव्यक्ति मांग के विरुद्ध वर्तमान में 115 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल वितरण किया जा रहा है। पेयजल मात्रा में कमी को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में जयसमन्द स्रोत से जलापूर्ति की योजना का कार्य प्रगति में है।

(2) उल्लेखित स्रोतों से प्राप्त जल को शोधन के पश्चात् वितरण व्यवस्था में से लगभग 10 स्थानों से प्रतिदिन नमूने लिये जाकर विभाग द्वारा अवशेष क्लोरीन तथा 2 नमूनों की विभागीय प्रयोगशाला में कीटाणुरहित होने सम्बन्धी जांच करवाये जाने की व्यवस्था है।

(3) उल्लेखित झीलों का जल, होटलों इत्यादि से निस्सारित जल तथा जलकुम्भी के कारण भी शोधन के पश्चात् हानिकारक होना प्रमाणित नहीं है। विभाग द्वारा दिनांक 28-1-92, 14-5-92 एवं 18-7-92 को पिछोला एवं फतेह सागर झीलों के पानी की रासायनिक जांच करवाई गई थी एवं गुणवत्ता संतोषप्रद पाई गई।

(4) जलकुम्भी से बीमारियां फैलने की जानकारी विभाग को नहीं है। सिचाई विभाग को जलकुम्भी निकलवाने हेतु आग्रह

32

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

किया गया है एवं विभाग द्वारा भी श्रमदान से जलकुम्भी निकालने हेतु सहयोग किया गया है।

रायथल-एबरा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना हेतु कुएं का निर्माण

136. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या रायथल-एबरा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के लिए निर्मित करवाए गए कुएं को गहरा करवाया जाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कुएं को कब तक गहरा करवा दिया जावेगा ?

(2) उक्त योजना हेतु कुएं का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था ?

(3) उक्त कुएं को गहरा करवाए जाने में बरती जा रही शिथिलता के लिए कौन दोषी है तथा दोषी कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) उल्लेखित कुएं की जल उत्पादन की क्षमता की पहले जांच की जानी प्रस्तावित है तथा उचित क्षमता पाये जाने पर ही उसे गहरा करवाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) संदर्भित कुएं का कार्य आंशिक रूप से वर्ष 1990 में किया गया था।

(3) कार्य में आ रही कठिनाइयों के परिपेक्ष्य में शिथिलता प्रतीत नहीं होती अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सहायक अभियन्ता, सवाईमाधोपुर द्वारा आदेशों की अवहेलना

137. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर के सहायक अभियंता श्री एम. के वर्मा व श्री आर एस. गुप्ता द्वारा इनके सवाई माधोपुर में पदस्थापन से अब तक किन-किन योजनाओं पर कितने-कितने व्यक्ति मस्ट्रोल पर रखें व कितने एच. आर. पर रखें ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही हैं कि उक्त दोनों सहायक अभियंताओं ने राजकीय आदेशों की अवहेलना कर उक्त व्यक्तियों के 240 दिन पूरे करवा दिये ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों सहायक अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उल्लेखित सहायक अभियंताओं द्वारा इनके पदस्थापन के पश्चात् विभिन्न योजनाओं पर मस्ट्रोल पर तथा एच. आर. द्वारा भुगतान के माध्यम से लगाये गये व्यक्तियों की सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) परिशिष्ट "क" में अंकित 53 कर्मचारियों में से कुल 15 कर्मचारियों को 240 दिवस से अधिक समय हुआ है। राज्य सरकार उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

राज्य की खेल नीति

138. श्री सम्पत सिंह (नगर), **श्री फूलचन्द** (नीमकाथाना) एवं **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रान्त की क्या कोई खेल नीति है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। नहीं, तो क्यों ?

(2) 1990 जनवरी से अब तक कितने छोटे बड़े खेल स्टेडियम घोषित हुए एवं निर्मित हुए ?

(3) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने की क्या योजना रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रान्त की कोई घोषित खेल नीति नहीं है। भारत सरकार की हाल ही में घोषित खेल नीति के विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

(2) जनवरी, 1990 से अब तक निम्नांकित स्टेडियम निर्माण की घोषणा हुई है इनकी निर्माण प्रक्रिया प्रगति पर है।

"क" इण्डोर स्टेडियम, जयपुर।

"ख" स्टेडियम, विजय नगर, अजमेर।

"ग" स्टेडियम, विद्याधर नगर, जयपुर।

(3) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने हेतु राज्य के 27 जिला मुख्यालयों पर क्षेत्रीय/जिला प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हुए हैं जिन पर विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों को पद-स्थापित किया हुआ है. जिनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को सम्बन्धित खेलों में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनके खेल स्तर में सुधार हो सकें। परिषद द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को अभ्यास हेतु खेल मैदान व खेल उपकरणों की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

परिषद द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं चयनित खिलाड़ियों को राज्य के प्रशिक्षकों तथा बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। परिषद द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पूर्व राज्य टीम के चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण शिविर हेतु प्रशिक्षक उपलब्ध करवाये जाते हैं।

परिषद् द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण से अनुरोध कर राज्य में एस.पी.डी.ए. (स्पेशल प्रोजेक्ट्स डवलपमेन्ट एरिया) सेन्टर व खेल छात्रावास भी खोले गये हैं जिनमें राज्य के चयनित खिलाड़ियों को भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण व अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाकर उनकी प्रतिमा को उजागर किया

(खेलकूद मंत्री)

जाता है। इस योजना में खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचे है तथा पहुंच रहे हैं।

परिषद द्वारा एक खेल छात्रावास जयपुर में भी खोला गया हैं जिसमें नट, सांसी व कंजर जाति के प्रतिभावन खिलाड़ियों का चयन किया जाकर इनको गहन प्रशिक्षण व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई गई है ताकि इनकी प्रेतिभाओं का उपयोग किया जा सकें।

परिषद द्वारा उपरोक्त सभी कार्य राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने को दृष्टिगत रखकर किये जा रहे हैं ताकि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का एवं देश का नाम ऊंचा हो सकें।

राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धियां

139. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या खेल-कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के पिछले 2 वर्षों में खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों की क्या उपलब्धियां रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान बास्केटबाल में कई बार राष्ट्रीय स्तर पर विजेता और उप विजेता रह चुका है और अब पिछले 2 वर्षों से इसमें असफल रहने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति के युवा वर्गों को खेलों के क्षेत्र में आगे लाने एवं उनके लिए खेलों के विकास की योजना बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष, राजस्थान राज्य खेल परिषद् की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी ? यदि हां, तो कमेटी की अब तक कितनी बैठकें हुयी है ?

उत्तर

(1) राज्य में पिछले दो वर्षों में खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निम्नांकित पदक प्राप्त किये :—

वर्ष	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1990–91	28	28	26	82
1991–92	41	43	24	108

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों को दर्शाता खेलवार विस्तृत विवरण अनुसंलग्न "क" पर है।

(2) यह सही है कि राजस्थान टीम बास्केटबाल में राष्ट्रीय स्तर पर विजेता एवं उप-विजेता रही है। पिछले दो वर्षों में भी राजस्थान बास्केटबाल में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर चुकी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1990–91				
राष्ट्रीय	–	–	1	1
क्षेत्रीय	1	2	–	3

(खेलकूद मंत्री)

1991–92				
राष्ट्रीय	–	1	1	2
क्षेत्रीय	1	2	–	3
1992–93				
राष्ट्रीय	–	1	–	1

(माह जून तक आयोजित प्रतियोगिताओं में) शेष वर्गों की प्रतियोगिता अभी होना शेष है।

(3) जी हां; इस समिति की अभी तक 2 बैठकें हो चुकी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

प्रशासक, नगरपालिका कानोड़ (उदयपुर) की अवैधानिक कार्यवाहियां

140. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) एवं श्री शम्भुदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगरपालिका कानोड़, जिला उदयपुर में उदयपुर-बरियावद मार्ग पर 200 मीटर लम्बी एवं दस फीट चौड़ी सार्वजनिक जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर पक्की दीवार का निर्माण कर रास्ते का पानी रोक रखा है ? यदि हां, तो इसे हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रशासक नगरपालिका, कानोड़ द्वारा अतिक्रमी व्यक्ति के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को एक नोटिस दिनांक 5-8-92 को दिया ? यदि हां, तो इसका आधार क्या था ? क्या उक्त आदेश देने से पूर्व प्रशासक द्वारा कोई जांच की गई ? यदि हां, तो जांच का क्या आधार था ? कृपया इसके नोटिस एवं इसके प्रत्युत्तर एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गलत नोटिस देने के प्रकरण की जांच कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रश्न के भाग 1 में उल्लेखित अतिक्रमण को अविलम्ब हटाने व वास्तविक अतिक्रमी को नोटिस देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि नगरपालिका कानोड़ में उदयपुर-बरियावाद मार्ग पर स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राजस्व की भूमि पर श्री संतोषलाल, मांगीलाल एवं अन्य कई व्यक्तियों द्वारा सड़क के सहारे कच्चा-पक्का निर्माण किया हुआ है जिससे सड़क पर बरसाती पानी भरा रहता है। इसे हटाने के लिए न. पा. कानोड़ सार्वजनिक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग से सम्पर्क कर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया जावेगा।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) यह भी सही है कि श्री मदनलाल ने अपने मकान के आगे पत्थर पट्टियां डालने से मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण नागरिको द्वारा तहसीलदार, वल्लभनगर को मौखिक रूप से शिकायत करने पर न. पा. द्वारा दिनांक 5-8-92 को सही व्यक्ति को ही सूचना पत्र जारी किया गया। तहसीलदार ही न. पा. के प्रशासक है, उनके द्वारा मौके का निरीक्षण कर अतिक्रमी को नोटिस देने के आदेश दिये गये थे पालिका द्वारा दिये गये नोटिस एवं अतिक्रमी द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) सार्वजनिक मार्ग के समीप किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत सूचनापत्र दिया गया था इसलिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) प्रश्न के भाग सं. 1 में उल्लेखित अतिक्रमण सार्वजनिक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नगर पालिका व सम्बन्धित विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करके अतिक्रमण शीघ्र हटवाया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

प्रेम मन्दिर आवासीय योजना, सवाई माधोपुर में प्लाटों का आवंटन

141. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रेम मन्दिर आवासीय योजना, सवाईमाधोपुर के अन्तर्गत कितने प्लाट आवंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने आवंटियों द्वारा 1/4 राशि तथा 3/4 राशि जमा करवा दी गयी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वेयर हाउस आवासीय योजना में आवंटित प्लाटों को बदलकर महाराणा प्रताप आवासीय योजना में कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे समस्त बदले हुए प्रकरणों की सूचना मय प्लाट नम्बर व नाम आवंटी, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रेम मन्दिर आवासीय योजना के अन्तर्गत कुल 50 प्लाट आवंटन किये। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) आवंटियों में से 46 आवंटियों ने 1/4 व 3/4 राशि जमा करवाई एवं एक आवंटी ने 1/4 राशि ही जमा करवाई 3/4 जमा नहीं कराई। तथा 3 आवंटियों ने कोई राशि जमा नहीं करवाई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। वेयर हाऊस योजना में आवंटित कुछ प्लाट को बदलकर महाराणा प्रताप आवासीय योजना में आवंटन कर दिया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

सहायक निदेशक, खादी ग्रामोद्योग विभाग, बीकानेर द्वारा चुंगी चोरी प्रकरण

142. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग के सहायक निदेशक, बीकानेर द्वारा चुंगी चोरी करने की शिकायत मंत्री महोदय को यूनियन ने दिनांक 19-8-1992 को सप्रमाण की है ?

(2) क्या मंत्री महोदय ने उस पर जांच करवाई ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच नहीं करवाई गयी तो कब तक जांच करवा कर प्रभावी कार्यवाही कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) खादी ग्रामोद्योग द्वारा चुंगी चोरी करने की एक शिकायत यूनियन द्वारा विभाग को भेजी गई है।

(2) इस बारे में नगर परिषद, बीकानेर को पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजे जाने हेतु पत्र भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) प्रश्न के भाग दो के उत्तर के बाद] यं प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

जिला झालावाड़ा की नगरपालिकाओं को आवंटित राशि

143. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झालावाड़-जिले में सन् 1990 से 1992 तक किन-किन नगरपालिकाओं को कितनी-कितनी अनुदान राशि दी गई ? उसमें क्या-क्या निर्माण कार्य विकास कार्य हुए, उसमें कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई ? क्या यह भी सही है कि भवानी मण्डी नगरपालिका को सन् 1990 से 1992 तक कोई अनुदान राशि सरकार द्वारा नहीं दी गई ? यदि हां, तो उसकी उपेक्षा क्यों की गई ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में सन् 1990 से 1992 तक जिन-जिन नगरपालिकाओं को अनुदान राशि दी गई है तथा जो निर्माण कार्य, विकास कार्य हुए हैं उन पर व्यय की गई धनराशि का विवरण संलग्न हैं। नगरपालिका भवानी मण्डी को वर्ष 1990 से 1992 तक विकास कार्य हेतु विशेष अनुदान नहीं दिया गया है। अनुदान धन उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है जो सभी नगरपालिकाओं को दिया जाना सम्भव नहीं है। उपेक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

प्रस्तावित जयपुर-सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर अतिक्रमण

144. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग प्रस्तावित बड़ी लाइन के समानान्तर हुए अतिक्रमणों को हटाने के बाबत रेल्वे प्रशासन ने जयपुर विकास प्राधिकरण व जयपुर जिलाधीश को वर्ष 1991–92 में कितने पत्र लिखे व उन पर क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन अतिक्रमणों को सरकार नष्ट करने एवं पर्यावरण सुधार हेतु उक्त भूमि पर पेड़ लगाने के लिए प्राधिकरण के इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है ? यदि हां, तो बजट में कितनी राशि रखी ? इसमें कितनी राशि का उपयोग हुआ एवं क्या-क्या कार्य किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण के कारण उक्त रेल लाइन पर कार्य होने में निरन्तर विलम्ब हो रहा है ?

उत्तर

(1) जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग प्रस्तावित बड़ी लाईन समानान्तरण हुए अतिक्रमणों को हटाने के बाबत रेल्वे प्रशासन से जयपुर विकास प्राधिकरण को दो अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 6 (1) परि/90 दिनांक 30 सितम्बर, 1991 तथा दिनांक 11-11-91 प्राप्त हुए थे तथा जिलाधीश जयपुर को एक पत्र क्रमांक 338/4/43/1 दिनांक 31-1-92 प्राप्त हुआ था जिनके सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा आगे कार्यवाही की जा रही है। प्राधिकरण में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व नक्शे में रेल्वे की भूमि का इन्द्राज नहीं है। रेल्वे की कौनसी भूमि को अतिक्रमण हटाना है स्पष्ट नहीं है। इस बाबत कलक्टर जयपुर व आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग की बैठक रेल्वे विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 28-9-92 को रखी गई है।

(2) प्राधिकरण के बजट वर्ष 1992-93 में इस स्थल के पर्यावरण सुधार हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

(3) रेल्वे पर कार्य न होने के काम में विलम्ब की जानकारी नहीं।

जयपुर की वर्ष 1989 की सामान्य पंजीकरण योजना में अल्प आर्य वर्ग के प्राप्त आवेदन-पत्र

145. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में 1989 में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में अल्प आय वर्ग में आवेदन-पत्र प्राप्त कर वरीयता सूची जारी की है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवेदन कर्ताओं को पंजीकरण सम्बन्धी कोई सूचना भिजवाई है ? यदि हां तो क्र. सं. 275 से 300 तक के आवेदनकर्ताओं को

(श्री दयाराम परमार)

भेजी गई सूचना के पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वरीयता सूची दिनांक 27-3-91 को जारी की गई थी।

(2) जी हां। प्रश्न में क्रम संख्या 275 से 300 तक की जो संख्या दर्शाई गई है, किस श्रेणी से सम्बन्धित है स्पष्ट नहीं है। अतः सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

राजस्थान विधान सभा नवीन भवन का निर्माण

146. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) एवं श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान विधान सभा के नवीन भवन निर्माण हेतु जगह आरक्षित की हुई है ? यदि हां, तो कितनी भूमि किस स्थान पर तथा भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(2) क्या विधान सभा भवन निर्माण हेतु आरक्षित भूमि के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण भी हुआ है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? अतिक्रमियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के विवरण सहित नामजद ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही किस स्तर पर है एवं अतिक्रमण कब तक हट दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विधान सभा प्रस्तावित नवीन भवन लालकोठी योजना में विधायक फ्लैट्स (पश्चिम) के पूर्व में के लिये भूमि आरक्षित रखी गयी है। जिसका कुल क्षेत्रफल 70805 वर्गमीटर है। जिसमें से तत्कालीन न्यास/प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को भूमि क्षेत्रफल 63227.52 वर्गमीटर का कब्जा दिनांक 19-6-82 को सम्भला दिया गया है तथा बाकी बची भूमि में 2864.98 वर्गमीटर में श्मशान की भूमि स्थित है। अपोलो ह.को. सोसाइटी के बाबत नारायणदास नगर की भूमि क्षेत्रफल 4712.50 वर्गमीटर पर कब्जा है। उक्त समिति के सदस्य श्रीमती शांति देवी तथा रामचन्द्र एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एस.एल.पी. सं. 14933/88 तथा 423/89 माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की हुई है। तथा स्थगन आदेश उच्चतम न्यायालय से प्राप्त किया हुआ है। राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है जो विचाराधीन है।

(2) जी हां, विधान सभा भवन की आरक्षित भूमि पर क्षेत्रफल 4712.50 वर्गमीटर पर अपोलो हा.को. सोसायटी के सदस्यों एवं अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। जिनकी सं. 18 है तथा विवरण सूची संलग्न है।

(3) समिति के सदस्यों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. सं. 14933/88 व 423/89 विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश लिया हुआ है। इस

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय से निर्णय पश्चात् ही अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ के उप नियमों में संशोधन

147. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नँनवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ निरन्तर घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? कृपया पिछले पांच वर्षों का हानि-लाभ का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बुनकर संघ के अध्यक्ष पद मनोनयन के बजाय चुनाव करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त संघ के उपनियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? विद्यमान उप नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। संघ के पिछले पांच वर्षों का शुद्ध लाभ निम्न प्रकार है :—

1985–86	5.29 लाख
1086–87	4.89 लाख
1987–88	8.90 लाख
1989–90	22.38 लाख
1990–91	43.96 लाख

(2) जी हां। बुनकर संघ के तत्संबंधी उप नियमों में संशोधन के पश्चात् यथाशीघ्र।

(3) बुनकर संघ के उप नियमों में संशोधन करने का मामला सहकारी विभाग में विचाराधीन है राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। विद्यमान उप नियमों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों को कर मुक्त सूत का वितरण

148. श्री रामकिशन (भरतपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान में हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों को मिलों द्वारा उत्पादन कर मुक्त सूत दिया जाता है ? यदि हां, तो निम्न समितियों ने वर्ष 1988 से 1992 तक कितना-कितना सूत वर्षवार प्राप्त किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें—

(श्री रामकिशन)

1. राजीव हैण्डलूम को–ऑपरेटिव सोसायटी, 1148/30 बांदरी का नासिक, जयपुर।
2. आधुनिक हाथ करघा सहकारी समिति लि., रेनवाल, (जिला–जयपुर)।
3. तिरुपति हाथ करघा सहकारी समिति लि., दुर्गापुरा, जयपुर।
4. शुभम् हाथ करघा सहकारी समिति लि., सांगानेर, जयपुर।
5. रत्नागिरी हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि, सांगानेर, जयपुर।
6. राजस्थानी हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., चाकसू, (जिला-जयपुर)।
7. महाराणा सिन्थेटिक वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि, भीलवाड़ा।
8. प्रताप सिन्थेटिक वस्त्र सहकारी समिति लि., भीलवाड़ा।
9. संगम हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., जयपुर।
10. राजस्थान बुनकर हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि०, जयपुर।

(2) क्या राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., ने उक्त समितियों को संघ स्तर पर उत्पादन हेतु सूत (काटन/पोलिस्टर उपलब्ध कराया है ? यदि हां, तो विगत दो वर्ष का वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। जून, 1992 के पश्चात् इन समितियों से क्या लेन-देन किया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्न के इस भाग में सूचीबद्ध दस समितियों के द्वारा वर्षवार प्राप्त किये गये सूत की मात्रा की सूचना देना संभव नहीं हैं, क्योंकि ये सभी समितियां स्वतंत्र ईकाइयां होकर स्वायत्ता प्राप्त संस्थायें हैं जिनके दैनिक व्यापार यथा सूत खरीदना, कपड़ा बनाना व बेचना आदि की सूचनायें सहकारी विभाग को प्राप्त नहीं होती हैं।

(2) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. द्वारा उक्त समितियों में से जिन सदस्य समितियों को सूत काटन/पोलिस्टर उपलब्ध कराया है, की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं। जून, 1992 के पश्चात् समितियों से कोई लेन देन नहीं किया है। क्योंकि निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा रोक लगा दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा की जा रही अनियमितताएं

149. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(1) जयपुर शहर में कितनी पंजीकृत व अपंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं ?

(2) इन समितियों के शिविरों में ऐसी कौन-कौन सी समितियों के मामले सामने आये हैं जिन्होंने अपने मूल नाम को बदल-कर गैर नाम से पट्टे काटने का कार्य किया और ऐसी समितियों के प्रशासक कौन-कौन अधिकारी थे ?

(3) क्या ऐसे अधिकरियों के विरूद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में कुल 218 पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं। 4 अपंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों के मामले सामने आये हैं।

(2) शिविर प्रतिवेदन से प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्न समितियों के परिवर्तन हुए हैं:–

क. सं.	मूल नाम	संशोधित
(1)	स्वामी कच्ची बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति-लि.,	श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
(2)	बलाई बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति लि,	जय गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
(3)	बस्सी सीतारामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	श्री 108 गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
(4)	मण्डी खटीकान गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	आनन्द मंगल गृह निर्माण सहकारी समिति लि.

उपरोक्त में से प्रथम तीन समितियों ने संशोधित नाम से पट्टे जारी किये हैं। उक्त समितियों के नाम परिवर्तन के वक्त एवं उसके पश्चात कोई प्रशासक समितियों में नहीं रहा है।

(3) चूंकि प्रशासक नहीं रहे हैं अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जिलों में उपभोक्ता फोरम का गठन

150. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में 15-6-1990 तक सभी जिलों में उपभोक्ता फोरम गठित करने का फैसला किया गया है ?

(2) अब तक किन-किन जिलों में इनका गठन हो चुका है तथा किन-किन को उक्त फोरम का अध्यक्ष व सदस्य मनोनीत किया है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में राज्य के 23 जिलों में दिनांक 26-11-90 को 4 जिलों में दिनांक 6-4-91 को, 2 जिलों में दिनांक 23-9-91 को एवं एक जिले में दिनांक 4-10-91 को अधिसूचना जारी कर सभी जिलों में उपभोक्ता फोरमों का का गठन कर दिया गया है ।

(2) राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ता फोरमों का गठन हो चुका है । इन फोरमों में मनोनीत अध्यक्षों व सदस्यों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें ।)

उदयपुर शहर में देवस्थान विभाग की कृषि भूमि एवं अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण

151. श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) एवं श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या उदयपुर शहर में देवस्थान विभाग की कृषि भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त सम्पत्ति इस समय किस-किस के कब्जे में है ?

(3) देवस्थान विभाग की कितनी सम्पत्ति उदयपुर शहर में गत 5 वर्षों में हस्तान्तरण कब, किस तरीके से तथा किसके पक्ष में किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) उक्त सम्पत्ति देवस्थान विभाग के प्रबन्ध एवं नियंत्रण में होकर किरायेदारों, सुपुर्दगारों तथा विभाग के कब्जे में है ।

(3) देवस्थान विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में गोवर्धन विलास, उदयपुर में स्थित मंदिर श्री गोकुलचन्द्रमा जी की भूमि 109 बीघा 6 बिस्वा नगर विकास प्रन्यास को तथा 84 बीघा 01 बिस्वा भूमि आवासन मण्डल को नगर विकास योजना के अन्तर्गत विक्रय की गयी है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

विधान सभा क्षेत्र खण्डार के आयुर्वेद चिकित्सालय

152. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में वर्ष 1990 से 1992 तक कितने आयुर्वेद औषधालय खोले गये ? उनमें से खण्डार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने औषधालय खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार खण्डार विधान सभा निर्वाचन के ग्राम रोडावद, पाली, चौथ का बरवाड़ा व खण्डेवता में आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में वित्तीय वर्ष 1990-92 में 41 आयुर्वेद औषधालय खोले गये। वित्तीय संसाधनों के अभाव में खण्डार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में इन वर्षों में कोई नवीन औषधालय नहीं खोला जा सका।

(2) वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही खण्डार विधान सभा क्षेत्र के इन ग्रामों में आयुर्वेद औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

वैद्य, आयुर्वेद चिकित्सालय, बदराना तहसील झाड़ोल (उदयपुर) की शिकायतें

153. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आयुर्वेद चिकित्सालय, बदराना तहसील झाड़ोल में वर्तमान में कौन-कौन व्यक्ति, किस-किस पद पर कब से पदस्थापित हैं ?

(2) क्या यहां पदस्थापित वैद्य एवं कम्पाउण्डर के विरूद्ध कोई शिकायतें स्थानीय निवासियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हाँ, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृपया प्राप्त शिकायतों की प्रतियों एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग ने उक्त वैद्य के विरुद्ध कोई जांच कराई ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त वैद्य का विभाग ने स्थानान्तरण किया था ? यदि हां, तो इसके स्थानान्तरण निरस्त करने का क्या कारण था ? क्या विभाग इसे अब भी यहां से अविलम्ब हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-क)

(2) जी हाँ।

प्राप्त शिकायत की जाँच सहायक जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर से कराई

(आयुर्वेद मंत्री)

गई। प्राप्त शिकायतों की प्रतियां एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं। (परिशिष्ट-ख-1 से ख-6 तक)

(3) उक्त वैद्य के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(4) जी, हां। उक्त वैद्य का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर निरस्त किया था। उक्त वैद्य का स्थानान्तरण आयुर्वेद औषधालय सोम (उदयपुर) के लिये दिनांक 31-8-92 को कर दिया गया हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद

154. श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सकों के जिलेवार कितने पद रिक्त हैं एवं कितने आयुर्वेद चिकित्सक बेरोजगार हैं ?

(2) क्या पिछले विधान सभा सत्र में आयुर्वेद मंत्री ने 30 जून, 1992 तक रिक्त पदों को भरने की घोषणा की थी ?

(3) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? कितने बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सकों को नौकरियां दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सकों के स्पष्टतः रिक्त पदों की संख्या 74 हैं, जिनका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं (परिशिष्ट–क) वर्तमान में लगभग 300 आयुर्वेद चिकित्सक बेरोजगार हैं।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1992-93 में आयुर्वेद चिकित्सक के रिक्त पदों को तदर्थ नियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा सहमति प्रदान नहीं करने की दशा में नियमानुसार आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद भरने हेतु दिनांक 29-6-92 को आयोग को अर्थना भेजी गई हैं। आयोग द्वारा उक्त पदों को भरे जाने में विलम्ब की सम्भावना को ध्यान में रखते हुये पुनः इन पदों को तदर्थ नियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त करने के लिये मामला कार्मिक विभाग को माह अगस्त, 1992 में भेजा गया, जिस पर सहमति प्राप्त होने पर पदों को तदर्थ आधार पर शीघ्र भरे जाने हेतु दिनांक 15-9-92 को अल्पावधि विज्ञापन जारी कराया गया हैं।

मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित एक बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सक को नियुक्ति प्रदान की गई हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

घाटोल (बांसवाड़ा) की पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना में आवंटित राशि

155. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्रामीण विकास हेतु केन्द्र व राज्य सरकार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को धनराशि उपलब्ध कराती है? यदि हां, तो सामुदायिक हित के क्या-क्या निर्माण कार्य कराये जाते हैं विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बांसवाड़ा के घाटोल निर्वाचन क्षेत्र किन-किन पंचायतों को वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि दी गई व दी गई राशि से पंचयतों द्वारा कितनी-लागत के कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामुदायिक हित के जो-जो निर्माण कार्य कराये जाते हैं वह परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(2) जिला बांसवाड़ा के घाटोल निर्वाचन क्षेत्र की पंचायतों को वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 में कराये कार्यों का पंचायत वार कार्यबार मय लागत की सूचना परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पंचायत समिति झाड़ोल व कोटड़ा (उदयपुर) के चयनित परिवार

156. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति झाड़ोल एवं कोटड़ा जिला उदयपुर में चयनित परिवारों के कितने व्यक्तियों को वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 में किस-किस प्रकार से लाभान्वित किया गया?

(2) क्या उक्त कार्यों का ऑडिट करवाया गया है? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) ऑडिट आपत्तियों की परिपालना में क्या-क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो कब तो कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 90–91–92 एवं 92–93) अगस्त, 92 तक) पंचायत समिति झाड़ोल में 1566 एवं पं. सं. कोटड़ा में 1067 चयनित परिवारों के व्यक्तियों को आई. आर. डी. पी. (अन्त्योदय) योजना में आर्थिक संसाधन क्रय करने हेतु बैंक से ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाकर लाभान्वित किया गया। वर्षवार एवं उद्देश्यवार विवरण संलग्न है।

(2) लाभान्वितों को जो संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं उन कार्यों का कोई

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

ऑडिट नहीं होता। जि. ग्रा. वि. अभिकरण उदयपुर के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लेखों का ऑडिट प्रतिवर्ष चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा वर्ष 90–91 का ऑडिट कर लिया गया हैं।

(3) बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के प्रकाश में इस भाग का उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां

157. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बारां ग्रामीण विकास अभिकरण में कितने अधिकारियों व कर्मचारियों के पद रिक्त हैं और यह पद कब से रिक्त हैं? तथा यह पद कब तक भर दिये जावेंगे?

(2) क्या इसके कारण बारां जिले का विकास अवरूद्ध हो रहा है? यदि नहीं, तो क्या एक अधिकारी दो या तीन पदों का कार्य करते हुए भी अपने कार्य को सही अन्जाम दे सकता है?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां में निम्नानुसार पद रिक्त है:—

क्र. सं.	पद नाम	पद सं.	दिनांक जिससे पद रिक्त है।
1.	जिला आयो. अधिकारी	1	3-7-91
2.	ए. पी. ओ.	1	3-7-91
3.	लेखाधिकारी	1	3-7-91
4.	सहा. अभियन्ता	1	2-6-92
5.	श्रम कल्याण	1	7-9-91
6.	क. लेखाकार	2 (1)	1-7-92
		(1)	7-7-92
7.	स्टोनो	2	3-7-91
8.	व. लिपिक	2	1-9-92
9.	कम्प्यूटर आप.	1	1-7-92
10.	कम्प्यूटर	1	7-7-92
11.	वाहन चालक	3 (2)	1-7-92
		(1)	3-7-92
	योग:—	16	

(2) उपरोक्त रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

इन पदों के रिक्त होने से विकास कार्यों के क्रियान्वयन में कठिनाई तो हो रही है। यह भी सही है कि एक अधिकारी दो या तीन पदों का कार्य पूर्ण क्षमता से नहीं कर पाता।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कर्मचारियों की छंटनी

158. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री भंवरलाल)

(1) क्या राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में वित्तीय कटौती के नाम पर पदों में कमी की गई है ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या पदों के समाप्त करने से पूर्व कर्मचारियों को हटाये जाने के नोटिस दिए गए हैं ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को ?

(3) क्या हटाये गये कर्मचारियों को सरप्लस घोषित कर अन्यत्र विभागों में समायोजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब उन्हें समायोजित करने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या वित्तीय कटौती के कारण 8-10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी करना उचित है ?

उत्तर

(1) राजेन्द्र जैन समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित प्रशासनिक व्यय के परिपेक्ष्य में तथा पदों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का पुर्नगठन किया गया। पुर्नगठत के आधार पर कुछ पदों को समाप्त किया गया है। इन समाप्त किये गये पदों की संख्या 283 है।

(2) जी हां। 52 कर्मचारियों को नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की गई हैं।

(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कर्मचारियों को अधिशेष घोषित करने की कोई प्रावधान नहीं है। अतः कर्मचारियों को अधिशेष घोषित कर समायोजित नहीं किया जा सकता है।

(4) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में पद विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है। इन योजनाओं में स्वीकृत प्रशासनिक व्यय एवं पदों को उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये पदों की संख्या में समय-समय पर परिवर्तन स्वभाविक है। जो पद समाप्त हुये हैं उन पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

जिला सवाईमाधोपुर में जीवनधारा योजना पर व्यय

159. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जीवनधारा योजना के अन्तर्गत जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समितियों की कितनी धनराशि गत तीन वर्ष में स्वीकृत की गई ? कितनी राशि खर्च की गई ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) टोडाभीम एवं नादौती पंचायत समिति में जीवन धारा के तहत किस-किस को कितनी-कितनी राशिस्वीकृत हुई उसमें

(श्री रामस्वरूप मीणा)

से कितनी खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जीवनधारा योजना के अन्तर्गत जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समितियों को गत तीन वर्षों में स्वीकृत की गई एवं व्यय की गई राशि का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है ।

(2) पंचायत समिति टोडाभीम एवं नादौती में जीवन धारा योजना के तहत कृषकवार स्वीकृत की गई राशि एवं खर्च की गई राशि की सूची संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

पंचायत बाबई बूंदी में भू-प्रबन्ध कैम्पस्

160. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ की पंचायत बाबई में भू-प्रबन्ध करते वक्त भारी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार कैम्प लगाकर उक्त पंचायत क्षेत्र में हुए भू-प्रबन्ध की अनियमितताओं को शीघ्र दूर कर रिकार्ड दुरुस्ती की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जिला कलक्टर की ग्राम जयनिवास मौजा सुन्दर नगर पंचायत बाबई के 17 काश्तकारों ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके संबंध में आवश्यक जांच के बाद समस्त 17 प्रार्थियों को भूमि आवंटन के आधार पर राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार अंकित कर उनकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है । इसके अलावा जिला कलक्टर के ध्यान में यह लाया गया था कि कुछ व्यक्तियों की खातेदारी/गैर खातेदारी भूमि को सैटलमेन्ट विभाग ने सिवाय चक तथा चरागाह दर्ज कर दिया है । जिला कलक्टर ने दिनांक 18-9-89 को ऐसे व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने हेतु एक विज्ञप्ति जारी की थी । इस विज्ञप्ति के संदर्भ में ग्राम पंचायत बाबई क्षेत्र के 24 व्यक्तियों द्वारा रेकार्ड में दुरुस्ती हेतु दावे अतिरिक्त तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रस्तुत किये थे जिन पर सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार जांच एवं कार्यवाही अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ में विचाराधीन है । इन व्यक्तियों की समस्या का समाधान उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निर्णय के द्वारा संभव हो जावेगा ।

तहसील रेलमगरा की चरागाह भूमि

161. श्री शांतिलाल (राजसमन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि रेलमगरा तहसील के ग्राम सिन्देसर खुर्द एवं सिन्देसर कलां के चरागाह भूमि पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो अनधिकृत

(श्री शांतिलाल)

कब्जा करने वालों की सूची मय भूमि की किस्म एवं आराजी संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

रेलमगरा तहसील के ग्राम सिन्देसर खुर्द में 7 लोगों द्वारा 7 बीघा 13 बिस्वा चारागाह पर एवं सिन्देसर कलां में 12 लोगों द्वारा 62 बीघा 15 बिस्वा चारागाह पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है। अनाधिकृत कब्जा करने वालों की सूची मय भूमि की किस्म एवं आराजी खसरा की सूचना संलग्न है।

उक्त सभी अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

आमेर में कपड़ा कारखाना से प्रदूषण की शिकायतें

162. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आमेर के पास स्थित कपड़े के कारखाने को प्रदूषण के खतरे के कारण बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब व किसके आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कारखानों को पुनः प्रारम्भ कर दिया गया ? यदि हां, तों क्यों व कब ?

(3) क्या इस कारखाने को पुनः चालू करने के विरोधस्वरूप सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किन-किन से कब-कब और सरकार ने अब तक इन पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं, पूर्व में तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी द्वारा जब मौका देखा गया तो कारखाना स्वयं मालिक द्वारा बन्द किया हुआ पाया गया।

(2) जी नहीं, दिनांक: 12-9-92 को किये गये निरीक्षण के दौरान उक्त स्थान पर कोई भी टैक्सटाइल उद्योग कार्यरत नहीं पाया गया।

(3) यह सही नहीं है कि यह कारखाना पुनः चालू हो गया है। राजस्थान प्रदूषण निवारण मंडल के संबंधित अधिकारी द्वारा हाल ही में दिनांक: 12-9-92 को किये निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त परिसर में कोई भी टैक्सटाइल उद्योग कार्यरत नहीं है।

प्रदूषण प्रकरण

163. श्री सम्पतसिंह (नगर),

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) एवं

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री गोपालसिंह)

(1) माह जनवरी, 1992 से अगस्त, 1992 तक वायु, जल व ध्वनि इत्यादि के प्रदूषण के कितने प्रकरण पंजीकृत हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) प्रांत में कितने उद्योग धन्धे मय खनन अंकित किये हैं जिनमें वर्तमान में प्रदूषण हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में देश के अन्य प्रांतों से राजस्थान प्रांत का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह जनवरी, 1992 से अगस्त, 92 तक जल एवम् वायु अधिनियम के अन्तर्गत कुल 29 मुकदमें दायर किये गये।

(2) कुल 775 उद्योग धंधों को चिन्हित किये गये है। जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग 346 हैं व वायु प्रदूषण फैलाने वाले 429 उद्योग है। राज्य मण्डल द्वारा अब तक वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के 346 जल प्रदूषक उद्योगों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 40 उद्योग वर्तमान में बंद है। 125 उद्योगों द्वारा उपचार व्यवस्था कर ली गई है, 50 उद्योगों ने दूषित जल के बहिःस्त्रावको शून्य कर लिया है, 11 उद्योगों में उपचार संयंत्र लगवाये जा रहें है जबकि 36 के प्रस्तावित है। 42 उद्योगों में उपचार की आंशिक व्यवस्था है। शेष उद्योगों को उपचार संयंत्र लगाने हेतु बाध्य किया जा रहा है। इसी प्रकार 429 वृहद्/मध्यम श्रेणी के वायु प्रदूषक उद्योग है जिनमें से 142 उद्योगों ने पूर्ण/आंशिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिये है, 178 ईकाईयों में प्रदूषण तत्वों को केवल चिमनी की सुरक्षित ऊंचाई द्वारा ही नियंत्रित किया जाना वांछनीय है। शेष 109 उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण नहीं लगाये गये है।

(3) इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कराया गया है।

वर्षा से क्षति

164. श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1992 के मानसून मौसम में प्रदेश के कितने बांध व एनीकट टूटे व कितनों में आंशिक टूट या रिसाव हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इससे कितनी-कितनी जनधन की हानि हुई कितनी फसलों को नुकसान हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नें इस हानि में हुए नुकसान की पूर्ति हेतु क्या कोई कदम उठायें हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1992 के मानसून मौसम में प्रदेश के कुल 50 बांध व 20 एनीकट टूटे तथा 290 बांध व 53 एनीकट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त या उनसे रिसाव हुआ। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सहायता मंत्री)

(2) राजस्व व सहायता विभाग से उत्तर संकलित किया जा रहा है, जो प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) उपरोक्तानुसार।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

गिलाई सागर बांध, खण्डार

165. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील खण्डार में गिलाई सागर बांध कब बनाया गया एवं इससे कितनी भूमि की सिंचाई होती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बान्ध में सीपेज भारी मात्रा में चालू है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा सीपेज रोकने के क्या उपाय किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त बांध की सिपेज को रोकने हेतु कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील खण्डार में बांध गिलाई सागर का निर्माण रियासत के समय में हुआ था इस बांध की सिंचाई क्षमता 1640 एकड़ है।

(2) जी हां। सीपेज रोकने के लिए सर्वेक्षण करवाकर तखमीना बनाया गया है।

(3) जी हां। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य कवाना सम्भव हो सकेगा।

भीमसागर परियोजना से उद्योग समूह को जल प्रदाय

166. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या झालावाड़ जिले की भीम सागर सिंचाई परियोजना से जे. के. समूह के पृथ्वीपुरा में स्थापित उद्योग को पानी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस दर पर कितना तथा किन शर्तों पर ? अनुबन्ध की प्रतियां तथा विभाग को होने वाले राजस्व आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उद्योग समूह को दिये जा रहे पानी को रोककर सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाये जाने पर अतिरिक्त भूमि सिंचित हो सकती है ? यदि हां, तो कितना रकबा ?

(3) क्या सरकार उक्त पानी कृषकों को सिंचाई हेतु देकर लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जे. के. उद्योग समूह को पानी अक्टूबर 1988 से दिसम्बर 1991 तक रुपये 10/–प्रति हजार घनफुट की दर पर एवं तत्पश्चात जनवरी 1992 से संशोधित दर रुपये 20/–प्रति हजार

(सिंचाई मंत्री)

घनफुट से दिया जा रहा है। अनुबन्ध की प्रतिलिपी एवं विभाग को होने वाली आय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। उद्योग समूह के बजाय सिंचाई हेतु उपयोग करने पर उस पानी से लगभग 550 एकड़ (223 हैक्टेयर) अधिक सिंचाई की जा सकती है।

(3) जी नहीं। जनहित में जे. के. उद्योग समूह के साथ पानी देने का अनुबन्ध किया हुआ है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मेव जाति को पिछड़ी जाति में शुमार

167. श्री जुबेर खान (रामगढ) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किसी भी जाति को पिछड़ी जाति घोषित करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ?

(2) क्या प्रदेश की मेव जाति जो कि मुख्यतः अलवर एवं भरतपुर जिलों में निवास करती है, को पिछड़ी जाति माना गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा किसी भी जाति को अन्य पिछड़ी जाति घोषित करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। मण्डल आयोग द्वारा दी गई राज्य सूची को अभी राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या 1 में वर्णित कारणों से।

समाज कल्याण विभाग के कर्मियों के जांच प्रकरण

168. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) समाज कल्याण विभाग में सी. सी. ए. रूल्स 16 एवं 17 के तहत किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जांच चल रही है और कब से चल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) समाज कल्याण विभाग में अप्रेल, 1991 से अब तक सी. सी. ए रूल्स 16 एवं 17 के तहत जो फैसले विभाग ने किये हैं, उसमें कितने अधिकारी एवं कर्मचारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच अधिकारी द्वारा जिन कर्मचारियों की जांच पूर्ण कर जो रिपोर्ट विभाग को दी है उनके फैसले कितने समय से पेण्डिग चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। जिनके फैसले नहीं हुए हैं, विभाग फैसले कब तक करने की मंशा रखता है और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि प्रकरणों में सी. सी. ए. रूल्स 16 एवं 17 की बिना जांच अधिकारी नियुक्त किए सीधे फैसले

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कर दिये गये हैं ? यदि हां तो ऐसे मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग में सी. सी. ए. रूल्स 16 व 17 के तहत जिन अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध जांच चल रही है, की सूची परिशिष्ट 1 में दी जा रही है।

(2) समाज कल्याण विभाग में अप्रेल 91 से अब तक सी. सी. ए. 16 के 18 तथा सी. सी. ए. 17 के 66 कुल 84 अधिकारियों कर्मचारियों के जांच के निर्णय किये जा चुके हैं, जिनकी सूची परिशिष्ठ-11 में है।

(3) ऐसे प्रकरण लम्बित नहीं हैं।

(4) जी हां, सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 व 17 के तहत बिना जांच अधिकारी की नियुक्ति के निपटाये गये प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-III पर संगग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखी गयी।)

व्यवस्था का प्रश्न
स्थगन प्रस्ताव का गलत प्रत्युत्तर

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, मैं दूसरा ले रहा हूं। प्रो. केदार।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : किस बात की व्यवस्था ?

श्री हेतराम बेनीवाल : सुन लीजिए आप।

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, कल आपने जो एक आदेश दिया हाउस के इस अध्यक्ष पद से, मुझे उस आदेश के बारे में तो कुछ नहीं कहना उसमें जो कुछ आपने फर्माया वह गलत सूचना थी। क्या उस गलत सूचना का मेरे को अधिकार नहीं है पूछने का ? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि चेयर पर बैठे हुए, अध्यक्ष पद पर बैठे हुए, उस किसी भी सदस्य को जो अधिकार है उस अधिकार का उपयोग न करने दें। उसकी सूचना बिलकुल ही उल्टी हो, गलत हो और आप सूचना देकर उस अधिकार की वजह से चुप करा दें, क्या वह उचित है ? आपने सूचना यह दी कि सरकार ने यह सूचित किया है कि रायसिंहनगर में जो एस. डी. एम. है....

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। वह तो हो गयी बात, अब आप उसको रिपीट मत करिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : हां, पर रिपीट मत करिये उसको। मैं आपका सवाल समझ गया। बिराजिये, मैं आपको जवाब दे रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप समझ गये मैं बोला नहीं और बोलने से पहले चुप कर दिया मैं आपकी व्यवस्था को नहीं कह रहा, पर क्या अधिकार है किसी अध्यक्ष को कि + + + गलत सूचना भी प्रसारित करे, क्योंकि अध्यक्ष के खिलाफ तो बोल नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया। आपका पाइण्ट ऑफ ऑर्डर हो गया।

आपका पाइण्ट ऑफ आर्डर हो गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। यह + + + का कारण भी समझता हूं। मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं आपसे····

श्री अध्यक्ष : देखिये, आज ही शून्य-काल नहीं रखा है, डिबेट मैं शुरू कर रहा हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह प्रश्नकाल नहीं है। मैंने व्यवस्था का सवाल उठाया है।

श्री अध्यक्ष : तो आप बैठिये, व्यवस्था सुनिये मेरी।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा सवाल तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था तो सुनिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का कारण सुन लीजिए। मुझे पूरा सुनकर फिर जवाब दे दीजिए, जो भी देना है पर यह नहीं कि मेरे को सुनें ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं तथ्यों पर तो आपको बोलने दूंगा नहीं। पाइण्ट ऑफ आर्डर पर बोलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं तथ्यों पर नहीं बोल रहा हूं। मैं पाइण्ट ऑफ आर्डर पर बोल रहा हूं। मैं यह बोल रहा हूं कि किसी सदस्य द्वारा हाउस के अन्दर....

श्री फूलचन्द गुर्जर : मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर है।

श्री हेतराम बेनीवाल : कोई भी प्रस्ताव रखा जाय उस प्रस्ताव पर अध्यक्ष को अधिकार है कि वह अपनी व्यवस्था दे। पर क्या सदन के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह + + + जो सूचना दे वह बिलकुल ही गलत हो, तो, तथ्यों से विपरीत हो ? क्योंकि अध्यक्ष की व्यवस्था पर प्रश्न किया नहीं जा सकता, इसलिए वह चुप रह जाय। यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट ऑफ ऑर्डर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले इनके व्यवस्था के प्रश्न का मुझे जवाब देने दीजिए। आप बैठिये, इनके व्यवस्था के प्रश्न का जवाब सुनिये आप क्या कर रहे हैं।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गए।

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था
स्थगन प्रस्ताव का उत्तर
अध्यक्ष का कथन नहीं

आपने व्यवस्था का यह सवाल उठाया है कि सरकार मेरे पास जो जवाब भेजे मैं उसकी स्क्रूटनी करूं, आपके हिसाब से, और यह देखूं कि सरकार का जवाब सही है कि नहीं। यही मतलब है न आपका ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा मतलब यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो फिर आप सुनिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा मतलब यह है कि आप जो सूचना दे रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये पूरा, बैठिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने मेरे से यह पूछा है न कि स्क्रूटनी की है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको स्क्रूटनी का अधिकार नहीं है, आप स्क्रूटनी नहीं कर सकते बिलकुल ठीक है। पर क्या आप ऐसा तथ्य जो बिलकुल ही गलत हैं, + + + वह अगर जवाल देते यही सवाल कोई मन्त्री उठाता तो मुझे अधिकार था कि मैं उसका जवाब देता। मेरे पास तथ्य हैं, सबूत हैं। पर क्योंकि वे तथ्य आपके थ्रू लाये गये हैं इसलिए मुझे वह अधिकार नहीं है। तो क्या अध्यक्ष को यह अधिकार है कि बिलकुल गलत बात, जो बिलकुल तथ्यों के विपरीत है, बिलकुल + + + है, उस बात को भी आप अपने अध्यक्ष के अधिकार के द्वारा हाउस में कहें।

श्री अध्यक्ष : हाउस में जब तक कोई मोशन नहीं हो, जिस पर हाउस निर्णय ले सके, ऐसे सवालों में जो सरकार कहती है, यदि गलत है यह सही कहती है वह माननीय सदस्य को बताया जाता है। माननीय सदस्य जो सवाल उठाये हैं, वे गलत उठाते हैं या सही उठाते हैं वह गवर्नमेण्ट को बताया जाता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह मेरे सवाल में नहीं बताया गया।

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिए आप।

यह किसी भी अध्यक्ष का या चेयर का अधिकार नहीं हैं माननीय सदस्य कोई सवाल उठाता है तो वह गलत है कि सही है वह अपनी जिम्मेदारी पर उठाता है. सरकार जवाब देती है वह गलत है कि सही हैं, अपनी जिम्मेदारी पर देती है। इसके निराकरण के लिए और कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं लेकिन अध्यक्ष....

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। मैं प्रक्रिया नहीं पूछ रहा।

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच-बीच में मेरी व्यवस्था पर डिस्कशन कर रहे हैं। मैं जब व्यवस्था दे रहा हूं उस समय डिस्कशन कर रहे हैं आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, आप पूछ रहे हैं सवाल।

श्री अध्यक्ष : मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने जो पूछा है, वह और चीज है। मैंने यह नहीं कहा कि हाउस में बोलता है मैम्बर उस मैम्बर

श्री अध्यक्ष : वही मैं कह रहा हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह मैम्बर बोलता है....

श्री अध्यक्ष : तो पहले मेरी व्यवस्था सुनेंगे आप पूरी।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह मैम्बर बोलता है कोई हर्ज नहीं, पर मन्त्री नहीं बोल रहा, सरकार नहीं बोली, आप बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर मेरी व्यवस्था नहीं सुन रहे हैं आप। सुन तो लीजिए। मेरे पास जो लिखित में राज्य सरकार की ओर से आता है वह राज्य सरकार का वर्शन है, अध्यक्ष का नहीं है। उसी को रीप्रोड्यूस किया जाता है। जो राज्य सरकार लिखकर देती है उसी को व्यवस्थाओं में वैसा का वैसा....

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर मुझे अधिकार है उस पर पूछने का। आपका वर्शन नहीं है तो मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतराम जी, मेरी व्यवस्था सुनिये। डोण्ट. डिस्कस विद मी। आप व्यवस्था सुनने में डिस्कशन कर रहे हैं मेरे से। तो मैं व्यवस्था यह दे रहा हूं कि सरकार जो लिखित में हमको देती है उसी शब्दों में हम आपको सूचना कर देते हैं। यह गलत है कि सही है, यह निर्णय करने का मेरा अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि आपको लगता है कि यह गलत है तो तत्काल उसका जवाब देना यदि इस व्यवस्था में शामिल नहीं है तो उसके लिए और प्रक्रिया है। आपके नियमों में बहुत-से रास्ते हैं जिसमें आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं, उन तरीकों का उपयोग करिये नियमों का, आपको उसका तत्काल लाभ मिलेगा। अब उनका उपयोग मेरे से यदि सलाह लेंगे आप कि मैं कौनसे नियम में आऊं, यह तो मैं अब यहां आपको सलाह नहीं दे सकता।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्षजी, यह नहीं है। मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुन ली। चन्दन मल जी, आप। (व्यवधान) देवपुरा जी बोल रहे हैं.... (व्यवधान) देवपुरा जी।

श्री नत्थी सिंह : व्यवस्था का प्रश्न है मेरा।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने कार्य-सूची में आज जो बताया कि इस विषय पर आज चर्चा होगी। उसमें आपने बताया कि ऊर्जा मन्त्रीजी और कृषि मन्त्रीजी के पहले वक्तव्य होंगे, उसके पश्चात् सभी मैम्बर चर्चा में भाग ले सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : उसमें अन्तर यह पड़ गया ...

श्री हीरालाल देवपुरा : इसलिए मैंने कहा कि चन्दनमलजी के बोलने के पहले वक्तव्य हो जाय।

श्री अध्यक्ष : वह मैं समझ गया। इसमें डुप्लीकेशन होगा। आप अपनी बात कहेंगे तो वे जवाब दे देंगे एक साथ। अभी स्टेटमेण्ट देंगे और स्टेटमेण्ट की प्रक्रिया आपको पता है कि स्टेटमेण्ट देने के बाद क्लेरीफिकेशंस होते हैं। फिर भाषण नहीं होंगे, क्लेरीफिकेशंस होंगे।

श्री नत्थीसिंह : एक बात और लिखी है। आपने एक नोट यह लिखा है कि ऊर्जा एवं कृषि मंत्री के वक्तव्य के पश्चात् उपरोक्त मद में दशाये गये विषयों पर चर्चा एक साथ होगी। और अभी आपने यह कहा कि बिजली पर चर्चा होगी तो हम जानना चाहते हैं कि चर्चा अलग-अलग होगी....

श्री अध्यक्ष : चर्चा एक साथ हो रही है। उसकी शुरूआत कहां से होनी है, यही है। आप चाहते हैं तो स्टेटमेण्ट दे देंगे, मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : स्टेटमेण्ट का तो कह ही नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, सुन लीजिए, दे रहे हैं। मंत्रीजी स्टेटमेण्ट दे रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : मैं बात दूसरी कर रहा हूं कि आप चर्चा एक साथ करायेंगे या बिजली की अलग करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : एक साथ। यह तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो गया। माननीय मन्त्री जी, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे आसन से....

श्री अध्यक्ष : आप शुरू करिये मन्त्री जी, शुरू करिये। आप मन्त्रीजी का लिखिये, और किसी का मत लिखिये। आप शुरू करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी। (व्यवधान) कुछ दर्ज नहीं हो। कुछ भी दर्ज नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मैं नहीं सुन रहा हूं, न आपकी बात दर्ज हो रही है। अब आपको शोक है तो बोलिये।(व्यवधान) मंत्रीजी, बोलिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री ईश्वर लाल सैनी : × × ×

श्री रामनारायण वर्मा : × × ×

शासकीय वक्तव्य

बिजली की दरों में वृद्धि

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, पिछले वर्षों कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि जिसका बहुत ज्यादा असर विद्युत प्रदाय से संबंधित सामग्री की कीमत पर भी पड़ा है. माल

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

भाड़े में हुई निरन्तर वृद्धि, राज्य के स्वयं के विद्युत उत्पादन स्रोत कम होने से विद्युत की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय विद्युत गृहों तथा पड़ोसी राज्यों से बहुत ऊंची दरों पर खरीदी जाने वाली बिजली तथा लागत से काफी कम दरों पर अधिकतर श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली के कारण विद्युत मण्डल का घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा था । इसके साथ ही विद्युत प्राप्ति के आधार (एनर्जी मिक्स) ने भी मण्डल की आर्थिक स्थिति को काफी प्रभावित किया है। जहां वर्ष 1980-81 में राज्य में लगभग 80 प्रतिशत विद्युत पन बिजली परियोजनाओं से तथा 20 प्रतिशत ताप एवं अणु बिजली परियोजनाओं से प्राप्त होती थी, वर्तमान में यह अनुपात लगभग उलटा हो गया है यानि कि पन बिजलीघरों से लगभग 30 प्रतिशत तथा तापीय एवं अन्य स्रोतों से लगभग 70 प्रतिशत प्राप्त होती है। सर्वविदित है कि पन बिजली तापीय बिजली से काफी सस्ती पड़ती है। जहां पहले उपलब्धि का 80 प्रतिशत पन बिजली से प्राप्त होता था अब केवल यह घटकर लगभग 30 प्रतिशत रह जाने से विद्युत मण्डल का घाटा अनेकों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लागत से काफी कम दर पर बिजली मुहैया कराने सहज ही स्पष्ट है।....

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : कहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, माननीय सभी सदस्य यह चाहते हैं। माननीय सदस्य के मन में अगर कोई बात है और आपसे निवेदन करना चाहते हैं, व्यवस्था देना आपका अधिकार है, एक मिनट सुन कर के आप व्यवस्था दे दीजिये उसमें क्या दिक्कत हो रही है? शांति से सुन लीजिये ताकि सदन की कार्यवाही भी सुचारू रूप से चल सके आगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अध्यक्ष महोदय केवल सुनकर आपको व्यवस्था देनी है। खतम हुआ किस्सा।

श्री अध्यक्ष : मैं कल भी दे चुका, परसों भी दे चुका अब फिर यह वही रिपीट करेंगे। अच्छा, करिये। पूछिये, पूछिये। हां, बोलिये, बोलिये, क्या बोल रहे हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव की सदन को सूचना

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो बहुत विनम्रता के साथ यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस किताब के ऊपर आपको कोई अधिकार नहीं है, रूल्स आफ बिजनेस पर। यह आपको भ्रम दूर कर देना चाहिये। आप आसन पर बिराजे हुए हैं, आपका हर आदेश सर्वमान्य है, सिर-माथों पर है लेकिन यह आप एडजोर्नमेंट मोशन समझते हैं?...
(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : आसन को प्रताडित कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड : अध्यक्ष महोदय, ये आसन का अपमान कर रहे हैं। इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन को + + + जा रहा है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : इनको सदन से बाहर निकाला जाय।....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : ये आसन का सीधा अपमान कर रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्य, कुछ शिष्टाचार की सीमा रखिये। आप बहुत विद्वान हैं लेकिन शिष्टाचार तो रखिये। मैं शिष्टाचार की बात कर रहा हूं।....(व्यवधान) कुछ शिष्टाचार तो रखिये।

एक माननीय सदस्य : सारे के सारे पिछ लग्गू।

श्री मदनलाल सैनी : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को 8 रोज के लिये सदन से बाहर निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। देखिये, आपका समय जा रहा है। आप चाहें तो मैं हाउस एडजार्न कर देता हूं 15-20 मिनट के लिये। आप कूल-डाउन हो जाइये। यह आपका समय जा रहा है। आपकी बहस का समय जा रहा है, जो बहुत इम्पार्टेन्ट है, जो आम जनता से सम्बन्धित है. उसका समय जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : ये किसान विरोधी हैं।

श्री मदन दिलावर : आसन का अपमान करने वाले को बाहर निकाल देना चाहिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : बाहर निकालो। बाहर निकालो।....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह आसन का अपमान नहीं चलेगा।

श्री रामनारायण वर्मा : आप बैठ जायं, व्यवस्था अध्यक्ष जी देंगे। आप + + + क्यों रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : दो मिनट। ये क्या कह रहे हैं? आप बैठिये। दो मिनट सुन लीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं, अध्यक्षजी, यह निवेदन कर रहा हूं कि स्थगन प्रस्ताव को जो परिभाषित किया गया है, क्या लिखा है अन्त में कि चूंकि यह लोक महत्व का अति आवश्यक मुद्दा है, अतः सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित कर तत्काल इस पर विचार किया जाय। और आपने कह दिया कि मैंने आज जीरो आॅवर नहीं रखा है। It is not your discretion, Mr. Speaker. You have got to give it. क्योंकि यह अनशिड्यूल्ड–बिजनस होता है। अगर एडजोर्नमेंट मोशन रखें, आप उसको ग्रहण करें या नहीं करें, आप उसको रिजेक्ट करें, आप उस पर स्टेटमेंट दें, आप नहीं बोलने दें, यह आपका अधिकार है इसको मैं चुनौती नहीं देना

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चाहता, न मैं दे सकता हूं। लेकिन यह क्या, अध्यक्ष महोदय, आपने इस किताब को एक कोने में रखकर कह दिया कि मैंने जीरो आॅवर नहीं रखा।

मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 6 अप्रेल को आपने मेरा 295 का मोशन रिजेक्ट कर दिया, हाउस में फैक्ट्स पढ़े। मुख्य मंत्रीजी ने अखबारों में स्टोरी करवायी कि मुख्य मंत्री के और अध्यक्ष के मतभेद थे इसलिये फैक्ट्स पढ़ दिये। तो आज क्या आपका राजीनामा हो गया? 17 तारीख से आपके पास मेरा मोशन पड़ा हुआ है, 16 तारीख से 119 का मोशन पड़ा हुआ है. आप हाउस को इन्फोर्म नहीं करते। अध्यक्षजी, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुनिये। 1952 से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, ढाई वर्ष में आपके खुद के कार्यकाल में इतने सैशन चले गये, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एडजोर्नमेंट मोशन आपने हाउस को नोटिफाई तक नहीं किया हो। आप यह नहीं बताना चाहते आखिर मुद्दा क्या है? 3 मुद्दे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। बैठिये, कोई मुद्दा नही है। कोई मुद्दा नहीं है। नो, नो, प्लीज सिट डाउन। मैंने सुन लिया आपका।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं मैरिट्स पर नहीं बोलूंगा। मैं, अध्यक्षजी आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, आप इसको जानते हैं। आप अनावश्यक + + + में मत आइये। मैं आपकी आज्ञा का हमेशा से पालन करता हूं, नियमों का पालन करता हूं। मैं कभी भी आपकी अनुमति के बिना नहीं बोलूंगा।

मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं फैक्ट्स की बात नहीं कह रहा हूं। पहला जो मुद्दा है, वह सदन के सामने नहीं है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह पूरे छह महीने से स्टोरी चल रही है अखबारों के अन्दर। दूसरा मुद्दा 119 के प्रस्ताव के माध्यम से 20 माननीय सदस्यों ने रखा है कि मैंने एफ. आई. आर. दर्ज करायी।

श्री अध्यक्ष : अब फिर आप फैक्ट्स ला रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं फैक्ट्स पर नहीं जा रहा हूं। एफ. आई. आर. रजिस्ट्रेशन का सवाल है। एफ. आई. आर. में क्या फैक्ट्स हैं, वह नहीं बोलूंगा मैं। एफ. आई. आर. में क्या फैक्ट्स हैं वह नहीं बोल रहा हूं।....(व्यवधान) लेकिन एफ. आई. आर. रजिस्ट कैसे होती है? एक सामान्य ज्ञान की बात है, अध्यक्ष महोदय कि किसी पुलिस आफिसर को रिपोर्ट मिलती है और अगर फैक्ट्स डिसक्लोज करते हैं कागिनजेबल आफेंस को तो एफ. आई. आर. रजिस्टर होगी। 10 तारीख की मेरी एफ. आई. आर. फाइल की हुई है आज 22 तारीख हो गई, 12 दिन तक एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई, एक बात। दूसरा मोशन 20 माननीय सदस्यों का....

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : फिर आप आ गए तथ्यों पर। आप बैठिए, मैंने आपकी बात सुन ली। अब आप प्लीज....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अन्तिम निवेदन। अन्तिम निवेदन।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम निवदेन, हां कह दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अन्तिम निवेदन मेरा यह है कि वह एक मसला हुआ, आपने 18 तारीख को सदन में आसन से यह कहा कि मैं उसकी वैधानिकता की जांच कर रहा हूं। आप मुझसे कक्ष में मिलिए। मैं आपसे कक्ष में मिला....

श्री अध्यक्ष : कक्ष की बात यहां मत करिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं करूंगा मैं। वह भी नहीं करूंगा। लेकिन जो आपने कोई प्राइवेट बात, मैं यह नहीं कहूंगा कि आपने मुझे + + + करके मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह आप हजार बार कहिए मुझे I am not afraid of it. इसका मुझे भय नहीं है। मैं अपने विवेक से करता हूं, किसी के + + + से नहीं + + + आप कितनी ही कोशिश करें, क्या फर्क पड़ता है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे भी कोई भय नहीं है लेकिन, अध्यक्षजी, सुनिए आप। तीसरा मुद्दा महत्वपूर्ण यह है, क्रिमनल ला के अन्दर (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सुनिए, क्रिमनल ला के अन्दर पुलिस एस. एच. ओ. का हवाला है ...(व्यवधान) आप बैठिए....एक मिनट सुनिए....(व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब यह किस के बहकावे में बोल रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, क्रिमनल ला के अन्दर एस. एच. ओ. का हवाला है। और डी. जी. पी. मतलब क्या होता हैं, स्टेट का प्रिंसिपल एस. एच. ओ. है वह। Bevond B. G. P. एफ आई. आर. रजिस्ट्रेशन करने के वक्त में चाहे वह होम सैक्रेटरी हो चाहे होम कमिश्नर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो He just cannot interfere. The law jest does not pormi; it. स्पीकर साहब, आपको इस बात को समझना चाहिए। और मेरे वाले केस में क्या हुआ ? + + +

श्री अध्यक्ष : प्लीज record it इसको मत करिये। गया पाइंट आफ आर्डर। अब आप बैठिए। अब मेरा जवाब सुनिए। अब मैं खड़ा हूं बैठिए आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am concluding, sir, Half a sentence,

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप इन्हें पूर सुन तो लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Not even one Sentence. क्वेश्चन यह है, अध्यक्ष महोदय.

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

एक बात को आप क्यों नहीं एप्रीशियेट करते हैं कि मैं, जो हूँ, सुरेन्द्र व्यास हाउस के प्रिविलेज को नहीं अवेल करता हूं। मैं जो कुछ करना है हाउस के बाहर करता हूं, "कामन ला मैं अपने आप को सरेण्डर करता हूं, मेरे खिलाफ कुछ भी कार्यवाही हो सकती है अगर मैं गलत बात कहता हूं, आज इतने सीरियस इश्यू को आप हाउस के अन्दर आने नहीं दें नियमों के अन्तर्गत हम उठाते हैं। ऐसा भी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, कि आप कह दें कि इससे नहीं उठाया जा सकता दूसरे से उठा देंगे। जो भी नियम हैं, इस किताब को आपकी कृपा से और आपके आदेशानुसार पूरा पढ़ने की चेष्टा करते हैं और जो भी नियम उपलब्ध होता है उसके अन्दर मोशन रखते हैं। प्रश्न यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि आपको यह स्टेण्ड तो लेना पड़ेगा कि आपका मोशन मेन्टेनेबल नहीं है, मैंने खारिज कर दिया। आपने हाउस को इन्फार्म ही नहीं किया आज तक। आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दें आप अपने ढाई साल के कार्यकाल में बता दीजिए कि आपने एडजोर्नमेंट मोशन न लिया हो। आपने कल यह भी कहा कि साहब पैटी मैटर्स को परमिट नहीं करता है। आप पैटी मैटर कह दीजिए इसको। कह दीजिए आप इसको कि यह पैटी मैटर है। जहां पर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर खुद इन्वाल्ड हो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं, निर्णय आपके डायरेक्शन पर तो करूंगा नहीं मैं अपने विवेक से करूंगा....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : It is my suggeston.

श्री अध्यक्ष : I do not seek your advice.

श्री सुरेन्द्र व्यास : I can, of course suggest you.

श्री अध्यक्ष : You have given your notice in writing and I will decide according to my wisdom and....

श्री सुरेन्द्र व्यास : When will you decide.

श्री अध्यक्ष : I am not going to be directed by you. why are you trying to impress upon me with your arguments.

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, रूल्स डायरेक्ट करते हैं।

व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव की सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष : हां हो गया। बैठिये, बैठिये आप हो गया। देखिये आपकी मुख्य आपत्ति यह है कि आपके मोशन को हाउस में मेंशन मैंने क्यों नहीं किया। यह आपकी मुख्य आपत्ति है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 6 तारीख को क्यों किया, वह बता दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, 6 तारीख का। मैं आज आपके उसका जवाब दे रहा हूं। आपने यदि रूल 54 को पढ़ा हो....

श्री सुरेन्द्र व्यास : पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : तो और पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है—

"proveitded that where the Speaker has refused his consent under rule 50 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the noticr of mtion and state the reasons for refusing consent or holding the motion as being not as tqeing not in order." (व्यवधान)

तो मैं कर रहा हूं और क्या कह रहा हूं। जब मैं डिसीजन लूंगा, अब भी कह रहा हूं, आप बार-बार मुझे जो कि मेंशन की बात कह रहे हो उसके लिए ही मैं कह रहा हूं। यह डिस्क्रिशन मुझे है कि कौनसे एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में मैं यहां मेंशन करूं और कौनसे मैं मेंशन नहीं करूं।

I have the discretion with me according to rules.

श्री सुरेन्द्र व्यास : ढाई साल में कब तय किया ? ढाई साल में कब तय किया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दोनों मंत्री रहे हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि जब मैं व्यवस्था दे रहा हूं तो बीच में खड़े होकर मेरे से प्रश्न करने का अधिकार कानूनन आपको नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, हमको तो हाउस में बैठने का अधिकार भी नहीं है, बाहर निकाल दो ना।

श्री अध्यक्ष : मैं निकाल दूंगा तब आपको बैठने का अधिकार भी नहीं होगा, यह बात भी सही है। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, रूल 54 में स्पष्ट लिखा हुआ है, हमारे यहां के पूर्व अध्यक्षों की व्यवस्था है कि यह डिस्क्रिशन पर है कि किस एडजोर्नमैंट मोशन को हाउस में मेंशन किया जाय, किसको नहीं किया जाय। मैं अपने डिस्क्रिशन का यूज करता हूं। इसमें कोई इल्लीगलिटी या कानून के खिलाफ बात नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : परम्परा क्या है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। फिर वही क्या-क्या कहने लगे आप।

दूसरी आपत्ति यह है आपकी कि आज आपने एडजोर्नमैंट वगैरह नहीं रखें। यह मैंने कल हाउस में अनाउन्स किया और हाउस की इच्छाओं को सेंस करके कहा था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कहा था, वहां भी तय हुआ है। न आपने कल आपत्ति की जब मैंने हाउस में कहा और न बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इसकी आपत्ति हुई। आप जानते हैं कि आखिर बिजनेस को अरेन्ज करने का अन्तिम अधिकार मुझे है। इसलिए मैंने उसमें भी अपने अधिकार का हाउस के सामने अनाउ-

(श्री अध्यक्ष)

न्समेंट करके प्रयोग किया है कि आज चूंकि बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा होने जा रही है। उससे महत्वपूर्ण आपका मोशन नहीं है। यह आज मानता हूं उससे महत्वपूर्ण नहीं। चाहे और वह कितना भी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आज न स्पेशल मेंशन होंगे, न कोई व्यवस्थाएं होंगी, कोई काल-अटेंशन होंगे, यह मैंने कल अनाउन्स किया था, हाउस को, सब की इच्छा थी। इसलिए आज वह मैं ले नहीं रहा हूं और इसलिए आज जिन लोगों ने मेरे को चिट्स भेजी हैं उनको भी बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं।

अब मंत्रीजी बोलिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : 25 को तो देंगे आप व्यवस्था, यह तो ध्यान रखेंगे आप। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 25 तारीख को तो व्यवस्था दे देंगे, अध्यक्ष महोदय, आप ?

श्री अध्यक्ष : बोलिऐ, बोलिये आप।

(12.25 म. प.

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, पिछले वर्षों में कीमतों में हो रही बेतहासा वृद्धि जिसका बहुत ज्यादा असर विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित सामग्री की कीमत पर भी पड़ा है, माल भाड़े में हुई निरन्तर वृद्धि, राज्य के स्वयं के विद्युत उत्पादन स्रोत कम होने से विद्युत की बढ़ती हुई मांग (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई : की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय विद्युत गृहों तथा पड़ौसी राज्यों से बहुत ऊंची दरों पर खरीदी जाने वाली बिजली तथा लागत से काफी कम दरों पर अधिकतर श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली के कारण विद्युत मण्डल का घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा था। इसके साथ ही विद्युत प्राप्ति के आधार (एनर्जी मिक्स) ने भी मण्डल की आर्थिक स्थिति को काफी प्रभावित किया है। जहां वर्ष 1980-81 में राज्य में लगभग 80 प्रतिशत विद्युत पन बिजली परियोजनाओं से तथा 20 प्रतिशत ताप एवं अणु बिजली परियोजनाओं से प्राप्त होती थी, वर्तमान में यह अनुपात लगभग उलटा हो गया है यानि कि पन बिजली घरों से लगभग 30 प्रतिशत तथा तापीय एवं अन्य स्रोतों से लगभग 70 प्रतिशत प्राप्त होती है। सर्वविदित है कि पन बिजली तापीय बिजली से काफी सस्ती पड़ती है। जहां पहले उपलब्धि का 80 प्रतिशत पन बिजली से प्राप्त होता था अब केवल यह घट कर लगभग 30 प्रतिशत रह जाने से विद्युत मण्डल का घाटा.... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्रीजी, बहुत तेज रफ्तार से पढ़ रहे हैं। He is gallopisng He Should not gallop.

श्री रामनारायण विश्नोई : धीरे पढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : धीरे-धीरे पढ़िये ।

श्री परसराम मदेरणा : He should read the statement slowly.

श्री अध्यक्ष : धीरे पढ़ेंगे ।

श्री रामनारायण विश्नोई : धीरे-धीरे पढ़ेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : आप यों इतने जल्दी में क्या करना चाहते हैं यहां आपने तो लुइस को भी पीछे छोड़ दिया 100 मीटर रेस में । आप स्लोली पढ़िये, लोग सुनना चाहते हैं । बिजली का मामला है, यह टेक्नीकल है ।....(व्यवधान) अच्छा माइक खराब है ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, शुरू से पढ़ा दें तो ज्यादा ठीक रहेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : आप लम्बे ज्यादा हैं या माइक खराब है, दोनों में से एक बात है ।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : आप सही फरमा रहे हैं । पर यह बिजली का मामला है इसलिए बिजली तो जल्दी चलती है ।

श्री रतनाराम चौधरी : यह किसानों की बिजली का मामला है । बिजली मंत्री जी, आप धीरे-धीरे पढ़िये, एम. एल. ए. भी समझें और अन्य श्रोता हैं वह भी समझें आप की बात को कि राजस्थान सरकार ने कितना किसानों पर जुल्म किया है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य मुझे तो मंथर गति के समाचार कहते हैं और आपको जल्दी-जल्दी कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : पढ़िये आप ।

शासकीय वक्तव्य

विद्युत दरों में वृद्धि

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्यों की इच्छाओं के मुताबिक बिल्कुल धीमी गति से पढ़ूंगा ।....(व्यवधान)

पिछले वर्षों में कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि जिसका बहुत ज्यादा असर विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित सामग्री की कीमत पर भी पड़ा है, माल भाड़े में हुई निरन्तर वृद्धि राज्य के स्वयं के विद्युत उत्पादन स्रोत कम होने से विद्युत की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय विद्युत गृहों तथा पड़ौसी राज्यों से बहुत ऊंची दरों पर खरीदी जाने वाली बिजली तथा लागत से काफी कम दरों पर अधिकतर श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली के कारण विद्युत मण्डल में घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा था । इसके साथ ही विद्युत प्राप्ति के आधार (एनर्जी मिक्स) ने भी मण्डल की आर्थिक स्थिति को काफी प्रभावित किया है । जहां वर्ष 1980-81 में लगभग 80 प्रतिशत विद्युत पन बिजली परियोजनाओं से तथा 20 प्रतिशत ताप एवं अणु बिजली परियोजनाओं से प्राप्त होती थी, वर्तमान में यह अनुपात लगभग

(श्री रामनारायण विश्नोई)

उलटा हो गया है यानि कि पन बिजली दरों से लगभग 30 प्रतिशत तथा तापीय एवं अन्य स्रोतों से लगभग 70 प्रतिशत प्राप्त होती है। सर्वविदित है कि पन बिजली तापीय बिजली से काफी सस्ती पड़ती है। जहां पहले उपलब्धि का 80 प्रतिशत पन बिजली से प्राप्त होता था अब केवल यह घट कर लगभग 30 प्रतिशत रह जाने से विद्युत मण्डल का घाटा अनेकों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लागत से काफी कम दर पर बिजली मुहैया कराने से सहज ही स्पष्ट है।

विद्युत की मांग के अनुरूप आपूर्ति करने हेतु महंगी दरों पर केन्द्रीय संस्थानों/पड़ोसी राज्यों से विद्युत मण्डल द्वारा खरीद की गयी विद्युत के पेटे भी काफी बकाया राशि बढ़ गयी थी। खराब वित्तीय स्थिति एवं निरन्तर बढ़ रही हानि के कारण उनका चुकारा करना भी सम्भव नहीं हो पा रहा था तथा स्थिति यहां तक बदतर हो गयी थी कि इनके द्वारा विद्युत मण्डल को बिजली आपूर्ति बन्द करने की धमकी दी जाने लगी थी। वर्तमान में विद्युत मण्डल को बिजली की औसत लागत लगभग 130 पैसा प्रति यूनिट पड़ती है। इसके विपरीत कृषि कार्य हेतु बिजली की दर 37 पैसा प्रति यूनिट। एक पैसा प्रति यूनिट विद्युत शुल्क के अलावा ही थी। कृषि क्षेत्र द्वारा राज्य के कुल उपभोग की लगभग 30-32 प्रतिशत विद्युत खपत हो रही है। कृषि क्षेत्र में करीब 30 हजार लाख यूनिट बिजली प्रति वर्ष उपभोग की जाती है। इस प्रकार कुल उपभोग की 30 प्रतिशत से भी अधिक बिजली लागत से करीब 93 (130·37) पैसा प्रति यूनिट की कम दर

(12·33 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

से उपलब्ध कराये जाने से, केवल इस श्रेणी के उपभोग से ही विद्युत मण्डल को प्रति वर्ष लगभग 390 करोड़ रुपयों की हानि उठानी पड़ती थी। अब 8 पैसे की रेट बढ़ाने पर भी यह घाटा 85 पैसे प्रति यूनिट रह गया है, जिससे अब भी करीब 260 करोड़ रुपये का वार्षिक घाटा होगा। कृषि क्षेत्र में ही नहीं अपितु अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं यथा घरेलू, सार्वजनिक पथ प्रकाश एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को भी मण्डल लागत से काफी कम दर पर बिजली मुहैया करा रहा है। ऐसी स्थिति में विद्युत मण्डल का घाटा बढ़ता रहना स्वाभाविक ही है। वर्ष 1989-90 में मण्डल को 151 करोड़ रुपये का स्वभाविक घाटा था। राज्य सरकार व मण्डल द्वारा पिछले दो वर्षों में किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप वर्ष 1990-91 में यह वाणिज्यिक घाटा घट कर 104 करोड़ रुपये रह गया। इसके तदुपरान्त भी जहां 1-4-90 को कुल संचित घाटा 556 करोड़ रुपये था यह संचित घाटा राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप 1992-93 के अन्त तक घट कर लगभग 552 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जिसमें हाल ही में की नयी विद्युत दरों में वृद्धि से होने वाली 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त होने वाली आय भी शामिल है। पिछले ढाई वर्षों में राज्य

(श्री रामनारायण विश्नोई)

सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए यदि उपयुक्त कदम नहीं उठाये गये होते तो यह संचित घाटा बढ़ कर 552 करोड़ रुपये की वनिस्पत अनुमानतः 1000 करोड़ तक पहुंच गया होता। विद्युत मण्डल के उपरोक्त कारणों से बढ़ रहे निरन्तर घाटे को कम करने हेतु राज्य सरकार ने विद्युत मण्डल को दिये गये ऋण का वर्ष 1991-92 में 50 प्रतिशत अंश पूंजी इक्विटी में बदल कर मण्डल को प्रति वर्ष 57·5 करोड़ रुपये ब्याज के पेटे कम कर दिये। इसके साथ ही वर्ष 1990-91 में सरकार ने विद्युत मण्डल के बकाया ब्याज के पेटे 148·54 करोड़ रुपये भी माफ कर दिये।

विद्युत मण्डल की ओर से भी घाटे को कम करने के लिये अनेकों कदम उठाये गये हैं जिनमें विद्युत की चोरी की रोकथाम हेतु सतर्कता दलों द्वारा किये गये प्रयास, दोषपूर्ण मीटरों के समय पर बदलने व परीक्षण हेतु अलग से मीटर एवं प्रोटेक्शन विंग का गठन, राजस्व वसूली में तेजी, तंत्र एवं वितरण हानि को कम करने हेतु उच्च प्रसारण लाइनें डालने व सब स्टेशन प्रतिष्ठापित करने तथा उस प्रसारण तन्त्र को सुदृढ़ करने और केपेसीटर बैंक की स्थापना करने व कोटा तापीय विद्युत गृह के प्लाण्ट लोड फैक्टर में वृद्धि आदि अनेक कदम सम्मिलित हैं। इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता के अनुरूप मण्डल का घाटा कम करके 3 प्रतिशत का अतिरेक (सरप्लस) अर्जित करना सम्भव नहीं था।

यहां यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 59 के अन्तर्गत विद्युत मण्डलों को कुल प्राप्त राजस्व से राजस्व खर्चा पूरा करने के बाद अचल सम्पत्ति मूल्यों का न्यूनतम 3 प्रतिशत सरप्लस अर्जित करने का प्रावधान है। राज्यों के विद्युत मंत्रियों की 6 सितम्बर, 1991 को केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कृषि उद्योग उपभोग के लिये विद्युत की न्यूनतम दर 50 पैसा प्रति यूनिट की जाय तथा सभी विद्युत मण्डल अपनी वर्तमान दरों में संशोधन करें। इस वर्ष अप्रेल, 1992 में भी आयोजित ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में पुनः इस बात पर जोर दिया गया कि सभी विद्युत मण्डलों को उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 3 प्रतिशत सरप्लस अर्जित करना चाहिये तथा इसके लिये तमाम अनुदानों (सब्सिडी) को समाप्त कर विद्युत दरों में संशोधन करना चाहिये। साथ ही इस बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कृषि हेतु बिजली की दर वर्तमान में 50 पैसा प्रति यूनिट की जाय, ताकि विद्युत मण्डल अपने घाटे को कम कर अपनी गतिविधियों को सुचारु रूप से चला सकें। भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय भी समय-समय पर वह लिखता रहा है कि कृषि उपभोग के लिये न्यूनतम विद्युत दर 50 पैसे प्रति यूनिट की जाय व अन्य श्रेणियों दरों की बढ़ोतरी की जाये ताकि विद्युत मण्डल 3 प्रतिशत का मिनिमम सरप्लस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अर्जित कर सके।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

इन उपर्युक्त सभी कारणों से विद्युत मण्डल के निरन्तर बढ़ रहे घाटे को कम करने एवं भारत सरकार द्वारा (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 59 के प्रावधानों के अनुरूप 3 प्रतिशत सरप्लस अर्जित करने के लिये दिये जा रहे लगातार दबाव तथा विद्युत मण्डल को अपनी नयी परियोजनाओं के लिये संसाधन जुटाने हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में लाने के लिये मण्डल की प्रचलित दरों (टैरिफ) में वृद्धि के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था। यद्यपि घाटे को कम करने के लिये दरों में और अधिक वृद्धि किया जाना आवश्यक था, तथापि आम जनता और विशेष तौर पर कृषकों पर अधिक भार न पड़ने देने के कारण जहां सब ही श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में बिलिंग माह सितम्बर, 1992 से 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गयी है. कृषि कार्य हेतु 8 पैसे की ही बढ़ोतरी की गयी है। कृषि फ्लेट रेट में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। कृषि श्रेणी में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 4 लाख है, जिसमें से करीब 95 हजार उपभोक्ता फ्लेट रेट पर हैं। इस प्रकार लगभग एक चौथाई कृषि उपभोक्ता तो इस वृद्धि से अप्रभावित हैं।

जैसा कि निम्न विवेचनों से स्पष्ट होगा कि विद्युत दरों में उपर्युक्त वृद्धि के बावजूद भी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की दरें देश के अनेकों विद्युत मण्डलों के मुकाबले कम हैं—

(ए) घरेलू श्रेणी : इस श्रेणी में राजस्थान का 15 वां स्थान है अर्थात् देश के अन्य 14 राज्यों में विद्युत दर राजस्थान की तुलना में अधिक है।

(बी) अघरेलू श्रेणी : इस श्रेणी में राजस्थान का 14 वां स्थान है।

(सी) कृषि श्रेणी : इस श्रेणी में राजस्थान 7 वें स्थान पर है।

(डी) लघु उद्योग : इस श्रेणी में राजस्थान 11 वें स्थान पर है।

(ई) मध्यम उद्योग : इस श्रेणी में राजस्थान 8 वें स्थान पर है।

(एफ) वृहत उद्योग : इस श्रेणी में राजस्थान 10 वें स्थान पर है।

(जी) सार्वजनिक प्रकाश : इस श्रेणी में राजस्थान 11 वें स्थान पर है।

(एच) मिश्रित भार : इस श्रेणी में राजस्थान 8 वे स्थान पर है।

यह भी कहा जाता है कि विद्युत मण्डल द्वारा अपने घाटे की पूर्ति विद्युत चोरी पर रोक लगाकर व छीजत को कम करके करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में विद्युत चोरी की रोकथाम व धरपकड़ के लिए एक सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया हुआ है। पूरे प्रदेश को 17 वृतों में विभाजित कर वहां पुलिस बल के साथ सतर्कता अभियन्ताओं को उनके क्षेत्र में होने वाली विद्युत चोरी को पकड़ने का कार्य सौंपा हुआ है।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

विद्युत चोरी के मामलों में मण्डल द्वारा वर्ष 1990–91 के दौरान एक समझौता योजना लागू की गयी थी जिसके तहत विद्युत चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उपभोक्ता एकमुश्त राशि जमा कराकर समझौता करा सकता है। मण्डल द्वारा विद्युत चोरी की सूचना देने वालों को भी पारितोषिक दिये जाने की योजना क्रियान्वित की हुई है जिसके अन्तर्गत विद्युत चोरी की सही सूचना देने वाले व्यक्ति को विद्युत चोरी से प्राप्त राजस्व का 5 प्रतिशत तक पारितोषिक प्रदान किया जाता है।

विगत दो वर्षों 1990-91 व 1991-92 में सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा किये गये इन प्रयत्नों के फलस्वरूप क्रमश: लगभग 1 करोड़ 31 लाख व 2 करोड़ 33 लाख रुपये वसूल किये गये। चालू वित्त वर्ष में भी अप्रेल, 1992 से जुलाई, 1992 तक के चार महीनों में लगभग एक करोड़ से भी अधिक राजस्व वसूली हो चुकी है।

सतर्कता प्रकोष्ठ को कृषि क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत चोरी को लेकर जो अनुभव हुए हैं उन्हें मद्दे नजर रखते हुए आगामी माहों में रबी की फसल का का समय आने वाला है, उसके लिए विशेष अभियान चलाये जाने की एक व्यापक योजना बनाई है जिसकी क्रियान्वित से प्रांत में, विद्युत चोरी में भारी गिरावट आयेगी, और मण्डल को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी एवं विद्युत छीजत में भी कमी आयेगी।

जहां तक नियमित रूप से सप्लाई का प्रश्न है, राज्य में बिजली सभी जगह प्राय: नियमित रूप से ही जाती है। कृषि क्षेत्र में लगातार 8 घंटे प्रतिदिन थ्री फेस व सायं 6 बजे से 10 बजे तक सिंगल फेस बिजली दी जाती है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों को भी बिना कटौती के विद्युत उपलब्ध करवायी जाती है। हालांकि माह जून-जुलाई 1992 के कुछ दिनों में कोटा थर्मल की चौथी इकाई व राजस्थान अणु बिजली घर की दोनों इकाइयों के बन्द हो जाने के साथ रिहन्द, सिंगरोली व औरेया विद्युत गृहों में सामान्य से कम उत्पादन होने के कारण विद्युत उपलब्धि में भारी कमी आ गयी थी लेकिन पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य पड़ोसी राज्यों से विद्युत आपूर्ति करके व चम्बल व माही पन विद्युत गृहों से कुछ अधिक उत्पादन करके तथा कुछ अघोषित विद्युत कटौतियों द्वारा सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गयी थी। तथापि चालू वित्त वर्ष में माह अगस्त, 1992 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक विद्युत उपलब्ध करवायी गयी। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष में बिजली की सप्लाई सन्तोषप्रद रही है।

माननीय सदस्य सहमत होंगे कि हर क्षेत्र में हो रही लगातार मूल्य वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जहां कृषि जिंसों में समर्थन मूल्य में भी पर्याप्त वृद्धि की गयी है, बिजली दर में की गयी यह मामूली वृद्धि सर्वथा उपयुक्त एवं अपरिहार्य थी।

श्री उपाध्यक्ष : एक दूसरा स्टेटमेंट और है ना आपका। माननीय कृषि मंत्रीजी

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रांत में रासायनिक खाद की उपलब्धता के के सम्बन्ध में भी एक वक्तव्य देंगे।

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये, माननीय मंत्रीजी। महावीर प्रसाद जी एक पाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ये बहस तो अलग-अलग होनी थी, उपाध्यक्ष महोदय, ये डिबेट तो अलग-अलग होनी है खाद पर, बिजली पर, पैट्रोलियम पर। जब ये एक साथ स्टेटमेंट दे देंगे तो एक साथ....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, व्यवस्था सारी शामिल ही की हुई है .. (व्यवधान) कार्य सूची के अनुसार आप अपने जो भी पाइंट्स हाई लाइट करना चाहें, कर दीजिये। आपको स्वतन्त्रता है बिजली पर बोलें, खाद पर बोलें, पैट्रोल पर बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि मैंने 127 में सूचना दे दी, जिसके ऊपर वक्तव्य दे रहे हैं। कुछ एडजोर्नमेंट मोशन भी आये हैं, उस पर मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं पर इसमें जो व्यवस्था है, वह यह है कि....(व्यवधान) वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं.... (व्यवधान) 127 में....

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है ? (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या इनके मोशन पर बयान करवाया गया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसका मतलब कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा, यह व्यवस्था है। सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा, न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी है, वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्रीजी थोड़े में उत्तर देंगे। यह व्यवस्था है। तो इसलिए डीज़ल, पैट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उस पर मेरा 127 में प्रस्ताव है, उसमें मैं संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा, उसके साथ थोड़े में मंत्रीजी अपना जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारी व्यवस्था पहले दी जा चुकी है। माननीय महावीर प्रसाद जी, यह व्यवस्था आलरेडी....(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो अध्यक्ष महोदय ने सारी व्यवस्था दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष :....आसन की ओर से पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है। आप बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन ; ये सामूहिक वक्तव्य देंगे उस पर चर्चा होगी लेकिन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मेरा एक हक है सदस्य के नाते, कार्य सचालन और प्रक्रिया के नियमों के अनुसार जो मैंने एक प्रस्ताव मूव किया है, उसमें मेरा अधिकार है ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । आप बाद में सेपरेट उठा लीजिये । इसकी व्यवस्था आलरेडी दी जा चुकी है । व्यवस्था के ऊपर कोई व्यवस्था दी जायेगी क्या ? आपका पहले प्रश्न आ गया है । व्यवस्था दी जा चुकी है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था पर मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो केवल मेरे अधिकारों का संरक्षण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, महावीर प्रसाद जी सहयोग कीजिये । आप बिराजिये । सहयोग कीजिये ।....(व्यवधान)

श्री फूलचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा :........इनको बैठाओ पहले आप ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो सही, ये बैठ जायेंगे । आप बिराजिये । आप बैठिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा :....430 दिन हो गये भूख हड़ताल पर बैठे हुए.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, आप बिराजिये । ये बैठ जायेंगे । महावीर प्रसाद जी, बिराजिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं निश्चित रूप से बैठ जाऊंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये ना फिर ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैंने एक प्रश्न उठाया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी जा चुकी है । अब आप बैठिये (व्यवधान) बिराजिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आपकी व्यवस्था तो मुझे शिरोधार्य है उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है फूलचन्द जी ?

श्री फूलचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नीमकाथाना में फोबिया ग्राम है, वहां भंयकर रूप से बीमारी हो गयी है और हैजा के कारण से 200 व्यक्ति अस्पताल में है....(व्यवधान) कई आदमी खतम हो गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ना-ना, फूलचन्द जी, बिराजिये । आप मंत्री महोदय से मिलकर बात कर लीजिये । माननीय मंत्री जी । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : 420 दिन हो, वे बाहर बैठे हैं भूख हड़ताल पर । स्वास्थ्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं, 2-3 बार कह चुके हैं ।

रासायनिक खाद की अनुपलब्धता

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25-8-92 को उर्वरकों के सम्बन्ध में एक नयी नीति की घोषणा की गयी है । यह कथन बिलकुल सही है कि राजस्थान अभी तिलहन उत्पादन में देश में कुछ स्थान रखता है । यह सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष राज्य के समस्त क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई है । सरसों की बुवाई प्रदेश में कहीं-कहीं आरम्भ हो चुकी है परन्तु दिन में तापक्रम काफी ऊंचा पहुंच जाता है 32-34 डिग्री सेल्सियस तक, इसलिए किसान सरसों की बुवाई करने में तापक्रम कुछ और नीचे आने की प्रतीक्षा कर रहा है जिससे सरसों की फसल उगने के बाद नष्ट नहीं हो जाय । भारत सरकार की इस नीति के अनुसार यूरिया, अमोनियम सल्फेट, केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की कीमतें कम की गयी हैं, यह कमी रुपये 300, रुपये 780, रुपये 700 क्रमशः प्रति टन हुई है । भारत सरकार की इस नीति के अनुसार फास्फेटिक डी. ए. पी. आदि पोटाशिक, न्यूरेटाश पोटाश एवं मिश्रित उर्वरकों को नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया है । इसके परिणाम स्वरूप डी. ए. पी. की कीमतों में लगभग दुगुनी वृद्धि हो गयी है । कीमतों में वृद्धि सिंगल सुपर फास्फेट के मामले में 164 प्रतिशत हुई है । इस नीति की घोषणा के पूर्व डी. ए. पी. का 50 किलो का कट्टा जो कि 234 रुपये में मिला करता था, अब 405 रुपये से 440 रुपये तक मिल रहा है तथा 50 किलो का सुपर फास्फेट का कट्टा रुपये 62/- में मिलता था, जो अब 163·75 रुपये में मिलेगा । सुपर फास्फेट के सम्बन्ध में यह वृद्धि लगभग ढाई गुनी हो गयी है । पिछले साल सितम्बर एवं अक्टूबर माह में डी. ए. पी. की खपत क्रमशः 35,000 टन व 48,000 टन हुई थी, पिछले वर्ष सरसों की बुवाई राज्य में 22 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में हुई थी, अभी राज्य में लगभग 67,000 मीट्रिक टन डी. ए. पी. निर्माताओं के पास उपलब्ध है । अक्टूबर, 1992 में डी. ए. पी. की जितनी भी आवश्यकता होगी, निर्माताओं से सम्पर्क कर लिया गया है, उसकी आपूर्ति कर दी जायगी । इसी प्रकार सुपर फास्फेट का प्रबन्ध भी निर्माताओं द्वारा आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है । कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप रबी 1992 पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । राजस्थान सरकार को उर्वरक नीति की सूचना दिनांक 26-8-92 को प्राप्त हुई । उसी दिन कृषि निदेशालय द्वारा समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को दूरभाष एवं तार द्वारा सूचना दे दी गयी थी जिसके ऊपर इस नीति का अनुसरण प्रभावशाली तरीके से किया जा सके । इस नीति के सम्बन्ध में प्रमुख समाचार-पत्र, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर किसानों को जानकारी दे दी गयी थी । 24 अगस्त, 1992 को राज्य में 18,690 मीट्रिक टन डी. ए. पी., 4622 मीट्रिक टन सुपर फास्फेट एवं 2602 मीट्रिक टन न्यूरेटास

(श्री रामनारायण विश्नोई)

पोटाश विक्रेताओं के पास उपलब्ध था जिसे पहले वाली कीमत पर ही किसानों को बेचने के निर्देश दिये गये हैं। उर्वरकों के वितरण व्यवस्था को समुचित रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से सजग है ताकि किसानों के हितों की रक्षा की जा सके और कालाजारी को रोका जा सके। इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जायगी। लघु एवं सीमान्त किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वर्तमान में 54 रुपये प्रति कट्टा अनुदान भी डी.ए.पी. पर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चन्दनमल जी बैद।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय उपाध्यक्षजी, बिजली और पैट्रोलियम पदार्थों पर जो मूल्य वृद्धि हुई है उस पर अपनी बात कहूं, इसके पहले मैं एक छोटे से सिद्धान्त की बात करना चाहता हूं।

कोई भी उत्पादन, कोई भी सुविधा, कोई भी उपयोग हमको जो प्राप्त होता है उस उपयोग, सुविधा और उत्पाद की जो लागत होती है उस लागत को जो लोग उसका उपयोग करते हैं उनको देनी चाहिए। यह दूसरी बात है कि किसी उत्पाद का उपयोग कई श्रेणी के लोग करते हैं तो उनमें भेद किया जा सकता है। जैसे चार श्रेणी के लोग किसी उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं तो एक श्रेणी से उसका ज्यादा पैसा लिया जाय, दूसरी श्रेणी से उससे कम पैसा लिया जाय। इस तरीके से उसमें भेद किया जा सकता है लेकिन कोई भी उत्पाद या कोई भी सुविधा या कोई भी चीज उपयोग के लिए प्राप्त होती है उसकी लागत, उसका खर्चा जो लोग उसका उपयोग करते हैं उनको देना चाहिए, यह सर्वमान्य सिद्धान्त होना चाहिए। वैसे भी ऊर्जा मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने बताया कि हमारे किसानों की जो बिजली की दर थी वह 8 पैसे बढ़ाई है और दूसरे लोगों की 10 पैसे बढ़ाई और किसानों को जो बिजली आप दे रहे हैं वह दूसरे लोगों को जो बिजली दे रहे हैं उससे बहुत सस्ते में दे रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हम उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन का खर्चा जो लोग उसका यूज कर रहे हैं उन लोगों से निकलना चाहिए। यह सही नहीं है कि बिजली का उपयोग तो राजस्थान के 70 पर्सेन्ट या 60 पर्सेन्ट या 50 पर्सेन्ट लोग कर रहे हैं और जो घाटा है वह पूरे के पूरे राजस्थान की जनता पर गिरे यह उचित नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है बिजली 75 पर्सेन्ट गांवों में गयी हुई है और 75 पर्सेन्ट गांवों में भी सब लोगों ने घरों में बिजली नहीं ले रखी है।

कुओं में जहां तक स्थिति है, मैं समझता हूं, शायद तीन लाख के आस-पास या सवा तीन लाख कुओं में बिजली गयी हुई है। लेकिन सारे राजस्थान में 4 लाख ही कुएं नहीं हैं। सारे राजस्थान में कृषि के कुएं बहुत ज्यादा हैं उन सबमें भी बिजली गयी हुई नहीं है और पैंडिंग एप्लीकेशंस की संख्या भी देखें तो वह शायद लाखों में जायगी। लगभग 2·5 लाख है। तो इस वास्ते किसी उद्योग-धन्धे को या

(श्री चन्दनमल बैद)

कंज्यूमर्स को या कमर्शियल एस्टेब्लिश को हम बिजली दे रहे हैं उसमें जो घाटा होता है वह घाटा हम सारे राजस्थान के लोगों पर डालें यह उचित नहीं है। हम यह फर्क जरूर कर सकते हैं कि कृषि को सस्ती दर पर बिजली दें, उद्योग-धन्धों को महंगी दर पर दें, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को महंगी दर पर दें, घरेलू बिजली भी हम महंगी दर पर दें और घरों की बिजली में भी हम भेद कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पंखा चलायेंगे, जो बिजली जलायेंगे उसको हम इस रेट पर देंगे, जो कूलर चलायेंगे या एयर कंडीशनर चलायेंगे उनको हम महंगी दर पर देंगे। यह हम कह सकते हैं लेकिन यह कभी नहीं होना चाहिए कि बिजली में जो घाटा हो रहा है वह उन लोगों से भी लिया जाय जिन्होंने बिजली का उपयोग नहीं किया।

इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं, पैट्रोलियम पदार्थों पर। जो लोग पैट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करते हैं उन लोगों को पैट्रोलियम पदार्थों के उपयोग में लागत में जो घाटा होता है उस घाटे की पूर्ति करनी चाहिए। अगर हम यह नहीं करेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आखिर वह घाटा कहां से आयेगा? कल ही सिरोही की माननीय सदस्या और जोधपुर की माननीया सयस्या इस बात पर वाक-आउट करके चली गयीं कि केन्द्रीय सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने केन्द्रीय सरकार से इस्तीफा मांगा लेकिन राजस्थान सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? बिजली की दर इन्होंने बढ़ाई है और जो कारण बताये ऊर्जा मंत्रीजी ने, करीब-करीब वो हीं कारण भारत सरकार के अखबारों में पढ़ रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए यहां कोई नहीं है लेकिन करीब-करीब वो ही कारण, जो इन्होंने बताये, वह बता रहे हैं। आपका घाटा 1000 करोड़ के पास पहुंच रहा है, आप कह रहे थे, 700 करोड़ पहुंच गया। आपने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिन कदमों से घाटा 1000 करोड़ नहीं पहुंच सका, 750 करोड़ पर पहुंच गया। कुछ आपने बिजली की दरें बढ़ाई, कुछ जो तापघर थे उनकी जो कैपेसिटी थी या उनकी जो इन्स्टाल कैपेसिटी के अलावा जो फर्म कैपेसिटी थी उसको आपने बहुत अच्छा बढ़ाया उसके लिये मैं आपको तो कोई श्रेय नहीं देना चाहता लेकिन निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको श्रेय देना चाहूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जितने भी रिजल्ट्स हैं उनमें बेस्ट रिजल्ट राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी का है। जो बात सही है उसको कहने में हमको हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि 750 करोड़ का आपका घाटा पहुंच गया है और राजस्व घाटा इस साल 107 करोड़ का होगा। यह आपने हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्टेटमेंट दिया है इसमें बताया है। मैं सिरोही और जोधपुर की माननीय सदस्याओं से पूछना चाहता हूं वो बड़ी चतुर गृहिणियां हैं, 107 करोड़ का घाटा है वह कैसे पूरा करना चाहेंगी? जेवर बेचकर या मकान बेचकर या सोना गिरवी रखकर? यह मैं कहना

(श्री चन्दनमल बैद)

चाहता हूं 107 करोड़ का घाटा उन लोगों से वसूल किया जाना चाहिए जो बिजली का उपयोग कर रहे हैं। यह ठीक है कि जो ज्यादा पे करने की स्थिति में हैं उनसे ज्यादा लिया जाय और जो कम पे करने की स्थिति में हैं उनसे कम लिया जाय। अभी भी मैं कहना चाहता हूं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, जो आपने किसानों पर 8 पैसे बिजली की दर बढ़ाई है वह गलत बढ़ाई है वह आपको नहीं बढ़ानी चाहिए थी। आपको उद्योगों पर, कमर्शियल पर, घरेलू बिजली पर ज्यादा पैसा बढ़ाना चाहिए था, इसके बनिस्पत किसानों पर आपने बढ़ाया। किसानों पर बिजली दर बढ़ाकर आज आपने उत्पादन पर जो कुठाराघात किया है वह गलत किया है।

देखिए, भारत सरकार ने क्या किया ? भारत सरकार ने कैरोसीन के दाम नहीं बढ़ाये और भारत सरकार ने यह भेद कर रखा है कि जो दीया-बत्ती जलाने के लिए या खाना पकाने के लिए कैरोसीन लिया जाय उसके दाम कम हों और वही इण्डस्ट्रियल काम के लिए, कमर्शियल काम के लिए कैरोसीन है उसके दाम ज्यादा हैं। इसी तरह से गैस पर भी जो दाम उन्होंने बढ़ाये हैं तो जो-जो घरेलू उपयोग के लिए गैस है उससे ज्यादा दाम इण्डस्ट्रियल और कमर्शियल गैस पर बढ़ाया है। तो उन्होंने दो भेद किये हैं वो भेद आपको भी करना चाहिए था कि किसान जो कैरोसीन यूज में लाते हैं उसका दाम नहीं बढ़ाये। आपने किसान जो बिजली काम में लेते हैं उसके दाम बढ़ा दिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं कह रहा हूं कि ये सिद्धान्त की बात कर रहे हैं, जो उपयोग करेंगे उन पर उसका बर्डन पड़ना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इन्हें कहने दीजिये. आपको बोलने का चांस मिलेगा उस वक्त कह दीजिएगा। आपको चांस मिलेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आर्थिक रूप से आपको बड़ा अध्ययन है इसलिए मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : टौंक से आने वाले माननीय सदस्य अगर समझने की कोशिश नहीं करें तो और बात है। मैंने दो बात बताईं। एक जो उपयोग करते हैं उन पर बोझ पड़ना चाहिए और उपयोग करने की विभिन्न श्रेणियां हों उनमें हम भेद कर सकते हैं। केरोसीन का उपयोग करने वाली विभिन्न श्रेणियां है उनमें हमने भेद किया है। गैस का उपयोग करने वाली विभिन्न श्रेणियां हैं....

श्री परसराम मदेरणा : आपने रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के तथ्यों को ध्यान से नहीं सुना। सिद्धान्त की बात एक कही है उसके बाद भेद की बात दूसरी कही है। सिद्धान्त के साथ में को-रिलेट करते हुए उसका ओब्स्यूट है यह कैप कैनेडी से जिस तरह से ऊपर जाता है जनाब, आप समझे ही नहीं इत बात को।

श्री चन्दनमल बैद : भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से में निवेदन करना चाहूंगा कि मैं रतनगढ़ से नहीं तारानगर से आ रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब मेरी समझ में आ गया।

श्री रामकिशन : माननीय चन्दन-मलजी बोल रहे हैं और परसराम जी व्याख्या कर रहे हैं। तो क्यों वो वेद पढ़ रहे हैं और ये क्या सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : वे कन्फ्यूज हो रहे थे इसलिए स्पष्टीकरण देकर उनके दिमाग में स्पष्टीकरण कर रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य कन्फ्यूज हो रहे थे, उनको निवेदन कर रहा था। आपने बताया ऊर्जा पर आपका 107 करोड़ रुपये सालाना घाटा रहेगा,

(1'00 म. प.)

इस वास्ते ऊर्जा की कीमत, टैरिफ कीमत आपको बढ़ानी पड़ी। उसी तरह पैट्रोलियम पदार्थों पर एक साल में चार सौ करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है....

श्री रामकिशन : चार सौ नहीं....

श्री चन्दनमल बैद : चार हजार करोड़ रुपये का घाटा हर साल हो रहा है। अब यह चार हजार करोड़ का घाटा कहां से पूरा किया जाय ? पैट्रोल तो अब सब कोई उपयोग में नहीं लेते हैं....

डा. चन्द्रभान : शेयर घोटाले से।

श्री चन्दनमल बैद : आप दो लाख की गाड़ी खरीदें और पैट्रोल डालने के लिए आप यह उम्मीद करें कि आपके पड़ोसी के पास गाड़ी नहीं है वह भी उस पैट्रोल की कीमत में आपकी सहभागिता करे। क्यों करे ? आप दो लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, आप अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कितने लोग हैं ऐसे ?

श्री चन्दनमल बैद : उसमें जो पैट्रोल आप डाल रहे हैं, उस पैट्रोल की जो लागत आ रही है वह आपको बर्दाश्त करनी चाहिए। यह नहीं कि जो लोग पैट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं वह भी उसमें सह-भागिता करें। यह सही नहीं है।

इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रसोई गैस शहरों में, कुछ कस्बों में है, देहात में तो कहीं भी रसोई गैस नहीं है। अब रसोई गैस पर 84 रुपये प्रति सिलैण्डर का घाटा हो रहा है। भारत सरकार सब्सिडी दे रही है उसको। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि रसोई गैस में, एक हजार करोड़ रुपये सालाना का जो घाटा आ रहा है वह देहात वालों पर डालने का आपका क्या औचित्य है ? मैं रसोई गैस यूज कर रहा हूं तो मुझे वह घाटा देना चाहिए बजाय इसके कि देहात के लोगों, जो रसोई गैस को कभी यूज में नहीं लेते हैं, काम में नहीं लेते हैं, पर वह बोझा डाला जाय। तो यह सही है कि जो जिस चीज का उपयोग करता है उस चीज में अगर विभिन्न श्रेणियों के लोग हैं, उसमें तो आप कुछ न कुछ भेद कर सकते हैं। उन्होंने भी यही किया है कि इण्डस्ट्रीज के लिए, कामर्शियल यूज के लिए यह होटल वाले जो रसोई गैस ले जाते हैं उन से ज्यादा पैसा लिया जाता है, और जो लोग घर के काम के लिए लेते हैं उन से कम पैसा

(श्री चन्दनमल बैंद)

लिया जाता है। रसोई गैस का एक सिलैण्डर आप जो घर में लाते हैं उस पर यह प्राइस बढ़ने के बावजूद भी 70 रुपये की सब्सिडी है। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं, सत्तर रुपये की सब्सिडी रहेगी, तो मैं यह पूछना चाहता हूं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज तो आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जस्टिफाई कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैंद : मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। जब केन्द्रीय सरकार यहां मौजूद नहीं है और केन्द्रीय सरकार पर लांछन लगा कर, केन्द्रीय सरकार से इस्तीफा मांगते हुए दो माननीय सदस्याएं यहां से बाहर चली गयीं तो जो माननीय सदस्याएं यहां बैठी हुई हैं उनका खयाल करके बोल रहा हूं मैं, कि कहीं वह बाहर नहीं चली जायं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो थोड़े समय में आपके पास ही आ रही हैं।

श्री चन्दनमल बैंद : कोई बात नहीं है, आपको तो हम शामिल करेंगे नहीं, आना तो आप भी चाहते हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, बाबूजी, आप उधर ही उधर देख रहे हैं, इधर तो देख ही नहीं रहे उपाध्यक्ष महोदय की तरफ। आप उपाध्यक्ष महोदय की तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं, उधर ही उधर देख रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैंद : जिधर देखना चाहिये उधर ही देख रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा खयाल तो आप रखें, चाहे न रखें लेकिन राजस्थान की असंख्य गृहणियों का खयाल तो रखें।

श्री उपाध्यक्ष : लस्सी पिला रहे हैं, कृपया व्यवधान कम करें।.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसी डूबती नाव पर केवल वह माननीय सदस्या ही बैठ सकती हैं। यह तो डूबने वाली नाव है, मेरी राय है, आप भी बाहर निकल जाओ।

श्री चन्दनमल बैंद : यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह मैं मानता हूं कि बिजली की दरें बढ़ने से और पैट्रोलियम उत्पाद की दरें बढ़ने से लोगों को तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है और इस बात को महसूस कर रहे हैं। और मैं यह भी मानता हूं कि जिस तरीके से डीजल की कीमत बढ़ने से निश्चित रूप से दूसरी चीजों की कीमत भी बढ़ेंगी, उसी तरीके से बिजली की कीमत बढ़ने से, बिजली का टैरिफ बढ़ने से भी दूसरी चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। जैसे यह आप समझ रहे हैं कि बिजली की दर बढ़ाना अपरिहार्य था, आपने कहा है कि हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसी वास्ते मैं यह समझता हूं कि शायद भारत सरकार के पास भी इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि चार हजार करोड़ रुपये हर साल घाटा जो है, या तो उस घाटे को नोट छाप कर पूरा कीजिये या फिर उन लोगों से लीजिये जो उन चीजों का उपयोग कर रहे हैं। मैं

(79)

(श्री चन्दनमल वैद)

यह सही समझता हूं कि जो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं उनसे ही लिया जाना चाहिए और उन लोगों से नहीं, जो उस चीज का उपयोग नहीं करते हैं। मैं यह सिद्धान्त आज नहीं बता रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जब सन् 81 में मुझे इस सदन में बजट पेश करने का मौका मिला था तब भी मैंने बजट स्पीच में वह बात कही थी कि हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर के एन्टरप्राइजेज हैं, चाहे वह बिजली का हो या रोड ट्रांसपोर्ट का हो, कोई भी एन्टरप्राइजेज हमारा है वह घाटे में हमको नहीं चलाना चाहिए और जो लोग उसका उपयोग करते हैं उन लोगों से पैसा वसूल करके हमें उसको घाटे में नहीं चलने देना चाहिए। इसमें कोई दुख नहीं है कि हम आज एक इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट है वह करोड़ों रुपये लगाकर बनाते हैं, उसका रख-रखाव करते हैं और उससे सिंचाई करने वाले लोग सस्ती दर पर पानी प्राप्त करें उसका खर्चा कौन दे? वह लोग जिनको आज तक सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं है। इस वास्ते इस सिद्धान्त को हमें मानना चाहिए और मैं समझता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्रीजी अगर यह सिद्धांत मानते कि भाई, बिजली का जो घाटा है वह बिजली का उपयोग करने वालों से लिया जाना चाहिए और उसमें विभिन्न श्रेणियों में भेद किया जाना चाहिए तो निश्चित रूप से आप विभिन्न श्रेणियों में भेद करने, उद्योगों से और दूसरे लोगों से ज्यादा पैसा वसूल करने और किसानों पर जो आपने बढ़ोतरी की है वह बढ़ोतरी नहीं करते।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर-प्रसादजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है—

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्वान ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : हां, फरमाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 127 का मैंने और अन्य तीन सदस्यों ने भी प्रस्ताव दिया था और उस पर आसन से यह व्यवस्था हुई थी, अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आपको भी इस सम्बन्ध में बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए आप उन्हें इस सम्बन्ध में चांस दो तो फिर हमें भी देना आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि दलों की ओर से जो-जो नाम आये हैं उसी क्रम से सब को पुकारा जा रहा है, बहुत जल्दी ही सब का नम्बर आ रहा है।

डा. चन्द्रभान : अच्छा, दलों की तरफ से है। नहीं तो हमारा भी स्थगन प्रस्ताव था, इन से पहले था।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो आ रहा है आपका नम्बर। एक भी शेष नहीं रहेंगे, जितने भी हैं सब को बोलने का मौका दिया जायेगा। माननीय महावीर प्रसाद जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया और अपने वित्त मंत्री रहने का कुछ अनुभव भी बताते हुए केन्द्र सरकार की यह पैरवी की कि उन्होंने जो कुछ पैट्रोलियम पदार्थों पर रेट बढ़ाई है वह उचित है और बिजली की दरें जो बढ़ाई हैं वह भी उचित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पैट्रोल और डीजल और जो रसोई गैस है उसमें जो घाटा होता है, यह किन लोगों से वसूल होगा, महंगाई पर इसका क्या असर होगा, ऐसा कौन-सा क्षेत्र है जो इससे अछूता रहेगा ? मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है। जैसे उन्होंने दो लाख की गाड़ी की चर्चा करके पैट्रोल की चर्चा की है लेकिन क्या पैट्रोल का उपयोग दो लाख की गाड़ी वाले ही करेंगे, इनके अलावा जितने दुपहिये हैं, तीन पहिये हैं, जो सरकारी नौकर हैं, जो मजदूर हैं, ऐसे लोग जो जायेंगे, जो इसके उपभोक्ता डायरेक्ट रूप में नहीं हैं लेकिन उनके ऊपर जिस प्रकार का वजन डाला गया है और उसके कारण जो महंगाई का इन्डेक्स बढ़ा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो घाटा है वह केवल पैट्रोलियम पदार्थों के कारण घाटा नहीं है, यह घाटा केवल गैस की सब्सिडी के कारण नहीं है, यह घाटा हमारी अव्यवस्था का घाटा है। यह जो हमारा घाटा है, जो हमने इस प्रकार के निगम स्थापित किये, केवल कुछ प्रशासन के लोगों और कुछ राजनेताओं को एडजस्ट करने के लिए जो सरकारी चरागाह बनाये गए, पिछले चालीस सालों से जो हमारी नीतियों का हाल रहा है, कांग्रेस ने जिस प्रकार इस देश तबाह किया है, उसके कारण से ऋण लेना पड़ा है, हमको भीख का कटोरा लेकर विदेशों से कर्ज लेना पड़ा है। उस कर्ज को हम नहीं चुका पा रहे हैं। और कर्ज ही नहीं, हम उसका ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं। उस ब्याज को चुकाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं और विदेशी ताकतें हमारे पर दबाव डाले बैठी हैं। उसके कारण से यह दरें बढ़ाई गयी हैं। आज सारे विश्व में हमारा मस्तक नीचे है। आज बड़ी होशियारी से अमेरिका और इंग्लैण्ड यह कह रहे हैं कि भारत ने यह बहुत अच्छा किया है वह बड़े खुश है कि भारत की जनता हमारी मुट्ठी में है, हमारी लगाम पर आयी है और भारत सरकार हमारे इशारे पर चलती।

आज सबसे बड़ा यह है कि हम विदेशों के गिरवी रखे हुए हैं और उनके + + + में आकर ऐसा कर रहे हैं। आज ही हमको फैसला लेना पड़ेगा, में तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ रहा हूं कि आज इंगलैण्ड, अमेरिका और जापान में इन पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें क्या हैं ? आज वहां पर इसकी दरें कम हैं। जिस प्रकार से + + + किया गया है, जिस प्रकार से गरीब आदमी की मजबूरी का का फायदा उठाया गया है, मैं जानता हूं आज वह यहां विरोध में बैठे हैं और उनकी मजबूरी है और वह बोल नहीं सकते, आन्दोलन कर नहीं सकते, सही बात को

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कह नहीं सकते क्योंकि केन्द्र ने गलती कर कर दी है इसलिए + + + बिजली के बारे में भी नहीं बोल पा रहे हैं। वह इसके बारे में क्या चर्चा करें? इनकी + + + की यह स्थिति है, सिवाय जस्टीफिकेशन देने के कि आपने अच्छा किया है, केन्द्र ने खुद ऐसा किया है इसलिए हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। वह बाहर इस बात चर्चा करते हैं लेकिन जब सदन में चर्चा करने का मौका आया तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिजली की जो दरें बढ़ी हैं, बिजली के क्षेत्र में जो छीजत और चोरी हो रही है केवल यह कहना कि एक करोड़ रुपया वसूल किया है तो यह किन लोगों से वसूल किया है एक करोड़ रुपया? डिपार्टमेन्ट्स से वसूल किया है। आज पी.एच.ई.डी. आपकी बिजली का उपयोग करता है और क्योंकि पी.एच.डी. को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इसलिए पी.एच.डी. के पास गये, उनका मीटर जला हुआ होता है, उनके खिलाफ केस बना दिया। 3 लाख, लाख रुपये का डिमाण्ड नोटिस निकाल दिया और उन्होंने जमा करा दिया। न उनको जोर आता है। राजकोष से पैसा निकालकर आपके कोष में आ गया। फिर ऐसे लोगों से वसूल किया गया है जो कि + + + छोटे-छोटे लोग हैं। इसमें बिजली की चोरी नहीं हुई बल्कि अनियमितताएं हुई हैं। पास में कोई घर है और उसके बिजली लगी हुई है और उसके ऊपर आपने केस बना दिया। आपका विजिलेन्स सैल करता है क्या है सिवाय इसके कि....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : विजिलेन्स चोरियां करवाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो अधिकारी हैं, धमाका कर उनके खिलाफ केस बनाते हैं। केस उनके पास पड़े हुए हैं और सिवाय कलेक्शन के और कुज नहीं है।

आज राजस्थान में हमारी सरकारी आने के बाद बिजली के मामले में जिस प्रकार की समस्याएं थीं वह बहुत मायने में दूर की गयी हैं लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो आइडेन्टीफाइड एरिया हैं, जहां चोरियां होती हैं, आपको पता है कि वसूली के 8 करोड़ रुपया बकाया हैं, उनसे वसूल कर लिया जाये। लेकिन वह ऐसी ताकतें हैं, वह ऐसे गिरोह हैं कि वहां पर हमारा सतर्कता विभाग जाने से घबराता है और केवल अपने पद का दुरुपयोग करके इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं। मेरा यह कहना है कि आज हम सतर्कता सैल पर जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं उतने पैसे की इनकम भी वह हमको नहीं दे रहा है और जिन क्षेत्रों में जाकर चोरियों को रोकना चाहिए और वसूली करनी चाहिए वह काम नहीं हो रहा है। इसलिए बिजली के मामले को यहां जस्टीफाई करने की बात सही है। आज न तो सरकार को यह निर्णय लेना पड़ता और न बिजली की दरों में बढ़ोतरी होती। तो मैं चाहता हूं कि निर्भीक होकर बिजली के मामले पर

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

भी अपने विचार रखें और कम से कम हम जनता के प्रतिनिधि हैं हम इस मामले पर भी विचार रखें। जिस प्रकार से डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी की है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैट्रोल की कीमत 1972 में डेढ़ रुपया प्रति लीटर थी और आज 18 रुपये प्रति लीटर है। उपाध्यक्ष महोदय 18 गुणा वृद्धि है। यह डीज़ल पैट्रोल और रसोई गैस के ऊपर कितना बोझ डालेंगे। आज रसोई गैस का उपयोग नहीं हो पा रहा है। हमारे यहां ईंधन की कमी है। आजकल जंगल साफ हो रहे हैं उनको बचाने के लिए गैस ज्यादा से ज्यादा काम में आये, यह ज्यादा से ज्यादा गांवों में पहुंचे और इस ईंधन का उपयोग हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि आसानी से और कम दरों पर रसोई गैस लोगों को उपलब्ध हो। आज महिलाएं आन्दोलित हैं। इसके कारण कौन लोग प्रभावित होंगे? सारा बजट गड़बड़ा जायेगा और कइयों की तो गृहस्थी बिगड़ जायेगी। लोग इससे प्रभावित होकर जंगलों में जायेंगे और पेड़ काटेंगे हमारे जंगलों का विनाश होगा और हमारा पर्यावरण निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और गैस की कीमतें बिना सोचे समझे बढ़ा दी गयी। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य पैरवी कर रहे हैं कि यह ठीक किया है। आखिर हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, हम दल के प्रति भी उत्तरदायी हो सकते हैं लेकिन हमारा उत्तरदायित्व जनता के प्रति भी है। हमने अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया। मुझे पता है कि केन्द्र सरकार का यह मामला है। मेरे इस प्रस्ताव से यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है लेकिन मेरी यह इच्छा है, सारे सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाय। गैस का जो प्रभाव होगा, डीज़ल का प्रभाव होगा, कम से कम दस बारह बार कीमतें बढ़ा दीं और महंगाई का इन्डेक्स जिस प्रकार से बढ़ रहा है इससे आम आदमी प्रभावित होगा। उसके कारण से हमारा नैतिक दायित्व है, हमारी कान्स्टीट्यूशनल जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए ऐसी परिस्थितियां लायें। इस स्थिति के लिए हम जिम्मेदार हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह घाटा केवल पैट्रोलियम पदार्थ से ही नहीं है। यदि इसकी ऊंची दरें होतीं तो 5 रुपया लीटर में विदेशों में उपलब्ध नहीं होता....

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिन देशों में 5 रुपया लीटर मिल रहा है उनके नाम तो गिना दीजिए ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : चीन में 5 रुपये मिलता है, इन्डोनेशिया में 5 रुपये मिलता है, अमेरिका में 6 रुपये मिलता है, बांगला देश में 8 रुपये मिलता है और पाकिस्तान में 9 रुपये मिलता है। आपका छोटा-सा पाकिस्तान, इतना सा बिलकुल पड़ोस में बांगला देश आप ही का एक हिस्सा है वहां पर आपसे ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन उन्होंने दबाव स्वीकार नहीं किया....

श्री प्रद्युम्न सिंह : उनके यहां गाड़ियां ही नहीं है बांगला देश में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं और आपसे अच्छी गाड़ियां रखते हैं वहाँ आप 2 लाख की चलाते हैं वह 10 की चलाते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज दुनिया के बाजार में, दुनिया के सामने हमारी लोकहंसाई हो रही है, हम गुलाम हैं। आजाद होने के बाद भी हम आज गुलाम हैं और आज हमारे ऊपर शासन भारत सरकार का नहीं है, हमारे ऊपर शासन अमेरिका कर रहा है। विदेशी शक्तियां हमें नचा रही हैं और हम गुड़िया की तरह नाच रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज उस दबाव से मुक्त होने आवश्यकता है। मैं जानता हूं आर्थिक घाटा हो रहा है उसके कारण से ऐसी स्थिति आ गयी। सदन को बाईपास करने की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रावधान भी है और परम्परा भी है कि बजट के समय जो भी टैक्स बढ़ाया जाता है, सब्सिडी खतम की जाती है, जिसमें फाइनेन्शियल इनवाल्वमेन्ट है, जिसमें घाटे की बढ़ोतरी की कोई बात है उसके बारे में आप सदन में घोषणा करें और सदन में उसकी चर्चा होगी। लेकिन सदन को बाईपास करके जिस प्रकार से घोषणा की गयी है वह मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा अपराध किया है केन्द्र सरकार ने।

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजस्थान सरकार ने....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस सदन को बाईपास किया बिजली की दरें बढ़ाने में। श्रीमान्‌जी, बिजली की दरें निगम ने बढ़ायी हैं, वह ऑटोनोमस बॉडी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या कहने, वह आटोनोमस बॉडी है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वह भी केन्द्र सरकार के आदेश पर बढ़ायी हैं। कृष्णचन्द्र पंत भी यहां कह गये थे कि राजनीतिक साहस चाहिए दर बढ़ाने में, हमने वह राजनीतिक साहस बताया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब ऐसा है, श्रीमान्, यह सदन तो राजकीय उपक्रम समिति.... (व्यवधान)....एक मिनट, देखिये, इंट्रेस्टिंग डिस्कशन है, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय कौशल साहब, यह भारत सरकार के आदेश नहीं थे, माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि ऊर्जा मंत्रियों की कांफ्रेंस हुई थी 6 सितम्बर, 1991 को जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था उस निर्णय के तहत भारत सरकार ने आपको लिखा कि इस निर्णय की अनुपालना आप भी करें। आप वोट आफ डिसेण्ट वहां लगाते, आप स्वीकार नहीं करते। एक तरफ तो स्वीकार करके आये वहां पर कि हम बिजली की रेट बढ़ायेंगे और यहां आकर आप कहते हैं कि भारत सरकार के कारण बिजली की रेट बढ़ायी है रेट बढ़ाने में आपने इस बात की वहां मन्जूरी भी दी थी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बहुत जल्दी आपका नाम आ रहा है। हां, बोलिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार भी यदि सदन को बाईपास करती है तो मैं निश्चित रूप से इस विचारधारा का नहीं हूं कि इस सदन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

को बाईपास करके कोई भी कीमतें बढ़ायी जायं या कोई भी नीतिगत मामला है या फाइनेंस जहां इन्वाल्व है, उस प्रकार के निर्णय बाहर लिये जायं। यदि इस परम्परा का हम वहन कर रहे हैं तो यह हम को दी गयी है, यह हमको विरासत में मिली है, यह परम्परा कोई नियम नहीं है। यह कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन नहीं है लेकिन यह परम्परा जो बनायी गयी है इसकी असली अपराधी कांग्रेस है। गलती से कभी-कभी दूसरी सरकारें भी, ब्यूरोक्रेट्स भी इसके लिए प्रेरित कर देते हैं कि इस प्रकार निर्णय लिया जाय लेकिन मैं इस प्रकार के निर्णय लेने का बिल्कुल नीतिगत रूप से, सिद्धान्त रूप से विरोधी हूं। जो गलत है उसको गलत कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। चाहे हम लोग एम. एल. ए. रहें या नहीं, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। कितने भी शासन और प्रशासन की बात है, जो गलत बात है उसको हम कहने में नहीं चूकते।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम जीवित मक्खियां नहीं निगलते लेकिन जब यह गृह मंत्री थे, स्वायत्त शासन मंत्री थे, कई रूप में मैंने भी इनको देखा है, यह बिल्कुल साबूत की साबूत, यनि हमारे को यह उपदेश दे रहे थे आज....(व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा : बहस इन पर नहीं हो रही, बहस तो इस पर हो रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपदेश दे रहे थे कि धौलपुर मे पानी की योजनाएं, बिजली का फैलाव यदि यह 40 साल ध्यान दे लेते तो धौलपुर की बात ही नहीं रखनी पड़ती। लेकिन उस समय तो भूल जाते हैं। उस समय बिल्कुल इतने + + + और गृह मंत्री के रूप में जिस प्रकार के इन्होंने वक्तव्य दिये हैं, + + + आती है, उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : टापिक पर आ जाओ अब आप....(व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा : प्रद्युम्न सिंह सब्जेक्ट नहीं है हमारा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनके पास कहने को तो कुछ है नहीं, टाइम खराब कर रहे हैं। खाली रिपीट, रिपीट, रिपीट।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से दरें बढ़ायी गयी हैं उसके कारण हमारी छवि सारे देशों में खराब हो रही है। आम आदमी इससे दब रहा। अब आप यह देखिये कि लगातार इस प्रकार की वृद्धि और एक चुनाव घोषणा पत्र इनका, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कनक्लूड करो, महावीर जी, बहुत कह चुके आप। वक्ता काफी हैं, उनका भी ध्यान रखिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, विषय पर आप विस्तृत विवेचन कर चुके हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 21 जून को केन्द्र में कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ हुई जिसके

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

28 सितम्बर, 1990 को 100 दिन पूरे हो गये । हम अब सितम्बर, 1992 में बात कर रहे हैं । इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में यह भी कहा था, माननीय मदेरणा साहब को भी याद दिलाना चाहता हूं, वह प्रांतीय अध्यक्ष हैं, आपका घोषणा पत्र आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, उसमें यह लिखा है कि यदि यह पार्टी सत्ता में आयी तो एक सौ दिन में डीजल, कैरोसीन, नमक, खाद्य तेल, साइकिल एवं दो पहिया वाहन, विद्युत बल्ब, सूती साड़ी आदि, अखबारी कागज, पोस्ट कार्ड, अन्तरदेशीय लिफाफा, धुआं रहित चूल्हा के भाव जुलाई, 1989 के स्तर पर ले आयेंगे । यह जनता के साथ धोखा किया है । मतलब एक हमारा कमिटमेण्ट था । चुनाव घोषणा पत्र में लोगों को + + + देना पब्लिक रिप्रजेंटिव एक्ट में, उपाध्यक्ष महोदय, डिसक्वालिफिकेशन की श्रेणी में आता है । इनको एक को भी इस सदन में बैठने का अधिकार नहीं है, यह सब अपराधी हैं । इन्होंने एक वायदा करके जनता को कि हम सौ दिन में महंगाई को कम कर देंगे और वापस, जो है, जुलाई, 89 की जो मूल्य की दरें हैं उस पर ले आयेंगे....

श्री रामसिंह विश्नोई : यह नहीं कह रहे थे, विधान सभा चुनाव में जीत गये तो, ऐसा कहा था ।....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : विधान सभा का उसमें कोई जिक्र नहीं है । अब आप वैसे तो काफी होशियार हैं, काफी प्रतिभावना भी हैं लेकिन एक शिकायत है आप पढ़ते नहीं है । विश्नोईजी, मुझे आप से शिकायत है, कभी-कभी आप पढ़ लिया करो कि आपका चुनाव घोषणा पत्र क्या है । मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा है कि केन्द्र सरकार में हम आयेंगे तो । तो हमने मतलब जनता से एक वादा किया । पहली बात तो हम को इस प्रकार लोगों को लोभ और लालच नहीं देना चाहिए लेकिन हमने यह अपराध भी किया है और उसके बाद गुनाह और बेलिज्जत वाली बात है । हमने गुनाह भी किया और उसके बाद बेलिज्जत भी हैं हम । मतलब उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, मतलब हम + + + जनता के सामने हमने एक वादा किया था कि हम जुलाई, 1989 की कीमत को वापस लायेंगे । उसके बजाय आपने दुगुनी कीमत कर दी और कैरोसीन आपने किसके लिए छोड़ा ? कैरोसीन, उपाध्यक्ष महोदय, खुलेआम मिल रहा है । बाजार में नहीं मिल रहा, उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा लेकिन पैट्रोल पम्प पर सीधे उतार दिया जाता है और इनकी + + + है । सारे पैट्रोल पम्प में से 90 प्रतिशत पैट्रोल पम्प हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी को कहो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 90 प्रतिशत पैट्रोल पम्प इनके मंत्रीजी के पास अधिकार नहीं है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अधिकार है खूब । वितरण व्यवस्था आपके हाथ में है, उसको ठीक करिये....

श्री महावीर प्रसाद जैन : वितरण व्यवस्था है लेकिन सैण्ट्रल एक्ट है और

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इसका अधिकार जवाब सैण्ट्रल के पास है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, स्टेट गवर्नमेण्ट के पास है इसका। प्राइस के ऊपर मिलना चाहिये. यह सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट....(व्यवधान) डेलिगेट कर दिये हैं स्टेट गवर्नमेण्ट को।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्राइस पर मिलना चाहिए लेकिन मिलावट होती है। ....(व्यवधान)....उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वितरण व्यवस्था....

श्री रामसिंह विश्नोई : काहे को फंस रहे हो, शार्ट में बोलो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फंस नहीं रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : मिलावट आप करवाते हो सारी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम करवाते हैं ?

श्री परसादी लाल मीणा : और क्या।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और आप कराते हो। हमारे मंत्रीजी आपका लिहाज करते हैं। मुश्किल यह है कि आपस में जब सम्बन्ध निभाने लग जाते हैं, अब हमारे खाद्य मंत्री जी के पास उनके साले आ जायं तो आपकी सिफारिश मान लेते होंगे। मैं नहीं कहता कि वे मानते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसी मजबूरी आ जाय तो बात अलग है। लेकिन आज, उपाध्यक्ष महोदय, डीजल, पैट्रोल की इस प्रकार दरें बढ़ाने से यह सारा केरोसिन पैट्रोल और डीजल की टंकियों में सीधा उतर रहा है और सैण्ट्रल गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार का प्रभावशाली हस्तक्षेप नहीं कर रहा है बल्कि....

श्री रामसिंह विश्नोई : आप, माननीय सदस्य, इसमें कलर करा दीजिए। आप केरोसीन का कलर अलग बना दीजिए, उसका अलग करा दीजिए, अपने आप मालूम पड़ जायेगा। केरोसीन का कलर रेड कर दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : श्रीमान् जी, उस पैट्रोल पम्प पर केरोसीन नहीं मिलेगा जहां है। कमरा अलग हो। केरोसीन वितरण वहां नहीं होता है। वह तो सीधा जो आपका एक पैट्रोल पम्प है उसके आपकी गाड़ी में उतर रहा है उसके कारण मिलावट बढ़ रही है। उसके कारण आज कीमतों में अप्रत्यशित वृद्धि हुई है। उसके बाद मूल्य वृद्धि को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, किसी प्रकार का नियंत्रण हमारा नहीं है। इसलिये मेरा इस सदन के माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है, पुरजोर शब्दों में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस प्रकार का विषय है, इस पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सोचें। कुछ हमारे कमिटमेंट हैं जनता के साथ, कुछ हमारी जनता के साथ प्रतिबद्धता है, कुछ हमारे जनता के साथ पार्टी स्तर से ऊपर कर्तव्य हैं, निष्ठाएं हैं उनको याद रखते हुए कल आपको जनता में जाना है। जनता आपको घुसने नहीं देगी। जिस प्रकार का आपने अपराध किया है डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़ा कर केरोसिन पर

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इतने दाम बढ़ा कर, चूल्हे से लकड़ियां से लेकर औरतें बाहर आयेंगी और आपकी जिस प्रकार की धुनाई करेंगी उसको ध्यान में रखते हुए मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करें कि इस वृद्धि को वापस ले और विदेशों में जिस भाव पर पैट्रोल, डीजल मिल रहा है उसी भाव पर यहां पर मिले। इसका कोई औचित्य नहीं है। आम उपभोक्ता, गरीब, वहां पर किसान काम करने वाला जिसको महंगी दालें मिलेगी, महंगा आटा मिलेगा, हर चीज महंगी, कपड़ा महंगा मिलेगा उस बेचारे ने क्या कसूर किया है। इसलिये तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जो उपभोग नहीं करे उसके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं पड़ना चाहिये। दूसरा जिन लोगों ने पाप किया है, जो लोग इस घाटे के लिये जिम्मेदार हैं उन लोगों के ऊपर किस प्रकार कर बढ़ाया जाय वह तो हम देख रहे हैं कि बढ़ाया नहीं है। उनके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन हम नहीं कर रहे हैं और आम गरीब को खुला लूटना चाहते हैं, यह अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिये, माननीय सदस्य, आप मेरी इस बात का समर्थन करेंगे, मेरा आपसे निवेदन है, पुरजोर शब्दों में मांग है कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पास करें और केन्द्र सरकार से यह निवेदन करें कि इस वृद्धि को तुरन्त वापस ले।

जय भारत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी के गार्डेड स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस बैंचेज पर जो स्टालवार्ट हैं हमारे, पहले फाइनेन्स मिनिस्टर रहे, बहुत लम्बी स्टेंडिंग रही, वह जब भाषण दे रहे थे, ऐसा लगता था बड़ी एम्ब्रेसिंग पोजिशन में हैं वह। भाषण के वक्त में माननीय मदेरणा ने जी बिजली के रेट्स जब हाइट हुए तो बतौर अध्यक्ष कांग्रेस के, जो बयान दिया वह भूल गये उस बयान को पढ़ना। मान्यवर, आज की डिबेट बड़ी इम्पार्टेण्ट डिबेट है, इस सैशन में इससे अधिक इम्पार्टेण्ट डिबेट हो नहीं सकती। हमारी सेण्टर की इकानामी से इसका सीधा वास्ता है, स्टेट की इकानामी से सीधा इसका वास्ता है और हमारी खुद की फारेन पालिसी से इसका सीधा वास्ता है। कुछ समय लगेगा। केन्द्र की सरकार जब कांग्रेस के हाथ में आयी तो उन्होंने बहुत कुछ वायदे किये और इकानामिक रिफार्म्स लांच किये यहां पर डिवेल्यूएन के नाम पर। कुछ उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने आये। मगर इस तरीके से चल रहे हैं वह, पैट्रोलियम पदार्थों पर 18 पर्सेण्ट से कम कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मैं आंकड़े दे रहा हूं, जो मेरे पास आंकड़े हैं। उसमें मान्यवर, केरोसिन के अलावा, मिट्टी के तेल के अलावा डीजल है, हाई स्पीड फरनेंस है, नेफ्ता है। 91--92 में 5400 करोड़ का घाटा पड़ा इनको। एक आयल फूड अकाउण्ट है जिसके नाम से वहा जाता है उसमें इतना घाटा पड़ा। 92 की मार्च तक 300 करोड़ का और घाटा पड़ गया। सरकार के पास एक

(श्री केदारनाथ शर्मा)

मजबूरी थी बतौर इकानामिस्ट, चूंकि इकानामिस्ट हैं, मैं करूं आल इंडस्ट्री का इश्यू भी आ गया। सरकार सोचती नहीं, हमारे खजाने में यह लोड बढ़ रहा है, हम कैसे इसको हल करें, क्या इसका रास्ता निकालें, उन्होंने कीमतें बढ़ा दी। मैं इस इस बात के लिये यह बात हो गयी, मानता हूं। क्योंकि यह 19 डालर एक बैरल की कीमत पर है। 19 डालर, महावीरजी भूल गये इस बात को। इंटरनेशनल अभी प्राइस बढ़ी नहीं है। हमें उससे कम पर दे रहे हैं वह। कुछ घाटा नेचरल उनका होना था। अगर इसको यह चैक नहीं करते तो यह घाटा आठ हजार करोड़ तक पहुंच जाता। इसका हल इन्होंने ढूंढा। हल ढूढ़ने के साथ यह बात भूल गये कि डीजल जो है, जो 18 पर्सेण्ट राइस किया आपने उसका, मान्यवर, एक केसकेडिंग इफेक्ट होता है, हरेक कीमत पर हरेक कमोडिटी पर, हरेक आर्टिकल पर उसका असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट सर्विसेंज पर 8 पर्सेण्ट बढ़ेगा, रेल्वे सर्विसेज पर 6 पर्सेण्ट बढ़ेगा, मास कंजम्प्शन की जो कमोडिटीज हैं उस पर पड़ेगा, इंडस्ट्रीज का सारा जो रा-मैटीरियल है उस पर पड़ेगा, तेल पर पड़ेगा। कामन आदमी जो आज बेनीफिशियरी नहीं रहा हमारे विकास में, माननीय बैदजी, उसके ऊपर भी असर पड़ा है। यह इसका इफेक्ट पड़ा है। इनजस्टिस है यह। एक कमोडिटी की प्राइस हाइट हुई, सारे आर्टिकल्स, सारी कमोडिटीज पर उस प्राइस का असर पड़ेगा यह आज जो हमारी इकानामी है इससे कोई निकल नहीं सकता। मैं, मान्यवर, यह बात आपके सामने कहना चाहता हूं, इसके साथ-साथ क्या हुआ, दस पर्सेण्ट जब पैट्रोलियम प्राडक्ट्स पर पर कीमतें बढ़ती हैं तो इनफ्लेशन भी एक एक पर्सेण्ट बढ़ जायगा उस रेश्यो से। अब यह 18 पर्सेण्ट से लेकर 35 पर्सेण्ट तक जायगा। यह हाइट 18 पर्सेण्ट से 35 पर्सेण्ट तक जायगी। और इनफ्लेशन के ऊपर भी असर पड़ेगा माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने बजट भाषण में यह कहा था, जो आयल फ्लूड अकाउण्ट है, मैं 6 माह के अन्दर-अन्दर 800 करोड़ रुपये सरप्लस क्रियेट कर दूंगा। यह बजट भाषण है उनका, 800 करोड़ सरप्लस कर दूंगा और मार्च 92 तक इनफ्लेशन रेट 7 पर्सेण्ट से ज्यादा नहीं होगी, फिसकल डेफिसिट 5 पर्सेण्ट से, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोमेस्टिक प्राडक्ट है उससे ज्यादा नहीं होगा। यह बजट भाषण दिया लोक सभा के फ्लोर पर। इसलिये दिया था यह कि उनको आई. एफ. से कुछ पैसे लेने थे, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने थे, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने थे। यह सारे बयान इसलिये दिये। यह कंडीशंस थी वर्ल्ड बैंक की जो आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके आज दिल्ली की सरकार मान रही है। मान्यवर, जब से सोवियत कम्युनिज्म को कोलेप्स हुआ और यूनीपोलर जो वर्ल्ड बन गयी अमेरिका के हाथ में आल्टरनेटिव इकानामी, वर्ल्ड की इकानामी में कोई लीडरशिप पैदा नहीं हुई, सेवन-जी जो यूरोपियन कंट्रीज थीं वह दे नहीं पायीं, जापान स्ट्रगल कर रहा है मगर लीडरशिप दे नहीं पाया तो अमेरिका के आगे हमारी सरकार ने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं सोचा। यह वर्ल्ड फेज

(श्री केदारनाथ शर्मा)

है उसी के डिस्टेटिंग रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। आज इनफ्लेशन बढ़ गया, फिसकल डेफिसिट बढ़ गया। जहां 800 करोड़ सरप्लस करने थे, आयल फूड अकाउण्ट में वहां इतना घाटा हमारे सामने आया। मान्यवर, सब कीमतें बढ़ेगी। कामन मैन की लाइफ और ज्यादा महगी होंगी। हमारा खुद का खर्चा बढ़ जायगा। इसलिये ज्यादा न कहते हुए हमारे जो माननीय सदस्य बैठे हैं कांग्रेस की बैंचेज पर, उनको यह प्ली लेना चाहिये, स्टेण्ड लेना चाहिये, जो डीजल की कीमतें हैं वह वह वापस लें। खास तौर से, मान्यवर, जब से रिपोर्ट आयी है चलैया की, उसमें सोचा है यह कि खेतीबाड़ी की जो इनकम है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाय। वर्ल्ड बैंक की सबसे पहली कंडीशन है सब्सिडी समाप्त हो, पब्लिक सैक्टर डिसमेंटल हो, साथ-साथ खेतीबाड़ी में जो सैल्फ सफिशियेंसी हैं वह समाप्त की जाय। यह वर्ल्ड बैंक की कंडीशन है और आहिस्ता-आहिस्ता हमारी केन्द्र की सरकार उसके आगे झुक रही है। रिजल्ट क्या होगा ? आप देखते हैं जैसे थर्ड का रिजल्ट हो रहा है, हमारा देश उसी स्थिति में आ जायगा जो पहले था आजादी से।

मैं इस पोजिशन के कुछ क्वेश्चन्स आपके सामने पोज कर रहा हूं। मान्यवर, मैं जब यह बात कह रहा था आपके सामने तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, आज रूपये की कीमत हमारी केवल आठ पैसे रह गयी है, 8.6 सन् 60 में जो सौ रूपये की कीमत थी, जो सौ रूपये में चीज आती थी वह आ 1100 रुपये में आ रही है। हमारे पर कर्जा साढ़े चार लाख करोड़ का है। अब जो ब्याज देते हैं विदेशों को, वह एक्सपोर्ट का 1/3 है। माननीय परसराम जी फैक्ट्स हैं, यह फिगर्स जो हैं, कोई इंकार नहीं कर सकता, कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। इसलिए इस कांटेक्स्ट पर डीजल की कीमत बढ़ाना बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा। जो वहां ग्रोइंग पीजंजटरी है, जो आगे बढ़ रही है, इस देश में जो रूरल लीडरशिप दे रही है और जो लोग एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर प्लानिंग करते हैं, इस देश की प्रायोरिटीज तय करते हैं उनको उनकी लीडरशिप में धक्का लग रहा हैं इसलिए यह सारे स्टेप्स आपके सामने आ रहे हैं।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह खाद के बारे में है। मान्यवर, फर्टिलाइजर के बारे में लोक सभा में एक जोइण्ट कमेटी बनी। जोइण्ट पार्लियामेण्टरी कमेटी दोनों हाउस की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट पर डिसक्शन लोक सभा में हुआ नहीं। हो जाता तो प्रोस एण्ड कांस पर डिस्कशन हो जाता थ्रेड बियर। उसमें कुछ रास्ते निकल जाते उसमें कमियां दूर हो जाती हो होल्स थे जो पोल्स थे वह दूर हो जाते यहां तक मैंने सुना है, अखबारों में जो पढ़ा है, जो पढ़ा है, जो खेती बाड़ी के मंत्री हैं उनसे पूछा नहीं, आयल इन्डस्ट्री केबिनेट की पालिटिकल अफेयर्स की कमेटी के सामने रिपोर्ट पेश करके उससे मंजूर करवा ली, एक ही मकसद था कि हमारा वित्त मंत्री फारेन जा रहे थे 5 बिलियन डालर के लिए (व्यवधान) अब 9 हो गया है। इतनी

(श्री केदारनाथ शर्मा)

रेपिडली, हरिडली किया। रिपोर्ट पर न एग्रीकल्चर मिनिस्टर से ग्राप ग्रप्रूवल लें, न सम्बन्धित जो सारे मंत्री हैं ग्रायल मंत्री हैं ग्रायल के रेल के उनसे ग्रप्रूवल लें ग्रौर सिर्फ पालिटिकल ग्रफेयर्स कमेटी से पास करवा कर लागू कर दें यह कोई अच्छा कदम नहीं है आपका। पार्लियामेन्टरी कनवेंशंस् को ग्रापने ग्रोवर रूल किया है। पार्लियामेण्ट की सैंक्टिटी को समाप्त किया है। बजट की सैंक्टिटी को समाप्त किया है। यह इसका बैक ग्राउण्ड है। यहां पर जब यह रुच किया जाता है, यह कहा जाता है कि हमें इसमें जो घाटा पड़ा है 81-82 में 375 करोड़ का 91 में 6,200 करोड़ ग्रौर इसके बाद अगर यह रफ्तार बढ़ती गयी तो 96-97 में यह घाटा 11 हजार करोड़ हो जायगा। यह ग्रांकड़े मैं पेश कर हूं। इसलिए इस सब्सिडी को कैसे समाप्त किया जाये ? तो उन्होंने यूरिय तो की। कीमत कम कर दी, बाकी दो को डीकण्ट्रोल कर दिया। दो कौनसी, ग्रापको मालूम है। डी. ए. पी. ग्रौर सुपर फास्फेट। किया इस ख्याल से था कि 15-20 प्रतिशत कीमतों में राइस होगा ग्रौर बाद में सारी प्राइसेज स्टेब्लाइज हो जायेंगी और यह स्टेप ग्राहिस्ता-ग्राहिस्ता इस देश की सारी इकोनोमी को स्टेब्लाइज करने में कारगर साबित होगा। यह कमेटी की फाइनल रिपोर्ट है। रिजल्ट क्या हुग्रा ? ग्राप देखिये, रिजल्ट हुग्रा। रिजल्ट बहुत ही उल्टा था। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने जो गार्डेड स्टेटमैंण्ट दिया था उसमें व्यय जो 63 रूपये था वह कितना हो गया ? 163 ग्रौर दूसरा डी. ए. पी. में दो सौ का साढ़े चार सौ गया। ग्रब बताइये ग्राप टोटल जो कनजम्प्शन होता है उसमें 45 प्रतिशत इन दोनों का होता है। उसमें यह छूट दी है कि मार्जिनल ग्रौर स्माल फामर्स को एग्जम्प्ट किया जायेगा। यह पहली बार भी ग्रापने किया। पर कितने लोग देहातों में सोसायटीज से खाद लेते हैं, कर्जा लेते हैं ? केवल 15-20 प्रतिशत इससे ज्यादा की गिनती नहीं है। बाकी सारा बल्क जो पीजंटरी बल्क है, वह इसकी नब्ज में गया इसकी चोट में, इसकी मार में ग्रा गया। इसका रिजल्ट क्या होगा ? कनजम्प्शन कम होगा खाद का, प्रोडक्शन कम होगा। ग्राज भी हमारा शार्टफाल है। ग्राज भी खेतीबाड़ी के टारगेंट में, प्रोटक्शन में प्रोक्योरमेंट में हमारा शार्ट-फाल बहुत है। ऐइथ प्लान में हमारे जो टारगेंट हैं खेतीबाड़ी के वह पूरे नहीं होंगे। उस प्लान में यह सारी बात है कि खेती-बाड़ी के नाम पर जितना भी इम्प्रूमैण्ट होगा, हम।

(1.45 म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

एम्प्लायमैण्ट को उसमें प्रयोरिटी देंगे। रूरल लेबर, स्माल फार्मस जो 80 प्रतिशत हैं उनको हम एम्प्लायमेण्ट देंगे। एम्प्लायमेंट ग्रोरियेंटेड हमारी एग्रीकल्चर की पालिसी होगा ऐरेथ प्लान में। वह थर्स्ट है आजा। न प्रोडक्शन बढ़ेगा, न टारगेंट पूरे होंगे ग्रौर न ही ग्रापके एम्प्ला-यमैण्ट के सारे रिसोंसिज कायम करना

(श्री केदानाथ शर्मा)

चाहते हैं वह होंगे। तो क्या रिजल्ट रहेगा? पावर्टी, कीमतें में वृद्धि भूख और बेकारी। यह नक्शा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।

अब देखिये आप, हमने इन दिनों कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कोई आस्टेरिटी का, इकोनामी का मूव हो। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मान्यवर, क्योंकि काफी बातें मैंने कह दी, बिजली के बारे में हमारे रामकिशनजी बोलेंगे। यह दो बातें मैंने आज इसलिए पेश की हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो कण्डीशंन है, हमारी कांग्रेस की हाई कमान मजबूरी में आकर इकानोमिक क्राइसेस के नाम पर उन कण्डीशंस को आहिस्ता-आहिस्ता मान रही है बैठी और देश को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे, हम देश को यह नहीं कह सकते कि हमारा देश सैल्फ रिलायण्ट है, हमारी इकानामी अपने पैरों पर खड़ी है। यह टेक ग्राफ की स्टेज पर है। हम यहां जो चीजें पैदा करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और फारेन एक्सचेंज अर्न करेंगे हम। हमारा जो बेलेंस ग्राफ पेमेण्ट है, हमारी इतनी क्षमता पैदा हो जायेगी कि आइंदा कोई क्राइसेस बेलेंस आफ पेमेंट का पैदा नहीं हो। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूं क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन है, महावीर जी ने अटेक करने की कोशिश की है, मैं अटैक कर नहीं सकता क्योंकि बी. जे. पी. फंसी पड़ी है। बी. जे. पी. का हमेशा यह रहा है कि पहले दिन पालिसी को इन्होंने एप्रीशिएट कर दिया। जो पालिसी थी लिबरलाइजेशन की, मल्टी नेशनल के तपोजल्स पर हमने देखा कि हमारी सारी की सारी डोमेस्टिक रूरल इकानामी समाप्त हो जायगी, लोगों में नाराजगी पैदा हो रही है, इसके खिलाफ लाबी क्रियेट हो रही है और खास तौर से जो बोल्ड पीजंटरी के नुमाइंदे हैं वह खड़े हो रहे हैं तब इन्होंने अपना स्टेण्ड, लाइन सब बदल दिया। अब स्वदेशी की बात करने लगे हैं। जो गांधीजी ने कल्चर दी वह कभी मानते नहीं वह अब स्वदेशी की बात कर रहे हैं स्वावलम्बन। और उसके लिए आपने बिजली की रेट बढ़ा दी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, माननीय रामकिशनजी बोलेंगे, माननीय जोशीजी ने दो पैसे बढ़ाये थे और मैंने एक लाख आदमी जेल में भेजे थे; वह केसेज तो माननीय गृह मंत्रीजी आपने वापस नहीं लिये, अभी भी केसेज चल रहे हैं दो पैसे के। आज खेती बाड़ी पर आपको पैसे नहीं बढाने चाहिए। इसलिए वह भी हिस्ट्री आप याद रखिये, माननीय भैरोंसिहजी। तो मैं इन बातों के साथ एक बहुत ही इम्पार्टेण्ट सवाल जो इकोनामी से मेल रखता है, हमारी पालिसी से मेल रखता है, जो मेक्रो इनोनामिक रिफार्म्स कर रहे हैं हम हो और हममें सारा पब्लिक सैक्टर डिसमेंटल करने की बात कर ली, प्राइवेट सैक्टर को खुली छूट दे दी, पहले इक्विटी 40 पर्सेण्ट था, 51 पर्सेण्ट कर दिया हमने दी, खुली छूट दे दी। यह नहीं कहा जैसा चाइना ने करा है कि बाहर से पैसा आये, हम करेंमी क्रियेट करें करने के लिये एक्सपोर्ट करें, हमारी इकानामी के अन्दर स्टेबलाइजेशन हो हम उनके हाथों बिके नहीं। चाइना ने यह कहा। चाइना में जब पैट्रोल की कीमत बढ़ी, मालूम है, आपको, मंत्रियों ने साईकिल इस्तेमाल

(श्री केदारनाथ शर्मा)

करना शुरू कर दिया। वहां सारा का सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बढ़ोतरी नहीं की। वह पैसा वहां भी ग्राया है। वहां ग्रब तक 2 हजार करोड़ ग्रा गया है इन दो सालों में। हमारे यहां 15 सौ करोड़ ग्राया है बाहर से। मगर चाइना ने ग्रपनी इकानामी में कोई इनइरोड्स नहीं होने दिये। यह सबक हमारी हिन्दुस्तान की सरकार को सीखना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में ग्रपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय नत्थी सिंहजी।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, पैट्रोल, डीजल, खाद ग्रौर बिजली की बहस के समय दो दृश्य सदन में देखने को मिले। एक तो तारानगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य, जिनकी ग्रोजस्वी मुद्रा ग्रक्सर हमको देखने को मिलती है, की हालत ग्राज देखते ही बनती थी। बड़ी मुश्किल से बोल रहे थे, मजबूरियों में। दूसरी तरफ हमारे टौंक से ग्राने वाले माननीय सदस्य महावीरजी ग्रपनी उसी मुद्रा में थे, बिना इस बात का कोई ख्याल किये कि राजस्थान की सरकार ने किसानों पर कितना बड़ा कुठाराघात किया है। उनको इस बात का तनिक भी संकोच नहीं था और वह अपनी उसी धारा में बोले जा रहे थे। दो बात साफ दिखाई दे रही थीं, एक मन में संकोच कर रहे थे कि जो कुछ हुग्रा है ज्यादती तो हो गयी लेकिन करेंगे कैसे? इसको डिफाइन भी नहीं किया। ग्रौर दूसरे को कोई मतलब ही नहीं था।

ग्राज बी. जे. पी. की दोहरी नीति है। मैंने पिछली बार कहा था इस सदन में बजट के वक्त कि पिछली 26 तारीख को पूरे देश में धरना दे रहे हैं, हड़ताल हो रही है, विरोध कर रहे हैं इस बात का कि विश्व बैंक ग्रौर इन्टर नेशनल मानीटरी फण्ड के जाल में फंसती चली जा रही है, केन्द्र की सरकार। इसका विरोध कर रहे थे। यहां हम पूछ रहे हैं कि कृषि के लिए विश्व बैंक से ग्रापने 5–6 करोड़ रुपये का कर्जा लेने की बात की है उसकी शर्त क्या है, बतायें तो सही। वह सब बताने को तैयार नहीं थे। यह दो बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। साफ तौर पर आपको हिम्मत करनी होगी। एक तरफ ग्राप केन्द्र का सहारा लेकर बिजली की रेट बढ़ाने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ ग्राप विदेशों से कर्जा भी लेना चाहते हैं, उसी विश्व बैंक से। ग्रौर केन्द्र को कहते हैं कि कौन काम कर रहा है। यह दोहरी नीति चलेगी नहीं। इसलिये जब यह प्रस्ताव ग्राप लाये, सत्तारूढ पार्टी ऐसी बात कहती है तो ग्रापकी यह जो नीति है वह साफ परिलक्षित होती है।

मैं कहना चाहता हूं, तारानगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने एक बात यहां पर कही थी, ग्रच्छी बात है, जो उपयोग करें, जो उपभोग करें वही उसका वजन झेले। लेकिन वह वेलफेयर स्टेट है कोई पूंजीपति राज्य नहीं है। ग्राप कहते हो, वेलफेयर स्टेट है। जो पैदा करता है उस पर भार

(श्री नत्थी सिंह)

डाल दो तो क्या जो पैदा करता है उसको किसी तरह का लाभकारी मूल्य मिलेगा इस बात की व्यवस्था है ? इस पर सोचते हैं ? यह जो सिद्धान्त आप कह रहे हैं, यह सिद्धान्त चल नहीं सकता । यह बात ठीक है कि नेशनलाइजेशन की पालिसी केन्द्र की सरकार ने चेंज की है उसका समर्थन बी. जे. पी. ने भी किया है । भारत के संविधान में आज भी तीन सिद्धान्त हैं, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उसके साथ समतावादी । हर पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले इस बात का प्रतिज्ञा पत्र भर कर देती है कि इन तीन बातों को हम मानेंगे । और जब यह बात आप कहते हो कि गरीब को मरने के लिये छोड़ दें और अमीर को मजे करने दो तो इस तरह की पालिसी नहीं चल सकती ।

अभी आप कह रहे थे यहां पर, से केरोसिन की बात थी, कि हमने केरोसिन के दाम नहीं बढ़ाये हैं, हमने पैट्रोल के दाम बढ़ाये हैं, डीजल के दाम बढाये हैं, और उधर से कहा गया कि यह सब केन्द्र की गड़बड़ है । लेकिन यह बात सही है कि वितरण व्यवस्था का उत्तरदायित्व आप पर है और आज कौन नहीं जानता कि सारा केरोसिन बाजार में बिक जाता है, डीलर गांवों में जाता ही नहीं । इसी सदन में बहस हुई थी और माननीय मंत्री महोदय से पूछा गया था कि कितने डीलर गांवों में जाकर केरोसिन सप्लाई करते हैं । नहीं करते हैं, यह आपकी, हमारी, सब की जानकारी में है कि वहां पर केरोसिन सप्लाई नहीं होता है । यहीं खत्म हो जाता है ।

आप कहते हो कि गरीब पर नहीं बढाया गया । तीन हजार करोड़ की सब्सिडी डीजल पर, केरोसिन और रसोई गैस पर थी । इण्टर नेशनल फण्ड ने यह शर्त लगायी भारत सरकार के साथ, इस तथ्य को मानना चाहिये । कि आज जो कुछ हो रहा है वह मजबूरियों में घुटने टेकने हम जा रहे हैं, उसने यह बात कही कि तीन हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी समाप्त करो तभी आपको 9 अरब का कर्जा और दूसरा कर्जा मिलेगा । आप कहते हैं कि 27 अरब की सब्सिडी तो हम केरोसिन पर देते हैं वह हमने समाप्त नहीं की है । हमने गैस पर कर दी. डीजल पर कर दी लेकिन 27 अरब की सब्सिडी केरोसिन पर दी है वह समाप्त नहीं की । अब 27 अरब की सब्सिडी आप देते हो वह मिलती कहां है उस गरीब को ? मैं कहता हूं उसका एक ही तरीका है । जनता पार्टी का राज था, चौधरी चरणसिंहजी उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री थे, हम लोग सत्ता में बैठे थे, हमने उनसे ऐसी बात कही कि यह जो मिलावट होती है डीजल में, पैट्रोल में इससे ट्रैक्टर और दूसरे हमारे साधन सब समाप्त हो जाते हैं. दोहरी मार पड़ती है, वह सारे खराब हो जाते हैं । हमने कहा, अगर गरीब को बचाना है तो डीजल की कीमत घटा कर केरोसिन के बराबर लाओ । उन्होंने वह बात मानी और डीजल की कीमत घटायी केरोसिन के बराबर लाये, मिलावट बन्द हुई । लेकिन कांग्रेस का राज आया, मुझे बड़े दुःख के साथ

(श्री नत्थी सिंह)

कहना पडता है कि इन्होंने उस नीति को बदल दिया और गरीब के नाम पर, गरीब के शोषण के लिये और बहाना तैयार कर लिया। इससे गरीब किसान लोगों की बहुत दुर्दशा हुई है। इसलिये मैं तो कहूंगा आज जब यह बहस हो रही है तो हमारे इस पक्ष के माननीय सदस्य भी इस बात को सरकार से कहें कि यह गलत बात है। अगर गरीब को आप सुविधा देना चाहते हो तो डीजल के दाम कम करो, बढ़ाओ मत और केरोसिन के बराबर लाओ। केरोसिन और डीजल के दाम में फर्क नहीं होना चाहिये नहीं तो यह गड़बड़ होगी। आज पैट्रोल में मिलावट होती है।

यहां पर कहा गया कि लेने वाले और देने वाले और जो उपभोग करने वाले हैं उन्हीं पर यह भार पड़े। लेकिन मुझे वह दिन याद आता है, सभापति महोदय, जब अब की बार बजट पेश हुआ था दिल्ली में तब लोग टी. वी. के पास बैठे हुए थे, बड़ा प्रचार हुआ था उससे पहले कि भई, रसोई गैस पर पैसे बढ़ेंगे, डीजल पर बढ़ेंगे, पेट्रोल पर बढ़ेंगे, बजट भाषण समाप्त हुआ माननीय वित्त मंत्रीजी का, मध्यम वर्ग के लोगों ने, विशेष कर शहर में रहने वाले लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली और खुशियां मनायीं, बड़ा बढ़िया बजट आया है, डीजल पर दाम नहीं बढ़े, रसोई गैस पर दाम नहीं बढ़े, पैट्रोल पर भी दाम नहीं बढे और हम लोग जो गांवों रहने वाले हैं, किसान हैं उनके लिए कितना बुरा बजट आया। खाद पर जो सब्सिडी थी, सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं उस बजट में किसान को कोई सब्सिडी नहीं मिली। उन कारखाने वालों को सब्सिडी मिलती थी उसमें कमी कर 5 हजार करोड़ रुपये का कर भार बढ़ाया गया था। पूरे देश में उस बजट में खाद पर सब्सिडी खतम करने से अकेले किसान पर 2600 करोड़ रुपये का भार डाल दिया गया। आप कहते हैं कि हम समानता का व्यवहार करना चाहते हैं। यह कहने की बात है, व्यवहार में यह बात नहीं है। व्यवहार में तो जो मजदूर जुटता है न कोई राहत देना चाहते हैं। आज खाद की क्या स्थिति है। आपको कहना चाह रहा हूं कि डी. ए. पी. के भाव हो गये 234 से 44 और 62 से 162 हो गये। आपने बयान में कहा है कि हमारे यहां 1800 कितना ही मौजूद था वह मिल रहा है। मैं कह सकता हूं दावे के साथ, कहीं नहीं मिल रहा है। यह पुरानी रेट पर लोगों को लूट रहे हैं। आपका जिम्मा है, इस सरकार सरकार का जिम्मा है, यह सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है इस बात में, किसानों को कहीं पर भी खाद पुरानी रेट पर मुहैया नहीं हो रही है। यह हालत है। कोई व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके जो डिप्टी डायरेक्टर एग्री कल्चर, थे वे कह रहे थे कि बांटने दो, अब किसे झगड़ा करें। क्योंकि जब खाद बांटने कोई आता है तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि हमको दो, हमको दो। तो उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। इसलिये यह कहना कि हमने कोई सुविधा दी है, बहुत ही गलत बात है। आप कोई काम कर नहीं पा रहे हैं।

(श्री नत्थी सिंह)

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इस संबंध में जैसा अभी माननीय प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जल्द बाजी हुई क्यों? लंदन में जाना था, कर्जे की दरख्वास्त देनी थी और कर्जे की दरख्वास्त देने के लिये कितनी शाबासी मिली है? अखबारों में पढ़िये आप टी. वी. सुनिये, रेडियो सुनिये, शाबासी मिल रही है हमारे वित्त मंत्रीजी को, जो भारत सरकार के हैं, कि उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का बड़ा भारी कष्ट किया है। तो वह सब्सिडी खतम कर रहे हैं। किसकी? गरीब की और किसान की। रसोई गैस पर सब्सिडी खतम कर रहे हैं इसलिये शाबाशी मिल रही है। मांगा तो 9 अरब कर्जा है लेकिन अभी तक 50 करोड़ का वायदा ही हुआ है, ज्यादा का नहीं हुआ है। कहते हैं कि दिसम्बर में देंगे। लेकिन आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं, कथनी और करनी में अन्तर से काम नहीं होगा। बी. जे. पी कथनी और करनी का अन्तर करके चल रही है। जब वहां की बात आती है तो कहते हैं कि हम विरोध करेंगे और यहां की बात आती है, हमें याद है यहां पर माननीय भैरोंसिंह जी बैठते थे और आज उधर बैठे हैं गृह मंत्रीजी भी पहले यहां बैठते थे, जब हम लोगों ने आन्दोलन किया दो नये पैसे के ऊपर, बीलूरामजी शहीद हुए झुझनू में,....

(2.00 म. प.)

लाखों लोग जेल गये तब बात क्या थी और अब क्या बात है। क्यों बदल गये एक साथ? आज कितना बढ़ाया है? अभी कह रहे थे हमारे माननीय विद्युत मंत्रीजी कि हमने किसान पर कम बढ़ाया है। कितना कम बढ़ाया है? पर्सेण्टेज तो निकालिए, सबसे ज्यादा किसान पर बढ़ाया है पर्सेण्टेज के हिसाब से। 42 पर आठ बढ़ाया है, औरों पर रुपए पर, सवा रुपए पर बढ़ाये हैं दस पैसे। जिन पर एक रूपए पन्द्रह पैसे थे उन पर दस पैसे बढ़ाये, जिन पर एक रुपया था उन पर एक रूपए पन्द्रह पैसे थे उन पर दस पैसे बढ़ाये, जिन पर एक रूपया था उन पर 10 बढ़ाये, और किसान पर 42 पर 10 बढ़ाये हैं। आप किसको बहकाना चाहते हैं? सदन को गुमराह कर रहे हैं? सबसे ज्यादा किसान के ऊपर आपने बिजली की रेट बढ़ायी है। और कितनी बढ़ायी है? क्या किया है बिजली के बारे में? मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, जो डोमेस्टिक बिजली है उसमें 1-1-1992 से पहले पांच रूपए आपके मिनिमम चार्जेज थे। उसको आपने कितना किया है? पंद्रह। 10 रूपए बढ़ाये। आपका मीटर रेण्ट चार था, उसको बढ़ाकर आपने सात कर दिया। यह तो हर महीने लोगे आप। जो सर्विस चार्जेज थे वह आपने चार से छः कर दिये। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आपके कंजूमर्स हैं। इसी तरह छोटों पर बढ़ाये, खेती पर 42 के 50 किये।

अभी आप कह रहे थे हमने घाटे को दूर करने के लिए जो व्यवस्था बनायी है उसमें 50 करोड़ हमको मिलेंगे। 50 करोड़ कब का? एक सितम्बर से लागू किया है। चार महीनों में 50 करोड़ की

(श्री नत्थी सिंह)

आमदनी आप कूट रहे हैं, सिर्फ चार महीनों में। इस तरह पीक पीरियड होता है गर्मियों में और सिंचाई के वक्त पर, तब देखेंगे तो यह बिजली का कर भार, बिना यहां आए, 150-200 करोड़ का बढ़ा रहे हैं लोगों के ऊपर। और आप कह रहे हैं कितना। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार को तो आप प्रस्ताव करो लेकिन अगर आप में कोई गैरत है, आप यह कहते हो कि हम किसान और गरीब के हिमायती हैं तो अपने किये हुए को तो कम से कम वापस लो। आप कह रहे हो, यह आपका घाटा है। किस बात का घाटा है ? कैसे घाटा है ? यह चोरी क्यों हो रही क्यों हो रही है ? लाइन लॉसेज क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं ? क्या हालत है विद्युत मण्डल की ? यह कह देना कि कास्ट आफ बेनिफिट के आधार पर हम इसको चलायेंगे और जो उपभोग करता है उससे लिया जाय, गलत थ्यौरी है। आप गिना रहे हैं कि हम यहां हैं। तमिलनाडु में तो निःशुल्क बिजली मिलती है किसानों को। हमसे कितने स्टेट ज्यादा हैं जो हम से कम रेट पर किसानों को बिजली दे रहे हैं। और आप कब देते हो ? रात में, जब औरों को नहीं चाहिए। किसान ठिठुरता है रात में जाड़ों में, तब बिजली देते हो आप। फिर अहसान कर रहे हो आप। आपकी भावना यह नहीं है। कि खेती की तरक्की हो, किसान की तरक्की हो, हमारे प्रदेश की तरक्की हो। हमारा आधार खेती है लेकिन हम उस तरफ जा नहीं रहे। साफ तौर पर केवल लाग-लपेट के द्वारा हम यहां कहते हैं दूसरी बात और वहां जाने के बाद हमारी वाणी बदल जाती है। यह बहुत ही दुःख की बात है।

विद्युत मन्त्री जी, घाटे की बात आप कहते हैं पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। पिछली बार भी हमने कहा था क्या हालत है आपकी। विद्युत मण्डल को सही करना चाहते हो आप। दो उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, हमारे मन्त्रीजी को। कल हमारे भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य पंचायती राज मन्त्रीजी की हालत की बात कर रहे थे। मुझे आपके साथ बहुत सहानुभूति है क्योंकि आप बड़े भारी झमेले में हैं। कोई आपकी सुनता तो है नहीं और सुनने देता नहीं बिजली वालों की हड़ताल हुई। अच्छा, हो गयी हड़ताल। हड़ताल वापस भी हो गयी, किसी ने समर्थन नहीं किया। लेकिन कितना दमनकारी चक्र चल रहा है अभी उन इंजीनियर्स के खिलाफ। इंजीनियर पढ़े लिखे लोग हैं, टैक्निकल लोग हैं। आज 41 जूनियर इंजीनियर्स को, नये लड़कों को टर्मिनेट कर रखा है। हम मिले हैं मुख्य मंत्रीजी से, बार-बार कहा कि क्यों कर रहे हो, मेरी भावना है, मैं इन सबको लूंगा पर जरा ठीक कर लूं। क्या ठीक कर लोगे ? जो राज में होता है उसका माथा तो बहुत ठण्डा होना चाहिए। एक तरफ तो जो आपके मैम्बर हैं, चेयरमैन हैं वे 65 साल तक पहुंच रहे हैं, रिटायरमेण्ट के बाद भी लगा रखा है, उनकी रेस्ट की उम्र आ रही है और फिर नये लोगों को कहते हो आप कि नहीं लेंगे हम। यह बहुत गलत बात है। इस तरह की स्थिति

(श्री नत्थी सिंह)

अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर सोचें और इस विद्युत मण्डल की हालत सही करने के लिए आप निश्चित रूप से इसके ढांचे में बदलाव लायें, इसकी चोरियों को रोकने काम का करें। मैं सौ बातें नहीं कहना चाहता, क्या होता है खरीद-फरोख्त में, उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस विद्युत मण्डल को राजनीति में घसीटकर मत ले जाओ। इसको तो कम से कम सही तौर पर रहने दो।

आप किसान को जब बिजली देने की बात कहते हो, अबकी बार आपने कहा कि बिजली की कटौती बहुत कम रही। आपने यह व्यवस्था की कि दिन में मिले किसान को। आज मैं यह कहता हूं कि गांवों में घरों की बिजली तो मिलती ही नहीं। फेस कटता है रूरल फेस के नाम से, 10 बजे तक तो आएगी नहीं। दस बजे के बाद आएगी तो आएगी, नहीं तो आती नहीं। यह हालत आपने कर रखी है। फिर आप कहते हो, हम यह कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं यहां सदन में कि हम सैद्धान्तिक रूप से अपनी बात केन्द्र की सरकार को कहें, लेकिन इस सदन का दायित्व राजस्थान के बारे में है, राजस्थान में जो बिजली की रेट बढ़ायी है, मैं पूछना चाहता हूं, आप घाटा कम करना चाहते हो, डी. एम. और मोदी अल्कलीज को जो कनेक्शन दे रखे हैं उन पर क्यों नहीं पुनर्विचार किया ? नहीं करते हैं, और आप कहते हैं कि हम किसान और गरीब का ख्याल रखते हैं। कोई ख्याल नहीं रखते आप। जहां वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं वहां गार्ड करते हैं। यह 127 का प्रस्ताव था, पहले भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने रखा सेण्टर की बढ़ोतरी के खिलाफ, पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद के बारे में, तो आपके मन में कुछ भावना जागी। उनके लिए तो बेशक प्रस्ताव पास कर दीजिए कि ये वापस लें। हमें उससे कोई विरोध नहीं है, उससे बिलकुल सहमत हैं। लेकिन आप तो मेहरबानी करके अपनी सरकार पर दबाव डालिये, इनसे कहो कि हम को अक्ल आ गयी है, हमने भी सही तौर पर समझ लिया है. हम गरीब का शोषण नहीं करना चाहते हैं, आपने बिजली की जो रेट बढ़ायी है उसको आप वापस लो। तब तो होगी ईमानदारी। और अगर यह नहीं करते हो तो निश्चित रूप से ईमानदारी की बात नहीं होगी, वह आप एक तरह से लोगों को + + + देना चाहते हैं, लोगों को + + + करना चाहते हैं। केवल नारे के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। जनता उसको पहचान नहीं पा रही, ऐसी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को सदन को साफ तौर पर सोचना होगा, चाहे बिजली की रेट हो चाहे कुछ हो। पानी की रेट की बात भी आऐगी।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य रोज उठाते रहते हैं कि सिंचाई भी लाभ-

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नत्थीसिंह)

कारी हो। मैं तो कहता हूं सारी लाभकारी हो लेकिन जो पैदा करता उसकी पैदावार के भी लाभकारी मूल्य मिलें। आपकी इसकी तैयारी है क्या तब बांधने की? नहीं, वह तैयारी नहीं है। उधर तैयारी जब तक नहीं होगी तब तक आपके ये आग्यूमेंण्ट कोई मायने नहीं रखते। केन्द्र की सरकार ने एक तरह से .... (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष और विश्व बैंक के सामने घुटना टेक नीति के कारण जनता के ऊपर जो मार डाला है उसमें हो सकती थी कमी-बढ़ोतरी, लेकिन वह बोहरे की बात मानने की आ रही है। आज अगर यही नीति रही तो, सभापति महोदय, मुझे खतरा है। अभी पेटेण्ट का कानून माना नहीं, अगर वह भी आ गया तो हिन्दुस्तान में खेती एक तरह से गुलाम बन जाएगी, बांदी बन जाएगी विदेश की। और यही चाहते हैं विदेश के लोग, मल्टीनेशनल्स, कि हिन्दुस्तान में जो स्वतन्त्र खेती करने वाले लोग हैं उनकी तादाद नहीं रहे, वे केवल मजदूर बन जायं और जो चीज चाहिए वह वहां से लायें। उदाहरण के रूप में केवल एक बात कहकर अपनी बात खतम करूंगा। खेती पर इस तरह लेना चाहते हैं, बीज पर भी कर देंगे। लेकिन अभी खाद के बारे में यह बात सही है कि केन्द्र के हमारे माननीय कृषि मन्त्रीजी ने कहा कि जो कीमतें बढ़ गयी हैं खाद की, उनसे निश्चित रूप से किसान को नुकसान होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, अखबारों में आया कि प्राइम मिनिस्टर को भी कन्विन्स किया कि कीमत कम करने के लिए एक तरीका है इसको डिक्सलाइन करो। अखबारों में जैसा आया है शायद प्रधान मंत्री राजी भी हुए हैं लेकिन क्या असर होने वाला है इससे ठीक है आप आयात करेंगे। हम देश में खाद केवल 1/3 जरुरत का है वही पैदा करते हैं। बाहर मंगायेंगे और आपने सब्सिडी खत्म कर दी है, नतीजा यह होगा कि 1/3 खाद पैदा करने वाले हमारे संयंत्र हैं फर्टीलाइजर्स प्लाण्ट्स हैं वह और घाटे में जायेंगे, कम्पटीशन में नहीं ठहरेंगे। और आगे के लिए 100 प्रतिशत मल्टीनेशनल पर मुनस्सटर हो जायेंगे इससे देश की कितनी दुर्दशा होगी सारी साजिश चल रही है दुनिया में कि जो विकासशील देश हैं उनको मार्केट बना लिया जाय। वह कच्चा माल पैदा करें, मजदूर पैदा करें लेकिन पक्का माल उनको मल्टीनेशनल विदेशों से मिले। इस तरह की साजिश चल रही है, जिससे हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा है, हम को सावधान रहना पड़ेगा। और सावधान रहने में हम को कथनी और करनी में अन्तर मिटाना पड़ेगा। यह नहीं कि मीठी-मीठी गप्प और कड़वी-कड़वी थू" यह बात नहीं चलेगी। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें हम में से भागे हुए लोग भी शामिल हैं दुर्भाग्य से यह सरकार उसी पद्धति पर चल रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : भागे आप थे।

श्री नत्थीसिंह : हम में से भागे थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप भागे हैं।

श्री नत्थीसिंह : हम तो आ गए ठुकरा-कर आये हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कथनी और करनी में अन्तर मिटाकर आप साहस का परिचय दें मुख्य मंत्रीजी मैं इधर भी कहूंगा कि उस साहस का परिचय दें तो आप भी उसमें आप साथ दें केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजें डीजल, पैट्रोल, रसोई गैस

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और खाद पर जो दाम कम करो और आप यह घोषणा करें बिजली की दर बढ़ायी है उसको हम वापस लेते हैं तब मैं मानेगा आप में ईमानदारी हैं वरना प्रचार और नारों के लिए आप इस तरह की बात कहते हुए आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, जिन सदस्यों ने इसी विषय पर काल अटेंशन लगाया था उनको भी क्या इसमें सम्मिलित किया है ?

श्री सभापति : किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : श्रीमान्, यहां पर राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से 127 के तहत जो प्रस्ताव लाया गया है जिसमें कि डीजल पेट्रोल और एल. पी जी. के बारे में चर्चा की बात की गयी है। सभापति महोदय, आज उसी मुद्दे के ऊपर हमारे दल के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ायीं हैं ऊपर उसके भी सदन में चर्चा होनी चाहिए और उसके परिणाम स्वरूप आज यह चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय, जब राजस्थान सरकार बिजली की कीमतें बढ़ाना चाहती थी तो इन्होंने कुछ अखबारों के जरिये इस बात का प्रचार और प्रसार कराया कि हमारे ऊपर केन्द्रीय सरकार और खास तौर से केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री का दबाव है कि हम कीमतें बढ़ायें और उसी के अनुरूप जो केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री का दबाव है हमने यह कीमतें बढ़ायी हैं। यह एक किताब राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल राजस्थान में विद्युत की आपूर्ति की समीक्षा, यह 3-8-92 की किताब है उसमें वह सब पत्र इन्होंने छापे हैं केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री के जिसके जरिये राजस्थान की जनता को और राज-स्थान में जो सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उन को जो यह दर्शाने की चेष्टा कर रहे हैं कि भारत सरकार का दबाव था हमारे ऊपर। जबकि यह बात सरासर गलत है। श्रीमान् हकीकत के अन्दर जैसी माननीय ऊर्जा मंत्रीजी की तेजी से वक्तव्य पढने की आदत है उसके पीछे इनकी मंशा यह रहती है कि आधी बात तो समझ पायें और आधी न समझ पायें और इसमें मैं अपना काम निकालकर ले जाऊं। गौर से सुन रहा था। उन्होंने इसके अन्दर जो विज्ञप्ति अखबारों में निकली है और इसके अन्दर भी निकली है, 6 सितम्बर, 1991 को और उससे पूर्व भी एक अखिल भारतीय स्तर पर जो ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें वित्त मंत्री महोदय ने सुझाव दिया था कि आपकी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आर्थिक स्थिति खराब है और आपको अपनी बिजलीकी टैरिफ को रिवाइव करना चाहिए। इसको सर्वसम्मति से जिसमें राजस्थान के बिजली मंत्री शरीक थे, उन्होंने स्वीकार किया वहां पर तो वह प्रचार करना कि भारत सरकार का हमारे ऊपर दबाव था यह इनका राजनीतिक प्रचार और स्टण्ठ है। केन्द्रीय सरकार को बदनाम करने की नीयत से जहां इनको सूट करता हैं वहां स्वीकार कर लेते हैं वैसे एक फैशन बन गया है भा. ज. पा. शासन वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों का हर बात पर केन्द्रीय सरकार की आलोचना करना और केन्द्र सरकार हमारे साथ भेदभाव की नीति अपना रही है यह बात हमेशा कहते आ रहे हैं। इसलिए अपना एक संघ भी बनाया है, चारों राज्यों के मुख्य मंत्रियों का जिसमें इस बात की चेष्टा की जाती है।

मेरा पहला मुद्दा तो यह था कि इन्होंने आम सहमति के आधार पर जिसमें राजस्थान के मुख्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री जी भी शरीक थे, इन्होंने कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है और अखबारों के माध्यम से इस बात को राजस्थान के उपभोक्ताओं को, राजस्थान की जनता को जताने की चेष्टा कि इन्होंने की कि हमारे ऊपर केन्द्रीय सरकार का दबाव है, यह बात बिल्कुल गलत है, सर्वथा मिथ्या है। यह बड़ी गारडेड लेंग्वेज है। जैसा प्रोफेसर केदारजी कह रहे थे, बहुत गारडेड लेंग्वेज है। अब उनके सामने भी बड़ी समस्या है। एक तरफ तो इनके दल के लोग केन्द्रीय सरकार को नीचा दिखाने के लिए मुख्य मंत्रीजी बड़ी चतुराई से कह गये, प्रस्ताव आया यहां पर, काहे का ? प्रस्ताव आया यहां पर खाली डीजल, पेट्रोल, एल. पी. जी की बात करने का और जब लोगों ने कहा कि बिजली के बारे में चर्चा होगी तो मुख्य मंत्रीजी ने खाद भी जोड़ दी थी। उसमें खाद पर नहीं भी चर्चा हो जाय। राजनीतिक दल की तरफ से मुख्य मंत्रीजी को जितना लाभ उठा सकते हैं, उसको उठाने की चेष्टा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा भाषण गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य का लगा। उन्होंने बिल्कुल हकीकत सब बात रखने की चेष्टा की। ज्वाइंट पालियामेण्ट्री कमेटी बनी उसमें सब दल के सदस्य थे, आपके श्री वीरेन्द्र शाह थे और श्री शंकरसिंह बघेला आपके थे। आप डिनाई कीजिए कि आपके मेम्बर नहीं थे। आप ज्वाइंट पालियामेण्ट्री कमेटी की रिपोर्ट निकाल लीजिए देख लीजिए उसमें आपके यहां पर मौजूद हैं। मेम्बर थे श्री शंकर सिंह बघेला, आपके बड़े इम्पोर्टण्ट कार्यकर्त्ता हैं, श्री वीरेन्द्र शाह तो मान लीजिए उद्योगपति भी हो सकते हैं लेकिन श्री बघेलाजी बड़े इम्पोर्टण्ट पालिटिकल कार्यकर्त्ता हैं। वहा पर, सभापति महोदय, नोट आफ डिसेण्ट उन्हें देना चाहिए था। आप कहते हैं ठीक है क्योंकि वित्त मंत्रीजी ने कहा था अपने भाषण के अन्दर फर्टीलाइजर सब्सिडी का क्या करना है इसके लिए पालियामेण्ट्री कमेटी बनाकर इसके बारे में निर्णय लेंगे और उसी भाषण के अनुरूप कमेटी का गठन हुआ और उसने अपनी रिकमण्डेशन दी। श्री प्रताप राव भोंसले महाराष्ट्र के इस कमेटी के चेयरमेन थे उन्होंने रिपोर्ट दी....

श्री केदार नाथ : श्री देवगोडा का नोट ग्राफ डिसेण्ट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्री देव गोडा का नोट ग्राफ डिसेण्ट हैं, श्री सैफुद्दीन चौधरी का भी नोट ग्राफ डिसेण्ट है, प्रोफेसर साहब। मेरा कहने का मतलब यह है कि शुरू में तो ग्रापने वाहवाही की कांग्रेस की नीतियों की, कि घाटे में देश को कहां तक ले जावेंगे। जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे आज की तारीख में ज्वाइंट पार्लियामेण्ट्री कमेटी की रिपोर्ट है, ग्राज की तारीख में 6 हजार करोड का खाद पर घाटा प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि 1995-96 तक यह 11 हजार करोड़ तक पहुंचेगा। क्या स्थिति बनती। पेट्रोल क्रूड ग्रायल पर चार हजार करोड़ का घाटा, इतना करने के बाद भी एल. पी. जी. गैस सिलेण्डर पर, महिलाओं की ग्राप बात कर रहे हैं, 70 रुपये की सब्सिडी तो ग्राप जिस एनालोजी के ऊपर स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की क़ीमत बढ़ाने की बात करते हैं तो श्रीमन्, भारत सरकार के पास चारा क्या था ? मेरा कहने का मतलब यह था ? भारत सरकार के मंत्री की जगह पर हमारी पार्टी की सरकार है, यह हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है जो ग्रखबारों के माध्यम से हम ने पढ़ा है उसके जरिये जितना हम डिफेण्ड कर सकते हैं, हम को डिफेण्ड करने की चेष्टा करनी चाहिए इस नैतिक दायित्व को हम को स्वीकार करना चाहिए। यहां बैठकर हम कुछ बात कहें कि नहीं, उनको यह नहीं करना चाहिए वह नहीं करना चाहिए था। इस दायित्व से हम बच नहीं सकते हैं, हम को स्वीकार करना चाहिए कि जो उन की मजबूरियां थीं, परेशानियां थीं जिसको ग्रापने कहा कि ग्राई. एम. एफ. ग्रौर वर्ल्ड बैंक के दबाव के ग्रन्दर आपने किया। ग्रापकी जो स्थिति थी, दो हफ्ते का फोरेन एक्सचेंज रह गया था, ग्रपनी साख बचाने के लिए, इण्टरनेशनल मार्केट में रा-मैटीरियल, ग्रायल इम्पोर्ट करने के लिए खर्च करना पड़ रहा है, फर्टीलाइजर का इम्पोर्ट करना पड़ रहा है तो पेमेण्ट की स्थिति क्या होती ? एन. ग्रार. ग्राई. जे. के डिपोजिट थे उसमें 150-200 करोड़ रुपये का फोरन एक्सचेंज हर महीने विथड्रा हो रहे थे। ग्रपनी स्थिति क्या थी ? वर्ल्ड बैंक ग्रौर ग्राई. एम. एफ. के पास जाने के ग्रलावा ग्रपने पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वहां सस्ती दर पर रुपया मिलता है ग्रौर दूसरी बैंकिंग संस्थाग्रों से ग्रगर रुपया लेते तो चार-पांच गुणा ब्याज की दर ग्रधिक देनी पड़ती। यह बात राज्य सभा में प्रधान मंत्रीजी ने ग्रपने भाषण में कही है, ग्राप चाहें तो उसकी कापी भी दिखा सकता हूं। ग्रापने कहा कि संसार में जिन सम्पन्न देशों को छोड़कर के ऐसा कौनसा दुनियां का विकासशील देश है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रौर इन्टरनेशनल मोनिटरी फण्ड के सामने नहीं जा रहा है। ग्रखबारों में ग्राया कि हमारी स्वायत्तता गिरवी रखी जायेगी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी वाले भी व्यापारी बनकर के ग्राये थे हमें खा जायेंगे। ग्राज चाइना ने भी ग्रपने यहां लिबरेलाइजेशन के नाम पर मल्टीनेशनल्स को इनवाइट किया है। तो मेरे कहने का मतलब है उसमें से प्रीकासन सिर्फ इतना ही लेना है कि जब ग्राप मल्टीनेशनल को इनवाइट करते हैं तो ग्रापका प्रीकासन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इतना होना चाहिए कि आप किस स्फियर में उनको आने दें। यहां पर चाकलेट बनाने के लिए या डबल रोटी बनाने के लिए या चाहे टूथपेस्ट बनाने के लिए उनको आने दें। हमें इसे खुद स्वीकार नहीं करना चाहिए उनके लिए भी सेक्टर का निर्धारण होना चाहिए। यह थोड़ा मैं पाइण्ट से अलग चला गया लेकिन यहां पर इण्टर-नेशनल फण्ड और आई. एम. एफ. या वर्ल्ड बैंक की जो बात हुई है तो प्रधान मंत्रीजी ने कहा है कि उस कांग्रेस से आप अपेक्षा कर सकते हैं जिस कांग्रेस ने देश को आजाद कराया वह कांग्रेस देश के हितों को आई. एम. एफ. या वर्ल्ड बैंक में क्या गिरवी रखेंगी ? यह बात उन्होंने भी कही है, हम भी इसे स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है यह मेरा आपसे यहां निवेदन है श्रीमन्।

फिर आता हूं अपने मित्रों की तरफ बी. जे. पी. वालों की तरफ जिन्होंने शुरू में इनको क्या कहा ? आपने नया नारा दिया। जिस गांधी को हमेशा कोसा, जिस गांधी की हमेशा बुराई की, जिस गांधी के बारे में न जाने क्या-क्या नहीं कहा है इन्होंने। आज उस गांधी को याद करते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप गांधीजी को याद कर रहे हैं, उनके स्वावलम्बन की आप बात करते हैं।....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : गांधीजी केवल आपके नहीं थे। आप यह गर्वोक्ति नहीं करें। गांधीजी सबके थे, पूरे देश के थे....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : गांधीजी तो हमारे थे लेकिन नाथूराम गोड़से हमारे नहीं थे वह आपके थे।....(व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : वे सदन से आदर स्पद रहे सारे देश के। हम लोग तो उन लोगों में से हैं जो कटे-पिटे होकर वहां से आये थे। तब भी गांधीजी का आदर करते रहे। जीवन भर करते रहेंगे। आप यह कैसे गर्वोकित कर रहे हैं कि वे केवल आपके ही हैं यह आप श्री राजीव गांधी की बात कर सकते हैं लेकिन महात्मा गांधी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विराजये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे मित्र गांधीजी को याद कर रहे हैं और चारा ही क्या है। मैंने इण्टरव्यू सुना था, सभापति महोदय, जिसमें प्रो. के. आर. मलकानी मौजूद थे टी वी. पर। वे वहां कुछ आलोचना कर रहे थे, उस समय वित्त मंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने एक बात उनसे कही भी कि श्री मलकानी जी हमने तो वही सब काम किया है जो आप के मेनिफेस्टो में है। हमने पढ़ा है आपका मेनिफेस्टो, जाकर के आप देखिए शुरू में प्रोफेसर केदार कह रहे थे कि कथनी और करनी में अन्तर मत रखिये। हम कहते हैं इस बात को।....(व्यवधान)....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैंने जो इतना सुना है उन्होंने भी जहां तक लिबर-लाइजेशन का सवाल है, we are with you, but libesalisation does not

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

mean that we are cnvite the mnltinslionals From the one side.

श्री प्रद्युम्न सिंह : मल्टीनेश्नल व पाइण्ट के ऊपर भी बोलूं अगर आप समय नहीं काटें तो। मैंने जो पढ़ा है उसको भी आपको अवगत करा दूं। मल्टीनेशनल को जो बुलाने की बात है जो प्रधान मंत्रीजी ने कही कि आज देश के अन्दर कुछ चीजों की टेक्नोलोजी उपलब्ध नहीं है अपने पास। आज जब टेक्नोलोजी उपलब्ध नहीं है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृष्ण कुमार जी आप देश के अन्दर स्वावलम्बन की बात कर रहे हैं। देश को उस स्फेयर के अन्दर पैरों पर खड़ा करने की बात करते हैं तो आपको टेक्नोलोजी के लिए जो अब तक अवेलेबल नहीं है देश के अन्दर, जिसको डवलप करने के लिए पास पैसा नहीं है, जिसको डवलप करने के लिए अपन को टाइम लगेगा। उस टेक्नोलोजी को आयात करने के अलावा अपने पास चारा क्या है? यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा श्रीमन्।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : Pepsi cola does not coming to in.

श्री प्रद्युम्न सिंह : पेप्सी कोला की जो बात हुई है वह उस पेप्सी कोला की आज एक्जाम्पल दे कर, वह भी किसानों के लिए उन्होंने जो बात की थी। मैं आपसे एक बात कहता हूं जिस गवर्नमेंट को आप सपोर्ट कर रहे थे। सभापति महोदय, जिस गवर्नमेंट को ये बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, श्री वी. पी. सिंह जी की गवर्नमेंट को। वे आई. एम. एफ. से 2.5 मिलियन डालर का ऋण किसलिए लेने आये थे? 2.5 मिलियन डालर का ऋण आपने लिया। तब आपने जो शर्तें उनकी मानी तब देश गिरवी नहीं रखा गया था। आज देश को गिरवी रखने की बातें कर रहे हैं। यह जो अपनी कथनी और करनी में अन्तर है। आपने देखा कि वे तो आगे बढ़ रहे हैं। तब आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि मैं तो यहीं तक सीमित था कि गांधीजी को याद किया।

अब मैं श्रीमन् पुनः बिजली के ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि काफी लोग बोलने वाले हैं। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आपने जो बिजली की रेट बढ़ाई है। अगर आप बिजली की रेट देखें तो आपकी रेट जो है इस वक्त और कितने ही प्रान्तों के मुकाबले में ज्यादा है। यह मैं आपको जो आपके विभाग की किताब है उसमें से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यहां इन्होंने 10 स्टेट्स के आंकड़े दिये हैं। इन्होंने बाकी किसी स्टेट के दिये नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर में राजस्थान के अन्दर पर यूनिट 46 पैसे की दर है। हरियाणा के अन्दर 54.90, राजस्थान में पहले 38.5 थी। दो दफे इन्होंने हाई किया था। पहले कितना था यह मुझे याद नहीं है। 4 पैसा था, 13 पैसे का इन्होंने इन्क्रीज किया। आप पेट्रोल का पर्सेन्टेज तो गिना रहे थे यह एग्रीकल्चर सेक्टर में पर्सेण्ट वाइज कितना इन्क्रीज हुआ इसकी कल्पना नहीं की।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 5 पैसे किये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी श्री नत्थीसिंह जी ने कहा था कि आपने आन्दोलन करके दो पैसे के लिए एक लाख आदमियों को भिजवा दिया था। आज आपने तेरह पैसे रेट बढ़ा दी। तब आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, फिर आपकी कथनी और करनी में अन्तर कहां नहीं रह जाता है सरकार, चूंकि उस वक्त आपने दो पैसे की मजबूरी की तरफ तो ध्यान दिया नहीं और 13 पैसे बढ़ा दिये यह आपका कृत्य माफ किए जाने योग्य नहीं है। श्रीमन्, मैं आगे आऊंगा इस पर। महाराष्ट्र के अन्दर 32 पैसा, हिमाचल प्रदेश के अन्दर 31.98, गुजरात के अन्दर 29.38, (व्यवधान)....

(2.26 मध्यान्ह पश्चात्)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

श्री रामकिशन : यह 1992 की नहीं है। जो आप बता रहे हैं वह गुजरात का नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पण्डित जी, यह 3 अगस्त, 1992 को उन्होंने पब्लिशड किया है। मैं गलत हो सकता हूं। इसको माननीय मंत्री महोदय करेक्ट कर सकते हैं। 3 अगस्त, 1992 को इनका पब्लिकेशन है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं इन्हीं की किताब से पढ़कर सुनाऊं I have to No other may and no other opsion मैं अगर कहीं गलत हूं इस बारे में तो माननीय मंत्री महोदय करेक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह, सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में 27.54, पंजाब के अन्दर 26.6 पैसा, मध्यप्रदेश के अन्दर 23.12 पैसा और डेसू के अन्दर 21 पैसे रेट है। आपके यहां 46 पैसे। आप ऊर्जा मंत्री के नाम का बहाना लेते हैं। जब आप सहमति देकर आये। उन्होंने बढ़ाया नहीं और आपने बढ़ा दिया। मेरी मांग यह है कि जो बड़े जितने इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स हैं, जहां राजस्थान के बड़े इण्डीस्ट्रीयलिस्ट को जो बिजली दी जाती है उनके अन्दर आपकी रेट कम है, आप उनकी रेट्स बढ़ाकर घाटे की पूर्ति आप क्यों नहीं करते। आपने किसानों पर तो बोझ लाद दिया। अब, श्रीमन्, आपको मैं लार्ज इण्डस्ट्रीज में आपकी जो रेट्स हैं, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आपको केवल इतना सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं, सभापति महोदय, डेसू की रेट 274.07 पैसा, महाराष्ट्र की रेट 277 पैसा, उत्तर प्रदेश में 205.44, गुजरात में 191.87, मध्यप्रदेश में 186.53 राजस्थान रिवाइज्ड 173 सिर्फ राजस्थान से कम हरियाणा और पंजाब और हिमाचल प्रदेश इस नार्दन रीजन था, राजस्थान से कम है, बाकी सब स्टेट्स की रेट राजस्थान से ज्यादा है। मेजर इण्डस्ट्रीज की ... (व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनकी सब की कम है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सारी कम है क्या। यह आप क्या रहे हैं अगर आप इनके ऊपर पैसा बढ़ाते हैं। आप बिग इण्डस्ट्रीज के अन्दर राजस्थान की रेट कम है। यह कह रहा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हूं मैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप क्या रहे हैं, किसानों के ऊपर तो आपने बढ़ा दिया। सभापति महोदय, आखिर में एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। विज्ञप्ति देखिए बिजली बोर्ड की। आप क्यों ज्यादा गप लगाते हैं। एक जगह तो कहते हैं कि लाइन लोसेज हमनें अपनी एफिसियेन्सी का, पता नहीं कौनसा अलादीन का चिराग था इनके पास, हमने इसको चार पर्सेण्ट कम कर दिया। पहले साढ़े तीस का है और एक जगह 14 सितम्बर वाले में उन्होंने कहा है कि साढ़े बाइस, 14 सितम्बर वाले में कहा है कि जयपुर के लिए 160 करोड़ की विद्युत सुधार योजना, राजस्थान पत्रिका की कटिंग जिसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि लाइन लोसेज इन्क्लूडिंग, एक्ससेप्टरा 22.5% एक जगह यह कहते हैं कि 26 प्रतिशत थी मण्डल की विद्युत, कुल हानि 26 प्रतिशत थी, जिसे कम करके 21 प्रतिशत किया गया है। यह है 3 अगस्त का और 14 सित. का। 1 महीने 11 दिन के अन्दर अल्लादीन का चिराग पैदा किया ऊर्जा मंत्रीजी ने। आप जानते हैं, सभापति महोदय, एक पर्सेण्ट लाइनलासेज कम करने का है 12.60 करोड़ की बचत। 12.60 करोड़ की बचत। 60 करोड़ तो उसी में बचा लिये। 60 करोड़ क्यों, 67 करोड़ 20 लाख रुपये बचा लिये यह इनकी काबिलियत है। हकीकत यह है, श्रीमन् इनके लाइनलासेज Thy are roughly more. Than to only eight percent. आज की तारीख में। अब मैं उसको आपको साबित करता हूं। इनका लाइनलासेज 28 पर्सेन्ट है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये लाइनलासेज आल-इण्डिया के एवरेज पर ले आये हैं, आल-इण्डिया एवरेज है 20 पर्सेण्ट प्लानिंग कमीशन ने जो लाइनलासेज एप्रूव किये हुए है, 15–16 पर्सेण्ट एप्रूव किये हुए हैं। चलिये, लाइनलासेज आप आल-इण्डिया एवरेज पर ले आइये, अगर आल-इण्डिया एवरेज घटा कर ले आते हो लाइनलासेज तो आपको यह रेट बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने जो टैक्स के रूप में रुपया पैदा किया है, आपको सीधी ही 100 करोड़ की बचत है।

श्रीमन्, मैं लम्बे आंकड़ों में नहीं जाकर यहां पर एक बात ही आपसे कहना चाहता हूं कि इनके पास जो अवेलेबल एनर्जी थी, यह 1147 करोड़ की थी। यह 1147 करोड़ में जो आपने डिडक्ट किया है, यह किया है 21 पर्सेन्ट लाइनलासेज मानते हुए यह कीमत तय की है। एक्चुअल रीसिट्स आपकी है 1053 करोड़, शार्टफाल आया है 94 करोड़ रुपये का 194 करोड़ की बिजली आई 880 मिलियन यूनिट 194 करोड़ की बिजली हुई, सभापति महोदय, 880 मिलियन यूनिट 17 पर्सेन्ट इन्क्रीज हो गया, 21 और 7.28 हो गया। यह जगलरी कर रहे हैं फिगर्स के अन्दर। यह बोर्ड वाले जगलरी कर रहे हैं इस प्रकार। फिर चोरी का हाल क्या होगा? यह तो सब को मालूम है, किसी से छुपा हुआ नहीं है।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है, अगर आप एफिशियेन्सी में नीचे नहीं हों तो आपने जो कीमत बढ़ाई है, आप एक पर्सेण्ट

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अगर लाइनलासेज को कम करते हो, चोरी को एक पर्सेण्ट कम करते हो राजस्थान के अन्दर तो 12 करोड़ 60 लाख रुपये की बचत होती है। अगर आप 5-6-7 पर्सेण्ट कम कर लो तो आपके 70-80 करोड़ साल का बचेगा। गरीब किसान के ऊपर जो आपने भार डाला हैं, जो आपने उसकी कमर तोड़ी हैं, उससे उसकी बचत होगी। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री पुष्पा जैन : कुकिंग गैस और खाद पर प्रकाश नहीं डाला।

सुश्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने कह दी बात बिजली के ऊपर। मैंने कहा है खाद के बारे में, उस समय आप सदन के अन्दर नहीं थी। सदन के अन्दर आप मंत्री महोदया बिराजती है नहीं। इस सदन को तो आप बड़ा केजुअल लेती है। आप घूम-फिरकर आकर बैठ जाती हैं, फिर चली जाती है। इस सदन को, टयूरिस्ट मंत्रीजी, ट्यूरिज्म का स्थान समझ लिया है इसलिये आप उस हिसाब से आती है।....(व्यवधान)....

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जिस दल की यह सरकार है, इसकी कथनी और करनी में अन्तर है। जो कम्फलशंस, जो परेशानियां आपके सामने थीं, मैं समझता हूं, कि वे की वे परेशानियां भारत सरकार के सामने रही होंगी लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी है, आपके पास आप्शन्स हैं। आप अपनी एफिशियेंसी को सुधार कर, आप अपनी चोरी और छीजत को सुधार कर आप किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। यही मेरा आपसे निवेदन है, श्रीमन्।

श्री सभापति : माननीय श्री रमाकान्त। ....(व्यवधान)। आपकी बारी आये तब बोलना।

श्री खंगारसिंह चौधरी : हिन्दुस्तान के के अन्दर जो धरतीपुत्र है, उसके गले पर छुरी चलाने से नहीं चुके।

श्री सभापति : माननीय श्री रमाकान्त जी, अपना वक्तव्य शुरू कीजिये।....(व्यवधान)....आर्डर प्लीज।

श्री खंगारसिंह चौधरी : 40 साल में आपने क्या किया इस देश के अन्दर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री बालचन्द आर्यवीर : किसानों का खून चूसा है कांग्रेस के लोगों ने।

सुश्री पुष्पा जैन : ये कांग्रेस वाले किसान विरोधी हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।....(व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पैरों पर हैं, कृपया बिराजें।

श्री रतनाराम चौधरी : खंगार सिहजी, बिजली की जो रेट बढ़ाई है, उससे आप सहमत हैं क्या? उसको ठीक मानते हैं?

श्री सभापति : आपस में विवाद नहीं करें।

श्री रतनाराम चौधरी : किसान चिल्ला रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, भूख-हड़ताल कर रहे हैं बिजली को लेकर। और बिजली की रेट बढ़ा दी।....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, बिराजें।....(व्यवधान).... आपको मैं नाम से पुकारूंगा, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।....(व्यवधान) माननीय श्री खंगार सिंहजी। माननीय श्री खंगार सिंहजी, मैं नाम से पुकारूंगा। आप बिराजें। आप अपना नम्बर आये तब बोलिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय सभापतिजी, यहां पर यह बात कही गई कि जो उत्पादन की कीमत है, वह उपभोक्ता को पूरी-पूरी तरह देनी चाहिये। देखने में सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है। सच बात तो यह है कि यह बात यहां पर दोहराई गई है। भारतवर्ष के वित्त मंत्रीजी ने इंग्लैण्ड जाते-जाते जिस समय कीमत बढ़ाई, उस समय उन्होंने दो बात कही थी, उत्पादन की कीमत उपभोक्ता को देनी चाहिये और जो पैट्रोलियम पदार्थ है, उनका हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनका उत्पादन कर रहे हैं, उसकी जो मौजूदा कीमत है, जितना हम वसूल कर रहे हैं जो उसकी हमारे उत्पादन में, प्रोसेसिंग में लग रही है, उससे पूरी नहीं पड़ती है इसलिये कीमत हमको आवश्यक रूप से बढ़ानी पड़ रही है। माननीय सभापतिजी, भारतवर्ष के वित्त मंत्री ने इस देश को बहुत बड़ा + + + दिया है, एक बहुत बड़ा + + + बोला है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, इनसे कहें कम से कम शालीनता से....। आखिर इतने माननीय सदस्य हैं, असेम्बली में किस तरह से बोलना चाहिये।

श्री सभापति : + + + शब्द असंसदीय है, इसको एक्सपंज किया जाता है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं + + + को वापस लेता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि असत्य बोल रहे हैं। सीधी-सी बात है + + + (व्यवधान)....

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आपकी जोशीजी ने एक दफा एक पर्सनल राय दी थी, उसको ध्यान में रखना।

श्री रमाकान्त शर्मा : सुन ली मैंने। आपकी भी राय सुन ली और आप बहुत राय देते हैं, आप भी उस तरह से नहीं करते। मुझे आप राय देने वाले नहीं हैं, मैं अपनी राय से काम करता हूं।

श्री सभापति : आप आसन के माध्यम से बात कीजिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय सभापति जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आयल के सम्बन्ध में एक आयल कोआर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है भारत सरकार आयल में और पिछले सालों के अन्दर जितनी भी

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

तेल पैदा किया गया और बेचा गया, उसमें से कुछ सैस लिया जाता है प्रोफिट में से। उसमें से भारत सरकार के पास में इस आयल कोआर्डिनेशन कमेटी के अन्तर्गत 16,411.27 करोड़ रुपये उनके पास मौजूद हैं। एक तो उसके लाभ में इतना पैसा है, करेन्ट प्राइसेज हम प्राप्त कर रहे हैं उनसे हमारे उत्पादन की कीमतें पूरी नहीं पड़ रही है। आप स्पष्ट कहें कि यह क्या चीज है ? दूसरा आयल एक ऐसी चीज है कि दुनिया के अन्दर कोई भी देश ऐसा नहीं जो यह कह सके कि पैट्रोलियम पदार्थों के अन्दर कहीं पर नुकसान होता है। जो देश हमारे पड़ौस के अन्दर है जहां 6-8-10 रुपये लीटर आयल बिकता है वहां उनको करोड़ों रुपयों का लाभ मिलता है अमेरिका 6 रुपये में बेचता है और अमेरिका में एक आदमी की तनख्वाह जो मिलती है वह कम से कम बीस गुना हमारे से ज्यादा मिलता है। अमेरिका के अन्दर बहुत हाई कास्ट इकोनोमी है, वह 6 रुपये प्रति लीटर तो पैट्रोल बेचते हैं और अरबों रुपये पैट्रोलियम से कमाये जाते हैं। जाते हैं। यहां पर 17-18 रुपये में पैट्रोल बेच कर हमारे भारत वर्ष के वित्त मंत्री यह कहें कि हम कीमत जो प्राप्त कर रहे हैं वह कीमत हमारे उत्पादन की कीमत से पूर्ण नहीं पड़ रही है, एक सी बात है। सभापतिजी, 16,411 करोड़ रुपये जो आयल को-आर्डीनेशन कमेटी के पास में रिजर्व है उसमें से 8 हजार करोड़ रुपये का तो उन्होंने फिक्स डिपोजिट करवा रखा है बैंकों के अन्दर। यह बात दूसरी है कि उन बैंकों में से कुछ स्केम में चला गया शायद उपलब्ध नहीं है मैं भी कह नहीं सकता, परन्तु 8 हजार करोड़ रुपये तो फिक्स डिपोजिट में जमा करवा रखा है और मजे की बात तो यह है कि अभी पिछला जो बजट भारत सरकार के वित्त मंत्री ने पेश किया था उसके अन्दर स्पष्ट लिखा हुआ था कि आयल कोआर्डीनेशन कमेटी से 2 हजार 3 सौ करोड़ रुपये जो डेफिसिट फाइनेन्सिग है उसको पूरा करने के लिये लिया है। जहां 2 हजार 3 सौ करोड़ रुपये उस पैसे में से लिया हुआ हो और डेफिसिट फाइनेन्सिंग पूरा कर रहे हो और देश को यह बताया गया जा रहा हो कि हम कीमत देते हैं। 7 रुपये पैट्रोल का और 6 रुपये डीजल का, जो सारी की सारी ऊची-ऊंची कीमतों से, दुनियाभर की कीमतों से ज्यादा है। और कहा जाये कि जो करण्ट प्राइस जैसे हमारा उत्पादन में पैसा लगता है वह पूरा नहीं पड़ता है यह उचित बात नहीं है।

सभापतिजी, सच बात तो यह है कि यह जो कीमतें बढ़ रही हैं इसके लिये थोड़ा सा हमको अपने आपको और थोड़ा-सा पीछे जाकर इसका पुनर्विक्षण जिसे कहते हैं उसको करना पड़ेगा। पिछले दस वर्ष के अन्दर, जो पिछली दशाब्दि रही है 80 की उसके अन्दर हम एक प्रकार से ऋण का जो चक्रव्यूह है उस चक्रव्यूह के अन्दर फस गये हैं और हमें फंसाया गया है विदेशी ताकतों से। विदेशी ताकतें हमको कभी नहीं चाहती कि हम देश के अन्दर ताकत, आर्थिक समृद्धिशाली देश बने। जब से हम आजाद हुये हैं तब से उनकी आंख हमारे ऊपर हैं और इस बात की हैं कि हम किसी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

भी प्रकार से आर्थिक तरीके से स्वतन्त्र नहीं हो जाय, हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से उत्पादन करने वाला नहीं हो जाय, हम उद्योगों के अन्दर बहुत आगे नहीं बढ़ जाय। उनकी बराबर आंखें हैं, वह कभी पोजीटिव साइड और नेगेटिव साइड के चक्रव्यूह के अन्दर हमको डालते रहते हैं। वर्ल्ड बैंक, आई.एम.एफ. से लोन तो हमने पहले भी लिया था 1960 के दशक में भी लिया था, 1970 के दशक में भी लिया था, परन्तु 1980 के दशक के अन्दर जिस प्रकार से हमको ऋण दिया गया और वह ऋण इतनी मात्रा में हो गया कि 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का विदेशी ऋण आज हमारे ऊपर है। कोई बात नहीं है, विदेशों से ऋण सारी दुनिया लेती है, सारे देश लेते हैं हमको भी लेना चाहिये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हैं। परन्तु वह ऋण हमें उन कामों के लिये दिया गया जिनसे उत्पादन नहीं बढ़ता था और उस ऋण को हमने उत्पादन के काम में नहीं लिया। यदि उत्पादन के काम में लेते तो हमारी जो पैदावार होती उस पैदावार से हमारे पास में पैसा आता, हमारी समृद्धि बढ़ती, प्रति वर्ष उस ऋण को लौटाते भी रहते, परन्तु जितना हमने पिछली दशाब्दि के अन्दर ऋण लिया था वह सारा का सारा रुपया अनुत्पादित मामलों के अन्दर खर्च हो गया। खास तौर से हमने कृषि पर बिलकुल खर्च नहीं किया। जब अनुत्पादित मामलों के अन्दर खर्च कर दिया तो हर साल ब्याज इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि उस ब्याज को देने के लिये फिर हमने ऊपर से लोन लेना शुरू कर दिया। नतीजा इसी तरह से डेढ़ टेप में करीब-करीब इन्सोल्वेन्सी की पोजीशन पैदा हो गई और उस समय माननीय श्री मनमोहन सिंहजी का अवतार हो गया। माननीय श्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्रीजी एक सूत्र लिब्रेलाइजेशन को निकाल कर लाये। लिब्रेलाइजेशन सब चीजों का उत्तर नहीं है। लिब्रेलाइजेशन हमारी भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। लिब्रेलाइजेशन से हमारा मतलब तो केवल मात्र यह था कि पिछले चालीस वर्षों से अनेक प्रकार के कन्ट्रोल, अनेक प्रकार के परमिट, मिक्स इकॉनोमी के नाम पर सब चीजों के अन्दर, कोई भी स्वतन्त्र व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं हो यह वित्त मंत्री डी.जी.टी.डी. से पूछिये, यह इससे पूछिये, जो हमारी आर्थिक प्रगति थी उसपर एक प्रकार की रोक लगी हुई थी वह रोक हटाना चाहते थे। परन्तु यहां पर एक ऐसी तरह की चीज फंसी हुई थी जिसे हमारी इनएफीसियेन्सी कह दीजिए, इनएफीसियेन्सी के बाद में डेफिसिट फाइनेन्सिंग होता है, डेफिसिट फाइनेन्सिंग के इन्फलेशन होता है, इन्फलेशन से इकोनोमी रिकार्ड होता है फिर वर्ल्ड बैंक के पास चले जाते हैं, सारी जो साइकिल है उस सारी साइकिल का जवाब लिब्रेलाइजेशन नहीं हैं। इसलिए उस साइकिल का का जवाब यह भी नहीं है कि हम विदेशी कम्पनियों को यहां पर लाकर उत्पादन कराना चाहें और उससे हम अपनी इकोनोमी कन्ट्रोल करना चाहें, नहीं कर पा सकेंगे। एक और चक्कर में फंसे हुये हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी वह

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हिन्दुस्तान के रुपये को एक प्रकार से इन्टरनेशनल कन्वरटेबल मनी बनाना चाहते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिये उत्पादन....

श्री सभापति : आप विषयान्तर हो रहे हैं। आप विषय पर बोलें माननीय सदस्य ।

श्री रमाकान्त शर्मा : उसी विषय पर ही आ रहा हूं। पेट्रोल की प्राइसेज क्यों बढ़ाई है वह निवेदन कर रहा हूं, मैं इसी पर तो आ रहा हूं कि पेट्रोल की प्राइसेज क्यों बढ़ाई है। जब वह इंग्लैण्ड अमेरिका गये हैं, वहां पर यही तो कहने गये हैं कि हम इण्डियन रूपी को कन्वरटेबल बनाना चाहते हैं वहां उन्होंने यह बात कही कि कन्वरटेबल बनाना है तो आपका डेफिसिट फाइनेन्सिंग खतम होना चाहिये, आप पेट्रोल प्राइसेज बढ़ा दीजिये। उन लोगों की मन्शा यह थी कि पेट्रोल की प्राइसेज बढ़ाने से कि हमारी जो इकोनोमी चल रही है, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, वह कम्प्लीटली डिसरप्टेड हो जाय, ट्रान्सपोर्ट का क्षेत्र डिसरप्टेड हो जाय, कृषि का क्षेत्र डिसरप्टेड हो जाय। इसलिये उन्होंने इस बात की राय दी और उनकी राय के आधार पर यह प्राइसेज बढ़ा दी गई।

मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मौके पर जबकि इन्टरनेशनल मार्केट सारे के सारे प्राइसेज और पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स की प्राइसेज कम की गई है। अभी कुछ वीक पहले ही कम की गई है 18 डालर पर बेरल इसका मतलब 540 रुपये होता है, हमारी करन्ट प्राइसेज हो वह हाइवेस्ट हो उसके पीछे दाम बढ़ाने का जो मैं निवेदन करने जा रहा था रुपये का कन्वरटेबल करने के लिये जो आई. एम. एफ की कण्डीशन थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्टस की प्राइसेज आप बढ़ायेंगे तो हम आपकी इस बात को मान जायेंगे। यह सारी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापतिजी, वर्ल्ड बैंक से तो आप शाबासी ले लीजियेगा कोई बात नहीं है, परन्तु निवेदन यह करना चाहता हूं कि पेट्रोलियम प्राइसेज के अन्दर डीजल और फरनेस आयल का जो एलीमेंट है उसकी वजह से हमारे कृषि के अन्दर जो इनपुट्स हैं उन इनपुट्स की 2/5वां जो हिस्सा है। इनपुट्स का वह डीजल और फरनेस आयल और पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स पर मुनस्सर करता है। एक ओर तो हमारे किसान को दी जाने वाली सब्सिडी घटा दी गई, खाद की कीमत बढ़ा दी गई है दूसरी तरफ अचानक पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स की प्राइसेज बढ़ा दी गई है, इससे इनपुट्स की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जायेगी और किसान अपनी पैदावार पूरी तरह से नहीं कर सकेगा। मैं बहुत लम्बी बात नहीं करना चाहता, मैं कह चुका हूं कि ट्रांसपोर्ट और हमारा जो इण्डस्ट्रियल सेक्टर है वह भी सारा इससे परेशान हो जायेगा।

एक बात यहां कहीं गई कि जिस प्रकार से वहां पर पेट्रोल की कीमतें कम हैं इसलिये उसकी प्राइसेज बढ़ाई जा रही है, क्योंकि भारत सरकार को नुकसान हो रहा है उसी प्रकार से बिजली में भी घाटा हो रहा है इसलिये बिजली की भी प्राइसेज बढ़ाई

(श्री रमाकान्त शर्मा)

गई है। बिजली का पेट्रोलियम पदार्थों के साथ में मुकाबला नहीं कर सकते। पेट्रोलियम पदार्थ तो जैसा पहले मैं निवेदन कर चुका हूं ऐसी बड़ी चीज है, दो तीन महीने पहले शेयर आया था एक पेट्रोलियम की इण्डस्ट्रीज का, इण्डियन आयल कम्पनी भारत पेट्रोलियम कम्पनी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और साथ में बिड़लाजी भी उसके होल्डर हैं, उसका शेयर कम से कम तीन सौ गुना सब्सक्राइब हुआ है। दुनिया में इसको पेट्रोगोल्ड कहते हैं और बिजली एक ऐसी चीज है हाथ जोड़ रहे हैं बहुत सारे उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को और अब तो बाहर भी माननीय श्री मनमोहन सिंहजी निवेदन करके आये हैं कि हमारे यहां पर बिजली लगाओ, बिजली पैदा करो, कोई आ नहीं रहा है। बिजली एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके अन्दर बहुत लाभकारी उद्योग हो, हमारे जैसे देश के अन्दर तो सदा से ही ये बहुत ज्यादा अलाभकारी रहा है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से खाद के मामले के अन्दर निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने यह कहा कि अब जमाना लद गया यहां बहुत सारी जो सब्सिडी दे रहे हैं कृषि पर, ये सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं इसलिए खाद पर सब्सिडी खत्म कर दी या कम कर दी गई। ये सारी की सारी बातें जो हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आई. एम. एफ., वर्ल्ड बैंक या अमेरिका के कहने पर, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सिडाइज यदि किसान है तो अमेरिका का है। अमेरिका के किसानों को, अमेरिका जितनी सब्सिडी देता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके खेत के अन्दर यदि जरा सा भी नुकसान हो जाय अकाल कहीं पड़ता नहीं है से, परन्तु कम बारिश या ज्यादा बारिश से या धूप या चांदनी से या रोशनी से, तो उसका पिछले तीन साल का जितना उत्पादन होता है, उसके अन्दर जितनी कमी होती है, उसे घर बैठे उसको पूरी कर दी जाती है। अमेरिका का किसान अपने आप खुद तय करता है कि वह अपने गेहूं को किस भाव पर बेचना चाहता है, किस भाव पर नहीं बेचना चाहता है। वह हाइएस्ट सब्सिडाइज जो किसान है, उसका देश हमको यह बताता है कि कि आप यहां किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं इसलिए इन किसानों को सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिये। किसानों के साथ में एक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय कांस्पेरेसी, एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमको इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है।

बिजली के मामले में दो शब्द और कहकर अपनी बात समाप्त कहना चाहूंगा। हमारे यहां राजस्थान में जितना बड़ा एरिया है और उस एरिये के कारण से जिस प्रकार की हमारी लम्बी ट्रांसमिशन लाइनें हैं, आज दुर्भाग्य से हमारे पास में न तो कोयला है, न हमारे पास में बहुत ज्यादा हाइडल बिजली पैदा करने के लिए पानी है। हमें जिस प्रकार से भारत सरकार या अन्य प्रांतीय सरकारें हैं और जो भारत

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सरकार का एटोमिक पावर है, उनसे जिस प्रकार से, जिस रेट पर, जिस तरीके से डिस्रेप्टेड कम वोल्टेज पर जो बिजली है, वह मिलती है और फिर मैं निवेदन कर रहा था, जिस प्रकार से हमारे सारे देश के अन्दर इतना बड़ा एरिया और इतने इलेक्ट्रिक लोड का कन्सन्ट्रेशन इस तरीके से फैला हुआ है उसके अन्दर स्वाभाविक है कि हमारे यहां लोसेस ज्यादा होंगे। कितनी ही हम कोशिश करें, आज हरियाणा की या गुजरात की जो स्थिति है, वह स्थिति हमारे यहां पर नहीं होने वाली। अभी बताया गया कि दूसरी जगहों पर, दूसरे प्रान्तों के अन्तर उद्योगपतियों से बहुत ज्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा है, किसानों से बहुत कम चार्ज किया जा रहा है। हमारे यहां पर उद्योगों को जो बिजली दी जा रही है वह 50 प्रतिशत है, 50 प्रतिशत के करीब किसानों को है। यह 50–50 प्रतिशत गुजरात में नहीं है, वह यह डेसू में नहीं है। डेसू में मुश्किल से 5 प्रतिशत किसानों को है, 95 प्रतिशत उद्योगपतियों को हैं। माननीय सभापति महोदय, यहां पर 50-50 का जो प्रतिशत है, उस प्रतिशत के मुकाबले में देखते हुए हमारे यहां और फिर उद्योग जितने कम हैं, आज की जो रेट है, आज जो हमारी बिजली की खपत है, उसके मुताबिक बाहर के उद्योग यहां पर नहीं आ रहे हैं इसलिए उद्योगों के लिए और ज्यादा बिजली बढ़ा देंगे, मैं इस पक्ष में तो नहीं हूं कि किसानों के लिए बिजली बढ़ाई जाय। मैं इस पक्ष में पूरी तरह से हूं कि किसानों को तो यदि हो सके तो पूरी तरह से बिलकुल मुफ्त में बिजली दी जाय, परन्तु मैं सिद्धान्त की बात कर रहा हूं। सिद्धान्ततः जिस प्रकार से बिजली पैदा हो रही है, जिस प्रकार का हमारे यहां ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिस प्रकार से बिजली पैदा करने के लिए इन्पुट्स हमारे यहां पर उपलब्ध नहीं हैं, मैं उन सब कारणों से और भारत सरकार का यह दबाव कि आपको 3 प्रतिशत फायदा तो करना ही करना होगा। किस चीज से 3 प्रतिशत फायदा करना होगा, कैसे करना होगा, इन सब चीजों के लिए यदि डिटेल के अन्दर भारत सरकार जाये नहीं और यह कहें कि यदि ऐसा नहीं किया तो हम आपको जो ऊपर से पैसा देने की बात है, हमारी चाहे धौलपुर की स्वीकृति हो, चाहे दूसरी स्वीकृति हो, स्वीकृति नहीं देंगे तो हमको उस दबाव में आकर के रेट बढ़ानी पड़ती है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रमाकान्त शर्मा : धन्यवाद, आपने कहा, मैंने समाप्त कर दिया।

श्री सभापति : माननीय रामकरणजी चौधरी।....(व्यवधान)....

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। एक तरफ तो केन्द्र का विषय है और दूसरी तरफ इस प्रांत की सरकार का विषय है। माननीय सदस्यों ने दोनों तरफ से अपने-अपने विचार रखे हैं। मैं दुबारा उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं,

(श्री रामकरण चौधरी)

कुल मिलाकर सारांश यह है कि केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के साथ-साथ जो खादों की कीमतें इतनी भारी मात्रा में बढ़ाई हैं, उससे राजस्थान के किसानों की क्या हालत हुई है, उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं । दूसरी तरफ हमारे राजस्थान में जो बिजली का भयंकर संकट है, उसके साथ-साथ न कोई आपूर्ति की गारंटी ही है, उसके बावजूद किसानों के ऊपर बहुत भार लादा गया है, उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, यह सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान के साथ-साथ राजस्थान की जो अर्थ-व्यवस्था है, वह खेती के ऊपर निर्भर करती है । अगर इस प्रदेश में खेती विपरीत दिशा में प्रभावित हुई तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा । ये एडमिटेड फेक्टस हैं । हम देख रहे हैं कि आज बिजली खेती के साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई है, अगर बिजली की आपूर्ति किसानों को अच्छे वोल्टेज पर विशेष रूप से रबी की फसल में अगर समय पर नहीं दे पाते हैं तो हमारी सारी फसल चौपट हो जाती है । बिजली बोर्ड का इतना घाटा है, खुद की बिजली प्रोडक्शन कम है, कहां से लाते हैं, इसकी तत्काल कोई भी सरकार हो व्यवस्था नहीं कर सकती । आप देख रहे हैं कि रोजाना ट्रांसफार्मर के मामले को लेकर, नये कनेक्शनों को लेकर, जी. एस. एस. को लेकर काश्तकार रोजाना आते है । बिजली बोर्ड के दफ्तर में सबसे ज्यादा जो भीड़ हो रही है, वह आज बिजली विभाग में हो रही है और भ्रष्टाचार भी मैं समझता हूं कि सब विभागों को इस विभाग ने पीछे छोड़ दिया है । आज एक काश्तकार अपना कनेक्शन जो प्रायोरिटी के आधार पर ले रहा है, उसको कनेक्शन लेने के लिए, ट्रांसफार्मर लेने के लिए हजारों रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है । यह माननीय मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय और विद्युत मण्डल के सारे बड़े से बड़े अधिकारी इस बात को जानते हैं, तो मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके राजस्थान के किसानों के लिए, जितने भी माननीय सदस्य, जिनमें सत्ता पक्ष के भी बैठे हैं, सरकार भी बैठी है, किसानों की बात केवल जुबान से कहने से नहीं होगी, आप आत्मा से अगर राजस्थान के किसानों का भला करना चाहते हैं, वास्तव में अगर आप इनसे हमदर्दी रखते हैं और इस प्रदेश में खेती में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ।

मैंने पहले भी यह बात कही थी कि राजस्थान के अन्दर गत वर्ष आपका जो आवंटन का कोटा था, लोगों ने 6–6 माह पहले अपने डिमांड नोट के 40-40, 50-50, 60–60, 70–70 हजार रुपये जमा करा रखे हैं, आज भी उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, कुओं पर उन्हें एल. टी. लाइन भी नहीं खींची गई है, ट्रांसफार्मर का तो पता नहीं । केवल मेरे नागौर जिले में आज 850 ट्रासफार्मर की कनेक्शन देने के लिए आवश्यकता है और रोजाना नये ट्रांसफार्मर बहुत जल रहे हैं । इसके लिए मेरा निवेदन है कि बोर्ड में 800 करोड़

(श्री रामकरण चौधरी)

का घाटा है, अगर सिंगरौली का कितना पेमेंट बाकी है, राजस्थान सरकार की सब्सिडी पेमेंट नहीं की गई हो, इससे राजस्थान के किसानों को आप कोई सांत्वना नहीं दे सकते और दोनों तरफ से जो आंकड़े दिये गये हैं, उनसे किसानों का कोई भला नहीं हो सकता। राजस्थान की सरकार अगर वास्तव में किसानों का भला करना चाहती है, इस प्रदेश में खेती में तरक्की करना चाहती है और इस प्रदेश की जनता को खुशहाल करना चाहती है, इसके लिए सही भावना से तत्काल किसानों के जितने कनेक्शनस् हैं, वह दिये जायं। बिजली बोर्ड इतने ट्रांसफार्मर एक साथ नहीं खरीद सकता, इसके लिए मेरा सुझाव है कि बिजली बोर्ड किसानों को अपनी खुद की कीमत से ट्रांसफार्मर खरीदने की छूट दे ताकि किसान खरीद सकें। उन ट्रांसफार्मर की कीमत बाद में बिजली बोर्ड अपने बिलों से एडजस्ट कर ले ताकि किसानों को तत्काल कनेक्शन मिल सकते हैं वरना आप 20 ट्रांसफार्मर एक जिले में भेजते हैं, 850 ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। एक साल के अन्दर तो आप पूरे किसानों को सप्लाई नहीं कर पायेंगे, रोजाना कोई न कोई जलते रहते हैं और डिमांड बढ़ती रहती है। इस साल फिर टारगेटस् आप फिक्स करेंगे। कभी भी इसका अन्त होने वाला नहीं है। इससे दो फायदे हो जायेंगे। एक तो सारे किसानों को टाइम पर कनेक्शन मिल जायेंगे और प्रदेश में खेती के अन्दर बहुत बड़ा योगदान हो जायेगा और साथ में जो भ्रष्टाचार है, आज ट्रांसफार्मर के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है, 10–10 हजार रुपये एक-एक काश्तकार अपने कनेक्शन के लिए दे रहा है। यह सारे बोर्ड के अधिकारियों को, मंत्रीजी को और सबको मालूम है मगर इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है आप ऐसी व्यवस्था कर देते हैं तो

(3·00 म. प.)

बहुत बड़ा चैक हो जाएगा, किसानों को राहत मिल जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आपने पैसा बढ़ाया है यह किसानों के साथ अन्याय है। क्या आप घंटे की जगह 10 घंटे बिजली देंगे? अगर आप 10 घंटे बिजली दे देंगे तो किसान इसको सहन करने को तैयार हैं। एक तरफ आप किसानों के हित की बात करते हैं, उनकी तरक्की की बात करते हैं, उनको राहत देने की बात करते हैं, परन्तु आप हकीकत में किसानों को कोई राहत नहीं दे रहे हैं। यह किसानों के साथ घोर अन्याय है। इसलिए अन्याय है कि किसान बिखरे हुए हैं, अनपढ़ है, इसलिए आप उनका शोषण कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि अगर श्री भैरोंसिंह जी धौलपुर की योजना सेंक्शन करवा ले तो 10 साल में तो उसमें उत्पादन शुरू होगा। आज आपको जो बिजली मिली हुई है वह बिजली प्राथमिकता के रूप में किसानों को दें, रेगुलर 10 घंटे दिन के अन्दर बिजली दें और कनेक्शन के लिए जैसा मैंने निवेदन किया है यह बिजली बोर्ड लागू कर देता हैं तो समस्या का समाधान हो सकता है।

(श्री रामकरण चौधरी)

केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के साथ-साथ विशेष रूप से जो खाद है और खाद के अन्दर डी. ए. पी. के अन्दर जो हालात कर दी है राजस्थान के किसानों के लिए वह बहुत गम्भीर संकट पैदा कर दिया है। इसके सन्दर्भ में जो कीमतें आज बढ़ाई हैं। यह भारत सरकार की जहां बात करते हैं मगर राजस्थान सरकार इसकी सप्लाई को रेगुलर करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो इसकी लाइसेंसिंग आथोरिटी है, माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा था कि 24-8-1992 को राजस्थान में 18,690 मैट्रिक टन का स्टाक था। डी.ए.पी. में माननीय मंत्री महोदय आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 24 तारीख को यह था तो 26 तारीख को क्या स्टाक था? आज कितना स्टाक है? क्या आप यह बता सकते हैं?

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार का सारा प्रशासन बिलकुल पंगु बना रहा या वह अधिकारी जितने भी डीलर्स थे उनसे मिले हुए थे। रातों-रात जितने भी डीलर्स थे खाद के उन लोगों ने फर्जी बिल काट कर के जितनी भी खाद थी उसको अण्डर ग्राउण्ड कर दिया। आज वे किसानों का मन माने रूप से शोषण कर रहे हैं। साढ़े चार सौ या पांच सौ रुपये के कट्टे के हिसाब से पैसा ले रहे हैं। क्या राजस्थान सरकार का प्रशन और आपका विभाग कुछ भी अंकुश नहीं कर सकता है? इसको तो आपने असेन्शियल कामोडेटीज एक्ट के अन्दर ले रखा है। असेन्शियल कामोडेटीज एक्ट के तहत कार्यवाही करते, चालान पेश करते। राजस्थान के अन्दर एक भी किस्सा नहीं हुआ। राजस्थान के सारे किसान 10-15 दिन के अन्दर सारी फसलों की बुआई कर देंगे। कालाबाजारी और चोर बाजारी के कारण से मनमाने ढंग से, बिना किसी भय और डर के अफसरों की मिली भगत से वह किसानों को लूट रहे हैं, कोई अंकुश नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के मार्फत सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आप किसानों को कुछ राहत देना चाहते हैं, इस प्रदेश की खुशहाली के अन्दर अपना योगदान देना चाहते हैं, अपने दिल के अन्दर इस प्रकार का मानस बनाना चाहते हैं तो जितने भी कालाबाजारी कर रहे हैं और उसके लिए जो आपके दोषी अधिकारी हैं उन्होंने इन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया, क्यों अण्डर ग्राउण्ड होने दिया, क्यों ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? इसके लिए क्या कार्यवाही की? उन पर कार्यवाही करें, उनको दंडित करें और तत्काल जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बुआई शुरू हो गई है, बारिश होने के ऊपर रात-दिन 10 दिन के अन्दर सारी बुआई हो जाएगी। अगर आप खाद की तत्काल व्यवस्था नहीं करेंगे तो इस सरकार के भरोसे राजस्थान के किसान डूब जायेंगे, कभी आपको माफ नहीं करेंगे। यही कहेंगे कि यह सरकार किसानों को राहत नहीं दे सकेगी। बिजली के ऊपर आपने कर बढ़ा दिया। खाद की सप्लाई करने की आपकी जिम्मेदारी थी। आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाए, बिलकुल पंगु बने हुए हैं, जितने भी मुनाफाखोर और चोर बाजारी करने वाले लोग हैं वह खुले रूप से लूट कर रहे हैं।

(श्री रामकरण चौधरी)

इस प्रकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल इस मामले के ऊपर जो आपने इतना स्टाक बतलाया है अगर वह किसानों को मिल जाए, सही कीमत पर, अर्थात् ढाई सौ रुपये के हिसाब से तो किसानों की बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है। बाकी मैं समझता हूं कि इससे 10 पर्सेन्ट किसानों का भी भला नहीं हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, डीजल के भाव बढ़ाये हैं इससे किसान सीधे प्रभावित हैं, सारी खेती आज ट्रेक्टरों से हो रही है। आम जनता इससे परेशान है. मनमाने रूप से ट्रकों के मालिकों ने, बसों के मालिकों ने और टैक्सियों के मालिकों ने किराया बढ़ा दिया है, इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। आखिर सरकार की मशीनरी कर क्या कर रही है ? 1 रुपया बढ़ाया और उन्होंने सवाया कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूं और भी माननीय सदस्य बोलेंगे, बिजली के मामले पर एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप ट्रांसफार्मर देने के मामले पर गम्भीरता से सोचें इससे बोर्ड का भी भला हो जाएगा और काश्तकारों का भी भला हो जाएगा। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री रामेश्वर दयाल जी यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में जो खाद, बिजली, डीजल और पैट्रोल आदि की जो कीमतें बढ़ाई हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। इस चर्चा में जहां कीमत बढ़ौतरी के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी वहां कुछ लोग अपने बचाव के पक्ष में लगे हुए हैं और कुछ लोग इसके विरोध के लिए व्याकुल हो रहे हैं। हमारा देश किसानों का देश है, जिसमें 80 फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं। वर्तमान में जो खेती है उसका वे मशीनरी के साथ, रासायनिक खादों के साथ, बिजली के उपयोग के साथ, डीजल के उपयोग के साथ उत्पादन बढ़ा रहे हैं। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के किसानों के बारे में चाहे कोई भी दल हो, उसको गम्भीरता से नहीं लेता है, उसको गम्भीरता से नहीं सोचता है। मात्र चुनाव के समय में उन्हें जरूर किसानों की याद आती है। यदि किसानों का प्रतिनिधित्व करने की बात हो तो जिसके एक इंच जमीन नहीं हो वह भी यह कहता है कि मैं भी किसान हूं, लेकिन जब किसानों की समस्या का सवाल आए तो जो किसान होते हैं वे भी पीछे हटने लगते हैं। अगर हम इस पर विचार करें तो यह बात निश्चित तौर पर साबित होती है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक खाद की कीमत का सवाल है, आप उसका विश्लेषण कीजिए। जहां डी. ए पी. का 265 रुपये में कट्टा आता था पिछले दिनों में, या उसके पहले करीब 182 रुपये का कट्टा आता था आज किसान को उसके लिए मार्केट के अन्दर 440 या 470 रुपये तक देने पड़ते हैं। यूरिया की कीमत में 10 पर्सेन्ट की कमी निश्चित रूप से हुई है। जहां जिप्सम पर मात्र एक रुपया कट्टा वसूल किया जाता था किसान से

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

आज उसके 8 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से वसूल किए जाते हैं। जहां सुपरफास्फेट सिंगल 62 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से किसान को पे करने पड़ रहे हैं....जहां डीजल 5·64 रुपये के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था वहां अब उसे 6·80 रुपये के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है। बिजली पर उसे 34 पैसे के मुकाबले 46 पैसे का भुगतान करना पड़ेगा और बिजली में बहुत सारे चाहे मीटर रेंट के नाम से हो, चाहे सर्विस चार्जेज के नाम से हो, चाहे और किसी चार्जेज के नाम से हो उसमें काफी बढ़ोतरी की गई है।

खाद पर भी जो मुर्गी की बीट का खाद जिसका था 4-5 हजार रुपये में ट्रक आता था वह आज 7-8 हजार रुपये का हो गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान की खेती में उपयोग आने वाली चीजों के दाम एकदम दुगने और तिगुने हो गये हैं लेकिन किसान जो अपने खेत से अन्न का उत्पादन करता है उसका मूल्य जो मार्केट में मिलता है वह आप पिछले सालों के मुकाबले इस साल देखें तो पता चलेगा कि गेहूं का भाव डाउन जा रहा है, जौ का भाव डाउन जा रहा है, बाजरा का भाव जहां 500 रुपये बिका था उसके मुकाबले आज 300 रुपये बिक रहा है, जो 250 से 255 रुपये बिक रहा है। गेहूं 400 रुपये से 450 रुपये के बीच में बिक रहा है और अगर हम इसका एस्टीमेट एक क्विंटल गेहूं पैदा करने के लिए लगायें तो मैं समझता हूं किसी भी कीमत पर 750 रुपये प्रति क्विंटल से कम उसकी लागत नहीं आती है। ऐसे समय में कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या जनता दल की सरकार हो, अगर इस तरह से किसान के ऊपर लागत मूल्य हम बढ़ाते रहें और उसके उत्पादन के मूल्य में हम सहयोग नहीं करेंगे तो यह निश्चित तौर से उस मकान के साथ जो धरती को चीरकर अन्न उत्पादन करने विदेशों के सामने झोली फैलाने से रोकता है, उसके साथ बेहद अन्याय होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को वह दिन याद दिलाना चाहूंगा जब 2 नये पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली की रेट बढ़ायी थी। वर्तमान मुख्य मंत्रीजी जो उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे, माननीय मंत्रीजी श्री भंवर लाल जी जो अभी बैठे हैं वे भी हमारे साथ 10 रोज तक जेल में रहे थे। मेरा ख्याल है बहुत से रहे हैं। मैं उन्हें फिर याद दिलाना चाहता हूं कि यह बिजली की दरें 13 पैसे, 14 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर किसान को चोट पहुंचाने का काम किया है तो किसान में जब जागृति आयेगी तो वह आपको कभी नहीं बख्शेगा। 2 पैसे बढ़ोतरी के मामले में जब किसान को राजस्थान के नेताओं ने जागृत किया था तो राजस्थान की जेलें नहीं बल्कि राजस्थान के कालेज राजस्थान की स्कूलें और राजस्थान की धर्मशालाएं भी जेल बनाने के बाद वहां पर जगह नहीं थी और प्रतिपक्ष में बैठे हुए जो विरोधी दल के नेता हैं जो उस समय मुख्य मंत्री थे उनकी कुर्सी इस तरह से हिल रही थी कि नाथू राम जी मिर्धा साहब को उन्होंने वायरलैस

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

करके जाते हुए को रोककर और उन्होंने वापस आकर समझौता करके, भैरोंसिहजी को टेबिल पर बिठाकर कुछ फैसले किए थे। इसलिए मैं सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान आपकी इन सब काली करतूतों को देख रहा है, उनका अध्ययन कर रहा है, उनका मनन कर रहा है और जब मौका आयेगा तो वह पीछे से दुलत्ती मारकर आपको विपक्ष में लाकर बिठा देगा कि आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त टेबिल पर बैठकर आप लोग यह फैसला करवाने वालों में थे कि किसान की खड़ी फसल के अन्दर कनेक्शन नहीं कटेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि क्या इस वक्त खड़ी फसल के अन्दर कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। मुख्य सचेतक महोदय कुछ बोलना चाहते थे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं क्या आपकी जानकारी में नहीं है कि इस वक्त खड़ी फसल के अन्दर आपके क्षेत्र में कितने कनेक्शन पुलिस के जरिये काटे गये? कितने लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए गए? कितनों की लाइनें समेटकर लाई गई और आपका मुंह बिल्कुल चुप हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि खड़ी फसल के अन्दर कनेक्शन नहीं काटे जायं और आपने जो बिजली की रेट विद्युत मण्डल में घाटा पूरा करने के लिए बढ़ायी है वह रेट बढ़ाने का काम ही उचित नहीं है। उस घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को चाहे सब्सिडी देनी पड़े या भारत सरकार से कोई सब्सिडी लेनी पड़ें या लागत मूल्य कम कर किसान को और कोई रियायत देने के लिए उसका कोई उचित मूल्य क्यों नहीं निर्धारित कर देते 1000 रुपया प्रति क्विटल गेहूं और फिर आपकी रेट है आपको उसमें कन्सेशन देने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, ट्रैक्टर की कीमत जहां किसी जमाने में मैसी फर्गुसन की 17.5 हजार थी वह आज 1.92 लाख हो गई है। किसानों को जिस तरह से पंजाब में ट्रैक्टर खरीदने के लिए वहां की सरकार ने सब्सिडी का काम किया है वैसा ही क्या राजस्थान की सरकार भी कर रही है? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि किसानों को बलबूते पर अगर शहर बसाना हो तो किसान की जमीन, जैसा कल माननीय श्री जगमाल सिंहजी कह रहे थे कि सस्ती दर पर 25 बीघा में जमीन लेकर 25 लाख बीघा के अन्दर जमीन बेची जा रही है। मैं सही कह रहा हूं।

(3.15 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सवा लाख, डेढ़ लाख बीघा और अब 2 लाख बीघा दे रहे हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय उद्योग मंत्रीजी, आपके सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं और बताऊंगा जिनके आप जवाब नहीं दे पायेंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां शहर बसाने का काम होता है वहां किसान को उजाड़ा जाता है वहां किसान की जमीन सस्ती दर पर लेकर शहरों को बसाया जाता है। विद्युत मण्डल का घाटा पूरा करने की बात होती है वहां मात्र रेट बढ़ाई जाती है। विद्युत मण्डल के घाटे के लिए मेरा विद्युत मंत्रीजी आपको सुझाव है अच्छा होता आप अपने अनुभवी इंजीनियर्स की मीटिंग बुलाते। उनको इस तरह से दबाव देकर आप कहते कि विद्युत मण्डल के घाटे में आप कितने प्रतिशत कमी ला सकते हैं बिना रेट बढ़ाये। मैं समझता हूं राजस्थान विद्युत मण्डल के जो इंजीनियर्स हैं वे बहुत अनुभवी हैं, वे लाइन लोसेज को कम कर सकते थे। विद्युत मण्डल का प्रशासन जो थेफ्ट केसेज हैं उनको रोक सकता था। राजस्थान के अन्दर एस्टेबलिशमेंट और मैनेजमेंट चार्जेज जिस पर्सेन्टेज से बढ़ रहा है उसको रिड्यूज किया जा सकता है। हम उसका कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी को यह भी कहना चाहूंगा कि विद्युत मण्डल का जो स्टाक है या जो सामान है उसका कभी आपने वेरिफिकेशन कराया? मुझे याद है कि सन् 1977 में इस प्रकार का एक अभियान छेड़ा गया था और मात्र 15 रोज में उस अभियान में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति राजस्थान विद्युत मण्डल की कम पाई गई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत मण्डल के घाटे को दूर करने के लिए रेट बढ़ाने में आपने एक मिनट नहीं लगाई लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां विद्युत मण्डल का वेस्ट मैटेरियल जगह-जगह इतना पड़ा है अगर आप उसको कलेक्ट कराने का काम करायें तो मैं समझता हूं वह करोड़ों से कम नहीं होगा लेकिन आप जब भी विद्युत मण्डल का घाटा पूर्ण करने की बात आती है तो मात्र एक किसान है जिसके ऊपर हमेशा तलवार खड़ी रहती है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान का किसान इतना दब चुका है उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है और अगर वह क्रान्ति की ओर अग्रसर हो गया, आंदोलन की तरफ अग्रसर हो गया तो निश्चित तौर से मुझे यकीन है मैं राजस्थान सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आप बराबर यह कहते हैं हम 5 साल पूरा करेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि आप कुछ महीने भी पूरा नहीं कर पायेंगे और आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें आपको भागीदार बनने के लिए अपनी आहूति देनी पड़ेगी। मुख्य सचेतकजी मेरी ओर इशारा कर रहे हैं। मैं मुख्य सचेतक जी आपको कह रहा हूं, मुझे इशारा करने की जरूरत नहीं है। जिस रोज आपके पीछे किसान हो जायेगा वह आपको पीछे से पकड़कर बैराठ तहसील में वहीं बैठा देगा और आपको राजस्थान विधान सभा में दुबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको ही नहीं हममें से कई माननीय सदस्यों को इस विधान सभा में किसान के नाम पर आने का मौका मिला है...(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बराबर मेरा नाम ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनका आपसे विशेष तारतम्य है इसलिए बराबर आपकी ओर देख रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं तो उनसे कह रहा था वे ताली बजा रहे थे, आपकी तरफ नहीं कहा था। आप तो कंटीन्यू रखें।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : इनको कहने की जरूरत नहीं है। इनको कहने की इसलिए जरूरत नहीं है कि जितनी बदनामी हो सके वो शुभ दिन ये देखना चाहते हैं। लेकिन यह आपके देखने की बात है कि आम जनता को आप कितनी रिलीफ दे पाते हैं। आम किसान को आप कितनी रिलीफ दे पाते हैं उसी में आपका भला है।

अभी कह रहे थे केरोसिन के बारे में कि उसकी कीमत नहीं बढ़ी है। मेरा उसमें सुझाव है, अगर केरोसिन की कीमत नहीं बढ़ती है, मैं यह समझता हूं कि डीजल और पैट्रोल में मिलावट होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मेरे क्षेत्र के अन्दर केरोसिन की मिलावट के मामले पकड़े गये। पंचायत राज मंत्रीजी को पता होगा शायद कि वहां पर केरोसिन की मिलावट के मामले में इतना भयंकर घपला मिला कि लोगों की दस-दस रोज तक जमानतें नहीं हुई। राज्य सरकार के कई मंत्री और कई लोग उनकी जमानतें कराने के लिए घूमते रहे, लाल बत्ती की गाड़ी चौमूं क्षेत्र में रात और दिन घूमती रही। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह जो सारा जिम्मा है यह केवल केन्द्र सरकार का नहीं है। सप्लाई का नियंत्रण, सप्लाई का काम देखने का काम राज्य सरकार का भी है। अगर इस सप्लाई पर कोई नियंत्रण हो तो मैं समझता हूं कि केरोसिन के मामले, केरोसिन के घपले चौमूं क्षेत्र में नहीं पकड़े जाते। लाल बत्ती की गाड़ी 24 घंटे चौमूं क्षेत्र में नहीं घूमती, आपके चाहे मंत्री का रिश्तेदार हो, चाहे साले का बेटा हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, उसको जेल के सींखचों में दस रोज तक नहीं जाना पड़ता। मैं, उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान) आप बैठिये, बैठिये। नहीं-नहीं, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी गाड़ी में लगी हुई है लाल बत्ती तो, मेरी सूचना यह है कि आप बचाने में लग रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए श्री महावीर प्रसाद जी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारे किसी भी मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार नहीं है वहां....

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य कोई तथ्य उजागर कर रहे हैं वह इन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत गलत बात है यह।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। आप तो सहयोग करो। मैं उनको बैठादूंगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आज तो यह प्रमाणित हो गया कि श्री महावीर जी का भी चौमू से सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य मेरे लिए भी कुछ कह रहे हैं लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि केरोसिन का घपला जब मैं मंत्रिमण्डल में था उस वक्त नहीं हुआ था। मेरे साले या मेरी ससुराल में किसी के पास तेल, डीजल का कोई लाइसेंस भी नहीं है और मेरे....

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसके हैं?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : यह आप मेरे से पूछना चाहते हैं? आप अपने मंत्रिमण्डल के किसी साथी से पूछिये कि आपके ससुराल वालों की कितने रोज से जमानत हुई, आपके परिवार के सदस्यों की दस रोज से जमानत हुई या नहीं हुई? और फिर आप हमारे से नाम पूछते हो....

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, किसके?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए महावीरजी... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं कोई भी, आज तक भी....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : यह पूछने की बजाय आपको पानी की + + +

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + + जिस प्रकार के धन्धे आप करते हैं....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मुझे मालूम है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या मालूम है आपको।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मुझे मालूम है, आप यह बात कह करके उस मंत्री का नाम जानना चाहते हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो बोलते हैं उसको व्यवधान करते हैं, आप उनको प्रताड़ित कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप लोगों ने स्पेशल पद दे रखा है व्यवधान मंत्री का....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : आप यही चाहते हैं ना?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह बहुत व्यवधान फैलाते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीरजी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बताओ न, उसमें क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर प्रसाद जी।

श्री मदन दिलावर : बैठ जाओ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिसने भी किया है, बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर प्रसाद जी....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बैठ जाइये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अगर आप मंत्री का नाम जानना चाहेंगे ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय यादव साहब से भी निवेदन कर रहा हूं, आप आसन से बात कीजिए।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : तो राजस्थान विधान सभा के नियमों का जो नियम है उसमें जो प्रावधान है उसके तहत उस मंत्री का नाम इंगित करते हुए मैं माननीय अध्यक्ष महोदयजी को कोई पत्र भी लिख दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यह चाहते हैं तो। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह से आपको भी ब्लेक मार्केटिंग का काम नहीं करना चाहिए, मंत्री को इस तरह से घेरे में लाकर के उनका नाम उजागर करने का काम नहीं करना चाहिए।....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह + + + कर रहे हैं आप, मैं नहीं कर रहा हूं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मैं + + + नहीं कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपने कहा कि मैं अध्यक्ष महोदय को लिख कर दे दूंगा। मैं आपको नियमों की बात बताता हूं। नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी सदस्य इस हाउस में जवाब देने के लिए उपस्थित हैं उन सबके बारे में आप कुछ कह सकते हैं। यह व्यवस्था है नियमों में।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए राज्य सरकार से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत दरों में जो बढ़ोतरी की है इसको वापस लिया जाय और अगर खाद के बारे में आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो इस सदन की सर्वानुमति से एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को रेफर किया जाय ताकि राजस्थान के किसानों पर जो भारी बोझ पड़ा है उससे वह बच सके और अपना जीवन यापन कर सके, देश सेवा कर सके। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय परसरामजी मदेरणा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : डीजल-पैट्रोल के लिए ? खाद के लिए ही कहा आपने।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सदन में विद्युत मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी, फर्टिलाइजर्स प्राइसेस की कीमतों में जो हाइक हुई है वह और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों के विचार सदन के सम्मुख आये। यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है और भारत सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थ और फर्टिलाइजर्स में, खास तौर से डी.ए.पी. की दरों में बढ़ोतरी की है और यूरिया में दस प्रतिशत कीमत घटाई है। क्योंकि इस सदन का सीधा सम्बन्ध और इस सदन के प्रति जो आन्सवरेबल और अकाउन्टेबल है, वह राजस्थान के विद्युत मंत्रीजी हैं; इसलिए मैं अपने विचार विद्युत की दरों में बढ़ोतरी तक सीमित रखूंगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : नहीं, डीजल, पैट्रोल पर भी रखो साहब।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ लोग अभी रूपी की टोटल कन्वर्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, कुछ लोग नॉन रेजीडेंट इण्डियन्स के इनवेस्टमेंट और उनके विथड्राअल के सम्बन्ध में बात कर रहे थे और कुछ लोग जो इन्टरनेशनल हमारा व्यापार है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो घाटा हो रहा है उस सम्बन्ध में बात कर रहे थे। मैं समझता हूं, यह सब विषय इस सदन की समायत में नहीं है। जहां तक आम लोगों के जीवन के ऊपर, उनके उत्पादन के ऊपर, उनके परिश्रम और उनके पुरुषार्थ पर कोई भी प्रतिकूल असर पड़ेगा–तो, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मेरी सोच और मंतव्य है। इसलिए प्रारम्भ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने अभी वक्तव्य दिया है मंत्रीजी और जिस गैलोपिंग स्पीड से प्रारम्भ किया आपने, ताकि कुछ हमारे समझ में आये और कुछ समझ में नहीं आये। मोटी बात यह है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तीन प्रतिशत मुनाफा रहना चाहिए और वह मुनाफा नहीं रह रहा था और बराबर आर. एस. ई. बी. घाटे में चल रहा था और घाटा भी सात सौ, आठ सौ करोड़ का था इसलिए उसमें से आपने कुछ तो उन पर कर्जा था वह राईट ऑफ कर दिया कुछ आपने इक्विटी के अन्दर एडजस्ट कर दिया घाटे का जो ज्यादा अमाउन्ट था उसको कुछ कम करके और जो कुछ भी निर्णय पावर मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में हुए जिसमें आप भागीदार थे, उस निर्णय को इम्पलीमेंट करने जा रहे हैं। वह सही है, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ में जो बढ़ोतरी हुई है उस सम्बन्ध में मैंने वक्तव्य दिया था और आज, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने वक्तव्य दिया था उसी के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे आप एम्ब्रायल करना चाहते हैं, इन्टरनेशनल मामलों में, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं होने वाला हूं। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यहां सदन में एक बात रखी उसका मैं सौ प्रतिशत समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि भेद रखने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसमें आपको प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी, और प्रायोरिटीज किन लोगों की तय करने जा रहे हैं, विद्युत मंत्रीजी आपने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है 8 नया पैसा प्रति यूनिट एग्रीकल्चर सैक्टर में। पहले 38 पैसा थी और अब बिजली की दरें 46 पैसे हो गईं....

श्री रामनारायण विश्नोई : अब वैसे 45 पैसा हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : एक वह ड्यूटी वाला है।

श्री रामनारायण विश्नोई : ड्यूटी वाला नहीं है। 45 ही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 46 है।.... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके यहां सबसाइड वाटर बिल्कुल चैनल और नाले चलते हैं तब जाकर थोड़ा सा ऊपर आता है और जून के महीने में समाप्त हो जाता है, सूख जाता है। आपका एरिया पहाड़ी है लेकिन जहां तक मेरे और विद्युत मंत्रीजी का क्षेत्र है इसमें हम पानी निकाल रहे हैं 600 और 800 फुट नीचे से। यह राजस्थान ड्राटप्रोन एरिया है। राजस्थान हिन्दुस्तान का थार डेजर्ट है और इसका तीन चौथाई हिस्सा यहां पर है। विद्युत मंत्रीजी जितने कुएं अब खुद रहे हैं चाहे आप उसको ग्रे कह दीजिए और डार्क ब्लाक कह दीजिए और आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं लेकिन लोग कुएं खोद रहे हैं और राजस्थान में भी लोग पहुंच गये हैं 500, 600 और 700 फुट तक। शायद आपको मालूम होगा लोहावट और आपके भीकमकौर क्षेत्र में भी खुदवाए हैं। जहां पीने के पानी की किल्लत थी वहां आज लोगों ने एग्रीकल्चर वैल और करवाये हैं। पानी तो हालांकि 600 फुट की गहराई पर निकला है, इसलिए जो बढ़ोतरी की है और उद्योगों में 10 पैसे की आपने बढ़ोतरी की है लेकिन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कह रहे थे उसका मैंने भी केलकुलेशन बाद में बैठकर किया है। आज 38 पैसे से 8 पैसे में जो बढ़ोतरी है वह 27 पर्सेण्ट है और 163 पैसे से 10 पैसे की बढ़ोतरी है वह 6.25 पर्सेन्ट है। यानि 6.25 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी उद्योगों के क्षेत्र में और 27 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी कृषि के क्षेत्र में है। कुल मिलाकर यह साढ़े चार गुना हो गयी। यानि कृषि क्षेत्र में साढ़े चार गुना बढ़ोतरी हुई है उद्योगों के मुकाबले में। इस प्रकार से साढ़े चार गुना बढ़ोतरी करके आपने किसानों के साथ बहुत अन्याय किया है। इसका फूड प्राडक्शन और कृषि उत्पादन पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा। एक तरफ फर्टिलाइजर और पेट्रोल के बारे में कह रहे हैं कि प्राइसेस हाइक हो गई। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा मुझे ऐसा दीखता है। क्रूड डीजल पर जो होलसेल प्राइस आई है यह शायद क्रूड डीजल पर चली जाये और वित्त मंत्रीजी इसका सबसे बड़ा कारण यह दे रहे हैं कि हम बिजली जो आज खरीद रहे हैं केन्द्रीय संस्थानों से और पड़ौसी राज्यों से वह 130 पैसा प्रति यूनिट में खरीद रहे हैं इसलिए हमको बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। कितने करोड़ का बताया मुझे मालूम नहीं, मैं नोट नहीं कर सका। 290 करोड़ का घाटा होगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर कन्ज्यूमर्स हैं 31 पर्सेन्ट और अदर कन्ज्यूमर्स हैं 69 पर्सेन्ट और 31 पर्सेन्ट में भी आपकी केटेगरी दो हैं। एक तो फ्लेट रेट कन्ज्यूमर्स और दूसरे मीटर सप्लाई कन्ज्यूमर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल कन्ज्यूमर्स की संख्या 4 लाख 10 हजार है और 4 लाख 10

(श्री परसराम मदेरणा)

हजार में से 1 लाख 53 हजार फ्लेट रेट कन्ज्यूमर्स हैं और 2 लाख 57 हजार मीटर सप्लाई कन्ज्यूमर्स हैं। आपने जो वार्षिक प्रतिवेदन दिया हैं उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि एनर्जी कन्जम्पशन जो 1 लाख 53 हजार जो फ्लेट रेट है जहां कोई मीटर नहीं है उनके खाते में आपने डाला है और आप यह कह रहे हैं कि फ्लेट रेट कन्ज्यूमर्स जो एनर्जी ले रहे हैं और उनको सप्लाई हो रही है वह 1600 मिलियन यूनिट हो रही है। आप अपने प्रतिवेदन में यह भी कह रहे हैं कि मीटर सप्लाई कन्ज्यूमर्स जो एनर्जी वह कन्ज्यूमर कर रहे हैं वह 1500 मिलियन यूनिट की कर रहे हैं। मतलब 100 मिलियन यूनिट कम कर रहे हैं हालांकि उनकी संख्या 2 लाख 57 हजार है और इसकी संख्या 1 लाख 57 हजार है। यहां जाकर आप कन्ज्यूमर्स को और लेजिस्लेटर को मिसलीड कर रहे हैं और मिस-इनफार्म कर रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि परचेज प्राइस 130 पैसा में जब 31 पर्सेन्ट एग्रीकल्चर सेक्टर है और 38 पैसा से जो आप लॉस निकाल रहे हैं 290 करोड़ का इसमें फ्लेट रेट के खाते में करीब 400 मिलियन यूनिट गलत डाल करके, फरेब करके एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा कन्जम्पशन बता रहे हैं और आपका इस प्रकार का कोई भी लाजिक है या आरग्यूमेन्ट है 'इट हैज नो लॅग्स टू स्टेण्ड अपोन'।

इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, 31 पर्सेन्ट किसान उपभोक्ता हैं उनको बिजली देने से 290 करोड़ का जो घाटा हो रहा है इस आंकड़े पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। घाटा तो आपको हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन्स में लॉस हो रहा है आपको और वह ज्यादा लॉस है, क्योंकि वहां मीटर रीडिंग नहीं है इसलिए सेक्टर अन्दर डाल रहे हैं और डालने के बाद में भी पूर्व में जैसा कि यह सुझाव आपके सामने आया और यह सिद्धान्त रूप से एक बात परिपादित की। आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्दर निश्चित तौर से रियायतें देनी पड़ेंगी और राजस्थान जैसे स्टेट में देनी पड़ेगी जहां पर कि इरिगेटेड एरिया सबसे कम है, जहां कि पानी की डेप्थ 600 से 800 फीट की है। आप अंदाज नहीं लगा सकते। दूसरे राज्यों में जो 600 एण्ड 800 फीट की जो बात हम कर रहे हैं, चाहे सिंचाई का हो, चाहे पीने के पानी का कुआ हो तो एक दफे वह चौंक जाते हैं कि यह क्या स्थिति है? उसमें जितना गहरा कुआ होगा उतना ही बिजली का कन्जम्पशन ज्यादा होगा. उतना ही उसका बिल ज्यादा आयेगा, उतनी ही कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतना ही काश्तकार का उत्पादन अनइकॉनामिक होगा और वह वाइबल यूनिट नहीं रहते हुए भी उसके साथ दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वह और कोई धन्धा कर नहीं सकता इसलिए मजबूरी की हालत में स्वयं की मेहनत से उसको यह काम करना पड़ता है और इस सबके लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूं, फ्लेट रेट, मैं अभी जो है दोनों फ्लेट कर देता हूं, आपको भी कर रहा हूं। अभी आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने यहां पर जो लपबाजी की थी उस वक्त बैठकर....(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आर्ग्युमेण्ट से विरोध जा रहे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : पहले गवर्नर को बुलाया आपने मार्च, 1990 में फिर जुलाई में मुख्य मंत्रीजी का वित्त मंत्री की हैसियत से भाषण हुआ फिर गवर्नर साहब को आपने मार्च, 1991 में बुला दिया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने यह जो सूरतगढ़, धौलपुर और बरसिंगसर और चित्तौड़गढ़ के मामले में जैसे 1990 में ऐसा यहां पर इम्प्रेशन दिया कि यह बिजली जैसे गवर्नर के एड्रेस में ही आ रही है, चीज स्पार्क है इसमें, आपने इमिजियेटली सब दोषारोपण तो कांग्रेस गवर्नमेण्ट पर किया। कोल लिकेज नहीं हुआ, इसमें सी. ई. से क्लियरेंस नहीं ले रहे। इधर धौलपुर में उन्होंने कोशिश नहीं कि नहीं तो एन्वायरमेण्ट डिपार्टमेण्ट इसको क्लियर कर देता। उधर प्रोजेक्ट रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ की आने वाली है, हमने सेंचूरी वगैरह को दे रखा है, बाम्बे वाली को वह 15, 20, 25 दिन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने वाली है। आपकी टर्म के 5 में से ढाई साल समाप्त हो गये आपने एक मेगावाट बिजली का भी राजस्थान में जनरेशन किया है क्या? आप इतिहास उठा कर देखिये, जब राजस्थान बना तब 14 मेगावाट बिजली थी और आज ढाई साल आपकी टर्म का खतम हो गया, ढाई साल में कोई दो मेगावाट बिजली अगर आपने कोई जनरेट कर दी होगी राजस्थान कैनाल में तो मैं नहीं कहता लेकिन दो मेगावाट के अलावा कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक आपने हाथ में नहीं लिया है। यह सिर्फ लेने की जो बात कह रहे हैं आप। जहां चार सौ रुपये सूरतगढ़ प्रोजेक्ट की कीमत आने वाली थी अब लेटेस्ट प्राइस पर 17 सौ करोड़ रुपये हो गयी है और आप वर्ल्ड बैंक से बात कर रहे हैं। डा मनमोहन सिंह जब वाशिंगटन जाते हैं और आई. एम. एफ. से बात करते हैं उस वक्त सब यहां पर स्वदेशी, स्वराज की बात करते हैं जैसे सब गांधीजी के शिष्य हो गये यहां पर बैठकर। जब यूरोपियन कण्ट्री से अरावली के विकास के लिए, सूरतगढ़ प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से आप बात कर रहे हैं तब आप किसके सामने घुटने टेक रहे हैं? घुटने टेकना नहीं, आपको वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना पड़ेगा नहीं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास में इतना साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरा यह आरोप है, विद्युत मंत्रीजी, 130 पैसे की बिजली आपको खरीदनी पड़ती है एन. टी. पी. सी. से और हाइडल जनरेशन प्रोजेक्ट से इसलिए खरीदनी पड़ती है कि आप यहां पर बिजली का उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं और करते तो आपके लिए यह सस्ती पड़ती।

बरसिंगसर की भी यहां बात आयी। अक्टूबर, 1990 में यहां बहुत-सी बातें कही गयीं। मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग हमने साइन कर लिया है, वह आपका बैंक आउट हो गया। वह अब आप किसी आस्ट्रेलिया की किसी कोल कम्पनी से करवा रहे हैं। बीच में वह दलाली का काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट आप प्रारम्भ नहीं कर सके हैं और इसी का कारण है कि आपकी अनुपलब्धियां हैं और आपका

(श्री परसराम मदेरणा)

फण्ट के ऊपर परफारमेंस टोटल फेलियर है। इसमें बिजली खरीद करके काश्तकारों को नियमित रूप से दे रहे हैं, नियमित रूप से जो आप दे रहे हैं यह तो राजस्थान की जनता जानती है आप कितना नियमित रूप से दे रहे हैं।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही निवेदन करूंगा, आपको मेरा एक सजेशन है। हाइडल पावर के जनरेशन में खर्चा बहुत कम आता है और आज आपने 80 और 20 का जो आंकड़ा था उसमें उलट-फेर कर दिया।....(व्यवधान)... 30 और 70 कह दिया आपने। अब 80 की 30 हो गयी होगी। 30 प्रतिशत तो है अभी तक हाइडल की, 30 प्रतिशत वह है, दूसरे आपको ताप बिजली घर से, परमाणु बिजली घर से 70 प्रतिशत मिल रही है या आप खरीद रहे हैं। मेरा यह सजेशन है, क्योंकि दूसरे लोग सक्षम हैं, वह दे सकते हैं, इसमें आपको भेद करना पड़ेगा काश्तकार और दूसरे कन्जूमर्स के बीच में चाहे वह डोमेस्टिक कन्जूमर्स हों, चाहे वह एयर कण्डीशनर और कूलर चलाने वाले हों, चाहे वह उद्योग सेक्टर के कन्जूमर्स हों, जो ज्यादा बिजली कन्जूम कर रहे हैं, काश्तकार तो 31 प्रतिशत बिजली ही कन्जूम कर रहा है, 69 प्रतिशत बिजली कन्ज्यूम दूसरे कर रहे हैं। संख्या इनकी सवा चार लाख है, चार लाख दस हजार हो गयी है। मेरा यह सजेशन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो 31 प्रतिशत एनर्जी की कन्जम्प्शन है और करीब-करीब 30 प्रतिशत जो आपकी पन बिजली उपलब्ध होती है, पन बिजली की जो दरें हैं वह करीब-करीब मेरी जानकारी के अनुसार 45 पैसे के आस-पास है, या 40 है या 45 के बीच में, कितनी है मुझे मालूम नहीं, पहले की मुझे याद है 40 से नीचे थी और शायद कुछ प्राइस राइज होने की वजह से बढ़ गयी होगी इसलिए मेहरबानी करके पन बिजली से जो बिजली मिल रही है वह तो दीजिए आप काश्तकारों को और काश्तकारों को देकर दूसरी बिजली जो आप ले रहे हैं, चाहे आपके कोटा तापघर है, चाहे आपके सेण्ट्रल सेक्टर के संस्थानों से ले रहे हैं, चाहे पड़ौसी राज्यों से ले रहे हैं, वह बिजली आप दीजिए दूसरे कन्ज्यूमर्स को।

आपने इस बढ़ोतरी के सम्बन्ध में पावर मिनिस्टर की कांफ्रेंस का उल्लेख किया। पावर मिनिस्टर ने तो आपको यह बात कही होगी कि आपका जो घाटा है वह कम कीजिए। इस एक्ट के अन्दर जो प्रावधान है; एक्ट तो पहले ही आपके पास मौजूद था और घाटा आपका था मगर आप इतने उतावले थे, आपको डाइरेक्शन मिल गयी और आपने इसको इम्प्लीमेंट करने की इमीजिएटली हां भर ली। आज राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में 18 राज्यों की तुलनात्मक कृषि बिजली की दर देखते हैं तो सिक्स्थ नम्बर पर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पांचवें नम्बर पर है।

श्री परसराम मदेरणा : पांचवें पर होगा, मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें सिक्स्थ पर है। वह शायद मैंने कहीं एक स्केल छोड़

(श्री परसराम मदेरणा)

दी होगी कोई। आसाम, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, मेघालय और कर्नाटक के मुकाबले में। कर्नाटक नीचे आयेगा क्योंकि दस हार्स पावर तक फ्री है।

श्री रामकिशन : आपकी लिस्ट पुरानी है, यह मंत्रिमण्डल से थोड़े दिन पहले हटी हैं, इनके पास थोड़ी ताजा है।

श्री परसराम मदेरणा : यह कालचक्र जो है आपको और मुझे दोनों को ही बहुत पुराना बना रहा है। गोर्की ने एक बात कही थी, जो किताब लिखी है, "Every day passes as an imperceptible step towards the grave." प्रतिदिन सूर्य निकलने और अस्त होने के बीच में हम एक कदम कब्र की तरफ रखते हैं। आप भी रख रहे हैं और मैं भी रख रहा हूं। याददाश्त का जहां तक प्रश्न है और जहाँ तक अपडेटिंग का प्रश्न है, मैं किसी भी रिसर्च स्कालर से अपने आपको सैकिण्ड नम्बर पर नहीं समझता। मैं आपको लेटेस्ट फिगर दे रहा हूं। यह लेटेस्ट हैं। मैं अप-डेटिंग करता रहता हूं। हालांकि कुछ मेरी धारणाएं प्राचीन हो सकती हैं। मैं अप डेटिंग करने का सोच ही रहा था, मुख्य मंत्रीजी के भाषण जो चार-पांच हुए हैं उनका सबका अपडेटिंग कर लेता लेकिन मुझे समय नहीं मिला, मुझे, उपाध्यक्ष जी, आपने बुला लिया। जब आप सिक्स्थ नम्बर पर हैं, इसका मतलब यह है कि देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर एग्रीकल्चर सैक्टर की दरें कम हैं। दो पैसे बढ़ोतरी के ऊपर जबर्दस्त आन्दोलन हुआ है यहां पर। उस जबर्दस्त आन्दोलन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी भी झुन्झुनूं शायद पधारे थे। एजीटेशन को हवा देने गये या डिफ्यूज करने गये, यह मुझे मालूम नहीं है। अखबारों में मैंने पढ़ा था कि मुख्य मंत्रीजी वहां जरूर गये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हवा देने ही गया था।

श्री परसराम मदेरणा : कभी-कभी हवा भी देना बहुत जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दी है।

श्री परसराम मदेरणा : बिना डीप किये अगर वह लुहार हवा नहीं देवे तो मामला लो ही नहीं पकड़े। इसलिये मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि आपके सभी प्रोजेक्ट जिनको आप हाथ में लेना चाहते थे, जिनका निर्माण करके हाथ में लेना चाहते थे उनका सभी का खर्चा ढाई गुणा बढ़ गया। एक मेगावाट आप बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं। जो बढ़ी हुई दरों पर आप बिजली खरीद रहे हो उसका तमाम लोड आपने एग्रीकल्चर सैक्टर पर डाला है। काश्तकारों पर यह कुल मिला-कर असहनीय बोझ है। इस असहनीय बोझ को काश्तकार सहन करने में असमर्थ है। इसलिये आपने जो दरें बढ़ायी हैं इनको आप वापस ले लीजिये।

एक बात के लिये मैं आपको बधाई दूंगा। अभी बात प्लांट लोड फैक्टर की चली। 1991-92 में जो रिपोर्ट हमको दी है उसमें प्लांट लोड फैक्टर जो कोटा ताप बिजलीघर का रहा हैं वह 66.35

(श्री परसराम मदेरणा)

पर्सेण्ट रहा है। यही है ना? हालांकि मुख्य मंत्रीजी ने यहां इस सदन में यह बात कही कि 70 पर्सेण्ट रह रहा है। आपने अपने बजट भाषण में पेज 8 पर कहा अगले साल के लिये, 1992-93 में, लास्ट ईयर यह इतना ही था। चार पर्सेन्ट की शायद बढ़ोतरी इस साल होने जा रही हो, ऐसा मैं मान कर चलता हूं। लेकिन एक बात आप कम्पेरिटिवली यह भी यहां बताइये कि एन. टी. पी. सी. का प्लांट लोड फैक्टर क्या है? एन. टी. पी. सी. के सैण्ट्रल सैक्टर में जितने प्रोजेक्ट हैं, आप नार्थ जोन, साउथ जोन इस तरह से अलग-अलग मत कीजिये, एज ए कंट्री एज ए होल बताइये कि एन. टी. पी. सी. के जितने भी थर्मल प्रोजेक्ट हैं उसमें प्लांट लोड फैक्टर क्या है? दूसरा बाम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी जो है उसका प्लांट लोड फैक्टर क्या है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह प्राइवेट कम्पनी है।

श्री परसराम मदेरणा : प्राइवेट का और गवर्नमेंट का इसमें सवाल नहीं है। सवाल एफीशियेंसी का और दक्षता का और कुशलता का है। अगर ठीक नहीं है तो आप कुछ उससे भी ले लीजिये, कोई उनसे एक्सपर्ट चाहिये तो। नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन का प्लांट लोड फैक्टर क्या है? यह तो नहीं है प्राइवेट। मैं समझता हूं, इसमें अभी तो मुझे मालूम नहीं हे लेकिन मुख्य मंत्रीजी 1982-83 में नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन का प्लांट लोड फैक्टर 85 पर्सेण्ट था। उसके कई कारण भी हैं, मैं यह नहीं कहता, वहां पर लिग्नाइट जो है शायद बेस्ट लिग्नाइट है जिसमें एशेज नहीं है। उसकी वजह से ही प्लांट लोड फैक्टर इन्क्रीज हुआ है। तो भी नार्दन जोन में आप पहले नम्बर पर हैं और इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें थोड़ा एक अन्तर करना पड़ेगा। पिट हैड्स पर जितने भी प्लांट लगे हुए हैं उनकी कास्ट आफ जनरेशन कम आयेगी और जहां से कोयला ट्रान्सपोर्ट होकर 200–400–500 किलोमीटर जाता है उसमें बेटेज का भी कई बार क्वेश्चन आता है, क्वालिटी का भी क्वेश्चन आता है इसके कारण से उसकी रेट ज्यादा होगी।

श्री परसराम मदेरणा : पिट हैड्स पर नहीं होकर कोल आपको बहुत डिस्टेंस से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है उसके बाद में ही यह प्लांट लोड फैक्टर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना मैं व्यवधान कर रहा हूं। हमने बार-बार इस बात की कोशिश की कि जितना प्लांट लोड फैक्टर बढ़ा है, यदि हमें क्वालिटी का कोयला पूरी मात्रा में मिल जाय तो प्लांट लोड फैक्टर और बढ़ सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो आपने अनुमान लगाया है, जब ही तो 70 पर्सेण्ट की बात आपने कही बजट भाषण में। इसी साल कही है ना?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कोयला मिल जाय तब बढ़े।

श्री परसराम मदेरणा : 4 मार्च, 1992 को आपने 70 पर्सेण्ट की जो बात कही है, वह कोल अच्छी क्वालिटी का कोल है, वह भी नजदीक वाला मिल जाय आपको तो प्लाण्ट लोड फैक्टर बढ सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी तो जानकारी होगी कि पहले हमें कोयला सिंगरोली से मिलता था, अब हम बिहार से ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह फैसला आज के पांच वर्ष पहले किया है। अगर यही पहले जैसे सिंगरोली से हमको कोयला मिलता था उसी प्रकार कोयला मिलता रहता या नजदीक के खदानों से कोयला मिलता तो कास्ट आफ ट्रांसपोर्टेशन कम आती।

श्री चन्दनमल बैद : प्लांट लोड फैक्टर में क्या फर्क पड़ता ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोयला मिलता तो क्वालिटी का मिलता।

श्री चन्दनमल बैद : क्वालिटी आफ कोल में फर्क पड़ता लेकिन दूर से और नजदीक से आने में प्लांट लोड फैक्टर में क्या फर्क पड़ता ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं बता देऊं आपको। क्वालिटी के पाइण्ट आफ व्यू से मैं यह बताता हू, क्वालिटी भी सुपीरियर है, नम्बर एक। दूसरा यह है कि इतनी दूर से माल आता है। वहां पर हमें उसको चैक करना पड़ता है, यह हम चैक नहीं कर पाते। यदि राजस्थान में जहां कोल अनलोड हो रहा है उस जगह क्वालिटी के आधार पर पेमेन्ट करना हो, बहुत बड़ी बचत हो सकती है लेकिन जिस प्रकार का कोयला ट्रान्सपोर्ट होता है उसकी कास्ट पे करनी पड़ती है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर आपको सुपीरियर क्वालिटी का कोल मिलना प्रारम्भ हो गया तो मैं ऐसा मान कर चलता हूं, आपका प्लांट लोड फैक्टर इसमें और इनक्रीज हो जायगा। जब इनक्रीज हो जायगा तो उसके बाद आप और बधाई के पात्र हो जायेंगे। पर यह मानता हूं, 66 पर्सेण्ट की बढ़ोतरी, प्लांट लोड फैक्टर का यह पर्सेण्टेज भी कामण्डेबल है। यहां पर आयल प्राइस राइसेज के सम्बन्ध में, फर्टिलाइजर्स की प्राइस के सम्बन्ध में यह बात कही गयी.........।

(4.00 म.प.)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जोइण्ट सलैक्ट कमेटी भारत सरकार ने बैठाई थी और उस जाइण्ट सलैक्ट कमेटी में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी सन्दर्भ में मुझे कहना न पड़े आपकी अनुमति हो तो यह जानकारी, आपने धन्यवाद तो दिया ही है लेकिन बता दूं कि हिन्दुस्तान के जितने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल देवपुरा : कह दिया है।

श्री चन्दनमल बैद : सबसे ज्यादा अच्छा प्लाण्ट और लोड फैक्टर राजस्थान का है। इसके लिए बधाई के पात्र आप नहीं चैयरमैन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे नहीं दो। मैं तो कहता हूं सब बधाई के पात्र हैं कि इसके कारण से प्लाण्ट लोड फैक्टर बढ़ा है।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि पूर्व में यहां पर इस बात का उल्लेख हुआ कि भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी ने लोकसभा के अध्यक्षजी को पत्र लिखा कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी के सम्बन्ध में एक जाइण्ट सलैक्ट कमेटी बैठानी चाहिए और उनके इस पत्र के ऊपर लोकसभा स्पीकर ने चेयरमैन राज्य सभा से बात करके एक जोइण्ट सलैक्ट कमेटी बैठायी। उस कमेटी का कांस्टीट्यूशन होने के बाद उस ने 20 अगस्त, 1992 को अपनी रिपोर्ट लोक सभा स्पीकर को दी और लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट देने के बाद फर्टि-लाइजर की प्राइसेज बढ़ी। डी. ए. पी. की बढ़ी हैं, यूरिया में 10 परसेंण्ट की कमी की गई है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले 30 प्रतिशत और फिर 10 प्रतिशत कम किया।

श्री परसराम मदेरणा : लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं? देखा आपने पंडितजी कितना अपडेटिंग का मामला है मेण्टल कम्प्यूटर का। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था इस जोइण्ट सलैक्ट कमेटी के अन्दर जो मैम्बर हैं, उसमें मुख्य मंत्रीजी आपकी ही पार्टी के श्री शंकर सिंह बघेला जी थे, उनका कोई डिसेंटिंग नोट नहीं है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैम्बर कौन अटेण्ड करता है आज कल।

श्री परसराम मदेरणा : अटेण्ड कैसे नहीं कर रहे हैं, जब मैं आपसे मिला और मैंने कहा आपके पास पंचायती राज की जोइण्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है यह तो एक पब्लिक डाक्यूमैण्ट है। आपने इमीजियेटली मुझे 15–20 की मिनट में ही फोटो स्टेट करके कॉपी दिलवा दी। यह कोई डाक्यूमैण्ट है। यह पब्लिग डाक्यू-मैण्ट है और दूसरे आपके श्री वीरेन शाह हैं उन्होंने नोट आफ डिसेंट तो दिया है लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा है कि 31 सौ करोड़ तक की जो सब्सिडी है, वह कम रहनी चाहिए कुल मिला कर अगले साल तक। अब थोड़ी कम कर देनी चाहिए थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भारत सरकार के सामने जो स्थिति है और जिस सरकार के आप सहयोगी और सहभागी थे, बाहर से समर्थन दे रहे थे उसकी वजह से हिन्दुस्तान के फाइनेंस की यह हालत हुई। मुख्य मंत्रीजी आप जिस वक्त यहां पर आये उस वक्त कह रहे थे कि यह राजस्थान मुझे दिवालिया मिला है। राजस्थान का तो क्या मालूम दिवालिया मिला या नहीं मिला। मैंने पूर्व में भी यह कहा था कि····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह टेबल लैम्प हटवा दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : अगर यह रैक भी हटा दी जाये तो मेरी और आपकी आई कैच होती रहे। लेकिन मेरी इस मांग पर आसन ने कोई तवोज्जोह नहीं दी, आज

(श्री परसराम मदेरणा)

आपने खुद तवोज्जोह दिला दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आदर के साथ निवेदन करूं कि कई बातें मुख्य मंत्रीजी आपको नहीं, आसन को भी आंखों ही आंखों में समझा देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी तो आंखें चश्मे से ही ढकी हुई रहती हैं। खुली आंखें तो आपकी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं वैसा नहीं है। इसलिए मैं निवेदन यह कर रहा था, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। श्री चन्द्रशेखर जी की एक स्पीच अभी मेरे पास यहां पर है। जब वह प्राइम-मिनिस्टर बने थे, वह रहे तो 4 महीने, लेकिन उन्होंने कहा था कि देश को दिवालिया छोड़ दिया है। आप तो उसमें शामिल बैठकर चुप्पी लगाये बैठे थे। यह तो जब मण्डल वाला खड़ा हुआ तब आप कमण्डल लेकर रवाना हो गये, लेकिन पहले तो साथ ही थे। उस वक्त एपलिट होते गये। फाइनेंसियल स्थिति बिगड़ती गई, बैलेंस आफ पेमेण्ट की पोजीशन कम होती गई, फोरेन एक्सचेंज रहा नहीं। उसके बाद में सोना बेच दिया। कुछ सोना आपने गिरवी रख दिया। उस स्थिति में इकोनोमिक क्राइसेस देश के सामने और नरसिम्हा राव गवर्नमेण्ट के सामने था। उन्होंने पहले भी कह दिया कि मैं हार्ड डिसीजन ले रहा हूं और हार्ड डिसीजन ले रहा हूं कनसेंस और कोपरेशन से, कन्फ्रटेन्शन से नहीं, डाइनेमिक कन्सल्टेशन से। उन्होंने कई दफा आपको कनसल्ट किया है और मेरी भी बात हुई थी। आपने वहां पर कुछ अपना इम्प्रेशन बहुत बढ़िया कर रखा है, प्राइम-मिनिस्टर के सामने। न मालूम कैसे कर रखा है? मैंने उस इम्प्रेशन को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं राजस्थान को जानता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री परसराम मदेरणा : और मैं बैक में वैसे किसी की बुराई करता ही नहीं हूं, किसी की भी नहीं करता। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक डवलपमैण्ट का प्रश्न है, यह जो प्राइस हाइक आपने की है यह फर्टिलाइजर और आयल का बीच में डालकर, बहुत जोर-जोर से टोंक से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे रहे थे। आप तो खुद मैम्बर थे यहां पर। यह पूरा वर्ल्ड जो है "इट हैज बिकम वन।" रसिया के बाल्केनाइजेशन के बाद में और यूरोपियन कम्युनिटी के गुट बनाने के बाद जर्मनी और ब्रिटेन में भी आपस में क्लीवेज डिस्कार्ड हो गया है। जापान, जर्मनी और दूसरे कण्ट्री आज इस पोजिशन

(4.07 म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

में आ गये हैं। मैं तो कहता हूं कि एक समय ऐसा आ जायेगा 8–10 साल में, आप देख लेना, यह बीच में दीवार नहीं टूटी हैं, जर्मन लोगों ने सेकिण्ड वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह से उन्होंने मॉर्डनाइजेशन किया है जर्मनी का, अगर इसमें यह ईस्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

वाले साथ हो गये, अभी तो एजीटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहां भूखे थे, वह काफी गरीब थे। अगर यह हो गया तो जर्मनी में मार्क एक ही करेंसी रहेगी जो सबसे ऊपर है, टालेस्ट रहेगी, आने वाले समय में। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि अगर आज कण्ट्री को इस माइर में से बाहर निकालें, वी आर टू पुल इट अप। हम फंस गये हैं। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। काश्तकार की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो पार्टी ही काश्तकारों और मजदूरों की है। आपने तो काश्तकारों के ऊपर बिजली की दरें बढ़ाकर बड़ा बोझ डाल दिया है, जिससे उनकी कमर टूट गई है। आपने शोषण नहीं किया है, आप बहुत नेक्ड और आउट रेजियस एक्सप्लाइटेशन करने जा रहे हो किसानों का, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट के नाम पर और केन्द्रीय मंत्री श्री कल्पनाथ जी राय, वह कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, 50 बातें कहेंगे लेकिन यहां की वस्तु स्थिति है और ग्राउण्ड रियलिटी क्या है? इस ग्राउण्ड रियलिटी को नजरअंदाज करके आयल पूल के अकाउण्ट में आपका 54 सौ करोड़ का डेफीसिट इस फाइनेन्सियल ईयर में चल रहा है। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो आप टोटल देने जा रहे हैं। वह करीबन 64 सौ करोड़ के आस-पास है। इतना बड़ा गेप रहने के बाद बजट डेफीसिट रहेगा और डवलपमेण्ट के काम भी चलने चाहिये, इम्प्लायमेण्ट भी रहना चाहिये, सार्वजनिक चीजों का वितरण भी होना चाहिये, पंच वर्षीय योजना की है जो एप्रोच है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिये। यह तो मैं मुख्य मंत्रीजी को दाद दूंगा कि सब्सिडी वगैरह जो इन्होंने विद्ड्रा की है या ड्यूअल पालिसी प्राइसिंग की रखी है फर्टीलाइजर क्षेत्र में वह आपकी अगर सलाह लेते, मुझे कई दफा बहुत आश्चर्य होता है कि आपने तीन बजट पेश कर दिये, आठ करोड़ का टैक्स लगाया और साढ़े आठ करोड़ की रियायत टोटल दी। टोटल मैंने एक दिन अकाउण्ट किया था तीन साल का। यही किया ना आपने। बेलन और चिमटा वगैरह सब मिला कर। मैं यह कह रहा हूं कि जिस तरह यहां की फाइनेंसेज को मैनेज किया है, आन दी केपिटल बोथ एण्ड दी रेवेन्यू एकाउण्ट। भारत के प्रधान मंत्रीजी को आपसे कोई सलाह करनी चाहिये थी कि ताकि वहां बजट डेफीसिट है वह पूरा हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, आप यूं ही मुस्करा रहे हैं। आप हो मिनिस्टर. आपकी तो वहां पर जाते ही कब्र खुदने वाली है और मेरी साथ में खोदेंगे। यह मुझे दिख रहा है, क्योंकि पानी आपका 600-700 है। आपको आश्चर्य होगा कि आपकी कान्स्टीट्यूएंसी में मेरा गांव है। कल तो इन ब्यूरोक्रेसी का नाम लेकर, मुख्य मंत्रीजी मैं लेता हूं सर्टेन आदमियों का नाम, मुझे किसी ब्यूरोक्रेट से ए. सी. आर. नहीं लेनी है और मुख्य मंत्रीजी आप भी जानते हैं ब्यूरोक्रेट्स को हैण्डल करना और मैंने भी ब्यूरोक्रेट्स को हैण्डल किया है। मैं जानता हूं कोई आदमी ओनेस्ट रहा है, कोई ड्यूटी-फुल हैं, कोई आदमी अपने काम के अन्दर दक्ष रहा है। मैंने हमेशा आफिसर्स की मीटिंग में उसको कमेंडेशन किया है और जो बेईमान है उसको मैंने वहां भी उठाया

(श्री परसराम मदेरणा)

भी होगा मीटिंग में, यू गेट आउट आफ दी मीटिंग। इसलिये मैं कह रहा हूं कि आफिसर ईमानदार भी है। पूरी ब्यूरोक्रेसी की बात मैंने पहले भी नहीं की। पहले एक दफा बात कही पूरी गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में, आपने उठा कर उसको आफिसर्स पर डाल दिया। आप आफिसर्स से क्या लेना चाहते हैं, ढाई साल आपके निकल गये, ढाई साल और निकल जायेंगे। कल सत्ता में कौन आने वाला है या नहीं आने वाला है। हम तो आयें या नहीं आयें हमको पता नहीं, मैं कोई फोर कास्ट नहीं कर रहा हूं, कोई ज्योतिषि नहीं हूं लेकिन मुख्य मंत्रीजी कांग्रेस शायद आये न आये कोई दूसरी पार्टी श्री नत्थी सिंहजी और पंडितजी दोनों मिल कर बना कर आ जायं तो यह एक दल है, आप तो नहीं आने वाले हैं, यह मैं बात निश्चित तौर पर कह सकता हूं। आप तो नहीं आने वाले हैं, यह मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई भविष्य वक्ता हूं, सिर्फ मुख्य मंत्रीजी मैंने पहले बात कही, मेरी उस बात का उन्होंने नहीं लिया लेकिन यह बात मैंने जब कांग्रेस का 20 सीटों पर सूपड़ा साफ हुआ, उस समय पहले ही कह दिया था कि आप लड़ेंगे तब एक सीट नहीं आयेगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जनता की पल्स का ध्यान रखता हूं, दो ही आदमी ध्यान रखते थे जनता की पल्स पर एक तो महात्मा गांधी और दूसरा भी बनेगा, परसराम मदेरणा। इसलिये आपकी बहुत दुर्गति होगी। सूखे के साथ में गीला यह मेरा कसूर नहीं है, आपने काश्तकारों पर बहुत जुल्म किया है, आपने अन्याय किया है, आपको रेट नहीं बढ़ानी चाहिये, आपको रेट विथड्रा करनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल.... (व्यवधान)....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, हमारा भी एक दल है। सैशन शुरू होने के बाद, सुन लीजिये आप, सरकार के साथ आप भी रहे हैं उस वक्त भी हम बोलते थे जब आप भी सरकार में थे हम भी बोलते थे। हमारे चीफ व्हीप महोदय को कह दिया, सब को रिक्वेस्ट किया पर हम लोगों को क्या बोलने का मौका नहीं मिलेगा ?

श्री सभापति : आ रहा है आपका नम्बर।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या आ रहा है ?

श्री सभापति : नम्बर आ रहा है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अब सभापति महोदय, नम्बर आ रहा है वह दूसरे तरीके से आ रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य रेगिस्तानी इलाके से आते हैं। इनके यहां 3–4 ट्यूबवैल ही हैं और वह भी 600–700 फीट गहरे हैं। माननीय सदस्य को अवसर देना चाहिये। राजस्थान की परिस्थितियां बहुत भिन्न है जहां बिजली का कंजप्शन होता है, उस कंजप्शन से काश्तकार की हालत क्या है, उसके उत्पादन का क्या खर्चा आता है

(श्री परसराम मदेरणा)

उसका विवेचन माननीय सदस्य सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य का नम्बर आ रहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, आज जिन समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं वास्तव में मैं यह देख रहा हूं. कई माननीय सदस्यों के भाषण सुनें। ऐसा लगता है कि आपस में इस तरह का राजीनामा हो गया कि न यह बिजली पर बोल रहे हैं न वह पैट्रोल पर बोल रहे हैं। इस देश की जनता को माननीय श्री बैद जी और श्री परसरामजी बोल रहे थे। पर एक बात को वे भूल गये (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इतनी वहां की जानकारी भी नहीं है। भारत का बजट अपन देखते नहीं, अपन उसमें पार्टिशिपट करते नहीं, अपन से कोई राय पूछता नहीं है। यहां पर खाम-ख्वाह अपनी राय जाहिर करें। यह मैंने कहा है कि इसमें इन्फलेशन का स्टैण्ड जरूर इकोनोमि पर आएगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह बात तो ठीक है पर आप राजस्थान यूनिट के अध्यक्ष हैं। माननीय बैदजी इतने बड़े नेता हैं। राजस्थान में आपने वोट भी मांगे होंगे लोगों से. पार्लियामेण्ट के चुनाव के समय वोट तो मांगे होंगे। क्या आपको थोड़ा बहुत भी याद है कि चुनावों में आप क्या कहते थे? देश की करोड़ों की जनता से आपने क्या बात कही थी, उस वक्त आपको याद नहीं था कि हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है, हिन्दुस्तान पर कितना बड़ा कर्जा है, हमारी किस तरह के हालत चल रहे हैं। आपने करोड़ों लोगों से यह कह दिया कि हम 100 दिन में महंगाई घटा देंगे। आपने वायदा किया कि 100 दिन 1990 के स्तर पर ले आयेंगे। 100 दिन जब राज करने के गुजर जायेंगे ले आयेंगे हम वायदा करते हैं देश की जनता से कि महंगाई का स्तर वहीं जो जुलाई, 1990 में था। क्या यह बात कहने वाले राजनेता आज जिस चक्कर में माननीय मदेरणाजी फंसे हैं. 1991 में जब आपने राज लिया हम पर 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपये का विदेशी कर्ज था और अब जो है वह 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपये का विदेशी कर्जा है और अभी श्रीमन् मोहन सिंह जी वहीं बैठे हैं 9 अरब रुपये के कर्ज के लिए 9 अरब यानी लगभग 34 हजार करोड़ रुपये कर्ज के लिए। यह इस देश की चिन्ता कर रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : वह फाईव स्टार होटल में आराम नहीं करने गये हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : श्री मोहनसिंह जी एक ही काम करने गये हैं। असल में, देखा जाय तो जिस कांग्रेस पार्टी ने लिबरलाइजेशन पालिसी की शुरूआत की है उस पालिसी के कारण हमारे यह सत्ता बैठे हुये लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे थे और यह समझ कर सपोर्ट कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी...

श्री परसराम मदेरणा : आप से हाथ मिला कर मैं भी उसमें शरीक था। हमने गेहूं का राष्ट्रीयकरण किया और एक साल में फ्लाप हो गये।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह आप अब भी देख लेना फ्लाप हो जायेंगे। आप इस देश के अन्दर जो चीज करने जा रहे हैं। आज जिन नीतियों पर देश की सरकार चल रही है उसके कारण मजबूर होकर आपको यह स्थिति अख्तियार करनी पड़ी है कि करोड़ों जनता पर जो कर लगाया है, जो भार डाला है उससे क्या आप यह समझते हैं कि यह भार कोई अमीर आदमियों पर पड़ेगा? भार किन लोगों पर पड़ेगा? पेट्रोल प्रोडक्शन की जो आपने कीमत बढायी हैं। आपकी कीमतें बढ़ाने का तरीका भी यही है। माननीय श्री चन्दनमल जी कह रहे थे कि हमने तरीका यह अपनाया है कि जो उपभोग करता है, उसी पर भार डाल रहे हैं। कार, हवाई जहाज जो चलाते हैं उन पर तो बढ़ाया है 7–8 पर्सेण्ट और ट्रैक्टर चलाते हैं जिनसे गेहूं का लदान इधर से उधर होता है, जिनसे अनाज या दूसरी आवश्यक वस्तुएं जाती हैं, आज सारी की सारी ट्रेन्स डीजल से चलने लग गयी हैं। आपने डीजल के भाव बढ़ाये 22 पर्सेण्ट, आपने गैस के दाम बढ़ाये हैं, उस गैस का जिसका शहर की साधारण जनता इस्तेमाल करती है उस गैस का दाम बढ़ाया है। आप इस देश की जनता के सामने यह कहना चाहते हैं कि हम ने उन लोगों पर भार बढ़ाया है जो लोग इसका उपयोग करते हैं और उसी तबके तक असर होगा। माननीय सभापति महोदय, इसका असर उस तबके पर ज्यादा होगा जो इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं जो कभी उस गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करता ट्रैक्टर को इस्तेमाल नहीं करता उस गरीब आदमी को डबल रोटी खानी है, अनाज खाना है, आटा लाना है तो वह भी महंगा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्जेज भयंकर रूप से बढ़ गये हैं। खेती के अन्दर सबसे बड़ा झटका केन्द्र सरकार ने इस किसान को दिया है और इस रूप में दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस है इस बात का कि देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के नाम पर आई. एम. एफ. से जो उनकी शर्तों के अनुसार लोन लिया जा रहा है सबसे बड़ी शर्तें क्या थीं? आज से साल भर पहले पार्लियामेण्ट के चुनाव हो रहे थे उस समय बहुत बड़ी बहस हिन्दुस्तान में चल थी आई एम. एफ. ने कुछ शर्तें रखी हैं और इधर बैठने वाले हमारे साथी कहते थे कि हम आई. एम. एफ. की कोई शर्त नहीं मानेंगे। उनकी मुख्य शर्त यह थी कि जो किसान हैं उनको अनाज पर जो सब्सिडी देते हैं वह खतम करो, फर्टीलाइजर पर सब्सिडी खतम करो उनकी इरिगेशन और इलेक्ट्रीसिटी की रेट बढ़ाओ। मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रीसिटी की रेट बढ़ाने से राजस्थान सरकार, बिल्कुल सही बात है माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रधान मंत्री खुश होंगे। होंगे इसलिए कि जैसे उन्होंने कहा वैसे मान लिया। हमारे मंत्री महोदय गये थे वहां पिछली बार वहां मीटिंग और मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ, पावर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस थीं, उसमें केन्द्रीय सरकार ने प्रपोजल रखा, यह प्रपोजल रखा कि किसान के ट्यूब वैल की कहीं पर पचास पैसे से कम रेट नहीं होनी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

चाहिए। वह पचास पैसे की रेट कांग्रेस सरकार ने नहीं मानी। मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि साथी इधर बैठे हुए हैं, कांग्रेस की सरकारों ने इस बात को नहीं माना। हरियाणा ने नहीं माना, कर्नाटक ने नहीं माना और तमिलनाडु की समर्थक सरकार ने नहीं माना।

हमारी जो राजस्थान की सरकार है सबसे पहले केन्द्र के उस निर्देश पर फैसला किया और मीटिंग से आते ही रेट बढ़ाकर पचास पैसे के आसपास कर दिया। मैं यह कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा बोझ किसान पर डालने का काम आई. एम. एफ. की वर्ल्ड बैंक की बाड़ी है, जिसमें सबसे बड़ा सरगना अमेरिका है, उस अमेरिका की आज इकोनोमी की हालात यह है कि वहां मंदी का जबरदस्त दौर है। आज अमेरिका के अन्दर अमेरिका का उद्योगपति ही नहीं, वहां के किसान को इस बात की चिन्ता है कि उनका जो उत्पादन है वह बिकेगा नहीं, उसको खरीदने वाला मार्केट नहीं रहा अगर हिन्दुस्तान के किसान अपना उत्पादन 18 करोड़ के आसपास बढ़ा लें। जो कुछ केन्द्र सरकार ने तय किया है, वह बढ़ने वाला नहीं। क्यों बढ़ने वाला नहीं है, हमारी सरकार ने खेती के काम आने वाली डी. ए. पी. जिससे उत्पादन बढ़ता है उसके दुगने भाव कर दिये। बिजली की रेट आपने बढ़ा दी, खाद के उन्होंने दाम बढ़ा दिये। डीजल के भाव केन्द्रीय सरकार ने बढ़ा दिये। किसानों को चारों तरफ से घेरकर उनके दबाव में हमारे देश की सरकार ऐसा प्रयत्न कर रही है कि हमारा उत्पादन घटे और उत्पादन सिर्फ गेहूं का ही नहीं अनाज का उत्पादन नहीं, दूसरी वस्तुएं हैं उनका उत्पादन भी घटे और अमेरिका और अन्य देशों का माल हमारे देश में मंगाया जाय। हमारी जो केन्द्रीय सरकार है और माननीय श्री परसराम जी कह रहे थे कि श्री मनमोहन सिंहजी वहां ऐश करने नहीं गये होटलों में। मैं कहना चाहता हूं उनके बीच में बैठकर जो हमारे मंत्री हैं वह कहते हैं कि घोटाला या गड़बड़ी तो हमारे देश में नहीं है नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : न तो आई. एम. एफ. ने कोई कण्डीशनलिटी रखी है जिसके लिए आप स्वतन्त्र हैं कहने के लिए। (व्यवधान)····

श्री हेतराम बेनीवाल : यहां केन्द्र की सरकार आई.एम.एफ. है।····(व्यवधान)···· इनके ऊपर तलवार लटका रखी थी आपने कुम्हेर काण्ड के कारण....(व्यवधान).... केन्द्र सरकार ने एक तलवार लटका रखी थी। केन्द्र की सरकार को यहां से रिपोर्ट जाती थी अब श्री भैरोंसिंह जी की सरकार गयी, अब श्री भैरोंसिंह जी की सरकार गयी। केन्द्र को राजी करने के लिए, केन्द्र के साथ हाथ मिलाकर चलने के लिए इन्होंने अपने मंत्री को निर्देश दिया कि सबसे पहले कोई और माने या न माने अपन सबसे पहले माना। मैं आपसे कह रहा था कि असल में किसान पर बोझ बढ़ा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आई. एम. एफ हैं। वहां आई. एम. एफ. का कन्सलटेटिव कमेटी है उसकी मीटिंग है। उस मीटिंग की रिपोर्ट अखबारों में साया हुई है कि उसने डीजल के भाव, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भाव और खाद की सब्सिडी खत्म करने

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पर बड़ी प्रशंसा जाहिर की है और हिन्दुस्तान की सरकार की तारीफ की है। पहले हिन्दुस्तान की सरकार की खिलाफत करती थी और यह कहती थी कि हिन्दुस्तान को कर्जा नहीं देंगे, क्योंकि हिन्दुस्तान की स्थिति यह है कि कर्जा वापस नहीं कर सकती है। यहां की आर्थिक स्थिति खराब है। अब उन्होंने तय किया है कि हिन्दुस्तान की सरकार सही लाइन पर आ गयी यह बिल्कुल लाइन पर चल रही है इसलिए उसको कर्जा दिया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा रिजर्व बैंक क्या कहता है? रिजर्व बैंक ने पहले जो नीतियां अपनाई गयीं उनके बारे में रिपोर्ट यह थी कि इसके कुछ अच्छे नतीजे आ सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वहां मीटिंग के अन्दर इजहार किया कि पहले देश का घरेलू उत्पादन वर्ष 1991 में 6.5 प्रतिशत था अब 2.1 रह गया है यानी 1/3। हमारा जो घरेलू उत्पादन है वह इनकी नीतियों की वजह से 1/3 हो गया। हमारा जो औद्योगिक उत्पादन है वह भी 8 प्रतिशत था वह 1992 में जाकर 4 प्रतिशत रह गया। हमारा जो रिजर्व बैंक है वह यह समझता है कि वित्त मंत्री जी ने जो यह कहा था कि हम ने इन्फलेशन रेट 16 प्रतिशत से 7 प्रतिशत कर दी है, ये रेट्स बढ़ने के बाद। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रेट बढ़ने के बाद किसी भी कीमत पर 7 प्रतिशत नहीं रह सकता है, वह बढ़ेगा और मुझे पूरा अन्देशा है कि 17 से ज्यादा जायेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव बढ़ाने के बाद देश की करोड़ों जनता पर, गरीब लोगों पर भार डाला है उससे देश का उत्पादन बढ़ेगा नहीं। किसानों के साधन है उन पर एक तरफ से कर्ब केन्द्र सरकार ने किया है दूसरी तरफ कर्ब हमारी राजस्थान सरकार ने किया है।

मैं समझता हूं अच्छी वर्षा होने के बाद, अच्छा वातावरण होने के बाद किसानों को इस वक्त इमदाद की जरूरत थी, उस वक्त दोनों सरकारों ने चोट की है। मैं एक बात निवेदन कर सकता हूं इस हाउस में, यह तो नहीं कह सकता कि हमारे असर से केन्द्रीय सरकार उस रेट को घटा देगी। आज राजस्थान की सरकार, स्वयं और बहुत से नेता, माननीय सदस्या आज और कल भी बहुत गरम थीं पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ा दिये, महंगाई बढ़ गयी महिलाएं बाहर आ गयीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप एक काम कर सकती हैं, आप वह मिसाल कायम कर सकती हैं राजस्थान में कि जनता के ऊपर जो भार केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाये हैं वह तो हम नहीं घटा सकती है, इसलिए नहीं घटा सकती कि केन्द्रीय सरकार को राजस्थान की असेम्बली कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती है, पर एक काम तो कर सकती हैं, जो चीज हम कर सकते हैं वह यह कि सबसे पहले आप फैसला करो कि बिजली की जो रेट्स राजस्थान में बढ़ायी है वह हम वापस लेते हैं और किसानों पर जो भार बढ़ा है उस भार को घटाया जाएगा, यह फैसला आप करो....

श्रीमती तारा भण्डारी : इसका मतलब आप केन्द्र सरकार ने जो भाव बढ़ाये हैं उनकी हिमायत करते हो न?

श्री हेतराम बेनीवाल : उसके बाद आपके साथ होंगे हम। आप बिजली की

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दरें घटाइये, फिर सब संयुक्त रूप से केन्द्र सरकार से इस बात के लिए लड़ेंगे। राजस्थान की असैम्बली में, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पहले प्रस्ताव यह तय करिये। हम भी कोशिश करेंगे इधर से कि ये भी एक प्रस्ताव इस तरह का लाएं कि दोनों के दोनों ..

श्रीमती तारा भण्डारी : इसका मतलब उधर हाथ मिलाया हुआ है आपने।

श्री हेतराम बेनीवाल : पहले आप बिजली की रेट घटाने का एलान करो। मैंने हाथ नहीं मिलाया, हाथ तो आप दोनों ने मिलाया हुआ है, जो इस बात से साबित होता है कि केन्द्र सरकार में जब भी यह तय हुआ कि खाद की सब्सिडी को समाप्त करना है तो उसके लिए एक कमेटी बनी। उस कमेटी के प्रस्ताव आज हिन्दुस्तान के लोगों के सामने हैं। मेरी पार्टी और जनता दल दोनों के दोनों इस पक्ष में थे कि किसी भी स्थिति में सब्सिडी को समाप्त नहीं किया जाय। आज दुनिया भर में जो विकासशील देश हैं वे कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहां किसानों को सब्सिडी कायम रहे, किसान की मदद करके उत्पादन को बढ़ाया। आज थर्ड वर्ल्ड कण्ट्रीज के अन्दर एक बहुत बड़ी चिन्ता पैदा हो रही है कि सोमालिया और अफ्रीकी देशों में जो भुखमरी हो गयी है वह स्थिति कायम न हो। इसलिए थर्ड वर्ल्ड कण्ट्रीज में निश्चित तौर से किसानों की मदद करके उनको सब्सिडी देकर उनके उत्पादन को बढ़ाया जाय। पर आपकी पार्टी की जो नीति थी, एक ने तो यह कहा कि 6-4 महीने मत बढ़ाओ। यानी एक बार थोड़ा-सा लोगों को + + + दो। दूसरे ने आउट राइट कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन किया। मुझे समझ में नहीं आता आपका + + + रोल। पार्लियामेण्ट में आप यह तय करते हो कि सब्सिडी बन्द कर दो और किसानों की रेट बढ़ा दो और सड़क पर जाकर आप कहते हो कि रेट बढ़ाना गलत है और उसके खिलाफ नारे लगाते हो। निश्चित तौर से आप दोनों ही पार्टियों की नीति एक ही है कि इस देश को डुबो दिया जाय। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है, नेहरू जैसे लोगों ने इस देश को बचाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो कुछ बनाया था उस सब का आप बण्टाढार कर रहे हो। पब्लिक सैक्टर के सारे शेयर्स प्राइवेट लोगों को बेच रहे हो. फ्री कर दिया है आपने कि उनको बेचा जाय। आप पूरी फ्रीडम दे रहे हो। पब्लिक सैक्टर को समाप्त करने के लिए आपने जिस तरह से आगे कदम बढ़ाये हैं यह उसी का नतीजा है कि आज देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है। आप वह नहीं कर रहे जहां करोड़ों लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस देश के अन्दर 1975 और 1976 में जो नजारे आये थे वह स्थिति आने के हालात तो इसलिए नहीं हैं कि एक बार इस देश ने उस स्थिति के आने के बाद जो परिवर्तन किये, उनसे सत्ता डर रही है पर रास्ते उसी पर चल जाय। केन्द्र की सरकार ने राज्य के मुख्य मन्त्रियों को एक चिट्ठी लिखी है कि आप लोगों को तैयार करो कि डी. ए. को फ्रीज रहो। अभी केन्द्रीय सरकार ने प्रपोजल रखा है कि डी. ए. फ्रीज किया

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कर दिया जाय, तनख्वाहें रोक दी जाएं। महंगाई बढ़ाने को रोकने की बात नहीं, महंगाई कहीं रुक जाय इसके लिए केन्द्र की सरकार का कोई कदम नहीं। पर केन्द्र की सरकार यह जानती है कि महंगाई को बढ़ने पर लोग आन्दोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई होगी और जिस रेट से महंगाई बढ़ेगी उसके मुकाबले में डी. ए. देना इस सरकार के बूते की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सारे स्टेट के मन्त्रियों के सामने एक प्रपोजल रखा है कि डी. ए. फ्रीज कर दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान की विधान सभा के सदस्य सजग होकर इस तरह के प्रतिगामी कदमों के खिलाफ संघर्ष की तैयारियां करें। अगर हम ईमानदारी से जनता को दुःखों को समझते हैं तो आज हम एक बात तो तय कर सकते हैं। सभापति महोदय, मुझे इस बात का एतराज है कि खाद के भाव बढ़े सो बढ़े, खाद मिलती नहीं। माननीय मंत्रीजी, गंगानगर के बाजार को मैं जानता हूं, गंगानगर के बाजार में डी. ए. पी. नाम की खाद नहीं। एक भी थैला। एग्रीकल्चर वालों को तो सांप वैसे ही सूंघ गया, क्योंकि आपने वहां प्रदेश भर में जो कर्मचारी लगा रखे हैं, सेठों से मिले हुए हैं वे। जितना स्टॉक था डी. ए. पी. और सुपर फास्फेट का राजस्थान में, रातोंरात ही सारा स्टॉक गायब हो गया। सब बेचान साबित हो गया। सारों पर लिख दिया, बिक गया। एक जगह तो बता दूं मैं, एक डाइरेक्टर साहब को कहकर परमिट कटवाये, 4-4 थैले के। जबर्दस्ती भेजा किसानों को उसे लाने के लिए। सेठ ने सारा माल इकट्ठा कर दिया, सारे थैले फाड़कर इकट्ठे कर दिये कि थैले फट गये, सारी डी. ए. पी. फट गयी। इससे जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि इतनी अच्छी बरसात के बाद भी राजस्थान के किसानों को डी. ए. पी. मिलेगी नहीं। जो 453 की रेट आप बता रहे हैं या 163 की रेट बता रहे हैं, मुझे इस बात की चिन्ता है कि राजस्थान में 163 और 453 रुपये में भी दोनों खाद उपलब्ध नहीं होंगी क्योंकि खुला छोड़ दिया। एक नियन्त्रण था सब्सिडी देते वक्त, तय करती थी हमारी सरकार कि ये रेट होंगे, इस रेट पर बेचेंगे। अब तो व्यापारियों पर है कि वे खाद को जैसे मर्जी बेचें। अगर आपकी नीति सही होती तो ये 15 प्रतिशत बढ़ते। खाद की सब्सिडी समाप्त करते वक्त जो बयान दिये हैं मन्त्रीजी ने उसके मुताबिक, केन्द्रीय मंत्री की राय के मुताबिक रेट बढ़ने के बाद सिर्फ 15 प्रतिशत का ही फर्क पड़ेगा। 15 प्रतिशत नहीं 100 प्रतिशत बढ़ गये। 100 प्रतिशत बढ़ने पर भी वह चीज मिल नहीं रही है। उस स्थिति को अगर हमको काबू करना है तो सारे सर्वसम्पति से यह तय करें कि खाद के रेट्स और डीजल के रेट्स, पेट्रोल के रेट बढ़ा दो। मैं यह भी मानता हूं कि एक रुपया पेट्रोल पर और बढ़ गये तो भी कोई खास बात नही क्योंकि कार जो इस्तेमाल करते हैं, या तो कार सरकारी इस्तेमाल होती है या ऐसे आदमी इस्तेमाल करते हैं जिनके पास पैसे किसी और रास्ते से आता है। दो नम्बर का

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पैसा। बाकी हिन्दुस्तान का कोई नागरिक पैट्रोल की चीज और कार तो इस्तेमाल कर नहीं सकता। इसलिए उसकी रेट अगर बढ़ जाय तो कोई बात नहीं। डीजल और खाद की रेट्स हर हालत में उसी लेबल पर आनी चाहिए। उम्मीद तो हम यह कर रहे थे कि गल्फ वार के बाद जो रेट बढ़ी है वह हिन्दुस्तान में घटेगी, उसमें कुछ कमी आएगी। पर आज स्थिति यह पैदा हो गयी कि डीजल की रेट भी 22 प्रतिशत बढ़ी है।...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो साथी इसमें बड़े बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, बाहर नारे लगा रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे वे तो इसमें साथ होंगे ही, हम एक प्रस्ताव पास करें कि ये दोनों चीजें जो किसान के उपयोगी हैं, सब्सिडी वापस बहाल करके खाद को उसी रेट पर बेचा जाय और डीजल पर जो रेट बढ़ायी है उसको विथड्रा किया जाय। यही मुझे कहना है।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। मेरा नाम भी इसमें सम्मिलित है या नहीं ?

श्री सभापति : आपका नाम सम्मिलित है। आपकी पार्टी ने जिस क्रम से नाम दिये हैं उसी क्रम से आपका नाम आ रहा है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : पार्टी वालों ने तो नाम अलग से दिये हैं, काल अटेंशन अलग से लगाया हुआ था।

श्री सभापति : हां, वह है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य

विद्युत दरों में वृद्धि एवं रासायनिक खाद की अनुपलब्धता

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि जो मूल्य वृद्धि हुई है उसके कारण जो भी समस्याएं हैं उनको अधिकतम हमें भोगना पड़ता है, महिलाओं को भोगना पड़ता है।

श्री सभापति : आप विराजिये, आपका नम्बर आ जाएगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : आज की चर्चा में अभी तक एक भी महिला को अवसर नहीं दिया गया, यह कैसा न्याय है ?

श्री सभापति : आपके अलावा कोई महिला दिख रही है क्या यहां ?

(4·40 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में महत्वपूर्ण मुद्दा है बिजली का, इस पर विचार हो रहा है। माननीय अध्यक्षजी, विद्युत मंत्रीजी ने अपना भाषण पढ़कर के सदन को सुनाया, अपने विचार प्रस्तुत किये, इससे लगता है कि अभी तक आजादी के 45 साल के बाद भी किसानों के प्रति चाहे कोई भी सरकार हो, उनका रुख नरम नजर नहीं आ रहा। बिजली की जो दरें बढ़ाई है, मैं आशा करता था कि विद्युत मंत्रीजी अपने भाषण में भूतपूर्व राजाओं और देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों, टाटा और बिड़ला और डालमिया, चाहे कोई भी हो, 100 करोड़ से अधिक का उनमें बकाया पड़ा है। उनकी आपको व्यवस्था करनी चाहिये। करोड़ों रुपये, कई करोड़ों, अरबों रुपये आपका बकाया पड़ा है, उनका तो आप कनेक्शन काटते नहीं और उनको लाभ देने के लिये आप किसानों पर टैक्स लगाते हो। उद्योगपतियों के कनेक्शन काटे नहीं उनको लाभ मिलता रहे और उधर महंगाई बढ़ गई तो उनको लाभ कैसे मिले, लाभ तभी मिलेगा कि किसानों पर टैक्स लगाओ, किसानों की दर बढ़ाओ। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था, भूतपूर्व राजाओं में कितना विद्युत का बकाया पड़ा है, आपने कोई कार्यवाही आज तक नहीं की और कितने उद्योगपतियों में पड़ा है, एक अरब रुपये मेरे हिसाब से बकाया पड़ा है जो विद्युत का है। परिवार का काश्तकार जिस पर टैक्स लगाओ और फिर उन लोगों को पनपने दो। अध्यक्ष महोदय, विद्युत मंत्रीजी आपके और मेरे इलाके की सीमा लगती हुई है, आपके-हमारे किसानों की आत्मा आपकी और हमारी सीमा से नहीं जुड़ी हुई है, आत्मा से जुड़ी हुई है। आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, इलाके की स्थिति को आप ज्यादा जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, छह ऐसे जिले हैं जहां आज तक बिजली के मामले में चाहे कोई भी सरकार हो, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इन दिनों हम छह जिलों में गये–चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर। वहां के काश्तकार आजकल सरकार के खिलाफ किसी भी समस्या पर किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं कर रहे हैं और शांति से इस अकाल को समाप्त करने के लिये कुआ खोदने पर लगे हुए हैं, रात-दिन हुए हैं। जहां पानी 200–250, 300 और 400 फीट नीचे है, चूरू के बैठे हुए माननीय सदस्यों को पता है, उनके इलाके में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पानी खारा है, नागौर की एक पट्टी ऐसी है, अध्यक्ष महोदय, जहां पानी खारा है लेकिन वह धरती के पेट का मामला है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग करीब 2–3 साल से इस काम में लगे हुए है। युद्ध स्तर पर सदियों से पड़ने वाले अकाल को समाप्त करने के लिये कमर कसकर वहां का किसान कुआ खोदने पर लगा हुआ है। मैं इस सरकार को इस बात

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

के लिये धन्यवाद जरुर दूंगा, कोई भी सरकार आई है इतने लम्बे अर्से से, खेती करने वाले काश्तकार को कुआ खोदने के लिये, ट्यूबवेल से सिंचाई करने के लिये किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दी लेकिन इस सरकार ने जीवनधारा एक योजना बनाई। यदि इस योजना को सही कर दे यह सरकार तो हमारे पश्चिमी राजस्थान का जो किसान है, वह सरकार का जीवन-पर्यन्त आभारी रहेगा। परन्तु सरकार में बैठे हुए लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है कि इस अकाल को समाप्त करने के लिये क्या योजना बनानी चाहिये और किस तरह से मदद करनी चाहिये। अब हम लोग सरकार में नये-नये शामिल हुए है, हमको भी कुछ नशा है। ढाई साल हो गये, ढाई साल में तो आदमी जवान हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जो कुएं हैं, 300–350 फीट नीचे पानी है और जीवनधारा के सहयोग से हमारे लोग कामयाब हुए है। खास तौर से, अध्यक्ष महोदय, मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है–नोखा, हमने शुरूआत की है और आप ताज्जुब करोगे कि जहां मेरा जन्म हुआ है, मेरे गांव में ढाई सौ कुओं पर काम चल रहा है, ढाई सौ कुएं पानी तक पहुंच चुके हैं, 50 कुओं से खेती हो रही है जहां बिजली के कनेक्शन मिले हैं और करीब 50 कुएं खुद गये मेरे गांव में। मेरे गांव के आसपास के 200–250 ऐसे कुएं हैं जहां पानी आ चुका है लेकिन बिजली के कनेक्शन नहीं मिलने के कारण काश्तकारों में भारी निराशा है। मैं चाहता था कि विद्युत मंत्रीजी पश्चिमी राजस्थान के लिये कोई आज अपने भाषण में घोषणा करते, कोई संकेत देते। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत निराशा हुई है कि राजस्थान के, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के लोगों के साथ चाहे कोई सरकार हो, वह किसान की असली बात नहीं समझती, आज पश्चिमी राजस्थान की धरती के नीचे चाहे बाड़मेर हो, चूरू का कुछ हिस्सा है, चाहे नागौर हो चाहे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर हो, धरती के नीचे पानी का भण्डार पड़ा हुआ है। किसी सरकार ने आज तक सर्वे नहीं कराया। देश में दो बड़ी शक्तियां हैं, जवान और किसान। आपने दोनों परिवारों के साथ उपेक्षा बरती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं चाहूंगा, खास तौर से विद्युत मंत्रीजी से कि समय आपके हाथ में है, आपकी सीमा और मेरी सीमा जुड़ी हुई है, आपके किसान का दिल और मेरे किसान का दिल जुड़ा हुआ है। यदि आप इन दिलों को टटोलकर कोई कदम नहीं उठाओगे बिजली के बारे में, कुओं के कनेक्शन का तो श्री परसराम मदेरणा साहब ने तो कहा कि कब्र खुदेगी लेकिन मैं यह कह रहा हूं आपकी और हमारी कब्र खुदने के लिये जगह नहीं मिलेगी। इसलिए समय आपके हाथ में है। आपको आज की तारीख में घोषणा करनी चाहिये कि जहां काश्तकार इतने बड़े पैमाने चार साल से लगे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक हजार कुएं खुद चुके हैं, करीब 100 कनेक्शन इन्होंने दिये हैं, यह मेहरबानी की है....

श्री परसराम मदेरणा : बादशाह जफर को रंगून में मिली थी। ये रंगून चलेंगे अपने को क्या है ?

श्री अध्यक्ष : देखिये, समय आप....।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं सीमा में रहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे सुझाव दूंगा, मैं भाषण नहीं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हम फील्ड में मिलेंगे। जब चुनाव आयेंगे तब हम मैदान में मिलेंगे, हिसाब-किताब 5 साल का वहां करेंगे, यहां नहीं करेंगे और जनता करेगी यह। विद्युत मंत्रीजी, मैं आपका साथी हूं, आपका पड़ौसी हूं, और आपके हाथ से विद्युतीकरण के बारे में पक्षपात और गांव से उपेक्षा बरतना और किसान को बिल्कुल भूल जाना, यह बात सहन करने के लायक नहीं है। हम पश्चिमी राजस्थान के हैं, हम श्री भैरोंसिंहजी के खिलाफ या श्री मदेरणा जी के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम अकाल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में अगर माननीय मंत्री महोदय कोई सहयोग नहीं देंगे, तो मैं कोई लम्बा भाषण नहीं दूंगा, कोई दुशीष नहीं दूंगा, लेकिन जब आप गांव में जायेंगे तो आपसे हिसाब होगा।

दूसरी बात कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जो इस इश्यू से अलग है। मुझे पंचायत बिल के बारे में बोलने का मौका नहीं मिला। राज्य सरकार ने जो पचायतों का पुनर्गठन करके जिस तरह से महिलाओं को और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो प्रतिनिधित्व दिया है वह इस देश में बहुत बड़ी क्रांति लायेगी, श्री राम सिंह जी, आपको पता है इस बात का? जहां चमार को संरपच बनने का कोई मौका नहीं मिलता था, वहां एक पंचायत समिति में तेरह-तेरह और चौदह-चौदह सरपंच अनुसूचित जाति के और गरीब लोग जो दबे हुए थे, वह गरीबी से उठकर आपके सामने आयेंगे, तब पता लगेगा, और प्रधान और प्रमुख बनेंगे। मैं अपनी अन्तरात्मा की बात कह रहा हूं, गांधीजी के इस दुनिया से चले जाने के बाद, गांधीजी का अगर कोई सपूत है, तो श्री परसरामजी मदेरणा तो नाड़ ही देखते हैं, लेकिन श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने जो यह काम किया है, उसके मुकाबले, 45 साल हो गये जब राजस्थान बना, तब से लेकर आज तक किसी ने भी ऐसे कदम नहीं उठाये। इसलिये राज्य सरकार इस मुद्दे में वास्तव में धन्यवाद की पात्र है। लेकिन बिजली के बारे में, विद्युत मंत्रीजी, आपको बड़ा आपरेशन करना चाहिये। बढ़ी हुई दर वापिस लेनी चाहिये। आप पूंजीपतियों को पनाह दे रहे हैं। आपको बढ़ी हुई दर वापस लेनी चाहिये और राजस्थान के किसानों को कनेक्शन देने के बारे में घोषणा करनी चाहिये, वहां पर अकाल के नाम से अलग से घोषणा करनी चाहिये कि अकाल पीड़ित लोगों के जिलों को कनेक्शन अलग से दिये जायेंगे। यह व्यवस्था आप करें। समय बहुत तेजी से आ रहा है और मौका जा रहा है। इसलिये आपको जो कुछ करना है वह ईमानदारी और वफादारी से पश्चिमी राजस्थान के काश्तकारों और गरीबों के साथ न्याय कीजिये और ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह, श्री हेमराज मीणा, श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री मोतीलाल मीणा, श्री शांतिलाल, श्री श्रीचंद कृपलानी।....(व्यवधान)....मैं बोल रहा हूं तो, आप चिन्तित क्यों हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। यह सब अनुपस्थित हैं। अब आप

(श्री अध्यक्ष)

जो बाकी बैठे हुए हैं जरा कम समय लीजिएगा। श्रीमती तारा भण्डारी शुरू कीजिए।

डा. चन्द्रभान : मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : पहले आपका नाम है, महिलाओं का नाम आ रहा है पहले मैं महिलाओं के नाम ले रहा हूं, आपके बाद में श्रीमती सुमित्राजी का है फिर श्रीमती उजलाजी का है, मैं क्या करू बताइए आप? आपका है इनके बाद में। महिलाओं के तुरन्त बाद आपका नम्बर है, महिलाओं के तुरन्त बाद आपका ही है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी नजर सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या की ओर ही क्यों जाती है हमारी ओर क्यों नहीं जाती है?

श्री अध्यक्ष : आपका दूसरा है, इनके तुरन्त बाद आपका है।

डा. चन्द्रभान : आपने समय की पाबन्दी का हमारे लिए क्यों?

श्री अध्यक्ष : नहीं, शिकायत आ रही थी कि महिलाएं नहीं बोलीं, अब महिलाएं, महिलाएं, ही बोल रहे हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, आपने महिलाओं की सुनवाई की, इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, जब लोक सभा के चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने हिन्दुस्तान की जनता के साथ एक वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद हम 100 दिन के अन्दर-अन्दर महंगाई को कम करके वर्ष 1990 में जो स्थिति थी उस पर ले आएगे। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की एक परम्परा रही है कि हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग और कभी मरने के टाइम कोई इच्छा व्यक्त करे तो उसने जो इच्छा व्यक्त की होती है उसके वारिस उस इच्छा का परिपालन करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने यह कहा स्वर्गीय श्री राजीवजी की मौत के बाद दुबारा यह बात कही कि जो हमारा घोषणा-पत्र है, जो राजीवजी यह घोषणा-पत्र छोड़ कर गए हैं उसको हम राजीवजी की अन्तिम इच्छा और वसीयतनामा मानकर काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हिन्दूस्तान की भोली-भाली जनता ने उस परिपाटी को ध्यान में रखा कि अन्तिम समय में कही हुई बात को पूरा करेंगे और हमारे देश की जो परिपाटी है, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी काम करेगी। उन्होंने इनको वोट दिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आकर अपना वायदा भूल गई 100 दिन में महंगाई कम करने की जगह जो 1990 का स्तर था उससे कहीं अधिक ऊपर जाकर क्रास कर गए। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990 में जो गैस का सिलेण्डर आता था वह लगभग 62 रुपये का आता था और आज गैस सिलेण्डर के क्या भाव हो गए? तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि महिलाओं ने जो कल महंगाई की बात करके हमारी केन्द्रीय सरकार से इस्तीफा क्यों मांगा? अध्यक्ष

(श्रीमती तारा भण्डारी)

महोदय, महिलाओं ने कल महंगाई की बात करके केन्द्रीय सरकार से इस्तीफा इसलिए मांगा कि केन्द्रीय सरकार ने जो घोषणा-पत्र को वसीयतनामा मान कर काम करने का कहा था उसको झुठलाया, धोखाधडी की, फरेबी की और हिन्दुस्तान की महिलाओं के साथ अन्याय किया। इसलिए कल हम महिलाओं ने केन्द्रीय सरकार से इस्तीफा मांगा और विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों को भी कहा कि यदि आपको जरा भी पीड़ा महसूस होती है तो आप स्वयं केन्द्रीय सरकार से इस्तीफा मांगेगे।

अध्यक्ष महोदय, इस मूल्य वृद्धि से हिन्दुस्तान की जनता पर दस हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य, श्री हेतरामजी बेनीवाल कह रहे थे कि पैट्रोल से तो कारें चलती हैं, पैट्रोल के भाव बढ़ जायें तो बढ़ जायें बाकी चीजों के भाव नहीं बढ़ने चाहिये। वह अभी यहां पर नहीं हैं मैं उनको दुरूस्त करना चाहूंगी कि यह लूना किससे चलती है, स्कूटर किससे चलता है, हम जिस तिपहिया पर आते हैं वह किससे चलता है, क्या ये पानी से चलते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह सारे पैट्रोल से ही चलते हैं और तो और मेरी बच्ची जो जयपुर में पढ़ती है, पहले उसका 15 रुपये प्रतिदिन में काम चल जाता था वह अब 20 रुपये मांगती है। उसकी लूना 20 रुपये प्रतिदिन का पैट्रोल मांगती है। यह रोज का फर्क पड़ गया। वह सोच में पड़ गई, क्योंकि वह सी. ए. की विद्यार्थी है, वह कैलकुलैशन करती है, और करते ही फिक्र में पड़ गई कि 5 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि मेरे साथ हो गई।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य जोर-शोर से कह रहे थे कि सरकार काश्तकार विरोधी है और हम काश्तकारों के हिमायती हैं, इस सरकार ने बिजली की दर बढ़ा दी है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि जब भयंकर अकाल था 1980 से 1990 का उस समय फ्लेट रेट लेते थे और काश्तकारों को उस फ्लेट रेट के बराबर बिजली नहीं देते थे। यह सरकार जो हमारी सरकार है, जो आज सत्ता में है यह काश्तकारों की हिमायती सरकार है जिसने फ्लेट रेट कम करके बिजली की रेट तय की और जितनी बिजली देंगे उतना पैसा लेंगे। आज काश्तकारों को 8-8 घण्टे और उससे भी अधिक बिजली मिलती है। आप फ्लेट रेट लगाकर बिजली देते थे कभी 4 घण्टे, कभी 5 घण्टे और आपकी फ्लेट रेट कायम की कायम। ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। बधाई देना चाहती हूं राजस्थान के बिजली बोर्ड को कि पिछले तीन सालों से राजस्थान का विद्युत मण्डल बहुत अति-उत्तम कार्य कर रहा है। सब काश्तकारों को ट्रांसफारमर मिलते हैं। आप भूल गये काश्तकार ऐसे अकाल में 500-500 रुपये का किराया करके (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुछ काम होगा इन्हें।

श्रीमती तारा भण्डारी : ट्रेक्टर लेकर ट्रांसफार्मर लेकर आते.... (व्यवधान).... आप भूल गए।....(व्यवधान)

(147)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : विद्युत बोर्ड में तो आपकी सिफारिश से ही काम हो सकता है साहब इनका क्या है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप सुनिये । आप काश्तकारों की हिमायत करते हैं । यह राजस्थान की सरकार, यह हमारा मन्त्रि-मण्डल और मुख्य मन्त्री जिन्होंने काश्तकारों के हिमायती हैं जिन्होंने काश्तकारों के कर्जे माफ किये, बारानी भूमि का लगान माफ किया (व्यवधान)

डॉ चन्द्रभान : केन्द्रीय सरकार ने किसानों के कर्जे माफ किये थे····(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह वी. पी. सिंह की सरकार ने किए थे ।

श्रीमती तारा भण्डारी : हमारी सरकार ने सवा तीन सौ करोड़ रुपये रोकड़ा बैंक में भरे हैं, राजस्थान सरकार ने कर्जे माफ किये हैं, भूल गए आप । बारानी भूमि का लगान किसने माफ किया ? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि सन् 1977 में माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार थी, उन्होंने 12 बीघा बरानी जमीन का····(व्यवधान) सुनो, सुनो याद करो, क्या दिया आपने, सुनने की हिम्मत भी नहीं है । 12 बीघा बारानी भूमि का लगान माफ किया था, 12 बीघा । उन्होंने पहले हिम्मत इतनी ही करी थी । आप बताएं कि 1980 से 1990 तक कितना लगान माफ किया, अभी हिम्मत नहीं की । यह श्री भैरोंसिंहजी शेखावत की हिम्मत है जिन्होंने सारी बारानी भूमि का लगान माफ कर दिया···· (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : नारे लगाओ ।

श्रीमती तारा भण्डारी : लगायेंगे, खूब लगायेंगे, बिलकुल लगायेंगे । 1984 तक के कब्जे जिन काश्तकारों को 91 के नाते रोज रोज बेईज्जत किया जाता था यह हमारी सरकार है जिसने कब्जों को नियमन करने का निर्णय लिया । एक नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण पेश किये जा सकते हैं । राजस्थान की वर्तमान सरकार के जो किसानों की हिमायती के लिए उसने किए हैं, आपने क्या किये हैं । महिलाओं को मार डाला, महिलाओं की हालत खराब कर दी । अब कह रहे हैं कि पैट्रोल के भाव बढ़े हैं तो कुछ नहीं । वह दूध वाला दूध लाता है मोटर साइकिल पर उसमें पैट्रोल लगता है । आज 12 रुपये किलो दूध मिल रहा है और जब पैट्रोल के बढ़े हुए भाव जोड़ कर के लायेगा उस समय दूध का भाव उसको सोचिये जरा आज दाल का भाव 20 रुपये किलो है, जिस ट्रक में वह दाल ट्रांसपोर्ट की जाएगी, क्या वापस उस भाव से वह दाल मिल सकेगी । इन सारी स्थितियों पर आप विचार करें । इस महंगाई आम उपभोक्ता, वह चाहे छात्र हो, चाहे महिलायें हों, चाहे 22 रुपये कमाने वाले मजदूर हों, चाहे किसान हो वह सब तकलीफ में आ गए हैं । एक छात्र जो मैस में रह कर पढ़ाई करता है होस्टल में रह कर पढ़ाई करता है या किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाता है उसके भोजन के दाम बढ़ जायेंगे, जो दुपहिया वह रखाता है उसमें लगने वाले पैट्रोल के दाम बढ़ जायेंगे । कोई भी वस्तु ले लीजिए । एक महिला 22 रुपये प्रतिदिन मजदूरी करके लाती है और अपने परिवार का पालन-पोषण करती है उस 22 रुपये में वह किस

(श्रीमती तारा भण्डारी)

प्रकार से अपने परिवार को चलाएगी। इसपर भी आप विचार करें। राजाखेड़ा से आने वाले विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि यह वह कांग्रेस हैं जिसने देश को आजादी दिलाई थी। वह कांग्रेस तो कभी की गई। उसके बाद तो सिंडीकेट, इंडिकेट न जाने कितने केट हो गए। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को कोई फायदा नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय, यह जो आज फायदा उठा रहे हैं वह दूसरे लोग हैं जो देश को आतंकवाद में भोंक देने वाले ये लोग, देश को महंगाई की मार में भोंकने वाले ये लोग, आज देश को कर्जदार बनाने वाले ये लोग, आज गुलाम हो गए आर्थिक तौर पर। एक बच्चा हमारे घर में जन्मता है वह 4 हजार का कर्जा लेकर पैदा होता है⋯ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती ताराजी सारे पुरुष कांप रहे हैं वह श्री भण्डारीजी की हालत सोच रहे होंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : 500 करोड़ हाथ जो बेरोजगार हैं। यह आतंकवाद, ये कर्जे वाला भारत और यह महंगाई किसकी देन है? यह गुलामी की ओर बढ़ते हुए चरण नहीं तो क्या है?

अध्यक्ष महोदय, इस महंगाई के लिए निश्चित रूप से पूरे सदन को अपनी बात के लिए अपील करती हूं कि⋯

(5.00 म. प.)

कि सारा सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव लें और इस महंगाई को कम करने के लिए केन्द्र सरकार को भेजे। एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। मैं इसके साथ-साथ बिजली मंत्रीजी से भी एक सिफारिश करना चाहूंगी कि हम पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं पिछले 1980 से 90 तक तो कांग्रेस का साया था तो अकाल ही अकाल था। भैरोंसिंहजी के चरण कमलों से हमको मानसून मिला है, बरसात आई है इसलिये जरा व्यवस्था को दुरूस्त करें। बिजली बोर्ड का जो लवाजमा है अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस बिजली बोर्ड के लवाजमें को कम करके बिजली बोर्ड के घाटे को कम किया जाये। साथ ही हम पश्चिमी राजस्थान के लोग पूरा पैसा भरते हैं लेकिन जो पैसे वाले काश्तकार हैं, चाहे नागौर के हो, चाहे सवाई माधोपुर के हो, चाहे झुन्झुनू के हो, जो काश्तकार पैसा नहीं देते उनकी मार भी हमारे काश्तकार सहन करते हैं। इस बात का भी कड़ाई से ध्यान रखें, उनसे वसूली की जाये, अपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो दिन पूर्व 127 में अपना एक मोशन दिया था उसमें बिजली के टेरिफ की बढ़ोतरी, डीजल के दाम बढ़ जाना उसके साथ ही खाद के दाम एक दम शूटअप होना इन तीनों चीजों के बारे में दिया था, उस समय आपने यह व्यवस्था दी थी कि आप इसके सम्बन्ध में चूंकि तीन अलग-विभागों से सम्बन्धित आपके मोशन्स हैं इसलिए आप इस पर बोलना। स्कोप तो बहुत कम ही है जिस तरीके से आप समय कम देगें, मैं निवेदन करना चाह रही थी

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

इसके बारे, यहां इस मुद्दे को भी उठाया गया। आज सवाल केवल बिजली की दर का नहीं है हम यह चाहते थे कि सदन के अन्दर, जिस तरीके से आज किसान पर चारों तरफ मार हो रही है। एक तरफ बिजली की दरों की बढ़ोतरी, वह भी एक साल के भीतर, बल्कि 6 महीने के भीतर-भीतर दो बार, एक बार पांच पैसा फिर दुबारा 8 पैसा, 13 पैसे की एक साथ किसानों के ऊपर टेरिफ बिजली की दरों पर बढ़ोतरी, खाद की कीमतें, मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य करीब-करीब काफी सारे लोग यह बता चुके हैं कि डी. ए. पी. की कीमत तो पहले जो थी उससे ढाई गुना है। 234 थी अब 440, यह स्वयं मंत्रीजी ने स्वीकार किया है, मंत्रीजी के आंकड़े हैं कि 234 से सीधे 440 रुपया, 50 किलो के कट्टे पर हो गई है। इस तरीके से सुपरफास्फेट की कीमत पहले से करीब करीब दुगनी-ढाई गुनी बढ़ गई है। यूरिया की कीमत तो, ठीक 10 प्रतिशत थोड़ा जरूर कम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात शायद समझ में नहीं आई है और सत्ता पक्ष के बोलने वाले लोग बार-बार यही बात कहेंगे कि इसका ताल्लुक भारत सरकार से है। भारत सरकार ने पैसे बढ़ाये हैं खाद के, यह सही बात है, लेकिन सेल्स टैक्स तो आप लेते हो 8 प्रतिशत सैल्स टैक्स लगता है। 8 प्रतिशत सैल्स टैक्स के हिसाब से 440 रुपये के कट्टे के ऊपर करीब 36 रुपये के आस-पास सैल्स टैक्स होता है। आपको मालूम होगा अध्यक्ष महोदय, सदन के काफी सारे सदस्य इस बात को जानते हैं कि आज पंजाब में खाद के ऊपर टैक्स नहीं लगता, हरियाणा में नहीं लगता, दिल्ली में नहीं लगता और राजस्थान जो एक ऐसा प्रदेश है। राजस्थान की जब एग्रीकल्चर टेरिफ की तुलना हम करते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि राजस्थान एक अर्द्ध रेगिस्तानी प्रदेश है इसकी तुलना केरल, तमिलनाडू, कर्नाटक से, वेस्ट बंगाल से, इन उपजाऊ इलाकों से नहीं की जा सकती हैं। इनके साथ तुलना करके स्वयं मंत्रीजी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आज एग्रीकल्चर की टेरिफ के अन्दर हमारा पांचवा स्थान है, यह माननीय मंत्री जी ने कहा था। केवल वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा और असम इन चार स्टेट्स को को छोड़ दीजिये उसके बाद आज हम एग्रीकल्चर टेरिफ में हाइवेस्ट है, सबसे ज्यादा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर है नहीं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं यह बात और यह बात और यह कह कर उनकी आत्मा को जगाना चाहती हूं कि दो पैसे की बढ़ोतरी के ऊपर राजस्थान के काश्तकारों को, तमाम बिजली के कन्जूमर्स को चाहे वे डोमेस्टिक कन्जूमर हो, चाहे वह एग्रीकल्चर कन्जूमर हो केवल दो पैसे की बढ़ोतरी के ऊपर इतना जबरदस्त आन्दोलन करके जेलें भर दी थी, बल्कि पुलिस की गोली से झुन्झुनू में तो बालूराम नाम के एक व्यक्ति शहीद हो गये थे। स्वयं आज जो सदन के नेता है उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे और उन्हीं की रहनुमाई में यह बिजली उपभोक्ताओं का आन्दोलन चल रहा था। वह स्वयं गये थे, हमको बैठा कर आये थे। झुन्झुनू में कि इस लाश को जब

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

तक लेकर के बैठे रहना जब तक सरकार टेबिल के ऊपर आकर वार्ता करने के लिये तैयार नहीं हो। वे सुन नहीं रहे है यहां पर है नहीं····

श्री अध्यक्ष : जहां भी है, सुन रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : बहुत अच्छी बात है सुन रहे हैं, नहीं सुनते तो मेरा दुर्भाग्य है। मैं उनकी आत्मा को जगाना चाहती हूं कि दो पैसे के ऊपर राजस्थान के आम उपभोक्ताओं में एक जागृति पैदा करके सरकार का छोटा सा एक्शन था और एक साल के भीतर-भीतर स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने 13 पैसे बढ़ा दिये और ऐसा कह कर उन प्रान्तों के साथ तुलना करते हैं जिन प्रान्तों की जमीन इतनी उपजाऊ है। वहां एक एकड़ में कितना पैदा होता है और यहां की एक एकड़ में क्या पैदा होता है यह नहीं सोचा उन्होंने और केवल इधर सत्ता पक्ष में बैठे रहने वाले लोग भारत सरकार को कोसते रहे। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहती हूं, हम चाहते थे कि सदन के अन्दर इस तरह का वातावरण बनता कि आज जो डीजल की रेट बढ़ाई गई है, पैट्रोल की रेट भी एक रुपया कुछ पैसा बढ़ी है और डीजल जो 5 रुपये 60 पैसे था, जयपुर शहर की बात मैं कह रही हूं वह 6 रुपये 75 पैसे हो गया और पैट्रोल जो 15.69 या कुछ पैसे आ रहा था वह अब 17 रुपये कुछ पैसे हो गया। मतलब जो रेट थी प्रतिशत के हिसाब से डीजल की रेट कहीं अधिक बढ़ी है मय मुकाबले पैट्रोल के। डीजल किसके काम आता है? डीजल काम आता है किसान के, काश्तकार के क्योंकि ट्रेक्टर भी डीजल से चलता है, जनरेटिंग सेट भी डीजल से ही चलता है और यह ट्रान्सपोर्टेशन का जितना आपके लिपहिये हैं यह सबके सब डीजल से चलते हैं। कुल मिला कर इनका जो भार पड़ेगा, परिवहन का, वह सारा आम उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ेगा। इसलिए केवल सत्ता पक्ष यह कह कर के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता कि डीजल, पैट्रोल और रसोई गैस इनके ऊपर, खाद पर तो बढ़ा दिये भारत सरकार ने इसलिए काश्तकार को जीने नहीं देगे, चारों तरफ से घेरकर मारेंगे। इसलिए एक साथ 6 महीने के भीतर-भीतर 13 नया पैसा बढ़ा देगें। मैं समझती हूं जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सरकार यह तो कर सकती है सब्सिडी दे सकती है। काश्तकार की आज क्या हालत है इसकी तुलना आप उन उपजाऊ प्रदेशों से न कीजिये जिन उपजाऊ प्रदेशों के अन्दर एक एकड़ में कितनी आमदनी होती है और यहां के एक एकड़ में। इसलिये माननीय कृषि मंत्री महोदय आप यहां बैठे हुये हैं···· (व्यवधान) आप इस बात को समझते हैं, आप स्वयं काश्तकार है, यदि डी ए. पी, सुपर फास्फेट की कीमत इतनी बढ़ गई है, 440 रुपये का 50 के. जी. का कट्टा लेकर आदमी अपने खेत में नहीं डाल सकता, नतीजा क्या निकलेगा। केवल यूरिया का प्रयोग होगा आप जानते हैं केवल यूरिया के प्रयोग से क्या होगा यूरिया वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, वह न दाना बोल्ड करती है अनाज का और न जड़ें मजबूत करती है। अच्छी फसल देने के लिये उसमें फास्फेट और सुपर फास्फेट या

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

डी. ए. पी. इन तीनों चीजों की आवश्यकता है पोटाश की भी, सुपर फास्फेट की भी और यूरिया की भी। लेकिन केवल अकेली नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे-धीरे जमीन ऊसर हो जायेगी और उस जमीन में कुछ नहीं पैदा होगा, इसलिए बहुत खतरनाक स्थिति है। यदि आपने इसके ऊपर सब्सिडी नहीं दी और यहां पर सैल्स टैक्स को माफ नहीं किया, यह सेल्स टैक्स तो आप माफ कर सकते हैं, राजस्थान सरकार कर सकती है इसलिए खाद पर सैल्स टैक्स माफ होना चाहिये। आप सैल्स टैक्स माफ कीजिये और इसके साथ ही साथ आप सब्सिडी दीजिये वरना इस अर्द्ध रेगिस्तानी जिसको कहना चाहिये, अनउपजाऊ प्रदेश को तो आप बिल्कुल ही बंजर बना करके छोड़ देंगे इसलिए यह बहुत खतरनाक स्थिति है। आपको इस स्थिति को समझना चाहिये और इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि तीनों तरफ से काश्तकार के ऊपर जो मार हो रही है, केवल आप यह कहकर नहीं प्रसन्न हो सकते हैं कि भैरोंसिंह जी के चरण कमल पड़े और इससे बारिश अच्छी हो गई। यह कहकर के बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपका क्या अहसान है बारिश हो गई तो ? राजस्थान की सरकार यदि किसानों की हिमायती है, यदि चाहती है कि यहां पर अन्न का उत्पादन बढ़ता रहे और होता रहे तो राजस्थान की सरकार को चाहिये कि सैल्स टैक्स माफ करें, राजस्थान की सरकार को चाहिये कि डी. ए. पी. और सुपर फास्फेट के ऊपर सब्सिडी दे काश्तकारों को और इसके साथ ही साथ यह आपने जो 13 पैसा, आप कहते हैं हमने ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में, इस कांफ्रेंस के अन्दर हमने इस बात को ऊर्जा मंत्रीजी के कहने से, भारत सरकार के कहने से हमने बढ़ाया है। पैसा किसी अन्य स्टेट में तो नहीं बढ़ाया, केवल राजस्थान की सरकार को ही पहल करने की क्या आवश्यकता थी इस बारे में। भारत सरकार की नीति यदि कांग्रेस की है और यदि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री यदि कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा तो कांग्रेस की किसी सरकार ने तो नहीं बढ़ाया....

श्री रामनारायण विश्नोई : बढ़ाया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसने बढ़ाया है ?

श्री रामनारायण विश्नोई : हरियाणा ने बढ़ाया है, कर्नाटक ने बढ़ाया है, असम ने बढ़ाया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हरियाणा ने, एक ने बढ़ाया होगा। हरियाणा के अलावा किसी ने नहीं बढ़ाया, आपको इसमें पहल करने की क्या आवश्यकता थी। उड़ीसा में आज भी कम है....(व्यवधान)... सुनिये आप। यदि कर्नाटक में बढ़ाया है तो कर्नाटक के अन्दर तो 10 हार्स पावर तक तो बिजली माफ है। 10 हार्स पावर तक जो एग्रीकल्चर के कनेक्शन हैं, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तमिलनाडू में तो सारा ही माफ है लेकिन कर्नाटक के अन्दर 10 हार्स पावर तक का कोई बिजली का एग्रीकल्चर टैरिफ नहीं लिया जाता।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

10 हार्स पावर से ज्यादा वहां किसी को आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट तो हो गये आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं दो मिनट में ही समाप्त कर रही हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन चूंकि मुझे बीच में चैलेंज कर दिया मंत्रीजी ने, वरना मैं अपनी बात समाप्त कर रही थी। उन्होंने चैलेंज कर दिया इसलिए मुझे कहना आवश्यक हो गया, तो मैं निवेदन कर रही थी अध्यक्ष महोदय, वहां पर तो 10 एच. पी. से ज्यादा किसी को आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पानी ऊंचा है कर्नाटक के अन्दर इसलिए वहां तो करीब-करीब एक तरह से माफ है और आप जो फरमा रहे हैं, हरियाणा के अन्दर, एक हरियाणा ने किया होगा. 54 90 एग्रीकल्चर का टैरिफ है, इसके अलावा सारे स्टेट्स, सबके अन्दर राजस्थान सबसे ऊंचा है और आपकी इस बात के लिए उन मुख्य मंत्रीजी को, सदन के उन नेता को जिन्होंने 2 पैसे के ऊपर आन्दोलन किया, वह 6 महीने के भीतर-भीतर 13 नया पैसा एग्रीकल्चर की टेरिफ का बढ़ा दें, यह मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे उनकी आत्मा मानी है इस बात के लिए और मैं उनको इस बात के लिए आगाह कर देना चाहती हूं कि वह इस गलतफहमी में नहीं रहे, यदि उन्होंने इस एग्रीकल्चर की बढ़ी हुई 13 पैसे की टेरिफ को कम नहीं किया तो मैं राजस्थान का काश्तकार, जिसके बलबूते के ऊपर कोई भी पार्टी चाहे इधर बैठने वाली कांग्रेस पार्टी हो चाहे उधर बैठने वाले सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे जनता दल (दिग्विजय) के लोग हो, मैं उनको आगाह कर देना चाहती हूं कि राजस्थान का काश्तकार इतनी बड़ी बेरहमी के लिए उनको कभी माफ नहीं करेगा इसलिए मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ चारों तरफ से आप उसे मार रहे हैं, काश्तकार को इस तरह से गला घोंटकर मत मारिये, उसे आप जिन्दा रखिये। वही इस देश की धरती चीरकर आपका अन्न का उत्पादन. आपकी इकोनोमी को यदि कोई ठीक करेगा, यह भारत की अर्थ-व्यवस्था उद्योग के जरिये नहीं सुधरने वाली है, यह भारत की अर्थ-व्यवस्था यदि सुधरेगी तो एग्रीकल्चर के उत्पादन के जरिये ही सुधरेगी, इसलिए ध्यान रखिये इस बात का कि जबरदस्त विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय,....मैं मनुष्य हूं, इसके अलावा आप जो भी सम्बोधन देना चाहे वो हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगी.... (व्यवधान) भगवान के यहां तो पैदा होते हैं प्राणी और आप केटेगराइज करते हैं, मैं क्या करू। मान्यवर, इराक और कुवैत में युद्ध हुआ तो युद्ध के नाम पर पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाये गये और यह कहा गया कि चूंकि युद्ध में आने वाला सारा माल मिल ही नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से इसकी व्यवस्था कर रहे हैं देश के लिए इसलिए महंगाई तो बर्दाश्त करो। उस समय लगभग विरोध नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, परिस्थितियां सामने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

थी, अभी कोई परिस्थिति भी सामने नहीं और युद्ध बंद होने के बाद सभी लोग सोचते थे कि दाम कम कर दिये जायेंगे, व्यवस्था ठीक रहेगी, वह नहीं किये गये। केन्द्र सरकार ने फिर अकस्मात ही पता नहीं क्या सोचकर फिर दाम बढ़ा दिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सब चीजों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। कौनसी ऐसी चीज है जो महंगी नहीं होगी। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य के घर में शायद सीधा ही सब सामान आ जाता होगा, मदेरणा जी के घर में भी केन्द्र सरकार शायद सीधा ही सामान भेज देती होगी, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के घर भी शायद आ जाता होगा लेकिन आपने आम जनता का ख्याल नहीं किया। चाहिए तो यह था और मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगी कि यहा एक प्रस्ताव लाकर केन्द्र सरकार के पास भेजें कि या तो वह दाम कम करें या इस्तीफा देकर चली जाय। यह मेरा सुझाव है, जो सरकार ठीक तरह से चल नहीं सकती (व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि न केवल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये, अब डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़ने पर जितनी चर्चा हुई, थोड़े-थोड़े, छोटी सवारियों को लेकर चलने वालों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और हमारे ग्रामीण जनों पर तो इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। मैं समझती हूं खेत की बात है। केन्द्र सरकार ने बिना सोचे समझे इस प्रकार का एक कदम उठाया है जो सर्वथा निन्दनीय है और इसको वापस ले लेना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि दिल्ली में दाम कुछ और है, 10 कदम बढ़ते ही दाम कुछ और है, विदेशों में दाम बहुत कम है। क्या बात है कि केन्द्र सरकार अपना दबाव देकर के इन दामों को कम नहीं करवा सकती। इतनी अगर असमर्थ है तो रखने से क्या फायदा और फिर जब बार-बार यह कहते हैं, कथनी और करनी में अन्तर है। श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मैं 100 दिन में सारी अर्थ-व्यवस्था को ठीक करके जितनी महंगाई बढ़ी है उसको कम करके दिखला दूंगा और 100 दिन के अन्दर-अन्दर मुझे नहीं दिखाये तो दुनिया को दिखाये। बंधु, कुछ सोचो, कुछ विचार करो और यह देखें कि कहां की ओर, किधर की ओर कौन जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यही नहीं, जितनी कीमत बढ़ी है, उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगी, आंकड़े तो बहुत लोग दे चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, गैस पर....

श्री अध्यक्ष : उजला जी, आपको देखकर कहीं से एहसास नहीं होगा कि महंगाई बढ़ रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो साहब, मैं क्या बताऊं, अपना-अपना शरीर है। मेरी वंश परम्परा में अगर मैं इस प्रकार दूं और आपकी परम्परा में आप हो, औरों की परम्परा में लोग उस प्रकार हो, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूं। कोई उसका उपचार इस पर नहीं चलता और खाने-पीने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। मैंने 44 दिन तक पूरा खाना बंद करके देख लिया, एक किलो तो क्या, एक पाव भर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कम नहीं हुआ और आपने तो किसी ने पूछा नहीं कि तूने खाना खाया है कि नहीं तो मैंने कहा छोड़ो, जीने के लिए जितना खाया जा सकता है, उतना तो लो।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, गैस पर एकदम से 15 रुपये बढ़ा दिये। करना तो यह चाहिये था महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि वह लकड़ी जलाना बन्द करें और अन्य ईंधन जलाना बंद करें। कोयले के बैगन चोरी हो जाते हैं सीमा पर, मैं निवेदन करना चाहूंगी, काहे की रोटी बनेगी। पेड़ों पर तो उतने फल भी नहीं लगते कि कच्चा खाने की आदत डाल लें। मैं निवेदन करना चाहूंगी, क्या सोच कर इस प्रकार गैस पर, जिसको प्रोत्साहित करके, दाम कम करके और इसको गांव-गांव और शहर-शहर तक फैलाया जाना चाहिये था, हमारे जंगल जो अब लगे, जो उजड़ गये, उनकी सीमा में नहीं जाऊंगी। प्रतिशत कितना बचा है, आप देख लीजिये। अगर देश की, प्रदेश की बहब्रूदी चाहिये तो हमको लकड़ी जलाने की आदत कम करनी पड़ेगी। यह सोचते हुए भी सरकार ने हमारे प्रदेश में भी इसमें कोई छूट नहीं दी। पूरे देश को प्रोत्साहित करने की बजाय महिलाओं के खर्च पर दाम बढ़ाये हैं। जितना उनके घर का बजट होता है, उस पर बहुत बड़ा आघात किया है। अब न केवल गैस के कारण आघात हुआ है, यह सारी परम्परा जो डीजल, गैस और पैट्रोल की है, इससे किस चीज के दाम नहीं बढ़ेंगे। जो भी माल लाया जायेगा, सब पर दाम बढ़ेंगे और आज मंत्री महोदय कह रहे थे कि भाड़े की वजह से भी बिजली की दर बढ़ाई है। मैं कहना चाहूंगी, इस प्रकार से महिलाओं के बजट की क्या स्थिति होगी? यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहूंगी केन्द्रीय सरकार ने सोचा नहीं। अभी न केवल इन चीजों पर दाम बढ़ाये हैं। अध्यक्ष महोदय, राशन की चीजें कौन खरीदता है? जो बहुत गरीब होता है। उस चीनी पर भी दाम बढ़ाये, गेहूं पर भी दाम बढ़ाये हैं, चावल पर भी दाम बढ़ाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी केन्द्रीय सरकार को इस पर सोचना चाहिए। इस प्रकार की अव्यवस्था, यानि आधा किलो महीने में चीनी देंगे और उस पर भी दाम बढ़े। कोई अमीर आदमी किसी राशन की दुकान पर जाकर खड़ा नहीं होता। शायद किसी ने राशन कार्ड भी नहीं बना रखे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस सारी अव्यवस्था को जो केन्द्रीय सरकार ने सारे देश के सामने ला दी है इसका सशक्त विरोध होना चाहिए। अभी कल कुछ बहिनें यहाँ पर आई और उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार इस्तीफा दें, ऐसी मांग की तो मैं समझती हूं शायद कुर्सी से हटने के बाद और केन्द्र की कुर्सी की तरफ देखने के बाद नजरिया ही बदल गया। यहां उस बात को गंभीरता से लेने की बजाय सुबह से मैं सुन रही हूं मजाक कर रहे हैं कि बढ़ा दिया तो क्या हुआ? आपने बिजली पर दो पैसे क्यों बढ़ा दिये? मैं पूछती हूं 15 रुपये गैस के क्यों बढ़ा दिये? आपके पास कोई तर्क है? आपके पास कोई तर्क नहीं है। मैं निवेदन चाहूंगी इस तरह की महंगाई से बहुत परेशानी पैदा होने वाली है। निवेदन यह है कि बिजली

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

की दर पर राज्य सरकार ने पैसा बढ़ाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी पिछले सालों में जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी तो कितने आंदोलन हुए? उन आंदोलनों में मुझे भी भाग लेना पड़ा और ऐसे आंदोलन हुए कि इस्तीफा दो या बिजली पूरी दो। पूरी बिजली दी नहीं और अभी मैं समझती हूं कि व्यवस्था ठीक चल रही है फिर भी मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि आप मंत्रिमण्डल में बैठकर विचार करें और यह देखें कि किसान पर पैसा बढ़ाने की बजाय खाद पर पैसा बढ़ाने की बजाय आपको सलाह देती हूं शराब पर पैसा बढ़ायें। उससे किसी को हानि नहीं होगी और जितना पैसा आप चाहेंगे उतना पैसा निकल सकेगा। उस पर इतना अधिक बढ़ाइये, जो लोग देंगे यदि उन्हें पीना होगा और जिन्हें मरना होगा।

श्री अध्यक्ष : आज आप शराब की वकालत कर रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं शराब पर दाम बढ़ाने की बात कर रही हूं। डीजल पर बढ़ाने की बजाय, गैस पर बढ़ाने की बजाय, खाद पर बढ़ाने की बजाय शराब पर बढ़ाइये। अगर वह महंगी होगी तो कम पीयेंगे और कम मरेंगे। आप मेरा सुझाव मानते नहीं....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं धन्यवाद देती हूं मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, बिजली, खाद, डीजल, पैट्रोल और रसोई गैस की वृद्धि से जनता में जो आक्रोश है उसको ध्यान में रखते हुए आपने लम्बी बहस आज सदन में करवाई इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे हैं और मैं भी सुझाव के साथ कोई मांग करूंगा और मंत्रीजी से अपेक्षा करूंगा जो कुछ डीजल, खाद और बिजली इन तीन के दाम बढ़ने का सीधा असर प्रदेश के गरीब किसानों पर पड़ा है और माननीय मंत्रीजी भी इसी वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं इसलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आप कोई घोषणा करेंगे।

अध्यक्षजी, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, इन 5 चीजों के जो दाम बढ़े हैं इनके पीछे आज की बहस से भी यही नतीजा निकलता है और सरकार भी एक ही तर्क देती है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में घाटा है और केन्द्र सरकार की ओर से निर्देश है कि 3 पर्सेन्ट उसे लाभ में लाना है। केन्द्र में जो पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं उसके पीछे भी 4000 करोड़ का घाटा है उसे पूरा करना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चाहे वह सरकार केन्द्र की हो, चाहे राजस्थान की चुनी हुई सरकार हो और कल्याणकारी समाज की कल्पना रखती हो यह ध्यान में रखते हुए कि इस अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने की बात करती है। इसका

(डा. चन्द्रभान)

सीधा असर किन लोगों पर पड़ेगा ? क्या देश की अर्थ-व्यवस्था को ठीक-ठाक करने और उसमें सुधार करने का ठेका इन गरीब किसानों के ऊपर है और मैं कहना चाहूंगा चाहे थोड़े ही समय के लिए केन्द्र में हमारी हुकूमत रही, चौधरी चरणसिंह जी ने जो कर्जा माफ किया या किसानों को उनकी फसल के दाम बढ़ाये उन सब पर पानी फेरने का काम राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केन्द्र की कॉंग्रेस सरकार ने कर दिया। आज बिजली के दाम बढ़ने के बाद में, डीजल के दाम बढ़ने के बाद में और खाद के मूल्य बढ़ने के बाद में, जो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था वह उसके कारण से फिर घाटे की स्थिति में चले जायेंगे और खेती करना अब फायदे की बात तो छोड़िये जीवन-यापन के लिए भी एक जरूरी धंधा नहीं रह जायेगा।

जहां तक डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का सवाल है इनके दाम बढ़े हैं ही इनकी सप्लाई भी अवरूद्ध हो गई है। जहां तक खाद का सवाल है आप खुद मांगते हैं। ऐसी बात नहीं है आपके पास यहां पर खाद का स्टोरेज नहीं है। 18 हजार आपने बताया कि डी. ए. पी. है और सुपर फास्फेट भी है फिर भी किसानों को खाद नहीं मिलता है और रसोई गैस के संबंध में मैं खाद्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 16 रुपये जब से बढ़े हैं उसके बाद में जितने भी गैस वितरक हैं उन्होंने उनकी ब्लेकमार्केटिंग करना शुरू किया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनकी हड़ताल हो रखी है।

डॉ. चन्द्रभान : उनके खिलाफ सख्ती हो रही है इसलिए वे हड़ताल कर रहे हैं। यह अच्छी बात हे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको तो खाना बना-बनाया मिल जायेगा हमको तो बनाना पड़ेगा।

डॉ. चन्द्रभान : हड़ताल तो खैर तुड़वायेंगे, हम ही नहीं चाहते हड़ताल हो। लेकिन मंत्रीजी ने यह अच्छा काम किया है कि इनके यहां छापे पड़े हैं और जो लोग ब्लेक करते थे उनके खिलाफ कार्यवाही की है। लेकिन रसोई गैस भी उपलब्ध नहीं हो रही है और उनकी हड़ताल भी चल रही है।

यहां पर तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 4000 करोड़ का घाटा कहां से निकलेगा ? अब मैं कहूं तो अच्छा तो नहीं लगता लेकिन मैं यह कहूं कि शेयर घोटाले में से निकलेगा। सरकार को जहां सख्ती बरतनी चाहिए वहां तो सरकार सख्ती नहीं बरतती है और जहां सरकार यह जानती है कि भोली-भाली जनता है, इसमें चेतना नहीं है, इस पर कितना ही भार लाद दो क्योंकि इसमें जन-चेतना नहीं है इसलिए इस पर जो चाहो जो भार लाद दो यह सरकार का कदम जन-विरोधी है। अध्यक्ष महोदय, चाहे वह सरकार राजस्थान की सरकार हो, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा केवल बिजली और वह भी किसान के बारे में

(डा. चन्द्रभान)

एक सवाल करना चाहूंगा । चूंकि सदन का मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन मंत्रीजी ग्राप यह बतायें कि ग्राप टेलीफोन करते हैं या नहीं करते हैं ? ग्राप दिन में टेलीफोन करते हैं तो उसकी रेट क्या है शाम को 7 बजे से 10 बजे के बीच में टेलीफोन करते हैं तो उसकी रेट क्या है ग्रौर रात के 10 बजे से सवेरे 7 बजे के बीच में टेलीफोन करते हैं उसकी रेट क्या है ? ग्राप किसान को कौनसे समय बिजली देते हैं ? मैं मंत्रीजी से यह स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं ग्रौर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के ग्रधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि ग्राप बार-बार यह प्रचार करते हैं, ग्राप ग्रखबारों में विज्ञापन निकालते हैं ग्रौर किसानों की बेइज्जती करते हैं कि किसान ग्रपने गिरेबान में झांककर देखें । मैं ग्रापको पूछना चाहता हूं कि रात की टेलीफोन की दर 7 से 10 बजे के बीच में ग्राधी रह जाती है ग्रौर 10 बजे से लेकर सुवह 7 बजे तक एक चौथाई रह जाती है । ग्राप किसानों को बिजली देते हैं रात के वक्त ग्रौर यदि वे 36 पैसा देते हैं तो ग्राप क्या ग्रहसान करते हैं ? रात को ग्रापकी बिजली को लेता ही कौन है ? मैं ग्रापसे यह पूछना चाहता हूं ग्रौर ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि ग्राप 46 पैसा लें, 47 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली किसान को दीजिए लेकिन ग्रापको सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में देनी होगी । यह राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ग्रौर राजस्थान सरकार को मंजूर है क्या ? जब ग्रापका लोड फेक्टर कम होता है, जब बिजली का कोई उपयोग नही करते, शहर के लोग उपयोग नहीं करते उस समय ग्राप किसान को वो बिजली देते हैं । ग्रौर ग्रापकी उस पर प्रोडक्शन कास्ट भी, जनरेशन कास्ट भी कम ग्राती है । इसी के साथ में जो घाटे की बात कहते हैं, मैं दो-तीन निवेदन ग्रापके माध्यम से करना चाहूंगा । एक तो यह कहना चाहूंगा कि ग्राज ग्राप यह घोषणा करें कि किसानों को दिन में बिजली देंगे या नहीं देंगे । यदि दिन में ग्राप किसान को बिजली नहीं देते हैं तो ग्रध्यक्ष महोदय, जैसे टेलोफोन की रेट रात को एक चौथाई होती है, वैसे ही घरेलू उपभोक्ता ग्रौर लघु उद्योगों के लिए जो बिजली दी जाती है उसकी एक चौथाई दर पर ग्रापको रात को दस बजे से सवेरे पांच बजे तक के बीच में किसानों को बिजली उपलब्ध करानी चाहिए । ग्रापसे यह सवाल हम पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली, ग्राप इस सवाल को टालने का काम मत करना । इसी के साथ ग्रध्यक्ष महोदय, यह घाटे की बात कहते हैं । घाटे के लिए भी कई कारण हो सकते हैं । जब डीजल का दाम बढ़ता है तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम किराया बढ़ा देता है ग्रौर तीस तारीख को यहां पर चर्चा होगी सदन में, मैं समय जाया नहीं करना चाहता, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम साढे तेरह करोड़ रुपये फायदे में है । ग्राप पूछेंगे साढ़े तेरह करोड़ के फायदे में रहता है या नहीं रहता है, डीजल का दाम बढ़ते ही दस करोड़, उधर दाम बढ़े डीजल के, इधर गरीब जनता की जेब को काटने का काम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम शुरू

(डा. चन्द्रभान)

कर देगा। बिजली की चोरी होती हो (व्यवधान) राजस्थान सरकार से ही संबंधित है वह उपक्रम ! बिजली की चोरी होती हो, आपके विभाग में भ्रष्टाचार हो, अकार्यकुशलता हो, तकनीकी सुधार आप लोग कहते नहीं हैं, फिजूलखर्ची के बारे में कई बार सुझाव दे चुका, यह आपके डाक बंगले, गेस्ट हाउस हैं आर. एस. ई. बी. वाले, इनको बेचो आप, करोड़ों रुपये मिलेंगे आपको पूरे राजस्थान में और दिल्ली वाले गेस्ट हाउस को बेचने का आप काम करो। लेकिन यह काम आप लोग नहीं करेंगे। आपको राजस्थान हाउस में, पी. डब्लू. डी. के डाक बंगलाज में रुकने की सुविधा है आर. एस. ई. बी. के इंजीनियर्स को. आप क्यों नहीं उनको बेचने का काम करते। मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। दवे साहब को यहां सब लोग प्रशंसा करते हैं। दवे साहब पहले थे....(व्यवधान)....नहीं, आपकी चर्चा नहीं, विद्युत मण्डल की चर्चा हो रही है। दवे साहब पहले थे तो इनके विभाग में कोई एक अधिकारी थे अधीक्षण अभियन्ता, अब वह अधीक्षण अभियन्ता साहब दोबारा उसी काम को देख रहे हैं जो इनको समय में परचेजिंग का काम करते थे और वही अधीक्षण अभियन्ता प्रमोट होकर डिपटी चीफ इंजीनियर हो गये, फिर भी वह उसी काम को देखते हैं, उस पोस्ट को भी अपग्रेड करने का काम कर दिया गया और इसमें क्या हो रहा है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें क्या हो गया।

डॉ. चन्द्रभान : मैं कह रहा हूं इसकी जांच हो जानी चाहिए. पहले भी उनकी जांच हुई है और इसी सदन में इसकी चर्चा हुई है और वह भ्रष्ट पाये गये, जिस इंजीनियर को मैं चर्चा करना चाहता हूं और फिर.—

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप गलत बोल रहे हैं।

डॉ. चन्द्रभान : मैं मांग कर रहा हूं, आप जांच करा लीजिए मंत्रीजी। मैं केवल चर्चा कर रहा हूं, आप जांच करा लीजिए। इसी के साथ चाहे भ्रष्टाचार हो, फिजूलखर्ची हो, लाइन लोसेज की बात कहना चाहूंगा। सरकार ने तीन अगस्त को कहा कि 21 प्रतिशत लाइन लोसेज रह गये हैं और 14 सितम्बर को कहा कि साढ़े बाइस प्रतिशत और अब कहते हैं कि बाइस प्रतिशत राष्ट्रीय हैं और हमारा बाइस प्रतिशत से कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि राजस्थान में आज के दिन भी जो लाइन लोसेज हैं वह 26 प्रतिशत से कम नहीं है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए टेक्नीकल लोगों की एक टीम बनाने का काम कीजिए। 21 प्रतिशत लाइन लोसेज राजस्थान में है. यह केवल आंकड़े देने से काम नहीं चलने वाला है। तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड में अन्य जो घाटे के कारण हैं उन पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और उनको दूर करने का काम करना चाहिए। पैट्रोल, डीजल और खाद के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है, इस सदन को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव लेना चाहिए

(डा. चन्द्रभान)

और वहां कीमतें बढ़ी हैं, उनका विरोध करना चाहिए। इसी के साथ में सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप घोषणा करें और अंत में यही कहना चाहता हूं, बिजली की दरों में जो वृद्धि आपने की है उसको आज वापस लेने की घोषणा नहीं की तो आज तो हम इस सदन में चर्चा करते हैं, यदि आप घोषणा नहीं करेंगे तो हम जनता के बीच में जायेंगे। हम लोग पहले भी जनता के बीच में गये हैं, जनमत तैयार करेंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे। आज यह सदन उठेगा, दो दिन की छुट्टी होगी, 25 तारीख को इस विधान सभा के सामने इसी मुद्दे को लेकर हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे और समूचे राजस्थान में, आप लोग यह समझते हैं कि इसका कोई विरोध नहीं है, एक अक्टूबर को किसानों के हाथों में बिल जायेगा तब किसान को पता लगेगा और हम लोग भी, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि सरकार आज घोषणा नहीं करती है तो हम जनता के बीच में जायेंगे और जन आंदोलन करेंगे और हमारी कोशिश में, जनता के हित में आप लोगों से कहना चाहता हूं. यदि आप अपना भी हित थोड़ा-बहुत समझते हैं तो आपको दरें वापस ले लेनी चाहिए..

श्री अध्यक्ष : आप तो धन्यवाद दे रहे थे। श्री राजेन्द्र पारीक।

डा. चन्द्रभान : अन्यथा आप लोग भी इनकी तरह से सरकार में नहीं रहेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली जैसे अहम मुद्दे पर आपने जो चर्चा करवाई है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सदन में सुबह से ही इस मामले पर काफी लम्बे-चौड़े आंकड़े देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि बिजली जैसी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आवाज धीरे आ रही है साहब....

श्री अध्यक्ष : शांति से बोलने दीजिए, काहे को प्रोवोक कर रहे हैं। जबरदस्ती प्रोवोक कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : अहम उपयोगिता की जो चीज है उसमें इस तरह से जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके पीछे निश्चित कारण तो हैं ही हैं, इसके लिए कोई डिनाइ करने जैसी बात नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके पीछे यह कारण है कि घाटा है और यही का यही कारण हमारी सरकार के माननीय विद्युत मंत्री ने कहा है कि बिजली ऊंची रेट पर खरीद कर कम पैसे में दे रहे हैं और इससे बोर्ड को काफी बड़ा घाटा हो रहा है और उस घाटे को पूरा करने के लिए हमें कीमत बढ़ानी पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, जिस चीज पर इतना बड़ा घाटा हो रहा हो और उसके लिए हमने तय कर लिया कि केवल कीमत बढ़ा कर हम बार-बार इस घाटे की पूर्ति करते रहेंगे, पहले पांच पैसे बढ़ाये, फिर आठ पैसे बढ़ाये। अब मैं सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या केवल मात्र यही एक ऐसा साधन बचे गया? बराबर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

यह घाटा तो बढ़ता रहेगा, जिस तरह से विद्युत मण्डल का कार्य चल रहा है उससे यह बात तो तय है कि घाटा कम होने की बजाय और बढ़ेगा। तो क्या केवल मात्र यही एक साधन है कि बार-बार हर तीसरे महीने, चौथे महीने और दसवें महीने बिजली की कीमत बढ़ाते रहेंगे और किसानों तथा दूसरे उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालते रहेंगे और इस घाटे की पूर्ति करते रहेंगे। या इनके पास कोई अन्य प्रोग्राम और कोई प्लान है? यदि अन्य कोई प्रोग्राम और प्लान नहीं है तब तो अध्यक्ष महोदय, बड़े क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस विद्युत मण्डल को आज आपने इतना ऊपर उठा रखा है इसकी अकर्मण्यता और इसकी अकार्यकुशलता से एक प्रश्नचिह्न लग गया है....

श्री अध्यक्ष : कर्मण्यता पर प्रश्नचिन्ह लगा है या अकर्मण्यता पर ?

श्री राजेन्द्र पारीक : इनकी कार्य-कुशलता पर। यह अकर्मण्यता है इसलिए साफ जाहिर हो जाता है कि अकर्मण्य हैं। जहां आज के पांच साल पहले बीस लाख के करीब उपभोक्ता थे, आज जहां तक मैं समझता हूं, मेरी जानकारी में आज करीब इकतीस या बत्तीस लाख के करीब उपभोक्ता हैं। जहां आज के पांच साल पहले पर कैपिटा उपभोग 124 यूनिट के करीब था, आज बढ़ कर दो सौ यूनिट के करीब हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद बोर्ड ने अपने साधन बढ़ाये कितने? बढ़ाने के नाम पर जैसा कि हमारे नेता महोदय अभी बता रहे थे कि दो मेगावाट बिजली का, और इनके पास कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सोर्सेज तो लिमिटेड हैं और उपभोग बढ़ रहा है। आखिर इस उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए बोर्ड कब तय करेगा कि हमें अपने साधनों को बढ़ाना है। चित्तौड़गढ़ की जो योजना थी इन्होंने इसको सेंचुरी को देने की बात की लेकिन आज इतने समय बाद भी केवल मात्र इनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं हुआ है। पलाना लिग्नाइट के लिए माननीय नेता महोदय ने पिछली बार बताया था कि हमारा लैटर ऑफ इन्टेंट सेंक्शन हो गया है और अब बहुत जल्दी ही हम इसकी घोषणा करने वाले हैं। उस मामले में भी जहां थे वहीं के वहीं हैं। केवल इन घोषणाओं से यदि बिजली का उत्पादन बढ़ने की स्थिति होती तो इतनी घोषणाओं के बजाय इससे कहीं और ज्यादा घोषणा कर देते तो ज्यादा बढ़िया होता। आज राजस्थान की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि आपके पास ऐसे कौन से साधन हैं, कौन से प्रोग्राम हैं जिनसे आप इस देश की जनता को बिजली मुहैया करायेंगे। एक ओर आप पूरे का पूरा पैसा बढ़ाते चले जा रहे हैं, दूसरी ओर बिजली के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। जहां किसान आप से बिजली मांगता है दिन में, वहां आप किसान को बिजली देते हैं रात में, कड़कड़ाती ठंड में किसान खेत में मरता रहता है लेकिन आपके दिल में यह रहम तो आता नहीं। क्योंकि आपको तो उस हालात में जाकर खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है जिस हालात में किसान मरते हैं। माननीय विद्युत मंत्री महोदय, आपको यह

(श्री राजेन्द्र पारीक)

निश्चित करना होगा, केवल केन्द्र सरकार पर यह दोषारोपण करके कि आपकी वजह से हमने यह कीमत बढ़ाई है, आप भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। माननीय नेता महोदय का जब अभी रिप्लाई आयेगा तो उसमें अधिक जोर इस बात पर दिया जायेगा कि कांग्रेस के चालीस सालों में यह हुआ, इसलिए हम यह कर रहे हैं। कांग्रेस के चालीस सालों में कोई मील का पत्थर हो गया, वह कोई माइल स्टोन है जिस पर आपने तय कर लिया कि आपने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो कुछ चालीस सालों में किया, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है लेकिन आप जो कुछ करने जा रहे हैं उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। बार-बार यह कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से जो बचने की कोशिश करते हैं, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नेता महोदय को अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि बजाय यह कह करके अपना पल्लू झाड़ने के कि कांग्रेस के चालीस सालों में यह हुआ है इसलिए आज ऐसा हो रहा है, बजाय यह कहने के आज राजस्थान की जनता नेता महोदय से यह सुनने को उत्सुक है कि उनके पास में नये प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनकी नई प्लानिंग क्या है और इस बिजली बोर्ड का घाटा केवल मात्र पैसा बढ़ा कर पूरा करने के बजाय बिजली बोर्ड की कार्य-कुशलता को वह किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं। ... उनके पास में कोई टेक्नोक्रेट्स की कमी नहीं है, आफिसर्स की कमी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स की कमी नहीं है फिर क्या कारण है कि यह लाइन लासेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों घोषणा यह की गयी कि ट्रान्सफार्मर जलने की स्थिति में इमीडियेट उपलब्ध कराये जायेंगे और अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने, और इस बात की बड़े पुरजोर शब्दों में घोषणा की थी कि ट्रान्सफार्मर की अवेलेबिलिटी एकदम से पुख्ता हो गयी है। मैं भी ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर कृषि कनेक्शन जहां तक मैं समझता हूं सबसे ज्यादा है और आज ट्रान्सफार्मर्स की स्थिति ऐसी है कि किसान को वहां पर दस, दस और बीस, बीस दिन तक बैठे रहना पड़ता है। आपके वहां एक्स. ई. एन. और एस. ई. को टेलीफोन करना पड़ता है और उसके बाद भी वह यही कहता है कि आज अवेलेबल नहीं है, कल उपलब्ध करा रहे हैं, परसों उपलब्ध करा रहे हैं, 5 दिन बाद उपलब्ध करा रहे हैं। उधर किसानों की फसल जलने को हो जाती है और यह अकारण नहीं हो रहा है। इसके पीछे निश्चित कारण हैं। यदि हम यह कहें कि भ्रष्टाचार हो रहा है तब तो हमारे नेता महोदय को इसमें बड़ी आपत्ति हो जाती है। वह यह सुनना ही पसन्द नहीं करते कि आज सदन में बैठकर उनके सारे प्रशासन को भ्रष्टाचार की लाइन में डाल दें मैं भी क्यों चक्कर में पड़ूं। जब नेता महोदय ही एकदम से इनके शुद्ध आचरण को मानने को तैयार हैं तो सदन का कोई भी माननीय सदस्य इनको भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाता लेकिन लिप्त नहीं पाने के बावजूद इनकी कार्यकुशलता जो बराबर गिरती चली जा रही है इसके पीछे क्या कारण

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हैं ? इन कारणों में आपको जाना पड़ेगा और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है कि हम सब आपको सर्टीफिकेट देने को तैयार हैं, राजस्थान की पूरी की पूरी जनता जो आप चाहते हैं वह सर्टीफिकेट देने को तैयार है। किसान बस यह चाहता है कि उसको समय पर बिजली मिले और सस्ती दर पर बिजली मिले। पूरे देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त क्यों बनता चला जा रहा है जिसमें आये दिन बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद तो मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं कि आपने मुझे दस लाइन भी बोलने का मौका दिया। मैं तो इसी से अपने आपको कृत-कृतार्थ मान रहा हूं। मुझे आप केवल इतना ही मौका दे देते कि मैं खड़ा होकर माननीय अध्यक्ष कहकर भी शांति से बैठ जाता तो मैं तो उसके लिए ही कृतार्थ मान रहा था। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद.

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने खाद पर....

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं मेरे क्षेत्र की एक बात आपको कहना जरूरी समझता हूं। अभी गवर्नमेन्ट ने एक पालिसी निर्धारित की है। इसमें इन्होंने अकाल के जो क्षेत्र हैं उनको आइडेन्टीफाई किया है और वहां पर एक हजार कनेक्शन देने की जो इन्होंने घोषणा की है इसमें इन्होंने जो रखे हैं वह हैं बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर. जोधपुर और झुंझुनूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर भी अकाल की गिरफ्त में पूरी तरह से है। बल्कि आपका दांता रामगढ़, फतेहपुर, नीम का थाना कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की बड़ी कमी है और हर तरह से परेशानी है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी से यह आश्वासन चाहूंगा कि एक हजार कनेक्शन जो इन्होंने अकाल के क्षेत्र में दिये हैं कम से कम इन एक हजार कनेक्शनों में से सीकर को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और आप उसमें व्यस्त हैं ...

श्री अध्यक्ष : वह सुन रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने नयी पालिसी के तहत 19 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की है–होता हमेशा यह कि पिछले कनेक्शन तो बकाया रह जाते हैं। पिछले कनेक्शन को करेन्ट ईयर में देने की बात होनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछलों को अलग रखते हुए इस साल का जो कोटा है वह उसी साल में हो। दूसरा यह निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत मंत्री जी ने हाउस में यह घोषणा की थी कि जैसे ही लेण्ड कन्वर्जन होगा भूमि का रूपान्तरण हो जावेगा उसके साथ ही कन्ज्यूमर का नाम आटोमेटिकली उससे चेन्ज

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हो जायेगा लेकिन आज भी हालात वही के वही हैं। लोगों में इस बात को लेकर बड़ा विवाद है। इसलिए आप स्पष्ट करायें कि जैसे ही भूमि का नामान्तरण हो उसके साथ ही कन्ज्यूमर का नाम भी उस खाते में चेन्ज हो जाये।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री मदन दिलावर,

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने खाद पर, डीजल पर और पेट्रोल पर दाम बढ़ा करके एक तरह से किसानों का खून चूसने की जैसी नीति अपनाने का प्रयत्न किया है। खाद के भाव बढ़ेंगे, डीजल के भाव बढ़ेंगे तो डीजल के भाव बढ़ने से काश्तकार पर मार पड़ेगी, खाद के भाव बढ़ने से काश्तकार पर मार पड़ेगी और इस प्रकार से जो आम उपभोक्ता है, गरीब आदमी हैं वह इस बढ़ती हुई महंगाई से लड़खड़ा जायेंगे और गरीबों को दो जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि डीजल के भाव बढ़ने से साधारण आदमी पर कोई मार नहीं पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो माल आवक जावक वाहन हैं उन्हीं के माध्यम से सारी की सारी उपभोक्ता सामग्री का आवक जावक होता है और जो खाद से खाद्यान्न पैदा होता है उसमें भी खाद की आवश्यकता पड़ती है। यदि काश्तकार को खाद नहीं मिलेगी तो उत्पादन नहीं होगा और उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को खाने को अनाज नहीं मिलेगा और यदि खाने को अनाज नहीं मिलेगा तो हमारे देश को दूसरे देशों से अनाज लेना पड़ेगा याने हमारा देश फिर दूसरों के आगे जाकर हाथ पसारेगा और ऐसा लगेगा जैसे हम मांग रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों से बचने के लिए आवश्यक हो जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि डीजल के बढ़े हुए दाम वापिस लेने चाहिए। जो खाद पर दाम बढ़ाये हैं वह वापिस लेने चाहिए अदरवाइज यहां का काश्तकार और गरीब हो जायेगा और जो जमींदार लोग हैं उनके हाथों में सारी जमीन चली जायेगी क्योंकि मजबूर हो कर वह छोटी-छोटी जोत है वह उनको बेचनी पड़ेगी और एक दिन वह भी भीख का कटोरा लेकर गरीब आदमी बड़े आदमी के पास जायेगा। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से यह आग्रह है कि वह बढ़े हुए दामों को वापिस ले और बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता को बचाने की कोशिश करे और मेरा राजस्थान विधान सभा से भी ऐसा निवेदन है कि इस प्रकार एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजे....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, श्री अमृतलाल परमार।

श्री मदन दिलावर : मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था,

श्री अध्यक्ष : इसीलिए आपको बोलने की इजाजत दी है।

श्री मदन दिलावर : इसलिए मैं थोड़ा बिजली पर बोल लूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ी भारी क्रांति हमारी सरकार आने के बाद हुई है

(श्री मदन दिलावर)

और बड़ी ईमानदारी के साथ ठेठ गांवों में बिजली पहुंचाने का जो प्रयत्न चल रहा है वह सराहनीय है। पहले मैं जब आया ही था विधान सभा में चुनकर तो मैंने देखा था कि कई गांव ऐसे हैं कि जो रेकार्ड में विद्युतिकृत हैं परन्तु वहां खम्बे नहीं हैं, तार नहीं हैं और यहां पूछा तो बताया गया था कि वह खम्बे और तार तो कांग्रेस के जमाने में हवा में तूफान में उड़ गये। परन्तु हमारी सरकार आने के बाद इस प्रकार की जो गतिविधियां थीं बोर्ड की उस पर अंकुश लगा है और बड़े अच्छे तरीके से बिजली का वितरण हो रहा है। थोड़ी बहुत जो भी खामियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयत्न बिजली बोर्ड कर रहा है परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, सारा बोर्ड नहीं, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है। मेरे बारां जिले में भी एक एक्स.ईएन. हैं मि. एन. आर. सक्सेना उसने एक महीने में 10 लाख रुपये काश्तकारों से बटोरे हैं। मैं सदन के ध्यान में लाने के लिए तथ्य बता रहा हूं। मेरे पास कई लोगों के पत्र भी हैं और मैं इस आधार पर आपको बताना चाह रहा हूं कि चेड़ाना गांव में वर्ष 1991-92 में 25-7-85 तक विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र पेन्डिंग थे जब कि छेलाबेल गांव में 23-3-90 तक के आवेदनों को कनेक्शन दे दिये गये। इसी प्रकार बड़खेड़ी गांव में 21-2-89 के आवेदन लम्बित हैं परन्तु किशनपुरा में 17-8-91 तक के आवेदन पत्रों को कनेक्शन दे दिये गये। मैं यह मानता हूं कि यदि इस आधार पर दिये गये....

श्री अध्यक्ष : आपत्ति पेन्डिंग में है जो दे दिये गये उसमें। उसमें आपत्ति है ?

श्री मदन दिलावर : मेरी आपत्ति यह है कि समान रूप से देने चाहिए थे। आपत्ति इस बात पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इन्होंने इस प्रकार से नहीं माना और लम्बित जो कनेक्शन थे उसके आधार पर दिये तो मैं दूसरा उदाहरण देना चाह रहा हूं। अन्ताना गांव में 1991-92 के 48 आवेदन-पत्र लम्बित थे और उसमें मात्र 4 को कनेक्शन दिये गये हैं जबकि सौरोद में मात्र 31 में से दो....

श्री अध्यक्ष : बाकी लिस्ट आप मंत्रीजी को दे देना।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय. जो मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब आया है वह यह आया है कि आर्थिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से साध्य थे उनको दिया गया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो आर्थिक दृष्टि से साध्य पाये जाते हैं उनको कनेक्शन दे दिया जाता है तो फिर यह सिंगल और डबल कोर वाली नीति क्यों नहीं लागू कर दी जाती है। यह तो केवल उस अधिकारी को बचाने के लिए इस प्रकार से पुछल्ला जोड़ा गया है कि आर्थिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से जो साध्य थे उनको दिया गया है जब कि मेरे पास पत्र हैं कई और मेरा आकलन है कि एक महीने में 10 लाख रुपये उस एन. आर. सक्सेना ने इकट्ठे किये हैं....और इतना भ्रष्टाचार मचाया है कि मैं तो परेशान हो गया। हर आदमी आता है, मेरे कपड़े फाड़ता है कि यह एक्स.

(श्री मदन दिलावर)

ईएन. है आपका, इस प्रकार से ले रहा है, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार का काम बहुत बढ़िया है लेकिन उस अधिकारी को निलम्बित किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने डीजल, पैट्रोल, खाद के भाव बढ़ा कर राजस्थान के किसानों की कमर तोड़ दी है। यह वास्तव में सही है कि जब ईरान-इराक का युद्ध हो रहा था उस समय यह कहा जाता था कि युद्ध चल रहा है, डीजल मिलता नहीं है, अब तो कोई युद्ध है ही नहीं, इस प्रकार केन्द्र की सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है, कुठाराघात किया है। मेरी मांग है आपके मार्फत कि केन्द्र सरकार को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी प्रकार यदि खाद नहीं मिलेगा तो किसान खेती कैसे करेगा? यह तो भगवान की असीम कृपा है, भा. ज. पा. की सरकार जब भी प्रदेश में आयी है, पहले जनता पार्टी के नाम से सरकार आयी तब बरसात खूब अच्छी हुई थी, इस बार भी बरसात अच्छी हुई है। बरसात होने के बावजूद भी अगर किसानों को बराबर खाद नहीं मिला, समय पर खाद नहीं मिला तो खेती किस प्रकार होगी? अगर खेत में धान नहीं होगा तो बाजार में किस प्रकार आयेगा और बाजार में धान नहीं आयेगा तो जो खाने वाले हैं, जो रोटी-रोजी के लिए तरस रहे हैं, तो उनके पास अनाज कैसे आयेगा? तो पूरे देश की स्थिति बिगड़ जायेगी। जब खाने के लाले पड़ जायेंगे तो किसानों को रोड पर आना ही पड़ेगा और आप और हम सबको आना पड़ेगा। यह वास्तव में स्थिति है तो आज देश की हालत बिगड़ गयी है। अगर इस स्थिति को काबू नहीं किया गया और हमारी सरकार ने, केन्द्र सरकार पर दबाव नहीं डाला तो निश्चित रूप से यह मानना पड़ेगा कि जनता को रोड पर आना पड़ेगा और आन्दोलन छेड़ना पड़ेगा।

मेरी आपसे मांग है सदन के मार्फत कि तुरन्त केन्द्र सरकार को सावधान करना चाहिए कि समय रहते हुए अगर केन्द्र सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में जनता केन्द्र सरकार को नहीं बख्शेगी, यह मानकर चलना चाहिए।

इसी प्रकार मैं बिजली के बारे में बोलना चाहूंगा। बिजली के भाव जरूर बढ़े हैं, यह सही बात है। इसके अन्दर भी केन्द्र की नीति खराब थी उसके कारण हमको यह दिन देखने पड़ रहे हैं। यहां जो ऑफिसर बैठे हैं, मैं उनको इतना कहना चाहता हूं कि बिजली के भाव जरूर बढाये हैं, बाकी जो किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है, रात में बिजली देते हैं। अब सर्दी के दिन आ रहे हैं। रात को ठिठुरेंगे वह और बिजली मिलती है रात को और जब वहां का किसान खेती करने जाता है तो उधर से बिजली गायब हो जाती है और किसानों की मोटरें जल जाती हैं। इस प्रकार जो अफसर लोग यहां पर बैठे हैं, मैं उनको भी आगाह करना चाहूंगा कि नीति में फर्क लायें। किसानों को दिन में

(श्री अमृतलाल परमार)

बिजली मिलनी चाहिए और जो अपनी सरकार ने नीति अपनायी है, 10 घण्टे बिजली, तो 10 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए और दिन में बिजली मिलनी चाहिए ताकि खेती बराबर कर सके। वहां पर लाइन मैन चोरियां करते हैं और जब ऑफिसर को बोलते हैं हम; क्या हो रहा है ? तो वह बोलता है, हमको मालूम नहीं है। कभी किस खम्बे से लाइट गायब, किसी का फ्यूज गायब, इस प्रकार की नीति चलने वाली नहीं है। माननीय मंत्रीजी से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपने अफसर लोगों को चेतायें कि इस प्रकार इस पर गड़बड़ी नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री अमृतलाल परमार : मैं यहां पूछना चाहूंगा कि अगर केन्द्र सरकार को, आप लोगों ने आग्रह नहीं किया है तो हमको भी साथ में मिल कर किसानों के हक के लिए मैदान में आना पड़ेगा। उनकी सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की रहेगी। धन्यवाद, जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं सदन के सामने अपने विचार प्रस्तुत करूं, मैं केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे आदमी का आचरण ले लें, चाहे आप परिवार का ले लें, चाहे राष्ट्र का ले लें, वह उसके व्यक्तित्व और व्यवहार के ऊपर या परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो आदमी का आचरण भी शून्य में बदल जाता है। जब कोई तगड़ा आदमी, मजबूत आदमी मुझे गाली देता है तो मैं ऐसे महसूस करता हूं कि जैसे उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं और यदि कोई कमजोर आदमी मुझे गाली देता है तो हो सकता है मेरा आवेश बढ़ जाय और मैं उसे झापट मार दूं। मैं व्यक्ति वही हूं किन्तु परिस्थितियों ने परिवर्तन लिया और मेरे साथ आचरण में भी अपने आप परिवर्तन आया।

प्रश्न यह उठता है कि आखिर कौनसी ऐसी परिस्थिति है जिससे राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया, विवश किया कि आज हमको अपना टैरिफ बदलना पड़े और आज इसकी कीमतों में इजाफा करना पड़े ? मान्यवर, मैं केवल मात्र आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं अपने विचार रखूं, आदरणीय चन्दनमल बैदजी ने एक स्टेटमेण्ट दिया, एक बात कही कि इसके लिए राज्य सरकार नहीं अपितु कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, इस समुद्र के किनारे पर जामुवन्त भी हैं, हनुमान भी हैं, अंगद भी हैं, नल भी और नील भी हैं किन्तु जामुवन्त को इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि लंका के पार कौन जा सकता है और सीता की खबर कौन ला सकता है ? आदमी का सलेक्शन ही एक बहुत बड़ी कला है। कौन आदमी किस पर बिठाया जाय, अगर आप किसी दवाई की दुकान पर किसी हलवाई को बिठा दे तो निश्चित रूप से वह दुकान चलने वाली नहीं है। परिस्थितियां कौनसी हैं किस आदमी को

(श्री अर्जुनदास मदान)

कहां पर बैठाना पड़ेगा, यह भी उन्होंने नहीं सोचा कि अगर सलेक्शन भला किया है हमारी राज्य सरकार ने या हमारे मुख्य-मंत्री महोदय ने तो उसको बधाई देनी चाहिए। यदि घोड़ा सवारी ढोह रहा है तो हमेशा चाबुक मारना, यह कोई अच्छी बात नहीं। अगर वह ठीक काम कर रहा है तो उसकी पीठ भी कभी-कभी थपथपा दी जाय तो मैं समझता हूं उसका आत्मबल बढ़ेगा और इसी के साथ ही मैं केवल मात्र निवेदन करना चाहूंगा, उन परिस्थितियों पर आप....

श्री अध्यक्ष : आप तो रूपक में बोल रहे हैं, मैं भी नहीं समझ रहा।

श्री अर्जुनदास मदान : आप भी समझ रहे हैं. मान्यवर, आप मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे हैं। आप यह जानते हैं कि कब चाबुक मारना चाहिए और कब पीठ थप-थपानी चाहिए। आप थपथपाते हो और और चाबुक मारते हो। इसलिए आप यह कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं समझता हूं। मैंने कई बार देखा है आपको चाबुक हांकते हुए और कई बार यह भी देखा है कि पीठ थपथपाते हुए, इसलिए आप इससे, मैं तो यह मानता हूं आप वंज्रिका दे रहे हैं सदन को, अगर यह बात कह रहे हैं, मान्यवर,.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : उसको वंचिका तो मैं समझता हूं।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा टोटल लोसेस के ऊपर। 1984-85 में 211.44 लाख के लोसेस थे जो बढ़ते-बढ़ते 1989-90 में 151.38 हो गये और टोटल लोसेस आर. एस. ई. बी. के 556 3 लाख हो गये। यह 1989-90 वह जमाना था जबकि कांग्रेस की हुकूमत थी और उसके बाद इस लोसेस को हमारी सरकार ने कम किया और वह 1990-91 में सौ करोड़ के हो गये। 1991-92 में 105.44 करोड़ हो गये। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि जब टोटल कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है और लोसेस कम होते चले जा रहे हैं और यह आप मानते हैं कि प्रति यूनिट हमारा खर्चा पहले से या लोसेस की प्रति इकाई के ऊपर हमारे ज्यादा लोसेस हैं तो यह लोसेस का अमाउण्ट बढ़ना चाहिए था किन्तु यदि कम हुआ है तो उसके लिए जो प्रेशर है इसके लिए आशीर्वाद की बात है, उसके लिए धन्यवाद की पात्र हमारी सरकार है। मैं इसके बाद आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय कि यह घाटा बढ़ते-बढ़ते 1991-92 में सौ के बजाय 105 हो गया। 151 से कम हो गया और 761 करोड़। अब मैं इसी पर आपका निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ भी टैरिफ बदला है, अगर राज्य सरकार उसको अनुदान नहीं देती, इस आर. एस. ई. बी. को, जो कि पिछले वर्ष 162 करोड़ का दिया गया और इस बार 212 करोड़ का होने वाला है तो यह राज्य सभा का टैरिफ नहीं बदला जाता और अनुदान के मार्फत राज्य सरकार ने, अनुदान के मार्फत से मेरा तात्पर्य लोन के ऊपर जो पड़ने वाला ऋण था, जो उसके ऊपर ब्याज था उस

(श्री अर्जुनदास मदान)

ब्याज के मार्फत को सरकार ने समाप्त कर दिया और उसके ऊपर आर. एस. ई. बी. की स्थिति बदली। अगर यह टैरिफ नहीं बदला जाता और राज्य सरकार उसको अनुदान नहीं देती तो यह टोटल घाटा 939 करोड़ रुपये का बढ़ जाता इसलिए राज्य सरकार को इस परिस्थिति के अन्तर्गत आज हमको यह कहा जाता है इस टैरिफ को बदलना पड़ा, यह कहा जाता है किसान विरोधी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विरोधी लोगों से या सदन के पक्ष में बैठने वाले लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आखिर किसान विरोधी कैसे? कौनसी ऐसी परिस्थिति थी जो हम कर सकते थे और हमने नहीं की? और कई परिस्थिति ऐसी है जो हम नहीं कर सकते थे, उसको तो नहीं किया। आज राज्य सरकार ने बारानी भूमि पर सारा लगान माफ कर दिये उसके बावजूद जीवनधारा योजना, अंत्योदय योजना और नाना प्रकार की, अपना गांव अपना काम योजना है, इन योजनाओं के माध्यम से किसान के जीवन को उन्नत करने का प्रफुल्लित करने का, विकसित करने का यदि प्रयास किया है तो हमारी सरकार ने किया है।

(6.00 म. प.)

आज टैरिफ के ऊपर केवल मात्र यह कहना कि राज्य सरकार ने पैसे बढ़ा दिये, पैसा बढ़ाया किन परिस्थितियों से? मान्यवर, आपका ध्यान मैं 1948 के इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट की ओर ले जाना चाहूंगा जिसकी धारा 59 के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार को तीन प्रतिशत का लाभ अर्जित करना चाहिये, शुद्ध लाभ है, मान्यवर। उसके हिसाब से भी तीन प्रतिशत का लाभ आज तक कोई भी सरकार प्राप्त नहीं कर सकी। सूरतगढ़ की योजना जिसके ऊपर लगभग कुल मिलाकर 1403 करोड़ का खर्चा होना है, जहां पर 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा उसके लिये अगर हमें कुछ शर्तें बदलनी भी पड़ें तो इसमें क्या दुर्भावना है? कभी-कभी मान्यवर, लड़ाई जीतने के लिये सेना को दो कदम आगे बढ़ने की बजाय एक कदम पीछे हटना पड़ता है और उस विजय को प्राप्त करने के लिये कोई ऐसे साधन भी अपनाने पड़ते हैं जो हो सकता है लोगों को न सुहाये। लेकिन विवशताएं, मजबूरियां कुछ ऐसी आ जाती हैं परिस्थितियां, जिसके अन्तर्गत आदमी को अपना आचरण बदलना भी पड़ता है। यदि हम इस टैरिफ को नहीं बदलते या टैरिफ बदलकर राजस्थान की आर. एस. ई. बी. को तीन प्रतिशत लाभान्वित की स्थिति में नहीं लाते तो आज सूरतगढ़ की योजना बिल्कुल लड़खड़ा जाती। दूसरी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, आज कोटा थर्मल जहां से मेरा भी सम्बन्ध है, मेरे ही क्षेत्र में आता है वह, वहां आज बिजली की लागत 1.8 रुपया प्रति यूनिट आती है, मान लें कि आज की परिस्थिति में सूरतगढ़ का पावर हाउस खड़ा हो गया होता, आज 1.8 रुपया प्रति यूनिट हमारी लागत आती, टोटल के ऊपर मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं, केवल मात्र थर्मल पावर स्टेशन द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, तो

(श्री अर्जुनदास मदान)

1.8 रुपया हमारी होती, यदि आज की तारीख में सूरतगढ़ बन गया होता तो आज जो टोटल लागत राज्य सरकार की 1.30 रुपया आ रही है, जिसके स्थान पर केवल मात्र 1.10 रुपया हमको प्राप्त होता है, इस टैरिफ को बदलने के बाद 1.17 रुपया हो जायगा, वह आज 1.8 भी हो तो हमको टोटल मिलाकर आप कल्पना कर लीजिये, 21 पैसा प्रति यूनिट की सेविंग हो सकती है। इस प्रकार की सेविंग करके जो मैंने आपसे कहा कि केवल मात्र क्रियान्वित करने के लिये सूरतगढ़ को प्रोत्साहित करने के लिये 3 प्रतिशत का लाभ अर्जित करने के लिये और जो स्थिति आज हो गयी है, आज दूसरे कार्पोरेशन को देखेंगे तो रोडवेज के अन्दर हमने,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्रगति की है, इसको भी इस स्थिति में ला देना चाहते हैं कि उस प्रगति की ओर अग्रसर हो। मैं सदन से केवल मात्र इतना ही निवेदन करूंगा, मान्यवर, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं जिसने हमको बाध्य किया है वह राज्य के हित में है। राज्य का हित का ध्यान हमारी सरकार को न हो, इसके लिये मैं पहले ही एक्जाम्पल दे चुका हूं। मैं तो केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहूंगा, जिन परिस्थितियों में हमको आज यह आचरण करना पड़ा इसके लिये आप हमारी बात को सुनें, मैं विपक्ष के लोगों से भी यही याचना और प्रार्थना करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के इस पवित्र सदन में राजस्थान के काश्तकार, राजस्थान के गरीब और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की समस्याओं के बारे में आपने जो समय दिया, राजस्थान की जनता, राजस्थान के गांवों का रहने वाला काश्तकार आपका हार्दिक आभार प्रकट कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और इस भारत के अन्दर 75 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। आज भारत की इकानामी एग्रीकल्चर बेस्ड है। स्वतंत्रता के पश्चात् कांग्रेस वालों ने जो नीति निर्धारित की, जो पालिसी निर्धारित की, उन्होंने राष्ट्रीयकरण की जो नीति निर्धारित की उस राष्ट्रीयकरण के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया और राष्ट्रीयकरण का परिणाम और कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है कि आज हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक के सामने झोली पसारनी पड़ रही है। यह कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हुआ। कांग्रेस के शासन ने, कांग्रेस वालों ने जो पूर्व में अपनी पालिसी थी उस पालिसी को रद्दोबदल कर आज लिबरलाइजेशन के बारे में दूसरी पालिसी अडाप्ट करने जा रहे हैं। आज इस पालिसी के तहत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सामने जो झोली पसार रहे हैं अपनी गलत नीतियों के कारण जिस हिसाब से अभी कुछ समय पहले हिन्दुस्तान के वित्त मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया है, पेट्रोल में ऊपर, डीजल के ऊपर, खाद के ऊपर जो हमने बढ़ोतरी की है उसके कारण हमें विश्व बैंक से

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पांच अरब डालर का ऋण मिल सकेगा। इस ऋण के कारण राजस्थान के काश्तकार, हिन्दुस्तान के काश्तकार, गरीब और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के ऊपर दस हजार करोड़ रुपये का आर्थिक भार उन्होंने लादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनलाइजेशन की नीति के बाद अब यह लिबरलाइजेशन की जो नीति इन्होंने अडाप्ट की है, अंग्रेजों के शासन के पहले भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था, सन् 1942 के स्वतंत्रता आन्दोलन के अन्दर जो स्वावलम्बी आंदोलन चला था उसमें विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गयी थी और देशी वस्तुओं को अडाप्ट करने का जो अभियान महात्मा गांधी और हिन्दुस्तान के उन स्वतन्त्रता सेनानियों ने चलाया था, आज कांग्रेस शासन अपनी-गलत नीतियों के कारण पुनः लिबरलाइजेशन करते हुए ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तरह दूसरी कम्पनियों को हिन्दुस्तान में आमंत्रित कर रहा है। हिन्दुस्तान में आमंत्रित करने के पश्चात् हिन्दुस्तान का वही हश्र होने वाला है जो ईस्ट इण्डिया के समय हुआ था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हाथ पैर ही तोड़ देंगे, उन्हें छोड़ देंगे क्या। किसी की हिम्मत है क्या।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, दस हजार करोड़ का आर्थिक भार कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब, गांव के काश्तकारों के ऊपर डाला है। आज फर्टिलाइजर्स के मामले में केन्द्र के मंत्री माननीय बलरामजी जाखड़, जो अपने आपको काश्तकारों का सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, काश्तकारों का पुत्र मानते हैं, पूर्व में गत वर्ष जिस वक्त केन्द्र सरकार ने फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी बंद की थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि यह सब्सिडी नहीं हटायेंगे। उन्हीं माननीय केन्द्रीय मंत्री ने काश्तकारों को अपने सीकर के पार्लियामेंट्री एरिया में जनता को आश्वासन दिया था कि हम काश्तकारों के ऊपर फर्टिलाइजर्स के दाम नहीं बढ़ायेंगे। आज काश्तकारों की दुहाई देने वाली यह हिन्दुस्तान की सरकार, केन्द्र की सरकार काश्तकारों का 40–42 सालों तक शोषण करती रही। गरीब काश्तकार, अनुसूचित जाति के व्यक्ति, जो गांव के व्यक्ति हैं, गांवों के काश्तकार हैं, जो भोला काश्तकार है उसका शोषण करती रही। इन्होंने किसान विरोधी कृत्य किया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, काश्तकार जो प्रोडक्शन करता है उसका उचित मूल्य उसको नहीं मिलता है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ा दिये। उस वक्त आपने दाम बढ़ाये हैं जिस वक्त रबी की फसल की सोइंग होना प्रारम्भ हो गयी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन गलत कृत्यों के कारण हिन्दुस्तान का काश्तकार विशेषकर राजस्थान का काश्तकार इस केन्द्र की सरकार को और केन्द्र सरकार की इस गलत नीति को कभी भी माफ नहीं करेगा। लाला लाजपत राय के ऊपर जो अंग्रेजों ने लाठियां चलायी थी और वह नस्तानाबूद हो गये, हिन्दुस्तान छोड़ना पड़ा था वह का वह हश्र इस

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

कांग्रेस का होने वाला है। हिन्दुस्तान के अन्दर 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, उन गांवों के व्यक्तियों पर, काश्तकारों पर यह मार डाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट के माननीय हेतराम जी जो कह रहे थे कि ट्रेड यूनियन के 500–1000 आदमी अपनी समस्याओं के बारे में, टी.ए. डी.ए. के बारे में हड़ताल करते हैं, नारे लगाते हैं, धरने देते हैं पर हिन्दुस्तान का काश्तकार जो करोड़ों की तादाद में है, क्योंकि उनमें एकता नहीं है; एक नहीं हो सकते हैं; एक नहीं होने के कारण है कि काश्तकारों की इतनी विचित्र समस्याएं हैं, काश्तकार सुबह से शाम तक अपने खेत के अन्दर खलिहान के अन्दर अपना खून बहाता है, उसका परिणाम है काश्तकार एक नहीं होने के कारण केन्द्र की सरकार ने यह काश्तकारों के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर जिस हिसाब से दाम बढ़ाये हैं। इसके कारण काश्तकारों की रबी की फसल खतम हो जायगी। काश्तकारों का प्रोडक्शन कम होगा, बीजों का प्रोडक्शन कम होगा और भारत की इकानामी के ऊपर,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो केन्द्र सरकार ने पेट्रोल के ऊपर भाव बढ़ाये, जैसा सिरोही से आने वाली सदस्या ने कहा था कि पेट्रोल का काम पूंजीपतियों या चंद व्यक्तियों का नहीं है, आज गांव का काश्तकार, गरीब व्यक्ति जो लूना रखता है, दूध का उत्पादन करने वाला जो गांव का ग्वाला है वह मोटरसाइकिल रखता है या आम जो व्यक्ति हैं, जो साधारण व्यक्ति हैं टू व्हीलर रखता है उनके लिए भी यह प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रभाव महंगाई के ऊपर पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, डीजल का भाव जिस हिसाब से इन्होंने बढ़ाया है, रबी की फसल की सोइंग होने जा रही है, फर्टिलाइजर्स का भाव बढ़ाया, डीजल का भाव बढ़ाया, काश्तकारों के ऊपर मार के ऊपर मार करते जा रहे हैं। काश्तकारों का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता जिसका परिणाम है, काश्तकार की स्थिति गरीब से गरीब होती जाती है। काश्तकार जिस हिसाब से रात और दिन मेहनत खेत और खलिहान में करता है, उसका भाव नहीं मिलने के कारण काश्तकार को मजदूरी करने पर विवश होना पड़ रहा है। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। बिजली की वकालत तो वह कर लेंगे पंडित रामकिशन जी। अब देखिये चार माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। मैं नाम बता हूं। श्री मदनलाल सैनी। श्री लक्ष्मीचन्द मेहता। श्री माहिर आजाद और श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली और खाद वगैरह की कीमतों पर जो चर्चा हो रही है, मैं केवल इतना-सा कह सकता हूं यह कोई एक दिन की नीतियों का नतीजा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर विस्तार से जाने की स्थिति में नहीं हूं। एक तो शाम का टाइम और आखिर का समय....

श्री कालीचरण सराफ : तैयारी नहीं है।

श्री रामकिशन : नहीं तैयारी तो पूरी रहती है, हर वक्त रहती है लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप नयी रिकवेस्ट करेंगे तो उन्हें बोलना है तो बोलेंगे ही।

श्री रामकिशन : मैं केवल इतना-सा कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बात कही थी, उसका जवाब तो मैं नहीं देना चाहता लेकिन उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरी संस्थाओं से ऋण लेने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, ऐसी बात हमने कही थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हमारे सोने को गिरवी रख गये थे, आर्थिक हालत खराब कर गये थे और इसलिए आज अगर हमारे देश के माननीय वित्त मंत्री अमरीका और दुनिया के दूसरे देशों में भीख मांग रहे हैं तो उनको वह जायज बता रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। पिछले सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, वह केवल यह बता दें कि क्या इस नीति को जो वह अपनाने जा रहे हैं, इससे हमारी समस्या का समाधान हो जायेगा? आज साल भर में, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं अभी विश्व बैंक ने परसों रिपोर्ट पेश की है और विश्व बैंक ने रिपोर्ट में माना है कि हिन्दुस्तान में सुधार के बावजूद भी उस स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अगर हमारा विदेशी मुद्रा का भण्डार बढ़ा है तो हमारा निर्यात नहीं बढ़ा है। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है, हमने कर्ज लेकर उस भण्डार को बढ़ाया है और 1994 के बाद जब ब्याज सहित उस कर्ज को हम वापस करेंगे तो हमारे पास साधन क्या हैं, जरा वह बता दें। दूसरा सवाल, जब यह नयी आर्थिक नीतियां शुरू की थी, उस समय यह दावा किया गया था कि इससे विदेशी नियोजन बढ़ेगा, पूंजी आयेगी और सरकार ने अन्दाज लगाया था कि सन् 80 में जितनी पूंजी आ रही थी, उससे तीन सौ गुनी पूंजी 91 और 92 में आयेगी लेकिन अभी प्रधानमंत्रीजी ने खुद ने कहा है कि हमने जितने समझौते किये हैं, जितने हमने उद्योगों के लिए लाइसेंस दिये हैं, उसमें केवल दस गुना से ज्यादा पूंजी बढ़ेगी नहीं। तो हमारा विदेशी मुद्रा का भण्डार बढ़ा नहीं, हमारे देश में पूंजी का नियोजन हुआ नहीं और कर्ज का वजन निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी 94 से हमको पहली किश्त देना शुरू हो जायेगा। एक तीसरी बात, यहां भ्रम पैदा किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, कि सरकार की आर्थिक नीतियों से मुद्रा स्फीति की दर घट गई है 17 परसेण्ट से। परसों एक बयान दिया है कि 7·7 परसेण्ट रह गई है तो पहली बात तो यह है इन्दिरा गांधी के राज के बाद, मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूं नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जो यह दर निकालने का तरीका था, उसको बदल दिया। पाइण्ट-टू-पाइण्ट दर निकालने का रास्ता निकाल लिया। बजाय हम यह निकालें कि दर इस महीने में इतनी, दूसरे महीने में उतनी, यह मुद्रा स्फीति की दर

(श्री रामकिशन)

निकालने का अध्यक्ष महोदय, एक तरीका निकाला है कि एक साल के बाद दूसरी साल कितना बढ़ा है। इसलिए अगर पिछली साल 17 परसेण्ट बढ़ा था तो अब अगर 8 परसेण्ट बढ़ा, तो कैसे मुद्रा स्फीति की दर नहीं बढ़ी है। जबकि होना यह चाहिए कि पिछली साल 17 परसेण्ट और अब की साल 8 परसेण्ट, अगर इस तरह से हम देखेंगे तो

(6.13 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो आर्थिक नीतियां हैं, वह पूरी तरह से असफल हो गई हैं। मैं उस पर ज्यादा विस्तार से विवेचन नहीं करूंगा और उसका ही नतीजा है....

श्री परसराम मदेरणा : आप निरन्तर मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं।

श्री रामकिशन : इस सदन में देखने लायक दो ही चेहरे हैं। एक आप हो और एक चले गए यहां से।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छी बात है। मैं आपकी अनुमति से बाहर जा रहा हूं।

श्री रामकिशन : आप विराजिये। जब आप नहीं रहेंगे तो क्या बात होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता था कि जो बहस की जा रही है, मैं यह नहीं कहता कि मैं कोई अर्थशास्त्री हूं और मैं दूसरे के ज्ञान को चुनौती भी नहीं देता लेकिन मेहरबानी करके वह पढ़े और पढ़ने के बाद इस नतीजे को निकालें कि वह इस देश को कहां ले जा रहे हैं। इन आर्थिक नीतियों और ऐसे मंसूबों का क्या होगा ? इन आर्थिक नीतियों की वजह से बिली का क्या हुआ, इन आर्थिक नीतियों की वजह से अर्जेन्टाइना का क्या हुआ, इन आर्थिक नीतियों की वजह से अफ्रीका के देशों का क्या हुआ। अगर हम उससे सबक नहीं लेंगे, तो हिन्दुस्तान का किसान, जिसकी बरबादी की शुरूआत अब हो गई है। हमने जो कीमत बढ़ायी है, जो कीमत बढ़ानी है, यह बढ़ानी ही पड़ेगी और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा रह नहीं गया है। इसका विकल्प क्या हो सकता है, इस पर चर्चा जब समय आयेगा, मैंने खुद ने एक मोशन दिया था महंगाई का, अगर वह मोशन आ जायेगा तो मैं उस समय विकल्प भी बताऊंगा। लेकिन मैं यह कह सकता हूं मौजूदा रास्ते पर जो हिन्दुस्तान की सरकार चल रही है, उस रास्ते से हमें कोई निजात नहीं मिलने वाली है बल्कि हम ज्यादा फंसने वाले हैं। इतनी ही बात के बाद मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के माननीय सदस्य अपने दल के लोगों को, मैं नहीं कह सकता कि उनके कहने से कोई खाद की कीमत घट जायेगी, मैं आज इस स्थिति में भी नहीं कह सकता कि उनके कहने से कोई डीजल की कीमत कम हो जायेगी, लेकिन अपने दल में और अपने मंचों पर जब ऐसा मौका आया करे तो वह इन सब चीजों को भी देखेंगे तो दूसरा पक्ष भी सामने आ सकता है और एक सबसे बड़ा अफसोस तो मुझे कांग्रेस के माननीय

(श्री रामकिशन).

सदस्यों पर यह है कि इनके जैसा राजनीति में + + + आदमी मैंने कोई देखा नहीं है। दो साल पहले यही समाजवाद का गीत गाते थे, यही सब्सिडी का गुणगान करते थे। यही यह कहते थे कि यह रास्ता सही है और जैसे ही दिल्ली की नीतियां बदलीं, इन्होंने अपना राग बदल दिया और दिल्ली की नीति भी अपनी वजह से नहीं, विश्व बैंक के दबाव से बदली है। तो या तो आप पहले गलत थे और या अब गलत हैं, यह बात सम्भव नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हमारे अन्दर पचास दुर्गुण और दुर्व्यसन हो सकते हैं लेकिन हम + + + नहीं हैं।

श्री रामकिशन : अब नहीं है। देखिये अभी तक तो + + + ही दिखा रहे हैं। तो आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय मदेरणा साहब, मैं इसके खिलाफ जैसा मैंने कहा समय बहुत कम है, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, मैं इतनी बात कहकर समाप्त करता हूं और विकल्प की बात, जिस दिन मेरा महंगाई का प्रस्ताव आयेगा, उस दिन मैं केवल विकल्प पर ही बोलूंगा और कई विकल्प हैं इसके, जिनकी मैं चर्चा करूंगा। अब एक दूसरी बात मुझे विशेष तौर पर निवेदन करनी है माननीय बिजली मंत्रीजी के वक्तव्य पर। बिजली मंत्रीजी ने एक मजबूरी दिखाई दिखाई है कि बोर्ड को घाटा है और घाटे की पूर्ति करने के लिए हमें यह टैक्स बढ़ाना पड़ा है। मैं भी मानता हूं कोई भी लोकप्रिय सरकार अगर टैक्स बढ़ायेगी तो उसका सबसे कठिन और कड़वा होता है। हर सरकार, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, या और किसी दल की सरकार हो, टैक्स बढ़ाना कभी प्रिय नहीं होता। टैक्स बढ़ाना कभी अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन उनका यह कहना कि हमारा घाटा बढ़ रहा है और बढ़ने की वजह से हमें टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि घाटा बढ़ने के कारण क्या हैं ? इतना मानते हैं हम कि महंगाई बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते वगैरह बढ़ रहे हैं, और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमारा विद्युत मण्डल, राजस्थान का विद्युत मण्डल यह क्लेम करता है कि हमारे लोसेज 21 परसेन्ट है, जबकि उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वह मेरी तरफ से नहीं है। सबसे पहले वह अपने आपको दुरुस्त करें। इनका जो लोसेज है, वह कहते हैं 21 परसेण्ट है, तो सन् 76 में यह 23·8 परसेण्ड थे। यह 82 में 23·8 प्रतिशत, 82-83 में थे 25·8 परसेण्ट, 83-84 में 25·3 परसेण्ट, 84-85 में 25 परसेण्ट, 85-86 में 25 परसेण्ट, 86-87 में 23 परसेण्ट, 87-88 में 24 परसेण्ट, 88-89 में 24 परसेण्ट, 89-90 में 25 परसेण्ट, 90-91 में 25 परसेण्ट। 30 परसेण्ट तक इनके लोसेज हुए हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं 21 का आंकड़ा

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रामकिशन)

निकाल कैसे लिया और यह मेरी तरफ से नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आडिटर जनरल, आडिटर कम्पट्रोलर जनरल की जो रिपोर्ट है, उससे मैंने सन्दर्भ लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोसेज ज्यादा है और लोसेज ज्यादा होने की वजह से हमें घाटा हो रहा है। आज देश भर में जो यह मान्यता है कि यह लोसेज 20 परसेण्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए और जो अधिकरण है, अखिल भारतीय विद्युत अधिकरण है उसने एक मानदण्ड बना रखा है कि 15.50 परसेण्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अखिल भारतीय औसत तो निकल रही है 20 और हमारे लिए एक गाइडलाइन है कि यह साढ़े 15 परसेण्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए और राजस्थान विद्युत मण्डल के जो लोसेज हैं, जो घाटे हैं, वह 21, 25 के बजाय 28 और 29 परसेण्ट तक हैं। तो जब तक हम इन घाटों को कम नहीं करेंगे, लोसेज को कम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने घाटे को पूरा नहीं कर सकते।

अब इसका क्या तरीका हो सकता है, मैं कोई तकनीकी आदमी तो हूं नहीं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विद्युत मण्डल में अनुभवी लोग हैं उन्हें इस पर विचार करना चाहिये और विचार करने के बाद अखिल भारतीय स्तर पर यदि हम लोसेज को ले आते हैं, हमारी चोरी और छीजत को कम कर देते हैं तो हमें टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में केवल एक विकल्प चुन लिया है कि किसी तरह की अव्यवस्था हो जाय, गड़बड़ हो जाय तो केवल जनता पर वजन डाल दो। रोड़वेज में घाटा होगा किसी वजह से, पर्चेज में गड़बड़ी की वजह से, टैक्स की चोरी की वजह से और जनता को टैक्स का मार मरना पड़ता है। वही रास्ता राजस्थान विद्युत मण्डल ने भी अपनाया है। चोरी को, छीजत को कम कर देते हैं तो इस घाटे की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक निवेदन तो मैं करना चाहता हूं, सरकार का कहना है कि हमारे 21 पर्सेन्ट का लोसेज है। यह बिल्कुल गलत है। मैंने जो रिपोर्ट पेश की है वह इनके डाक्यूमेंट मे पेश की है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिये, सोचना चाहिये। दूसरा एक यह भ्रम फैलाया जाता है कि हम किसान की भारी मदद कर रहे हैं और यह जो घाटा हो रहा है वह किसान की वजह से हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में जो बिजली पैदा करते हैं और जो बिजली खरीदते हैं, 1300 करोड़ यूनिट के करीब हमारे पास बिजली का इन्तजाम है और जो हम खरीदते हैं और उसमें जो पैदा की है वह भी शामिल करते हैं इसमें से 30 पर्सेण्ट करीब जाती है किसान को और बाकी की जाती है दूसरे उपभोक्ताओं को। 300 करोड़ करीब यूनिट मीटर जो आता है वह किसान का आता है। तो इस पर किसान को 50 पर्सेण्ट तो बिजली देते हैं रात में, 50 पर्सेण्ट बिजली देते हैं दिन में। अब रात की जो उत्पादन लागत मुझे बतायी गयी है वह तो केवल तेल का खर्च होता है क्योंकि केपिटल इन्वेस्टमेंट तो उसका हो चुका है मशीनों का। उसका नुकसान निकालेंगे तो रात को जो बिजली

(श्री रामकिशन)

पैदा होती है उसका खर्चा आता है 50 पैसे पर यूनिट और वैसे बिजली का खर्चा आ रहा है एक रुपया 14 पैसे प्रति यूनिट। तो रात को बिजली का आधा खर्च तो जरा बताये आप किसान की मदद कहां कहां कर रहे हैं। रात को किसान कष्ट पाता है वह तो अलग बात है लेकिन उत्पादन व्यय ही कम होत है। इस बात को शायद बोर्ड के माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी और बोर्ड के अधिकारी स्वीकार नहीं करते और इसलिये प्रचार करते रहते हैं कि हम तो जो काम करते हैं वह किसान के लिये करते हैं, किसान की वजह से ही गड़बड़ हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय अबकी साल सरकार ने, बोर्ड ने यह अनुमान लगाया था कि हमारे लोसेज 21 पर्सेण्ट हैं और 21 पर्सेण्ट लोसेज के हिसाब से उन्होने अनुमान लगाया था बोर्ड का जो राजस्व होगा वह 1147 करोड़ रुपये के करीब होगा लेकिन इस साल हुआ है 10 करोड़ 35 लाख के करीब इसका मतलब है 94 करोड़ का जो घाटा हुआ है जो लोसेज का हिसाब लगाया गया है इस हिसाब से लोसेज, चोरी और छीजत हो जाती है 27-28 पर्सेण्ट। तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी एक्सपर्ट नहीं हो, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी यह नहीं कह सकता कि मेरी जो राय है वही अन्तिम राय,है यही सत्यराय है लेकिन इतना तो पता हम लगाये कि क्या यह लोसेज कम हो सकते हैं। हमें कहीं गलत तो नहीं बताया जा रहा है। अगर गलत बताया जा रहा है तो इस अवधारणा को समाप्त कर दें और सही बताया जा रहा है तो बोर्ड की समीक्षा होनी चाहिये, इसके सारे कामकाज की समीक्षा होनी चाहिये। बोर्ड के अधिकारी बैठें दूसरे राज्यों के तकनीकी मेम्बर्स को बुलाया जाय और इस तरह से जांच की जाय कि हम चोरी और छीजत को कम कर सकेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितना राजस्थान सरकार ने किसानों पर टैक्स बढ़ाये हैं अगर वह अपने छीजत को कम कर लेते तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा मुझे इस सम्बन्ध में कोई खास बात नहीं कहनी हैं। एक बात और कहनी है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां हर साल आप देखते हैं गांवों में कितने ज्यादा ट्रांसफार्मर जलते हैं। यह क्यों जलते हैं? इसका भी बोर्ड को नुकसान आता है। हमारी लाइन डिफेक्टिव है, लोड हो जाता है, कनेक्शनों की जांच नहीं हो पाती, चोरी होती रहती है और हमारे लोसेज बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा भी उपाध्यक्ष महोदय, हम सारे उद्योगपति नहीं है, मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान में उद्योग नहीं लगने चाहिये। जो लोग यह कहते हैं, केवल किसान की बात नहीं करो। वह न तो आने वाले संसार को समझ रहे हैं और न उनको अन्दाज है। खेती की आमदनी और कारखाने की आमदनी का जो अनुपात सारे संसार में घट रहा है अगर उस दौड़ में हम पीछे रह गये तो हमारी क्या गति होगी, हमारा क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो सक्षम है जो दे सकते हैं सरकार को पैसा, उनसे पैसा नहीं लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना

(श्री रामकिशन)

चाहता हूं कि अभी बाल बियरिंग कम्पनी को हमें बिजली देनी है, अखबारों में बड़ा भारी छपा है नाइला में एक पावर हाउस बना है इस पर ढ़ाई करोड़ रुपये की करीब लागत आयेगी और प्रचार यह किया गया कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है लेकिन अगर इस पर खास तौर से चम्बल से बिजली को देते तो यह सारा खर्च पड़ता उद्योगपतियों पर, 70-80 लाख रुपये उद्योगपतियों को लगाने पड़ते। अब बोर्ड ने अपने ढाई करोड़ रुपये लगा दिये और उद्योगपतियों का 4-5 लाख रुपया लगा है। है। तो हमको बिल्कुल यह ध्यान रखना चाहिये कि जब हम तंग में हैं, संकट में है, हमारी आर्थिक हालत खराब है तो निश्चित तौर पर जो क्षमता वाले लोग हैं जो बर्दास्त कर सकते हैं उनको बर्दास्त करना चाहिये और उन पर बर्दास्त का वजन डालना चाहिये। लेकिन बोर्ड ने मिसाल के रूप में कहा है ऐसे बहुत से काम होते रहते हैं जिससे उद्योपतियों को फायदा होता रहता है और गांव के गरीब उपभोक्ता और किसान को होता रहता है नुकसान।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि हमने प्रोजेक्ट हाथ में लिये। वह समय पर नहीं पूरे किये जिसका जिक्र माननीय मदेरणा साहब ने भी किया और चुनौती के रूप से उन्होंने कहा कि हमने दो मेगावाट बिजली पैदा नहीं की इसलिये संकट है। मैं भी इस राय का हूं। हमने घोषणाएं तो बहुत की, अखबारों में हर दिन यह आता है कि राजस्थान बिजली के मामले में पता नहीं क्या चमत्कार करने जा रहा है हर दिन लेकिन असलियत यह है कि जो हमारी योजना चालू है चाहे वह कोटा की हो चाहे सुरतगढ़ की हो उनको भी हम समय पर पूरा नहीं कर पाये इसलिये हमें कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। अन्य राज्यों को प्रोजेक्ट क्यों मिल रहे हैं। हमें इसलिये नहीं मिल रहे हैं शायद पर्यावरण का इसका एक कारण हो सकता है लेकिन हमारी कोई भी योजना समय पर पूरी नहीं हुयी और जिसकी लागत भी बढ़ जाती है और केन्द्रीय सरकार हमारे इस मामले में सोचती है कि यह काम नहीं कर सकते, इनकी काम की क्षमता नहीं। इसलिये हमें कोई नये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किये तो बिजली का जिस तरह से उपभोग बढ़ रहा है, जिस तरह से बिजली की खपत बढ़ रही है उस पूर्ति को हम नहीं कर पायेंगे और हमारा संकट बहुत गहरा हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमें एक बात और ध्यान रखनी है हमारा जो उत्पादन है उसकी लागत 1·14 के करीब आती है और जो हम बिजली बाहर से खरीदते हैं वह 130-135 के आसपास खरीदते हैं तो अगर हमारा अपना उत्पादन होता तो यह घाटा होने का सवाल ही नहीं उठता, हमें टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिये इन सारे सवालों पर हमें समग्र रूप से विचार करना चाहिये और साथ-साथ जब हम यह कहते, हालांकि दूसरे माननीय सदस्य उसका जिक्र कर चुके हैं कि हमारे राजस्थान में पैसा ज्यादा हम नहीं ले रहे हैं। मैं उत्तरी भारत के बारे में कहना चाहूंगा, हरियाणा के अलावा उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान में है।

(श्री रामकिशन)

यहां 46 पैसे का है । आप देखेंगे हरियाणा में जरूर ज्यादा है लेकिन वहां क्वालिटी बढ़िया है वहां दिन में भी बिजली मिलती है हर वक्त बिजली मिलती रहती है । आप और दूसरे राज्यों में देखेंगे महाराष्ट्र में 32 है, हिमाचल प्रदेश में 31·98 है, गुजरात में 29·38 है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 27·54 है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि सरकार जो भ्रम पैदा कर रही है कि राजस्थान में दूसरों के मुकाबले हम सस्ती बिजली दे रहे हैं किसान को । हरियाणा के अलावा उत्तरी भारत में, उत्तरी क्षेत्र में यह रेट सबसे ज्यादा है और दक्षिणी क्षेत्रों का जैसे जिक्र किया, कर्नाटक का जिक्र किया, तमिलनाडु का जिक्र किया, तमिलनाडु में तो बिजली फ्री दी जा रही है । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से इतना निवेदन करूंगा कि वह अपने राजकाज के तरीके को सुधारे और अगर मंत्रीजी उचित समझे तो इस सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकारियों को बैठायें । वैसे मैं इतना मानता हूं कि मंत्रीजी आपकी बात से काम चलेगा नहीं, असल में यहां तो एक ही आदमी राज कर रहे हैं उनकी समझ में आ जाय कि मुझे तो इस मामले को सुधारना है तो वह शायद सुधारे और सुधारने के बाद जो तथ्य मैंने रखे हैं आडिट रिपोर्ट्स के रखे हैं, मैं समझता हूं कि इस मामले में मुझसे ज्यादा तेज हैं वे इन सब चीजों को जानते होंगे लेकिन जानने के बाद भी अगर सुधार नहीं हो रहा है तो फिर हम समझते हैं कि सरकार सक्षम नहीं हैं । इस सरकार को क्षमता प्राप्त करनी चाहिये । मैं बिजली के सम्बन्ध में इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि अब की साल जब खाद की रेट बढ़ गयी डीजल की रेट बढ़ी है उसी साल बिजली की रेट बढ़ाकर निश्चित तौर पर किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है । आप देखते होंगे पिछले दो वर्षों से हमारी खेती की पैदावार स्थिर हो गयी है । हमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में 18 करोड़ 30 लाख टन अनाज पैदा करना था हम उस लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं । अबकी बार बरसात अच्छी हुयी है और बरसात होने की वजह से हमें बड़ी मदद मिली है । यहां एक माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे कि हमारे मुख्य मंत्री जी के चरण पड़ने से बरसात हुयी है । तो देखिये इस तरह के अन्ध विश्वास पैदा नहीं करें और आज के वैज्ञानिक युग में इस तरह के अन्ध विश्वास प्राप्त करने की कोशिश नहीं करें । हमें किसी मंत्री की प्रशंसा करनी हो, किसी मुख्य मंत्रीजी की प्रसंशा करनी हो तो जरूर करनी चाहिये और उनका यह तर्क है कि उनके चरण पड़ने से बरसात हुयी तो फिर उन पर मुकदमा चलाना चाहिये कि राजस्थान में 25 साल अकाल क्यों पड़ा, उनके चरण कमलों को ले जाना चाहिये था । फिर हमने अकाल का कष्ट क्यों भुगता अगर इनकी वजह से बरसात हो सकती थी तो फिर इसका मतलब है कि माननीय सदस्या आपने सदन को जानकारी नहीं दी और उन्होंने अपने चरण कमल दौड़ाये क्यों नहीं । इसलिये मुकदमा चलाना चाहिये उनको जेल में डालना चाहिये ऐसे लोगों को जिन्होंने राजस्थान को कष्ट दिया है । मुझे ताज्जुब है उपाध्यक्ष महोदय, कि प्रसंशा

(श्री रामकिशन) :

हो रही है और चरण कमलों की चर्चा हो रही है और जब बैंच के लोग हंस रहे हैं। सरकारी लोग समझ रहे हैं बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। इस तरह के अन्धविश्वास पैदा करके ऐसा ही कांग्रेस ने किया था। इन्दिरा-इण्डिया, इण्डिया-इन्दिरा, नतीजा वे डूब गये, वे डूब गये देश को डुबो गये और इसी तरह की आपसे यह व्यक्ति पूजा शुरू कर दी तो आप डूबोगे लेकिन आपकी वजह से शायद हम भी डूब सकते हैं। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अन्धविश्वासों को मौका नहीं दें और इसमें जो खामियां हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे बोर्ड में 8 सौ करोड़ रुपये की साल की करीब-करीब खरीददारी होती है। इसमें कहां क्या कम कर सकते हैं। क्या किस तरह से देख सकते हैं। इस पर हम निगरानी रखनी चाहिए। हमारे पास हर विभाग में हर जगह कुछ कमेटियां होनी चाहिए। उसमें विधायकों को भी साथ लें। यह जरूरी नहीं है कि ज्ञान सब कुछ मुझमें ही हो। यह जरूरी नहीं है कि ललित किशोर जी सब कुछ जानते हों। अज्ञान से अज्ञान आदमी भी कोई अच्छी और नई बात कह सकता है। अगर हम इस तरह से अपने राज की आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करें, अपने निकायों को देखें, अपने विभागों को देखें तो हम बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। मैं आज केन्द्रीय सरकार की नीतियों पर और बोर्ड के सम्बन्ध में केवल इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि इन दोनों कदमों से हमारी पैदावार घट सकती है। इस साल अगर किसान की पैदावार घटी तो औद्योगिक पैदावार पहले ही घट गई है। माननीय हेतरामजी बेनीवाल ने एक बात कही थी कि हमारी विकास दर घट रही है और उन्होंने बता दिया उसको कि दो दशमलव कुछ, ग्रोथ रेट जीरो हो गई है। हमारे पास जो उत्पादन बढ़ा गई है। अब विश्व बैंक ने खुद यह चेतावनी दी है कि दो वर्ष से हमारी ग्रोथ रेट जीरो हो गई है। हमारे पास जो उत्पादन बढ़ा है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है, उसी हिसाब से हमारी आबादी बढ़ गई है इसलिए विश्व बैंक की नीतियां आने के बाद हमारी ग्रोथ रेट जीरो हो गई। यह हमारे लिये चिन्ता की बात है। इसमें से हम कैसे निकालेंगे। इस पर जिस दिन महंगाई पर चर्चा होगी मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। आपने मेरे लिए समय दिया, आखिर में इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदनलाल जी सैनी।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़ी चर्चा हो रही है पैट्रोल पर। पैट्रोल के भाव बढ़ गये, गैस के भाव बढ़ गये, लेकिन सवाल यह है कि ये भाव किस कारण से बढ़े? ऐसी कौनसी परिस्थितियां थी जिनके कारण से कांग्रेस को भाव बढ़ाने पड़े। यदि हम उस इतिहास को देखेंगे तो लगेगा कि कांग्रेस जब से इस देश में आई है, दुबारा सत्ता में आने के बाद आंकड़े यह कहते हैं कि सारी स्थिति देखने के बाद और राष्ट्रीय विकास दर कांग्रेस के आने के बाद 5.6 से घटकर 2 प्रतिशत रह गई। 8 प्रतिशत से घटकर 0.1 प्रतिशत

(श्री मदनलाल सैनी)

रह गई। यह जो स्थिति बनी कांग्रेस की, यह क्यों बनी ? मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं, श्रीमान् केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्री के पुत्र का जो बैंक में और केनारा बैंक में वहां पर राज्य परिषद् के सदस्य हैं, तीन सौ करोड़ का वहां घोटाला किया जिसको राईट ऑफ किया गया। इस प्रकार के कारण हैं जिस कारण से पैट्रोल के भाव बढ़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सारी स्थिति है यह असत्य है तो ठीक है लेकिन यह सत्य यही है कि केनारा बैंक के तीन सौ करोड़ रुपये के घोटाले को बट्टे खाते में डाला गया। शंकरानन्द जी के लड़के ओमप्रकाश जी जो उसके सदस्य हैं। मान्यवर, यह पैट्रोल के (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार से कह सकते हैं बिराजिये आप।

श्री मदनलाल सैनी : पैट्रोल का दाम बढ़ा है उसके कारण से केवल यात्रा भार नहीं बढ़ेगा। सारा माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रेन का भाड़ा बढ़ेगा, स्कूटर वालों को परेशानी होगी। स्कूटर के तेल के भाव के कारण से यात्रियों को जो उसमें यात्रा करते हैं उनको परेशानी होगी, कर्मचारियों को परेशानी होगी, अल्प वेतन भोगी को परेशानी होगी, बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। इस प्रकार से सारे देश के साथ एक इस प्रकार का विषय पकड़ा गया है जो सारे देश को प्रभावित करता है। यह विषय किन परिस्थितियों में आया। और माननीय वित्तमंत्री जी घूम रहे हैं हिन्दुस्तान के बाहर। अमरीका जा रहे हैं, लन्दन जा रहे हैं और वहां से आई. एम. एफ. के सामने + + +हम लोग भीख का कटोरा लेकर खड़े हैं और वह भीख का कटोरा उसमें भी कुछ मिल जाये। इसके लिए उनकी इच्छा के अनुसार यहां घोषणाएं कर रहे हैं। मंत्रिमण्डल को विश्वास में नहीं लिया, किसी मंत्री को विश्वास में नहीं लिया और इकतरफा घोषणा करके चले गये और यह जिस प्रकार से वहां वाशिंगटन में और कहा जा रहा है कि उनको आज कितने 10 अरब डालर की जरूरत है प्रति वर्ष आवश्यकता है हमको और फिर यह भी कहा गया है कि हर वर्ष इसमें वृद्धि हो जायेगी। इस वर्ष 10 अरब डालर की जरूरत रहेगी, अगले वर्ष 12 की, इसके बाद 14 की। प्रतिवर्ष इस प्रकार की जो बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार तो पैट्रोल का भाव एक रुपया कुछ पैसा बढ़ा है। प्रति वर्ष यह भाव बढ़ेगा। चिन्ता की बात तो यही है कि जिस देश का वित्तमंत्री विदेशों के सामने + + + हो, विश्व बैंक के सामने + + + हो। मान्यवर, इंग्लैण्ड के बारे में कहा गया है। इंग्लैण्ड के बारे में कहा गया कि उसके सामने + + + रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले पखवाड़े का गुरुवार का दिन जिस दिन पौण्ड पिछड़ गया। पौण्ड की हालत खराब हो गई इस दुनिया में और इंग्लैण्ड खुद की आर्थिक हालत खराब हो गई और अमेरिका का राष्ट्रपति इस बार देखियेगा चुनाव हो रहा है और कोई आश्चर्य नहीं है, डालर की जो दुनिया में हालत हो रही है उसके कारण से अमरीका

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदनलाल सैनी)

के राष्ट्रपति को हार का मुंह देखना पड़े। जिन देशों की खुद की आर्थिक स्थिति खराब हो गई उन देशों से हम राय ले रहे हैं और वे देश हमको राय दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम दुनिया के सामने चलें। इस प्रकार की जिनकी खुद की आर्थिक स्थिति खराब है उन देशों में हमारे वित्त मंत्री जाकर राय ले रहे हैं और राय लेने से ये बिजली के बारे में कह रहे हैं। मैं पैसा बढ़ा दिया गया। पैसा बढ़ाया, ठीक है और यह बात भी ठीक है कि उद्योगपतियों पर पैसा ज्यादा बढ़ना चाहिए, किसानों पर पैसा कम बढ़ना चाहिए। मैं इस बात का हामी हूं लेकिन सवाल है कि पैसा बढ़ाकर गड़बड़ क्यों हुआ। क्या आप देश को उन विदेशी बैंकों के सामने, आई. एम. एफ. के सामने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यहां लाकर क्या फिर देश को गुलाम बनाना चाहते हैं? मैं यह समझता हूं बहुत अच्छा होगा, स्वाभिमान के साथ सूखी रोटी खाना हमको ज्यादा मन्जूर है, गुलामी की घी की रोटी को हम ठोकर मार देंगे इस देश के लोग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको ईस्ट इण्डिया कम्पनी का उदाहरण याद है जब व्यापारियों के रूप में आई कम्पनियां जम गई और हम आयात को खुली छूट देवें, विदेशी कम्पनियों को खुली छूट देवे और गांधी के भक्त कह रहे हैं गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी और आज हम उस विदेशी को यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति के कारण से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता की बात यह है कि आज विश्व बैंक के सामने और आई एम. एफ. के सामने जैसे कोई ज़माना था। देश में कहा था–बुद्धम शरणम् गच्छामि। आज यह कह रहे हैं अमरीका, इंग्लैण्ड शरणम् गच्छामि। उनकी शरण में जाने पर स्थिति यह हो रही कि हमारी देश की गरीबी का और जिसके चित्र दुनिया के सामने खड़े करके एक उपहास कर रहे हैं। सौ दिन में महगाई दूर करने की बात तो दूर रही। इस बात के लिए मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि एक तरह से यह + + + किया है उन मतदाताओं के साथ, जिन मतदाताओं ने, भोले-भाले लोगों ने इनके बहकावे में आकर वोट दिया और उनके साथ यह + + + किया गया। मान्यवर, यह जो सारी आर्थिक स्थिति आज बढ़ी जा रही है, भोपालगढ़ से आने वाले विधायक ने कहा था कि इस विषय में पैट्रोल पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर जो देश का पैसा बढ़ा है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, डीजल पर नहीं होनी चाहिए तो तो किस हाउस में चर्चा होगी। यहां केवल बिजली की चर्चा होगी क्या? यह सारा अन्तर सम्बन्धी विषय है, महगाई बढ़ती है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री मदनलाल सैनी : हाऊस का विषय नहीं है (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह कहा कि इस हाऊस में हम इस पोजिशन में नहीं है क्योंकि सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने यह जो प्राइज हाई की है और सैण्ट्रल गवर्नमेंट ही अन्सरेबल है और मैंने तो यह कहा था कि इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है और मैं पारटेक भी नहीं कर सकता। चर्चा के लिए मैंने कब कहा था कि आपका फ्रीडम आफ स्पीच है।

श्री मदनलाल सैनी : इस हाउस का विषय नहीं है।—(व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : नो, नो, आई नेवर टोल्ड। आप बोलिए, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिये। फ्रीडम आफ स्पीच में कोई दखल नहीं दे सकता।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस का विषय नहीं है। यह महंगाई बढ़ना, पेट्रोल के भाव बढ़ाना और देश की सारी परिस्थितियों जिससे राजस्थान भी प्रभावित हुआ है उन सारी परिस्थितियों पर विचार करने के लिए यह बिन्दु है। यह हाउस राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ और जनता के प्रतिनिधियों का एक सशक्त, मजबूत हाउस है जो हर विषय पर चर्चा कर सकता है जिस विषय पर राजस्थान की जनता प्रभावित रहती है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसानों की चिन्ता की तो बात कर रहे हैं लेकिन कहीं भी कांग्रेस के लोग यह नहीं चर्चा कर रहे हैं कि पेट्रोल के भाव बढ़ने के कारण और डीजल के भाव बढ़ने के कारण किसान के कुओं की हालत क्या होगी? किसान के ट्रेक्टर और ट्रोली की हालत क्या होगी? यह चिन्ता नहीं की गयी। अच्छा होता कि बिजली पर चर्चा करते समय यह भी कहते कि किसान प्रभावित होगा, डीजल के कारण से उसका पम्प सैट भी प्रभावित होगा लेकिन इन मगरमच्छ के आंसू को राजस्थान की जनता समझती है। यहां की सरकार ने किसानों को किस प्रकार से राहत देने का प्रयास किया है। वह विषय मेरे पूर्व वक्ताओं ने एक-एक विषय गिनकर सामने रखे हैं। किस प्रकार से बिजली के कनेक्शन दिये हैं, बिजली की दर बढ़ायी है किसानों पर रेट बढ़ायी है कम करनी चाहिए इसका मैं पक्षधर हूं लेकिन रेट बढ़ाने से जो आमदनी होगी उसके कारण किसानों को और कनेक्शन मिलेंगे। मान्यवर, आपके क्षेत्र में मारवाड़ क्षेत्र में जहां पांच सौ फीट नीचे से पानी लाते हैं वहां ज्यादा पावर की जरूरत है इसलिए इस पैसे का उपयोग उन क्षेत्रों में होना चाहिए जो उपेक्षित क्षेत्र हैं जहां ज्यादा बिजली की जरूरत है। पैसा नहीं होगा तो आयेगा कहां से। स्वाभिमानपूर्वक हम कहेंगे किसानों को तुम्हारे काम के लिए और बाकी लोगों को कनेक्शन दे सकें इसके लिए यह एक तरह का दोहन है यह किसानों का शोषण नहीं कहा जा सकता है यह किसानों का दोहन है और दोहन करना कोई गलत बात नहीं है।

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में बिजली का वह समय भी हमने देखा है कि जब गांवों में रात को खेत से और घर से भाई आवाज लगाता था भाया आयी, भाई जाता

(श्री मदनलाल सैनी)

था बीच में पहुंचता था रास्ते के बीच में ही तो वह कहता गयी। पता नहीं दूसरे सुनने वाले आदमी को लगता कि कौन आयी कौन गयी ? वास्तव में बिजली आती थी और कुएं पर पहुंच कर बटन दबाये उससे पहले ही चली जाती थी। धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं, राजस्थान सरकार के पिछले दो वर्ष के कार्यकाल में, हमारे बिजली अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा एक भी दिन पावर कट नहीं हुआ पिछले 20 दिनों के समय को छोड़ कर। तो सवाल यह है कि सुधार हो रहा है या नहीं। जो हम गलती करते हैं वह बताइये हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे लेकिन अच्छी बात है तो कभी पीठ भी थपथपा देनी चाहिए लेकिन मैं समझता हूं विपक्षी दल ने अपना रवैया बना लिया कि सत्तारूढ़ पार्टी की प्रत्येक बात का विरोध करना, यही उनका विषय रह गया है। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है।

चालीस वर्षों से जिस प्रकार की योजना बनी है उसका परिणाम था कि आज राजस्थान में जिस गति से बिजली का विकास होना चाहिए था, गांव-गांव में बिजली पहुंचनी चाहिये थी वह पहुंचाने में हम को देरी हो रही है लेकिन हमारी सरकार कृत संकल्प है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई बार घोषणा की है कि गांवों में जहां विद्युतिकरण हुआ है, गांवों को हम छोड़ेंगे नहीं एक-एक गांव जो अंधेरे में डूबा है उन गांवों में राज्य सरकार, बिजली बोर्ड अथक परिश्रम करके बिजली पहुंचायेंगे। अनेक प्रकार की योजनाएं बनी हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से अन्त में यह बात कहना चाहूंगा कि विदेशों से ऋण लेने के चक्कर में राष्ट्रीय स्वाभिमान को गिरवी रखा है इस गिरवी रखने के पीछे मैं फोर कास्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन सारे अर्थशास्त्र को पढ़ने से, सारे समाचार पत्रों को पढ़ने से और कांग्रेस की नीतियों को देखकर लगता है कि आने वाले समय में बजट अधिवेशन से पूर्व रुपये का एक बार फिर अवमूल्यन होगा और उसका दोष महंगाई की ओर धकेलने के कारण राजस्थान की सरकार नहीं हिन्दुस्तान की, केन्द्र की सरकार होगी। देश की परिस्थितियों के आधार पर होना तो यह चाहिए कि हमारे देश काल और वातावरण के अनुसार अपनी परिस्थितियों को ठीक करने का फैसला हम को करना चाहिए। दुनिया के अन्य देश हमारी परिस्थितियों के फैसले नहीं कर सकते हैं। यदि हमने दूसरों पर निर्भर रहकर अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश की तो उसके दुष्परिणाम होंगे। मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से भी कहना चाहूंगा कि खाद जो पड़ा है उसका ठीक प्रकार से वितरण होना चाहिए।

बिजली बोर्ड के बारे में भी कहना चाहूंगा जो सामान दांये बांये पड़ा है उसको एकत्र करना चाहिए। खाद के बारे में एक कमेटी बनाकर कुछ लोगों को अधिकृत करके उसमें गड़बड़ी हो रही हो तो उसको

(श्री मदनलाल सैनी)

ठीक किया जा सकता है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने बजाय किसानों की बातें करने के उन महान नेताओं की जो देश के लिए कुर्बान हुए, बुराइयां की। बड़े दुःख की बात है···· (व्यवधान) ··· उन्होंने कहा इन्दिरा जी ने यह कर दिया, उन्होंने यह कर दिया, इन्दिरा जी का नाम लेते हुए आपको अपना सर ऊंचा करना चाहिए। इंदिरा गांधी देश के लिए कुर्बान हुई थी। आप कांग्रेस की बुराई करते हो, महात्मा गांधी के बारे में आपने कहा, इंदिरा गांधी के बारे में आपने कहा, इंदिरा गांधी के सपूत राजीव गांधी थे वह भी देश के लिए कुर्बान हुए। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस की बुराई करने वाले जो कहते हैं कि कांग्रेस के समय यह हुआ तो कांग्रेस का इतिहास तो कुर्बानियों का इतिहास है और आपके एक व्यक्ति ने आज तक कुर्बानी की हो तो बतायें। राम मन्दिर में हजारों व्यक्तियों को मरवा दिया लेकिन एक नेता नहीं मरा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हर साल बकरा ईद पर कुर्बानी करता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने बकरों की कुर्बानी की होगी लेकिन इस तरह इन्सान की कुर्बानी नहीं की होगी इसलिए (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : आप नीतियों की बात करते हैं आपकी श्रीमतीजी कल प्रदर्शन में थीं आपकी नीतियों के खिलाफ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की बुराई की उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि बुराई करने से पहले अपने गिरेहबान की तरफ देखें। (व्यवधान)····उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने कांग्रेस की बुराई की है वह कांग्रेस के इतिहास को जानते नहीं हैं। कांग्रेस के लोगों ने क्या कुर्बानी की है देश के लिए उसी कांग्रेस के प्रधान मंत्री नरसिंह राव आज बैठे हैं। चाहे खाद्य नीति हो या व्यापार नीति हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : एक नयी कुर्बानी और दे दी जनार्दन रेड्डी की।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप सुनने का माद्दा रखिए। माननीय नरसिंह राव जब से बैठे हैं सारे हिन्दुस्तान का नक्शा ही बदल गया है। सारे देश में अकाल की स्थिति बनी हुई थी। चारों तरफ वर्षा हो गयी प्रधान मंत्री बनते ही। यह प्रधान मंत्री के शुभ चिन्ह हैं कि उन्होंने अच्छे टाइम में देश की गद्दी सम्भाली थी। जिन लोगों ने देश को दिवालिया कर दिया था जो पहले के प्रधान मंत्री थे वे देश को

(185)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

दिवालिया करके छोड़ गये। देश का 6 लाख टन सोना गिरवी रख दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने देश का गिरवी सोना वापस बुला लिया। इसलिए बुराई करने से पहले उन की तारीफ करो। देश के हित में अगर कुछ पैसे बढ़ा दिये हैं इसके साथ-साथ यह नहीं देखा कि यूरिया पर पैसे किसने घटाये? क्या यूरिया खाद नहीं है लेकिन उसकी बात कौन करे? आपको तो बुराई ही बुराई नजर आती है। चश्मा बुराई का लगा रखा है. आप जानते नहीं किसान की समस्या क्या है? आप तो दुकानदारी करते हो या उद्योग लगा रखे हैं आप लोगों ने आप तो उद्योगपति हो या दुकानदार हो। आपको किसानों का पता नहीं है. किसान के बारे में समझते ही क्या हैं? दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के बारे में ज्ञान नहीं कुछ भी।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार ने जो कुछ किया उसका ज्ञान मुझे नहीं है। हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने उसके बारे में जानकारी दे दी है। विदेश नीति से संबंधित मामले हैं। देश पहले प्रधान होता है उसके बाद हम हैं। हमारा देश मजबूत है तो हमारे किसान भी मजबूत हैं। हम भी मजबूत हैं (व्यवधान)...... उन्होंने यूरिया पर पैसे घटाये हैं, किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो यूरिया की। यूरिया पर पैसे घटाये हैं इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने कड़वा घूंट दिया है तो उसके साथ-साथ अच्छाई भी बहुत बड़ी उन्होंने की है।

दूसरा निवेदन करूंगा हमारी विद्युत पर। राजस्थान सरकार ने विद्युत के मामले में जो कुछ किया है वास्तव में किसानों की कमर तोड़ दी, राजस्थान के अन्दर किसानों का पहले ही मार बहुत बढ़ा हुआ था। माननीय ऊर्जा मंत्री जी आपने पैसे बढ़ाने से पहले कोई रियायत किसानों के लिए देने की बात की। किसान को दिन में बिजली देंगे, 24 घण्टे बिजली देंगे, 8 घण्टे बिजली देने लग गये उसके बारे में क्या आपने कोई बात कही है? इतना पैसा एक भी शब्द इसके बारे में नहीं कहा। इतना पैसा बढ़ाया, अन्य राज्यों में इतनी रेट नहीं बढ़ायी है। अभी माननीय सदस्य ने बताया था कि अन्य राज्यों की तुलना में अगर आज देखें तो 46 पैसे हमारे यहां हैं जो सबसे ज्यादा राजस्थान में हैं। इसलिए मंत्री महोदय आपने किसानों पर पैसे बढ़ाये हैं आज किसानों को सबसे ज्यादा आवश्यकता डीजल के बजाय बिजली की पड़ती है। जितना पानी निकाला जाता है उसमें डीजल के पम्प सेट का सिस्टम काम नहीं करता है, बोरिंग सिस्टम है। कुएं के अन्दर तीन सौ चार सौ फीट से फीट पानी निकाला जाता है।

400 फीट से पानी डीजल का पम्प सैट नहीं फेंक सकता, उसके स्थान पर बिजली ही काम आती है। इसलिए पहले से ज्यादा बिजली की खपत बढ़ी है। उसका कारण यही है कि बोरिंग सिस्टम हुआ है सब जगह, ऊपर का लेवल बिलकुल नीचे चला गया। इसलिए सबसे ज्यादा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

किसान को राजस्थान में आवश्यकता पड़ती है। सरकार बिजली की बढ़ोतरी करती, बजाय इसके कि आपने पैसे की बढ़ोतरी की है। आपने पहले जिन कुओं पर कनेक्शन दे रखा था उन कनेक्शनों पर पानी नहीं रहा है, वे सूख चुके हैं। किसान ने अलग से बोरिंग कर ली है। मेरा एक सुझाव है कि अब जो नयी बोरिंग की है उसके लिए आप नये कनेक्शन की स्वीकृति प्रदान करें। सरकार कहती है, हमारे पास बिजली नहीं है। मैं सत्य निवेदन कर रहा हूं कि क्षेत्र के अन्दर 90 प्रतिशत किसान आज बिजली काम में ले रहा है। आपने अपने रिकार्ड में 50 प्रतिशत बिजली दे रखी है किसान के लिए, लेकिन 90 प्रतिशत काम में आ रही है, 40 प्रतिशत की चोरी हो रही है। मत दो आप कनेक्शन, बिजली तो काम में आ रही है। आपकी चोरी हो रही है उसका। नुकसान डिपार्टमेण्ट को हो रहा है। आप दो टार्गेट बनाते हो, दो ही कनेक्शन दिये जाएंगे, चार ही कनेक्शन दिये जायेंगे। वहां तो वही 50 कनेक्शन उनको लगाने हैं, डाइरेक्ट लगा लेंगे। मत दो आप नहीं देते हो तो।

मैं स्वयं देखता हूं रात-दिन और सदन के सामने इस सत्यता को आज कहना चाहूंगा। चोरियां आप करवाते हो, किसान के पास बिजली का कोई विकल्प नहीं है। डीजल के पम्प सैट काम नहीं करते बोरिंग के अन्दर, इसलिए उसको तो बिजली लेना आवश्यक हो गया। अगर आप बिजली नहीं दोगे तो भी किसान तो चोरी से बिजली काम में ले रहा है और लेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप बिजली की चोरी को रोकें इसके लिए एक ही उपाय है, आप कनेक्शन जारी करवा दें किसानों के लिए। जिन्होंने चोरी से ले रखे हैं उनको तुरन्त कनेक्शन दें। जो पैसा आपने निश्चित किया है वह तुरन्त लीजिये। देने को तैयार बैठा है किसान। चोरी रोकने का यही एक उपाय है।

दूसरा मेरा सुझाव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि बिजली की चोरी एक तरह से रूक सकती है। आपकी जितनी ऊपर होकर लाइन जा रही हैं अगर उन लाइनों को शहरों की तरह अण्डर ग्राउण्ड करवा दिया जाय तो बिजली की चोरी बिलकुल रूक जायेगी। लाइन डाइरेक्ट उसी किसान के यहां पहुंचे जिस किसान ने कनेक्शन लिया है। ऊपर होकर लाइन नहीं जानी चाहिए. जहां से चोरी करने वाला सबसे पहले लेता है और साहूकार बेचारा दूर बैठा हुआ है, उसको बिजली मिल नहीं पाती है सही। इसमें आपका खर्चा जरूर आयेगा लेकिन चोरियां रूक जायेंगी और आपकी आय बहुत बढ़ जायेगी। इसलिए आप उन किसानों के लिए अण्डरग्राउण्ड लाइन दें, इस तरह बिजली की चोरी रूक सकती है।

तीसरा मेरा निवेदन है कि किसानों के सामने सबसे ज्यादा समस्या ट्रांसफार्मरों की हैं। सबसे ज्यादा आपके ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। उसका एक मूल कारण यही है कि वास्तव में सही कनेक्शन तो हैं नहीं, नाजायज कनेक्शन लोगों ने कर रखे हैं। ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है और बार-बार

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आपके ट्रांसफार्मर जलते हैं। इधर तो ट्रांसफार्मरों का नुकसान और उधर बिजली की चोरी हो रही है। इसलिए किसानों को कह दिया जाय, जो किसान अपनी निजी आय से, मजबूरी में, ट्रांसफार्मर खरीदना चाहें तो वे खरीद लें। तो आपकी यह समस्या भी हल हो सकती है, क्योंकि वह स्वयं खरीदेगा तो स्वयं चोरी करने नहीं देगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान अगर स्वयं ट्रांसफार्मर खरीदता है तो किसी भी हालत में वह चोरी नहीं करने देगा, स्वयं लट्ठ लेकर बैठ जायेगा वहां पर। जो किसान छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर खरीदने की हिम्मत रखते हैं उनको की स्वीकृति अगर प्रदान कर दी जाय तो यह चोरी वाली समस्या भी हल हो सकती है।

चौथा मेरा निवेदन है कि बिजली की रेट जो आपने बढ़ायी है इस रेट को तो आप करें कम और बिजली जो उद्योगों में दिन-रात दी जाती है उसके स्थान पर किसानों को बिजली दिन में दिलवायी जाय। आप स्वयं किसान हैं। बाकी अन्य सदस्य जिन्होंने बहस की है, बहुत-से ऐसे हैं जो दिन-रात दुकान का काम करते हैं या उद्योगों में काम करते हैं। किसान की जानकारी तो ए बी सी डी भी नहीं है कि किसान कौन होता है। इसलिए उन्होंने जो भी बुराई की है, अनजाने में की है। उनका कोई दोष नहीं है। उनको पता ही नहीं है, है क्या यह समस्या।

एक माननीय सदस्य : उनको क्षमा करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनको तो भगवान क्षमा कर देगा, आप नहीं करेंगे तो। इसका परिणाम, जो उन्होंने बुराई की है ... (व्यवधान) ... वे किसान नहीं है, साहब, परचूनी की दुकान करते हैं। उनको पता ही नहीं है, किसान क्या बीमारी है, क्या होता है किसान, क्या समस्या किसान के सामने है। उद्योग लगा रखे हैं। उद्योग मन्त्री जी बिराजमान हैं, आपके उद्योग हैं और मंत्री साहेबान बिराजमान हैं, उनके उद्योग हैं। इसलिए आपको पता ही नहीं किसान की समस्या क्या है। इसलिए मैंने एक किसान होने के नाते, किसान क्षेत्र से आने के नाते और अनुभव के आधार पर किसान की समस्याओं के बारे में निवेदन किया है। बिजली की जो रेट बढ़ायी है, मंत्री महोदय, उस रेट को कम करें, चोरी हो रही है बिजली की उसको रोकें और इसमें सुधार करें तो यह समस्या-हल हो सकती है। यही मेरा निवेदन है। आपने समय दिया उसके लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाय।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

शासकीय वक्तव्य

विद्युत दरों में वृद्धि एवं रासायनिक खाद की अनुलब्धता

माननीय श्री लक्ष्मीचन्द जी मेहता।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर घाटा बताया गया है। यह घाटा क्यों है, इसके कारणों की तरफ हमको जाना पड़ेगा। 40 साल पूर्व जो घाटा था वह घाटा बढ़ता ही गया। घाटा होने के भी दो कारण हैं, एक तो यह कि हमने साधन सम्पन्न किसानों से वसूली नहीं की, हमने उद्योगपतियों से वसूली नहीं की। गरीब किसान की अगर थोड़ी-सी भी रकम, एक बिल भी नहीं भरा गया तो उसकी हमने बिजली काट दी। उनको सत्ता का सहयोग मिला, उस सहयोग के कारण देश का घाटा बढ़ता गया। उस घाटे का परिणाम आज हमको भुगतना पड़ता है। जहां घाटा हुआ है उसके साथ-साथ बिजली बोर्ड में, हमारी सरकार आने के बाद जो सुधार हुआ है उसके लिए आपने कभी तारीफ नहीं की। आपने कभी सुना 40 सालों में? एक साल में 25 हजार कनेक्शन किसानों को देने की बात हमारी सरकार ने की। उनको कनेक्शन दिये उस बात की आपने तारीफ नहीं की। आप तारीफ क्यों करेंगे, आपने काम नहीं किये। किसानों को हमने सुविधा दी, हमने बिजली दी। चोरी होने के भी दो कारण थे। एक तो यह है कि लोग पेटा लगाकर बिजली की चोरी करते हैं। चोरी करने वाले कौन? साधन सम्पन्न व्यक्ति। जिनको पकड़ने वाले सत्ता में बैठे थे और एक चोरी को नहीं पकड़ सके। हमने इस साल में 40 हजार रुपये वसूल करवाये सांचोर से और चोरियों को भी पकड़वाया, मगर चालान करने की हिम्मत नहीं पड़ी। हमारी सरकार चोरी को पकड़ना चाहती है, वसूली भी करना चाहती है। मगर वसूली के साथ-साथ एक साथ इतना कर्जा वसूल करना मुश्किल है। आपने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया, लेकिन लाइनों का काम कागजों में बता दिया, लाइनें खींचीं नहीं। आपको मालूम है, तार के भाव बढ़ गये, जनरेटर के भाव बढ़ गये। उन भावों के बढ़ने के कारण विद्युत मण्डल को घाटा उठाना पड़ा। वह घाटा इसलिए बढ़ रहा है।

इसके साथ-साथ मैं दूसरी बात आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने किसानों के हक की बात की। आप किसान किसान किसान चिल्लाते हो, डीजल के भावों का असर क्या एक किसान पर ही पड़ता है? क्या यह उपभोक्ता पर नहीं पड़ता? क्या यह भार मजदूर पर नहीं पड़ता? जो मजदूर गांव से शहर में आयेगा, किराये की गाड़ी में बैठकर आयेगा, क्या यह भार उस मजदूर पर नहीं पड़ेगा? जिस कर्मचारी के पास व्हीकल नहीं है वह अपनी सर्विस पर जायेगा टैम्पों में बैठकर, उस पर असर नहीं पड़ेगा? एक

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

साल के अन्दर आपने डीजल और पैट्रोल के भाव पांच दफा बढ़ाये, एक दफा नहीं पांच बढ़ाये। 10-4-1992 को डीजल के भाव 5.60 रुपये थे, उसको आपने 6.76 रुपये कर दिये, यानी 1.16 रुपये कर दिये, यानी 1.16 रुपये चार महीनों के अन्दर डीजल पर आपने भाव बढ़ा दिये। उसके बाद की रेट बता कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

तीसरी चीज, पैट्रोल के भाव बढ़ाये। आप कहते हैं, पैट्रोल की कार लक्ष्मीचन्द रखता है। मेरे पर भाव बढ़ें, उसकी कोई चिन्ता आप मत करना। पर स्कूटर कौन रखते हैं, मॉपेड कौन रखते हैं? गांव की महिला बाजार में सामान खरीदने टैम्पो में बैठकर जायेगी, उसका असर क्या उस पर नहीं पड़ेगा? आप किसान किसान किसान चिल्लाते हो, जाने किसानों के हिमायती आप ही हैं, हम लोग तो किसानों के दुश्मन हैं। हम हर जनता की बात हैं, इसका असर पूरी जनता पर पड़ता है। यहां तक कि आपने गेहूं के भाव बढ़ा दिये....

(7.00 मायं)

गेहूं खाने को नहीं मिलता। गेहूं केन्द्र सरकार देती है। मैं तो कहता हूं कि मेरी सरकार में वह हिम्मत थी कि जिसने राजस्थान के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा, राजस्थान के खाद्य मंत्री को पत्र लिखा। मैं जिस वक्त 1966 में जनसंघ में था, 3 किलो अनाज मिलता था। कांग्रेस की हुकूमत केन्द्र में बैठने वाली और सत्ता में बैठने वाली थी। 3 किलो अनाज दिया था। लाठीचार्ज हुआ, मैंने आन्दोलन किया और उसके परिणामस्वरूप 8 किलो अनाज देना शुरू हुआ। आज यह पत्र मैंने राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को लिखा। वह मैं पूरा अनाज जब 1966 में दिला सकता था, आज दिला नहीं सकता तो मुझे विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके परिणामस्वरूप हमारे मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के कैबीनेट मंत्रियों को, खाद्य मंत्रियों को भारत की सरकार के सामने घरना दिलाया और उसके परिणामस्वरूप भारत के प्रधान मंत्री को सबसे पहले बाड़मेर आना पड़ा और इस वितरण प्रणाली के सुधार के लिये घोषणा करनी पड़ी। क्या यह हिम्मत आप में थी? यह ताकत आप में थी? इतनी हिम्मत आप रख सकते हो? मैं पुनः मांग करता हूं कि सरकार में रहे या सरकार के बाहर रहे, हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता के चुनींदा हैं, जनता से वोट लेकर के आये हैं, कोई हम पावर की ताकत पर नहीं आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, डीजल के भाव के साथ-साथ मोबिल आयल के भाव भी बढ़ गये क्योंकि ट्रैक्टर में मोबिल आयल भी चाहिये और गाड़ी में भी चाहिये। पहले 28 रुपये था मोबिल आयल और अब आज हो गया है 47.25 रुपये। 19.25 रुपये बढ़ गये हैं। यह असर किस पर पड़ेगा? हम लोगों पर अकेले पर नहीं पड़ेगा, पूरे राजस्थान की जनता पर, भारत की जनता पर पड़ेगा। माल ट्रक में जायेगा, लाल किराये पर जायेगा, किराया

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

बढ़ गया, किराया बढ़ गया तो उपभोक्ता जो चीज खरीदेगा, वह महंगी खरीदेगा। इन महंगी वस्तुओं के कारण मैं माननीय कांग्रेस के विधायकों से यह प्रार्थना करूंगा

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि आप लोग हिम्मत रखें, साहस रखें। जिस प्रकार से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने साहस रखा, 'सरकार की परवाह नहीं की, भारत सरकार के सामने धरना दिलाया, आप अपनी सरकार पर प्रैशर डाले, उसे प्रैशराइज करें, उन्हें मजबूर करें कि कीमतों को घटाये जिससे जनता का हित होने वाला है, गरीबों का हित होने वाला है, गरीबों का हित होने वाला है। हम गरीबों की बात कहते हैं, भाषण देने से गरीबी मिटने वाली नहीं है, मेनिफेस्टो में में लिखने से गरीबी मिटने वाली नहीं है, नरसिंहराव जी के कहने से कि मैं 100 दिन में गरीबी मिटा दूंगा, गरीबी मिटने वाली नहीं है। वास्तव में आप गरीबों के हिमायती हैं, गरीबो की बात सोचते हैं तो अपनी सरकार पर, केन्द्र सरकार पर दबाव डालें और हम भी हमारी सरकार पर दबाव डालें कि कुछ रियायतें दें, कुछ रिलीफ देवें।

यह बात नहीं है कि बिजलीघर में सब के सब सुधार है। तो मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप सतर्कता समितियां कायम करें, चैकिंग पर जोर रखें, वसूलियां भी करें और चोरियों को पकड़ने का दम रखें, हिम्मत रखें, परवाह नहीं करें कि हम राज में रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपको उन चोरियों को पकड़ना पड़ेगा। चाहे कितना भी बड़ा हो, बड़े से बड़ा हो, प्रधान मंत्री हो, चोरी करता है, उसकी चोरी पकड़ने की हिम्मत और साहस आप में होना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और फिर सदन से प्रार्थना करता हूं कि साहस और हिम्मत के साथ भारत सरकार पर दबाव डालें ताकि वह डीजल, पैट्रोल और मोबिल आयल के भाव को कम करें और खाद के भाव कम करें ताकि अनाज पर पड़ने वाला असर लोगों पर नहीं पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो अन्तिम वक्ता के रूप में आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, उसके लिए अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस और आश्चर्य है कि लोगों की मानसिकता, लोगों के ख्यालात, लोगों के विचार कितने बदल जाते हैं। अगर पड़ोसी का लड़का फेल हो तो कहेंगे कि आवारागर्दी करता होगा, स्कूल का नाम लेकर के पिक्चर देखने जाता है और खुद का लड़का फेल हो जाय तो कहेगे कि कोई एग्जामिनर खूसट मिल गया, मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट था, उसको फेल कर दिया। यह

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

कैसे चल सकती हैं दो चीजें ? और इस पर शेर की मांग हो रही है तो एक शेर सुनाता हूं। एक शायर ने सही कहा है, ओस कहते हैं आसमान को, बस्ती कहते हैं जमीन को यानी आकाश-पाताल, "ओस और बस्ती के मकामात बदल जाते हैं, देखते-देखते हालात बदल जाते हैं। अरे, लोग तो वही रहते हैं लेकिन ख्यालात बदल जाते हैं।"

जब कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सत्ता में हो और केन्द्र में विपक्ष की सरकार हो और वहां पैट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत बढ़ाई जाय तो कहा जाता है कि यह आम जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार सत्ता में हो और फिर पैट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत बढ़ाई जाय तो तर्क दिया जाता है कि यह तो मजबूरी है, आज आर्थिक स्थिति और हालात ऐसे हो गये कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्रीजी, विपक्ष के नेता हो और कांग्रेस की प्रांत में सरकार हो और बिजली की फ्लेट रेट पर 2 पैसे बढ़ाये जाय तो मुख्य मंत्रीजी शेर की तरह दहाड़ते हैं। विधान सभा में ही नहीं, विधान सभा के बाहर आन्दोलन खड़ा कर देते हैं और मेरे जैसे लाखों लोग इनकी आवाज पर राजस्थान की धर्मशालाओं को, स्कूलों को जेलों के रूप में भरकर जेल जाने का काम करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र झुन्झुनूं जिले में इस बिजली के आन्दोलन पर सरकार की गोली खाकर बालूराम शहीद हुआ है। आज भी 12 फरवरी को हम उसको याद करके बिजली की दर नहीं बढ़ाने देने का संकल्प करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आखिर कारण क्या है ? रामनारायण जी साहब, पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रा सिंह भी ऊर्जा मंत्री थी. उनके सामने भी बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने डट कर उसका विरोध किया और अपने किसानपन की भावना से उस रेट को नहीं बढ़ाने दिया। आप तो उन से भी गये बीते निकले....(व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या कह रहे हैं आप ? मुझ से भी गये बीते निकले.... (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनों तो सही आगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, आई आब्जेक्ट टू इट।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं सुधार कर रहा हूं। आप बैठें तो सही।

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, जैसा समझौता आपने मुख्य मंत्री जी के साथ किया, ताशकन्द में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी उनके स्वाभिमान और भावना को ठेस पहुंचाते हुए समझौता हुआ था, लेकिन अन्तर इतना सा है कि वहां से शास्त्रीजी की डेड बाडी आई थी और आप यहां पर बैठे हुए हैं। किसानों पर इतना वजन लादने के बाद। हालत यह है कि जब आपसे कहा जाता है कि तामिलनाडू में किसान को फ्री बिजली दी जाती है, तब तर्क दिया जाता है कि राजस्थान की

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपसे अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि आपने और राज्यों का हवाला दिया है, हरियाणा का, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश तथा गुजरात का और राजस्थान के गरीब किसान पर बिजली की रेट बढ़ा दिया। मैं, मुख्य मंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान के किसान की पर कैपीटा इन्कम हरियाणा, पंजाब और दूसरे पड़ौसी राज्यों के किसान की पर कैपीटा इन्कम के बराबर है? आपको यह भी देखना पड़ेगा कि हरियाणा के किसान की स्थिति उसको सहन करने की हो सकती है, लेकिन राजस्थान का किसान आर्थिक दृष्टि से जितना पिछड़ा हुआ है, जितना कमजोर है, क्या उसकी स्थिति है, क्या इस बोझ को सहन करने के लिये वह सक्षम है? राजस्थान के किसान की पर कैपीटा इन्कम इतनी नहीं है कि वह इस बोझ को बर्दाश्त कर सके, इसलिये उसकी क्षमता भी आपको देखनी चाहिये।

दूसरी बात। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, बिजली बोर्ड के चेयरमैन के बारे में अपनी बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्या किसी की रिटायरमेंट आयु हो जाने से उसकी कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है? कांग्रेस के राज्य में भी चेयरमैन रहे और आज भी चेयरमैन हैं।

राजस्थान में "घर की मुर्गी दाल बराबर" वाली स्थिति हो रही है। हम माने या नहीं माने, दूसरे उत्तर भारत के राज्यों के बिजली बोर्ड हैं उनकी जो समन्वय समिति है उन्होंने इन्हें क्यों अध्यक्ष बनाया? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बैठी है उसने क्यों इनको प्रशंसा पत्र दिया? आखिर कोई न कोई तो इसका कारण हो सकता है। आज हम बिजली बोर्ड के चेयरमैन के लिए तो कहें.... (व्यवधान)....देखिए, अच्छी बात को स्वीकार करना चाहिये। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के मंत्रिमण्डल में ही एक मंत्री हैं, श्री विजय सिंहजी झाला, वह पहले सिंचाई विभाग का काम देखते थे। अब कहा कि साहब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बिना विभाग के ही रहेंगे लेकिन मंत्री रहेंगे। उनको क्यों नहीं रिटायरमेंट देते हैं?.... (व्यवधान)....मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या उसके ऊपर कम खर्चा आता है? मेरे कहने का मकसद यह है कि यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि बिजली की पहले जो व्यवस्था थी उससे चाहे अपेक्षाकृत कम हुआ हो लेकिन कुछ व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है।

इसके साथ-साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप किसानों को बिजली रात में दे रहे हैं और उसके ऊपर बिजली का भार बढ़ा रहे हैं लेकिन घरेलू बिजली तो उसको कम से कम 24 घण्टे दे दो। गांव के आदमियों ने क्या गुनाह कर दिया कि वह रेडियो पर न्यूज नहीं सुन सकते हैं, गर्मी में पंखा नहीं चला सकते हैं, रात को लाइट जला कर किसान का बेटा पढ़ नहीं सकता है. आज उसको घरेलू बिजली भी आप 24 घण्टे नहीं देते हैं और वह भी

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आप उसको तब देते हैं जब थ्री फेस पर बिजली रात को देते हैं, उसके साथ देते हैं। इसलिए माननीय मंत्रीजी मैं आपसे मांग करता हूं कि आपको ग्रामीण लोगों काश्तकारों को घरेलू उपभोग की बिजली है वह कम से कम 24 घंटे देनी चाहिए।

साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि निल पोल कनेक्शंस पर जहां सरकार का कोई खर्चा नहीं हो रहा है, आपका कोई पोल नहीं लग रहा है, आपका कोई तार नहीं लग रहा है, आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है तो कम से कम आपको निल पोल कनेक्शंस तो जल्दी से देना चाहिये। इस पर भी आप विचार करें। प्राथमिकता के लिए आपने एस सी. और एस टी., विकलांग, एक्स-सर्विसमैन और कई लोगों को प्राथमिकताएं दी हैं। पिछले हो महीने में 9 अगस्त को क्विट इण्डिया मूवमेंट की स्वर्ण जयन्ती मना चुके हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय ऊर्जा मंत्रीजी आपसे मांग करता हूं कि जिन लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने में और आज हम जिनकी बदौलत यहां पर बैठे हैं, भूमिका निभाई है, उन स्वतन्त्रता सैनानियों को भी आप प्राथमिकता के आधार पर बिजली के कनेक्शंस देने की आपको घोषणा करनी चाहिये।

अभी मेरे से पूर्व सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे कि हम एक साल में 25 हजार कनेक्शंस देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ढाई लाख लोग आज कनेक्शन की लाइन में प्रतीक्षा में हैं और आप एक साल में 25 हजार कनेक्शंस देंगे। 10 साल से तो पेंडिंग हैं आपकी लिस्ट और 10 साल बाद जाकर क्या आप उनको कनेक्शंस देंगे? क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह की कोई नीति बनानी चाहिये....(व्यवधान)....

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : 40 साल तक राज किसके पास रहा, दोषी कौन हैं?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 40 साल की रट लगाते रहेंगे क्या आप? अगर गोबर का सोने की थाली में रख देंगे तो पवित्र हो जायेगा? क्या कहना चाहते हैं आप? दूसरे का लड़का अगर दसवीं क्लास में 9 सब्जैक्ट्स में फैल हुआ और आपका 7 में फैल हुआ तो आप मिठाई बांटेंगे कि चलो मेरा बच्चा उसकी बनिस्पत कम में फैल हुआ है? यह कोई तर्क होता है क्या? आप तो सही काम करिये। फैसला आप नहीं कर सकते हैं और ना केन्द्रीय सरकार कर सकती है, फैसला तो जनता के हाथ में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता इस बात का फैसला करती है। उसने 1984 में 25 की 25 सीटें कांग्रेस को जिताई, 1989 में 25 की 25 सीटों पर विपक्ष को जिता दीं, 1991 आया तो साढ़े बारह-साढ़े बारह तो कर नहीं सकती थी इसलिए 12 और 13 करके आधी-आधी कर दीं। फैसला जनता के हाथ में है। जो भी जन-विरोधी नीति बनायेगा, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, यह हमको सोचना चाहिए। हम किसानों के हित की बात जुबान से करें और उसको

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

कलम से कुछ नहीं देना चाहें इससे कुछ होने वाला नहीं है, हम किसानों को क्या कलम से दे रहे हैं, फौरी बातों से किसान का पेटा भरने वाला नहीं है। किसान इस बात को अच्छी तरह से जान गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लीकेज की बात कर रहा था। अगर लीकेज को रोकें और चोरी को रोकें तो हम बिजली बोर्ड के घाटे को पूरा कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बिजली की बकाया कुल कितनी है? क्या माननीय मंत्रीजी मेरे स्पेसिफिक प्रश्न का अपने उत्तर में जवाब देंगे? उसमें किसानों पर कितनी है और उद्योगपतियों पर कितनी है? डी. सी. एम. पर कितनी है? आप बतायेंगे।

साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी आप चाहे चेतावनी के रूप में समझें, आपको याद होगा कि जब आपने बिजली बिल बन्दी का आन्दोलन किया था, बिजली की रेट्स बढ़ाने का विरोध किया था तब चौमूं विधान सभा क्षेत्र का एक गांव है—धौली, उसमें तब से लेकर आज तक बिजली बिल बन्दी हो रही है और आपका बिजली बोर्ड आज तक वसूली नहीं कर पाया। अगर आज आपने इस रेट को कम नहीं किया और बढ़ी हुई रेट को वापस नहीं लिया तो राजस्थान में और दूसरे हजारों गांवों के अन्दर किसान बिजली के बिल बन्दी करने पर प्रेरित होंगे और उसके लिए उन्हें कदम उठाना पड़ेगा।

बिजली की चोरी के आपने कितने मामले पकड़े? मैं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष महोदय से स्वयं मिला था। मैंने उनको स्पेसिफिक जगह बताई कि इन स्थानों पर अडंगा डालकर विदाउट कनेक्शंस बिजली काम में ली जा रही है। उन्होंने विद्युत मण्डल के तकनीकी मेम्बर श्री रायसिंघानी जी और अन्य लोगों को बुलाकर वह नोट करवाया। आज 4 माह का समय बीत गया है, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं मिली कि उसके अन्दर क्या कार्यवाही हुई है। आज भी राजस्थान में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही है, बिजली का लीकेज हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। कहीं न कहीं, कोई न कोई कमी है और उसके अन्दर और मुस्तैदी लानी होगी। अगर हम और ज्यादा मुस्तैदी से इस क्षेत्र में काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो हमारे बिजली बोर्ड का घाटा है उसकी पूर्ति भी होगी और किसानों पर अनायास कारण से मार नहीं डालना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फर्टीलाइजर के सम्बन्ध में भी एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे हम बड़े जोर-शोर से बात कहें कि हम किसानों को इतने करोड़ की छूट दे रहे हैं या खाद में इतनी छूट दे रहे हैं लेकिन किसानों को एक पैसे की छूट नहीं दी जाती है। जो खाद का निर्माण करने वाले निर्माता हैं उनकी तकनीक इतनी घटिया और खराब है उसके कारण उनकी जो कास्ट आफ प्राडक्शन आती है, लागत आती है वह बहुत ज्यादा आती है और जब उनको घाटा होने लगता है तो

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

वह केन्द्रीय सरकार से मांग करते हैं कि हमारा घाटा हो रहा है, उस घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार हमको पैसा दे। पिछली बार जो केन्द्रीय बजट रखा उसका 60 प्रतिशत बजट केवल खाद के ऊपर सब्सिडी खत्म करके पूरा किया और फिर उसके बाद उसको खत्म कर रहे हैं। ये किसानों के हित में नहीं है, आप किसानों पर कुठाराघात कर रहे हैं, किसान की आप हत्या कर रहे हैं, किसान पर ज्यादा बोझ लाद कर, उसको कमजोर करने का और उसको खत्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

मैं मांग करना चाहता हूं कि इस सदन से यह भी संकल्प पारित करें कि इस तरह से खाद के ऊपर सब्सिडी खत्म न करें, केन्द्रीय सरकार से यह मांग करें कि इसको राजस्थान का किसान बर्दाश्त करने वाला नहीं है।

अन्त में एक बात खाद एवं आपूर्ति मंत्रीजी भी आ गये हैं, उन्हें भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे राजस्थान का आये चाहे केन्द्र का बजट आये, जिन चीजों पर टैक्स लगता है, जिन चीजों के दाम बढ़ते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट आता है और यह पता चलता है कि पेट्रोल और डीजल पर भाव बढ़ेंगे तो 24 घंटे पहले से उसका स्टाक करने लग जाते हैं, पैट्रोल देना बन्द कर दिया जाता है, बड़ी-बड़ी लाइनें लग जाती हैं और जैसे ही वित्त मंत्रीजी का भाषण होता है वह बढ़ी हुई कीमत वसूल कर ली जाती है लेकिन जिन चीजों पर छूट दी जाती है, जिन चीजों पर से कर समाप्त किया जाता है वह चीजें महीनों गुजर जाने के बाद भी सस्ती दर के ऊपर मार्केट में वह क्यों नहीं मिलती है? क्या करता है आपका रसद विभाग और आपके नागरिक आपूर्ति विभाग वाले लोग?

पिछली बार दालों के ऊपर और बारदाने के ऊपर से कर हटाया था, सस्ता किया था। तब मैंने मंत्रीजी से उस समय भी शिकायत की थी। मैं गया बड़ी चौपड़ पर दुकानदारों के पास। दुकानदारों ने जवाब दिया कि साहब हमारे तो यह बढ़ी हुई कीमत पर आया था अगर आज दाम घट गये तो जब सस्ती दर पर आयेगी तब हम सस्ती बेचेंगे। उसके ऊपर तो यह तर्क दिया जाता है और जिस चीज पर रेट बढ़ जाती है वह अनाउन्स होने के तुरन्त बाद बढ़ी हुई दर पर बेची जाती है। इस पर भी सतर्कता बरतनी चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिएं ताकि लोगों को जिस चीज पर सहूलियत मुहैया करवाएं, रियायत दें उसको वह रियायत पर मिले।

मैं आपको एक बार पुनः इस आशा के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह जो आपने किसानों के ऊपर बिजली की रेट बढ़ाकर बोझ लादा है, आप किसानों के हित में इस रेट को वापस लेंगे, बिजली की रेट पर जो टेरिफ बढ़ाई है 8 पैसे प्रति यूनिट, इसको आप वापस लेकर किसानों को राहत देंगे और साथ में केन्द्रीय सरकार को भी यह प्रस्ताव भेजें। कांग्रेस के लोग यहां बैठे हैं, मैं बहुत निहायत अदब के साथ उनसे भी यह कहना चाहता हूं कि यह

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

कहने से जनता सन्तुष्ट नहीं होगी कि वह आपकी सरकार थी इसलिए बढ़ा दिया और आप उसको मान गये। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में जो यह काम कर रहे हैं इससे जनता का भला होने वाला नहीं है....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : आपके टाइम में श्री वी. पी. सिंहजी ने भाव बढ़ाये थे तब आपने प्रस्ताव भेजा था क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : श्री वी. पी. सिंहजी चले गये अपने घर और चले जाएंगे आगे लेकिन आपकी भी जाने की तैयारी हो तो आप अच्छा काम कर रहे हैं हमारी बला से और एक बार बढ़ाइये। मैं यह कह देना चाहता हूं....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आपको भी यह दबाव बनाना चाहिए, आपसे भी जनता पूछेगी, यह कह कर काम नहीं चल जायेगा। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो राजस्थान के माननीय मंत्री जी और विद्युत मण्डल के माननीय चेयरमैन साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि गत वर्ष आपने किसानों को जो समय पर और बिना कटौती करके बिजली दी है उसके कारण से किसान बहुत सन्तुष्ट हैं। मैं आगे के समय के लिए भी किसानों के लिए यही निवेदन करना चाहता हूं कि किसान राज्य का भाग्य विधाता है।

कांग्रेस के जमाने में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका इतिहास, कांग्रेस की सरकार में आपके जो मंत्री रहे हैं या आपके जो विधायक रहे हैं झालावाड़ जिले से, कोटा डिवीजन से उन्होंने राजस्थान के किसानों से 10-10 हजार रुपये सिंचाई कनेक्शन के लिये हैं। यह आपकी कांग्रेस का इतिहास है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अब कितना रेट है ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों का शोषण हो रहा है, खाद के भाव बढ़े हैं, डीजल के भाव बढ़े हैं, पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, कांग्रेस के लोग किसानों के घोर विरोधी है, किसानों के हितों के ऊपर तलवार चलाने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं सदन से कि सारा सदन किसानों के हित में एक प्रस्ताव पारित करके भेजे कि जो डीजल, पेट्रोल, खाद के भाव बढ़े हैं उनको वापस लिया जाये, कम किया जाये जिससे किसानों का भला हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : ऊर्जा मंत्री जी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी थोड़ा टाइम देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : जिन्होंने नाम दिया वे बोल दिये, आपने पहले नाम दिया नहीं। आपको नाम देने चाहिए।

श्री रामकरणसिंह : हर आदमी यह मानता है कि जिस दिन हम विधान सभा में प्रवेश कर गये तो हमारा अधिकार है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण सिंहजी किसी को नहीं रोका। आप भी अपना नाम दे देते, आपने नाम ही नहीं दिया।

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको टाईम तो देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप नाम दीजिये, जरूर बोला जायेगा आपका नाम। (व्यवधान)

श्री रामकरणसिंह : अगर आप थोड़ा टाइम दे देंगे तो मानूंगा कि आप अच्छे किसान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपना नाम नहीं दिया। आप बिराजिये।

श्री रामकरणसिंह : नाम देने पर ही बोला जाएगा यह है क्या ? मैं आपसे बड़े अदब के साथ कह दूं कि यहां वह भी व्यक्ति बोलते हैं जिनका नाम नहीं दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंहजी आप बिराजिये, भविष्य में नाम दीजिये आपका जरूर पुकारा जायेगा।

श्री रामकरणसिंह : भविष्य में थोड़े ही ट्रिकस होगा बिजली पर।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं. बिराजिये आप।

श्री रामकरणसिंह : बड़े अदब के साथ आपका सम्मान करते हुए मैं तो कह रहा हूं, अगर आप मुझे समय नहीं देते हैं तो मेरा····

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट बोल लीजिये।

श्री रामकरणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया और माननीय सदस्यों की जो सहानुभूति मेरे प्रति रही उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सुबह से यहां हर पार्टी के माननीय सदस्यों का भाषण बहुत बखूबी से सुन रहा हूं, एक चीज पर पहुंच पाया हूं कि जो व्यक्ति इधर बैठते हैं उनको किसान प्यारा लगता है, जो व्यक्ति, जो पार्टी उधर बैठ जाती है किसान को भूल जाती है। इसलिये आपने मुझे दो मिनिट दिया मैं बहुत मामूली सी बात कहूंगा कि जो पार्टी किसान को याद नहीं वही सत्ता खो देती है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि देश के लिए मरता है, देश को पैदा करके देता है और जो पैदा करके देता है, आप और हम जिस पर निर्भर करते हैं, उनको सहुलियतें, उनको सुविधायें हम उपलब्ध नहीं करा सकते तो हम अपने आपको ही पतन की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं वह चाहे आज मन्त्री हो, उन्होंने ऐलान किया है, बार-बार दुहाई दी है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे लेकिन उनको दिन को बिजली नहीं दी

(श्री रामकरणसिंह)

जाती। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान को रात को बिजली देगें, खुले खेतों में सर्दी के मौसम में, तीर के समान ठण्डी हवा चलती है उसके अन्दर वह काम करता है, बर्दाश्त करता है। उसका परिवार किस तरह से उसकी तरफ देखता है और यदि अचानक कहीं गर्मी के समय में या अन्य समय में कोई जहरीले जानवर निकल कर उसको डस जाते हैं, तो सुबह-सुबह हाहाकार मच जाता है और वह अपने परिवार से बिदा हो जाता है। यही नहीं उसका बेटा जो शिक्षा प्राप्त करता है उसको आप बिजली नहीं देते, उसको अपने बैलों से ट्रैक्टरों से सामान ढोना पड़ता है। आपके अधिकारी हैं यह उस पैसे को, जो मिलता है, बोर्ड को देता है उसको खाते हैं उससे फायदा उठाते हैं। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, एक किसान की जरा सी बकाया हो, कनेक्शन काट देते हैं। आपके यहां, मुझे कहना नहीं चाहिये चाहे राजनैतिक प्रभाव, चाहे शासन का प्रभाव हो चाहे दूसरे उच्च अधिकारियों का उनके प्रभाव से करोड़ों, अरबों रुपये उद्योगपतियों की तरफ बाकी हैं। आप उद्योगपतियों से पैसे वसूल नहीं करते और किसान की जो काम में आने वाली बिजली है उस पर आप पैसा बढ़ाते हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी आप खुद किसान हैं। मैं जानता हूं कि आपकी मजबूरी हो सकती है, आपके ऊपर दबाव आ सकता है, आपकी रीति-नीति पार्टी की तंग कर सकती है मगर मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा जो आपने बढ़ाया है। आज हिन्दुस्तान में आप मुख्य मन्त्री किसान प्रकृति के आदमी हैं इसलिए आपको बिजली देश के अन्य प्रान्तों के मुकाबले में कम कीमत पर देनी चाहिये थी, मगर आप से 12 प्रान्त ऐसे हैं जो कम रेट पर बिजली देते हैं इस पर आप सोचिये। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने एक बात कही, श्रीमती सुमित्रासिंहजी और श्री राम नारायणजी बिश्नोई के बीच में। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि श्री रामनारायण जी सज्जन है, सीधे हैं, और भोले हैं और श्रीमती सुमित्राजी शेरनी की तरह गरजती थी और इन्होंने नहीं माना उस बात को वरना मुख्य मंत्रीजी आप और आपके बोर्ड के लोग इनको दबा रहे थे कि बिजली बढ़ाओ। श्री बिश्नोईजी तो सीधे हैं, सज्जन है उनको आपने कह दिया, आपके ऊपर भी दबाव दूसरे आ गये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको आज घोषणा करनी चाहिये, क्योंकि किसानों के पक्ष की बात आप कहते रहे हैं और कहना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि बिजली की दरों में आप कटौती करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं दो कामों के लिए एक दो दिन में बिजली देने की व्यवस्था आप कीजिये। कल-कारखाने हैं उनके अन्दर चारदीवारी होती हैं, ऊपर छाया होती है, वह कमरों और मकानों में, बड़े-बड़े शेड्स में चलते हैं वहां आपको किसी प्रकार से रात को बिजली देने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसलिये मेहरबानी करके जिस बात को आप और हम कहते थे किसानों के भले के लिए एक दफा यह कर दीजिये आपका डंका बजेगा। वरना मैं तो उन्हीं में से हूं, 1977 में आपने कहा अच्छा काम किया मैं मेरे 9 साथी और लेकर आपके राज को मजबूत करने के लिए

(श्री रामकरणसिंह)

आया था, दो कांग्रेस के सज्जन आपके साथ बैठाये थे। मगर 177 से 1978 वाली नीति आज नहीं है। इस राज को चलाने में ही आपका टाइम ज्यादा बरबाद होता है या लोग ज्यादा आपको तंग करते हैं, पहले वाली भावना, पहले वाली काम की गति आपकी नहीं रही। यह मैं आपको आपका सहयोगी और साथी होने के नाते साफ कहना चाहता हूं कि अब यह बिजली वाली बात है इसको ऐसे ढंग से, कीमत कम करके फिर उस स्टेज पर आ जायं ताकि हम लोग आपकी हर तरह से जय बोलें और हम आपको हर प्रकार से चाहें। आप किसान वर्ग में अच्छे आदमी हैं। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरह से बिजली की रेट को कम करेंगे, यही मेरा आग्रह है।

इसके साथ-साथ, मैं, एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान के लिए खाद वगैरह वह पैदा नहीं कर सकता। जैसे बिजली जरूरी है, खाद भी जरूरी है। अगर खाद उसे नहीं मिला तो बड़ा मुश्किल रहेगा इसलिए इतना पैसा 300-400 रुपये कट्टे तक खाद नहीं मिल रहा है, लोगों को पैदा करने में बड़ी अड़चनें आ रही हैं इसलिए हमारा सदन सर्व सम्मति से केन्द्र से आग्रह करे और प्रस्ताव भेजें कि किसान की इस खाद की जो रेट है उसको कम करने के लिए आग्रह करे और यह प्रस्ताव भेजें। यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है। आपने मुझे समय दिया, काफी जद्दो-जहद के बाद, उसके लिए भी आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, सबसे पहले तो मैं सदन के माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करूंगा कि 22-23 माननीय सदस्यों ने विद्युत दर में बढ़ाई हुई दरों के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की और राजस्थान के किसान के प्रति भी अपनी सहानुभूति दर्शाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक राजस्थान के काश्तकार का प्रश्न है, इस सदन का हर सदस्य और विशेष रूप से राजस्थान सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि राजस्थान के काश्तकार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अधिक भार नहीं पड़े। जिससे उसके उत्पादन में कोई रुकावट पैदा हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र में जून 1991 के अन्दर सरकार में परिवर्तन हुआ, माननीय श्री कल्पनाथ रायजी ऊर्जा मंत्री बने और ऊर्जा मंत्री बनने के बाद माननीय श्री कल्पनाथ रायजी ने सारे देश में जो भी स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस थे, उनकी हालत और पूरे ऊर्जा मंत्रालय की वित्तीय स्थिति की जांच करनी शुरू की। उन्होंने सबसे पहले 6. 9. 91 को ऊर्जा मन्त्रियों की कांफ्रेंस बुलाई। उस कांफ्रेंस के अन्दर उन्होंने यह व्यक्त किया कि मौजूदा स्थिति के अन्दर हिन्दुस्तान में ऊर्जा का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता और जिस स्थिति के अन्दर विद्युत मण्डल कार्य कर रहे हैं, अगर यही स्थिति रही तो हम हिन्दुस्तान

(श्री रामनारायण विश्नोई)

की ऊर्जा स्थिति को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पा सकेंगे और हिन्दुस्तान का विकास रुक जायेगा। इसी स्थिति के अन्दर जब यह नोटिस में आया कि काफी संख्या के अन्दर करीब-करीब 3-4 विद्युत बोर्डस के अलावा बाकी विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। बाकी के प्रदेशों के विद्युत बोर्ड, अपना जो पैसा बकाया था एन. टी. पी. सी. का और दूसारा केन्द्र की तरफ से जो भी पैसा उनको पैसा पड़ता था, वह पैसा समय पर नहीं चुका पा रहे थे। ऐसी स्थिति के अन्दर केन्द्र के अन्दर ऊर्जा मंत्रालय भी काफी चिन्तित स्थिति में थे कि देश के अन्दर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है तो इस बात पर विचार हुआ कि हिन्दुस्तान के अन्दर नेशनल मिनिमम टेरिफ आफ इलेक्ट्रिसिटी फार एग्रीकल्चर यूज जो है, इसके लिए कोई न कोई निर्णय लिया जाना चाहिये। नेशनल टेरिफ फार एग्रीकल्चर यूज के लिए यह विचार ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में हुआ कि कम से कम हिन्दुस्तान के अन्दर एक मिनिमम टेरिफ एग्रीकल्चर यूज के लिए नियत किया जाना चाहिये और वहां पर कसेंसस आधिनियन यह रही कि कम से कम 50 पैसा इस समय में और एग्रीकल्चर टेरिफ में लगाया जाना चाहिये। उस कांफ्रेंस के अन्दर राजस्थान की तरफ से मैं भी था और दूसरे प्रदेशों के ऊर्जा मन्त्री थे और करीब-करीब यह तय हुआ कि जब इतनी महंगाई बढ़ गई है और विद्युत मण्डल अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं और विद्युत सप्लाई में जगह-जगह प्रदेशों के अन्दर शिकायतें आ रही हैं कि विद्युत की सप्लाई निरन्तर नहीं हो पा रही है और उस स्थिति के अन्दर माननीय सदस्यों का ध्यान, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 88-89 और 89-90 के अन्दर, उस पुराने समय के अन्दर राजस्थान में विद्युत मण्डल की निरन्तर सप्लाई की क्या हालत थी, वह आपने और हमारे सदस्यों से छिपी हुई नहीं है। रोजाना कटौती हुआ करती थी, रोजाना काश्तकारों के आन्दोलन हुआ करते थे, समय पर बिजली उपलब्ध नहीं हुआ करती थी और उस स्थिति की वजह से काश्तकार उस समय की रेट भी देने की स्थिति में नहीं था क्योंकि उनको समय पर विद्युत सप्लाई नहीं होने के कारण वह अपना उत्पादन भी नहीं बढ़ा सकता था। उस स्थिति के अन्दर, जब यह स्थिति हुई कि या तो हमारे सामने ये परिस्थिति थी कि हम उसी परिस्थिति के अन्दर इस विद्युत मण्डल की स्थिति को चालू रखें। घण्टे, दो घण्टे, तीन घण्टे, चार घण्टे दे रहे हैं, वह भी टूटी-फूटी सप्लाई चालू रखें या इस स्थिति के अन्दर कोई सुधार लावें। तो राजस्थान की सरकार की राय वही थी कि चाहे हमको कोई भी कदम उठाना पड़े, हमको काश्तकारों को और राजस्थान के उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई बराबर देनी पड़ेगी और इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे से पूर्व मंत्री श्रीमती सुमित्रासिंहजी थी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि चाहे टेरिफ नहीं बढ़ा हो, उन्होने इस बात को स्वीकार किया कि कुछ न कुछ वित्तीय साधन विद्युत मण्डल के बढ़ाने पड़ेंगे और वित्तीय साधन बढ़ाये बिना हम विद्युत की सप्लाई निरन्तर ठीक नहीं रख

(श्री रामनारायण विश्नोई)

सकते और इसीलिए उन्होंने एक "तुरन्त प्राथमिक योजना" के लिए स्वीकृति दी और हमने राजस्थान के अन्दर करीब 27-28 करोड़ रुपये, 'तुरन्त प्राथमिक योजना" के अन्दर काश्तकारों से लेकर उनको विद्युत कनेक्शन दिये तो स्थिति यह थी कि हम आर्थिक वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से विद्युत मण्डल को अच्छी तरह से नहीं चला करके काश्तकारों को और दूसरे उपभोक्ताओं को पूरी बिजली देने की स्थिति में नहीं थे और इसी परिस्थिति के कारण हमको बार-बार इस बात का विचार करना पड़ा। हालांकि राजस्थान का सवाल था, मैं और हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस बात के विरोधी थे कि ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा गया कि हम इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि हम 50 पैसा एग्रीकल्चर टेरिफ के लिए करें, जब उसके बाद में बराबर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से लैटर हमारे पास आये हैं, माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो हम उन पत्रों के अन्दर जो विशेष रूप से लिखा हुआ है, वह बता देंगे कि आपको एग्रीकल्चर टेरिफ के 50 पैसे करने पड़ेंगे। **you will have to impose the the tarrif of 50 paise for agricultural use, otherwise** जो हम बराबर आपको बिजली के लिए सहायता दे रहे हैं, हम एन. टी. पी. सी. के हमारे जो केन्द्र चल रहे हैं, विद्युत गृह चल रहे हैं, उनसे हम सप्लाई पूरी नहीं कर पा सकेंगे। उसका हमारा पैसा जो आपकी तरफ बकाया है, वह पैसा अगर आपने समय पर नहीं दिया तो हम आपको यह सप्लाई भी बन्द कर देंगे। ऐसी स्थिति आई कि····

श्री चन्दन मल बैद : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि सारे स्टेटस ने टेरिफ 50 पैसा कर दी ?

श्री रामनारायण विश्नोई : कुछ स्टेट्स ने की है। मैं बताऊंगा।

श्री चन्दनमल बैद : जब सब ने नहीं की तो आपने ही क्यों की ?

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं बताऊंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : कांग्रेसी स्टेट्स ने कहना नहीं माना तो आपने क्यों माना ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : हरियाणा और उड़ीसा ने पहले किया। हरियाणा और राजस्थान के अलावा कहीं नहीं बढ़ा।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, सारे स्टेट्स में बेस्ट बंगाल ने 50 पैसा कर रखी हैं, असम ने कर रखी है, उड़ीसा ने कर रखी है और हरियाणा ने कर रखी है····(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय ऊर्जा मन्त्रियों के सम्मेलन के बाद में करीब-करीब हर स्टेट्स ने अपना पुराना टेरिफ बढ़ाया है। कुछ स्टेट्स ने 50 पैसा की है, कुछ ने 50 पैसे से ज्यादा किया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मन्त्री महोदय आप मुझे बतावें कि अगर केन्द्रीय मन्त्री आपसे वापस लेंगे तो क्या आप वापस कर देंगे ?

श्री रामनारायण विश्नोई : बिल्कुल कर देंगे। क्यों नहीं कर देंगे। आप लिखवा दो, हम कर देंगे। फ्री कर देंगे। (व्यवधान) तो उपाध्यक्ष महोदय····

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मंत्री महोदय, आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कई कांग्रेसी राज्यों ने 50 पैसे टेरिफ नहीं की है।

श्री रामनारायण विश्नोई : कईयों ने नहीं की होगी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : अलावा हरियाणा के कहीं नहीं हुई। अलावा हरियाणा के कहीं नहीं हुई है।

श्री रामनारायण बिश्नोई : मैं बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग करें।

श्री मोहिम्मद माहिर आजाद : अभी तक महाराष्ट्र और गुजरात ने नहीं की और कर्नाटक ने नहीं की है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने यह तो बता दिया कि आपने टेरिफ इसलिए रिवाइज की कि केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री का आप पर दवाव था, एक तो आपने यह कहा है और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं वहां पर ऊर्जा मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था, कांफ्रेंस हुई थी उसमें कंसेंसस डवलप हुई थी और कंसेंसस डवलप होने का मतलब यह हुआ कि ऊर्जा मन्त्रीजी का दबाव नहीं था बल्कि सारे स्टेट्स के ऊर्जा मंत्री चाहते थे कि इसकी टेरिफ को रिवाइज किया जाना चाहिए। उससे आप अपने आपको अलग नहीं कर सकते। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप यह बता दें कि आप अगर यह टैरिफ रिवाइज न करते तो आप अपना 107 करोड़ का जो घाटा है उस घाटे की कैसे पूर्ति करते ?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस बात से इंकार नहीं करूंगा माननीय देवपुरा साहब ने दोनों बातें कही हैं। एक तरफ तो ऊर्जा मन्त्रियों के सम्मेलन में कंसेंसली यह तय हुआ था कि कम से कम एग्रीकल्चर टैरिफ के लिए 50 पैसे का टैरिफ लगाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे बोर्ड की यह स्थिति थी कि हम पैसा भी चुका नहीं पा रहे थे। तो यह नहीं है कि हमने केवल केन्द्रीय सरकार के कहने से ही यह किया हो। हमारी हमेशा यह कोशिश रही है, इसलिए हमारे सामने यह विकल्प था कि या तो हम बिजली बोर्ड की जो टूटी-फूटी व्यवस्था चल रही थी, जो सप्लाई हम पूरे समय पर नहीं दे सकते थे और उसमें सुधार नहीं कर पा रहे थे और नहीं करने का कारण था। जो प्राइसेस पिछले अर्से में बढ़ी हैं उन प्राइसेस के रहते हुए हम किसी भी प्रकार से बिजली बोर्ड की व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला सकते थे।

माननीय श्री चन्दनमलजी ने जो बात कही है, जिन परिस्थितियों के अन्दर बोर्ड चल रहा था, आज परिस्थिति यह है कि जो ट्रांसफार्मर 25 के. वी. का 1989 के के अन्दर 11000 रुपये में मिलता था आज उसकी कीमत 19 हजार हो गई है। आज एक काश्तकार को कनेक्शन देने के लिए

(श्री रामनारायण विश्नोई)

यदि एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो 19 हजार रुपये का एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है बिजली बोर्ड को। ऐसी स्थिति में जब इतनी महंगाई बढ़ गई थी तो हमारे सामने विकल्प था कि या तो हम नये कनेक्शन देना बन्द कर दें और जैसी भी व्यवस्था है उसको चलायें या फिर हम किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करें कि थोड़ी सी वित्तीय स्थिति बोर्ड की सुधरे और काश्तकारों को, उपभोक्ताओं को बराबर बिजली दे सकें। माननीय उपाध्यक्ष जी, कहना बहुत आसान है हर कोई आदमी, माननीय सदस्य भी कहते हैं, लेकिन आज हर उपभोक्ता भी कह रहा है कि हमारे घर में बिजली लगनी चाहिए, हमारे कुए पर बिजली लगनी चाहिए। आज राजस्थान के अंदर 37 हजार गांवों में से हम पिछले 40 सालों में बड़ी मुश्किल से पूरी कोशिश से, हम यह नहीं कहते कि कांग्रेस सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। जो भी सरकारें आई हैं, प्रजातंत्र के अंदर हर सरकार कोशिश करेगी। कांग्रेस सरकार के कोशिश करने के बावजूद 27-28 हजार गांवों के अंदर आज हम इतने सालों के अंदर बिजली दे सके हैं और उनमें भी स्थिति यह है कि जो गांव विद्युतीकृत घोषित कर दिये गये हैं उनमें से आप 4500 गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी कनेक्शन नहीं लगा हुआ है। यह चाहे हमारे राजनीतिज्ञों की कमजोरी थी, चाहे पार्टी में जल्दी-जल्दी इलेक्शन हुए, 1989 में हुए, 1990 में हुए, 1991 में हुए, उसकी घोषणा हम करते गए, गांवों का विद्युतीकरण करते गए लेकिन वहां वास्तव में जो बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। हमारे सामने यह विकल्प था कि एक तो 4500 गांव जो पुराने समय में घोषित किए हुए हैं उन गांवों के अंदर बिजली पहुंचाई जाय। आज 4500 गांवों में से 700 गांवों को भी सालाना हम बड़ी मुश्किल से बिजली दें उसके हिसाब से 7-8 साल तो उसमें ही लग जायेंगे, 8 हजार गांव हमारे अभी तक बिना विद्युतीकृत किए हुए हैं और जो गांव विद्युतीकृत घोषित हो चुके हैं उनमें बिजली उपलब्ध करवानी है। ऐसी स्थिति में हम इस व्यवस्था को सुधारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे।

माननीय सदस्यों की चिन्ता बिलकुल ठीक है कि काश्तकारों को बिजली मिलनी चाहिए। हम इससे बहुत ज्यादा चिंतित हैं लेकिन काश्तकारों को आज की स्थिति में हम बड़ी मुश्किल से 20 हजार बिजली के कनेक्शन हर साल के दे पायेंगे। पिछले 3 सालों में एक लाख कनेक्शन दिए गए हैं और 4 लाख कृषि कनेक्शन उपभोक्ता आज राजस्थान के अन्दर हैं। 4 लाख में से जैसा मैंने निवेदन किया, मेरे स्टेटमेंट में एक लाख काश्तकार ऐसे हैं जो फ्लेट रेट देते हैं, फिक्स रेट देते हैं और हम उन काश्तकारों को जो सबसे अच्छे काश्तकार उपभोक्ता हैं, हम उनको अच्छा उपभोक्ता मानते हैं। न तो उनकी चोरी की शिकायतें, न उन्हें हमारे प्रति शिकायत न हमको उनके प्रति शिकायत। फ्लेट रेट के अंदर जो पैसा फिक्स कर दिया वो बराबर देते हैं। परन्तु टेंडेंसी यह हो गई है उन एक लाख काश्तकारों में से भी ज्यादातर कोशिश

(श्री रामनारायण विश्नोई)

यह कर रहे हैं कि हम भी मीटर सप्लाई के अंदर चले जांय ताकि वहां चोरी करने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा है। मीटर से हमें पैसा कभी देना पड़े और कभी नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख कृषि उपभोक्ता आज मीटर के अंदर सप्लाई ले रहे हैं। जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आज टेंडेंसी क्या हो चुकी है, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, परन्तु मानवीय मूल्यों में जो गिरावट आई है, माननीय सदस्यों ने यह माना है कि चोरी हो रही हैं। आज इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आई हैं कि ट्रेक्टरों के अंदर, जीपों के अन्दर ट्रांसफार्मर लगे हुए काश्तकार घूम रहे हैं और रात को कहीं जंच जाय वहीं कहते हैं कि अगर आपको बिजली की आवश्यकता है तो हम ट्रांसफार्मर लगाकर रात को बिजली चोरी से दे देंगे। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और आज स्थिति यह है, मैं आपको बताऊं राजस्थान के राजकीय उपक्रम चाहे वह बिजली बोर्ड हो चाहे वह रोडवेज हो। न तो किसी सवारी को हिम्मत है कि वह किसी कण्डक्टर से थोड़ा बोल ले या किसी बस को कहीं ठहरा दे। न ही बिजली बोर्ड के अंदर किसी उपभोक्ता की यह हिम्मत है कि वह किसी लाइनमैन या जो सी. सी. ए. वगैरह हैं उनसे भी कहते कि हमारे यहां टाइम पर जाकर आप कोई मरम्मत कर दें या हमारी कोई सेवा कर दो। आज अनुशासनहीनता इतनी आ चुकी है कि किसी भी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज अदा करने की कोई चिन्ता नहीं है और ये उपभोक्ताओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और क्या हालत हो रही है। इन परिस्थितियों के अंदर हम यह कहना चाहते थे कि जिस प्रकार से चोरी की जो टेंडेंसी बढ़ रही है उस चोरी की टेंडेंसी को रोकने के लिए जैसा मैंने कहा बिजली बोर्ड की तरफ से काफी कोशिश की गई है। आप लोग अच्छी तरहसे जानते हैं आज कई गावों में यह हालत है कि बहुत बड़ी पुलिस फोर्स ले जाने के बाद तो किसी की हिम्मत हो कोई एन्टर कर जावे वरना कोई 2-4 आदमी किसी के कुए पर या किसी की फैक्ट्री पर जाकर आज यह हिम्मत नहीं है कि वे चोरी पकड़ लें या चैकिंग कर ले। इन परिस्थितियों में माननीय सदस्यों को यह सोचना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, क्या भावनाएं लोगों की हो रही हैं. किस प्रकार से मानवीय मूल्यों में गिरावट हो रही है? यह आपको और हमको सोचने का विषय है। अगर इस तरफ सुधार नहीं हुआ तो हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कोई भी राज्य सरकार इसके लिए कोशिश या तकलीफ उठायें इसमें कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं है।

मैं आपसे यह कह रहा था कि जिस प्रकार से पोल्स की कीमत बढ़ी है, जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर की कीमत बढ़ी है, जिस प्रकार से बिजली उपकरणों की कीमत बढ़ी है उन कीमतों को देखते हुए कोई चारा नहीं है कि हम इसमें कम से कम 50 पैसा करके और हम किसी प्रकार से बिजली बोर्ड की व्यवस्था को सुधार सकें। माननीय सदस्य उस समय की बात कर रहे हैं जिस वक्त में ही जोकी इतनी कीमतें

(श्री रामनारायण विश्नोई)

नहीं बढ़ी थी और बिजली की सप्लाई ठीक होती थी। जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि पिछले 2-3 साल के अंदर बिजली की व्यवस्था बराबर सुधारी गई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली की रेट बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं थी और अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि मंत्रीजी के कहने से बढ़ाई है। ये दोनों बात क्यों कहते हो?

श्री रामनारायण विश्नोई : ये दोनों बातें ही बताई हैं। एक बात थोड़े ही है। दोनों परिस्थितियां ऐसी हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर हमने यह कोशिश की है कि राजस्थान के काश्तकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं हो। इसलिए काश्तकार के ऊपर सीधे 8 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया है और दूसरे जो भी उपभोक्ता हैं उन पर 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया है। जैसा मैंने निवेदन किया कि एक लाख काश्तकार जो फ्लेट रेट वाले थे उन पर कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया। 3 लाख काश्तकार इनसे प्रभावित होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि इस 8 पैसे की वृद्धि से ज्यादा से ज्यादा एक किलो अनाज पर 3 पैसा या 4 पैसे की वृद्धि होगी कोई ज्यादा पहाड़ टूटने वाला नहीं है। माननीय सदस्य जो बता रहे हैं कि इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे बड़ा भारी अन्याय हो जायेगा तो इससे कोई ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली नहीं है। इसका फायदा आपको यह होगा....

डा. चन्द्रभान : यह माननीय मंत्री जी का कहना सही नहीं है। ये आंकड़े आप कहां से लाये हैं कि 3 पैसा एक किलो पर बढ़ेगा।

श्री रामनारायण विश्नोई : आप केलकुलेशन कर लेना।

डा. चन्द्रभान : आप पूरा केलकुलेशन करके बाद में बयान दीजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैंने कर लिया है।

डा. चन्द्रभान : एक काश्तकार पर डेढ़ हजार पड़ेगा जिसके पास 10 या 15 बीघा जमीन है और उस पर कितना अनाज पैदा होगा और उसकी क्या कीमत मिल रही है। ऐसे ही आपने 3 पैसा बोल दिया यहां पर।

श्री रामनारायण विश्नोई : वो केलकुलेशन कर लिया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज राजस्थान का काश्तकार 5-7-10 पैसे वृद्धि से चिंतित नहीं है। आज राजस्थान के काश्तकार को चिन्ता इस बात की है कि हमको समय पर बराबर बिजली मिले और जैसा कि भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इन सालों के अंदर राजस्थान में बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। हम यह स्वीकार करते हैं कि इन सालों के अंदर बिजली का उत्पादन राजस्थान में होने की संभावना नहीं हुई है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं

(श्री रामनारायण विश्नोई)

इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि बराबर पिछले 2-2½ साल से माननीय मुख्य मंत्रीजी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि धौलपुर की हमारी परियोजना को स्वीकृति दी जावे। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं, इस सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि इस सदन के एक माननीय सदस्य ने मुझे यहां तक कहा कि धौलपुर परियोजना तो किसी तरह से आपके राज के अंदर मंजूर नहीं होनी चाहिए उसके बाद हो तो ज्यादा ठीक है। ऐसी भावना भी लोगों में है और राजस्थान के प्रतिनिधि हैं ...

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कौनसे मैम्बर की है ?

श्री रामनारायण विश्नोई : वो बता दूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : हाउस में नाम बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : वैसे ही बता दूंगा। बताने की जरूरत नहीं है बहुत से आदमी कह देते हैं होना तो यह चाहिए था, बराबर राजस्थान के हर प्रतिनिधि की कोशिश यह होनी चाहिए कि पर्यावरण की वजह से जो देरी हो रही है, वह देरी रूकनी चाहिए और इसको राजनीतिक मुद्दा बना कर कुछ लोग यह चाहते हैं कि इस परियोजना के अन्दर देरी हो और इसी प्रकार से जैसा भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बरसिंहसर योजना के अन्दर क्या हुआ—बरसिंहसर योजना नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन को दे दी गई थी, मेमो ऑफ एग्रीमेंट हो चुका है और उन्होंने काम शुरू कर दिया। केन्द्र सरकार के कोल डिपार्टमेंट ने एकदम से बरसिंहसर नेवेली कार्पोरेशन को कह दिया–हमारे पास कोई आपको एक हजार करोड़ रुपये देने के लिए नहीं है, आप अपना काम धीमा कर दीजिए। यह स्थिति है केन्द्र सरकार की। माननीय सदस्य अब यह कहेंगे इस तरफ बैठने वाले, केन्द्र सरकार का सहयोग आपके साथ पूरा है। इस प्रकार का सहयोग केन्द्र सरकार का बना हुआ है। केन्द्र सरकार की नीति यह है कि राजस्थान की योजनाएं जो चल रही हैं, उन योजनाओं के अन्दर रूकावट डाली जाये, चलती हुई योजना बरसिंहसर को रोका गया है और इस प्रकार से.... (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसी सरकार का आप कहना क्यों मानते हो ?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं पूछना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने किस तारीख को यह कहा कि एक हजार करोड़ रुपये तुम को नहीं देंगे।

श्री रामनारायण विश्नोई : वह हमारे पास लैटर्स पड़े हैं, आपको बता देंगे। केन्द्र सरकार ने....

श्री चन्दनमल बैद : नहीं-नहीं, आप बताइये। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह उस समय की बात है जब श्री चन्द्रशेखरजी प्रधानमंत्री थे और वह आपके मुख्य मंत्री के दोस्त हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : नहीं-नहीं, वह तो सेंक्शन देकर गये हैं नेवेली कार्पोरेशन .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, अब जो केन्द्र सरकार की तरफ से कोल डिपार्टमेंट ने नेवेली कार्पोरेशन को कह दिया है कि हम तो आपको फाइनेंस नहीं करेंगे इसलिए नेवेली कार्पोरेशन ने कह दिया कि किसी प्राइवेट कम्पनी को आप दे सकते हैं तो इन स्थितियों के अन्दर जो परियोजनाएं चल रही थीं उनके अन्दर बाधा उत्पन्न हुई है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि जो भी योजनाएं हमार यहां से भेजी जा रही हैं, चाहे वह पर्यावरण के नाम पर हों, चाहे व दूसरे टेक्नीकल आब्जेक्शन्स की वजह से हो, उन परियोजनाओं की स्वीकृति के अन्दर देरी होने की वजह से काम नहीं हो रहा है और यही परिस्थिति थी, आज सूरतगढ़ की तापीय परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है पर सूरतगढ़ की तापीय परियोजना को चलाने के लिए हमको कम से कम बारह-तेरह सौ करोड़ रुपयों की पूंजी चाहिए। उस पूंजी के लिए जैसा मैंने निवेदन किया, कि केन्द्र सरकार की तरफ से, जब तक हमारी स्थिति तीन प्रतिशत सरप्लस में आने की नहीं होगी और बोर्ड की तीन प्रतिशत के सरप्लस की योजना बना कर जब तक केन्द्र सरकार को आश्वस्त नहीं कर देंगे, तब तक कोई भी लोन की योजना स्वीकृत नहीं होगी। इन परिस्थितियों को देख कर बिजली की दरों के अन्दर यह बढ़ोतरी की गई है और मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आप से निवेदन करना चाहूंगा, कुछ सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत जो मामले रखे हैं कि हमारे यहां पर यह दिक्कत है, इस प्रकार से है कहीं, कि संचालन विद्युत विभाग का ठीक नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई कर्मचारी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जहां कहीं भी जिस किसी भी कर्मचारी की जब कभी भी कोई शिकायत आई है उसके ऊपर कार्यवाही की गई है। और भी माननीय सदस्यों ने जो-जो बताया है उनके ऊपर भी बराबर कार्यवाही की जायेगी। अभी नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा यह इलाका ज्यादातर अभावग्रस्त रहता है, अकाल पड़ते हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूं, 24 अगस्त को इस साल की कृषि नीति घोषित की गई है उस 24 अगस्त की कृषि नीति के अन्दर यह घोषित कर दिया गया है कि छह जिलों के अन्दर एक हजार कनेक्शन्स परिस्थितियों को देख कर स्पेशल तौर पर एडीशनल उनको दिये जायेंगे और वह जिले हैं-चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और झुन्झुनू। यह छः जिले इसके अन्दर रखे गये हैं, इन जिलों के अन्दर एक हजार कनेक्शन्स अभावग्रस्त इलाकों को देख कर किये जायेंगे.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाईमाधोपुर को तो छोड़ दिया। ..

श्री रामनारायण विश्नोई : बाकी जो हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, इस दफा इस पॉलिसी को भी कंटीन्यू रखा गया है, जो गांव विद्युतीकृत घोषित कर दिये गये हैं

(श्री रामनारायण विश्नोई)

उन गांवों के अन्दर दो कनेक्शन्स हर गांव के अन्दर दिये जायेंगे। पिछले साल भी पन्द्रह सौ-सोलह सौ कनेक्शन्स दिये गये हैं। इस साल भी जिन गांवों के अन्दर एक भी कनेक्शन नहीं है, उन गांवों के अन्दर दो कनेक्शन देने की नीति चालू रखी गई है। इस दफा राजस्थान सरकार की तरफ से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आठ सौ कनेक्शन्स रिजर्व किये गये हैं। विकलांगों के लिए भी दो सौ कनेक्शन्स रिजर्व किये गये हैं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : स्वतंत्रता सैनानियों के लिए बताओं।

श्री रामनारायण विश्नोई : स्वतंत्रता सेनानियों का फैसला इस दफा नहीं हुआ है, आइन्दा देखा जायेगा। बाकी माननीय सदस्यों ने जो-जो समस्याएं खड़ी की हैं, माननीय उपाध्यक्षजी....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आइन्दा कब देखेंगे, यह तो बताइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी से पूछ कर दो न डिक्लेयर....

श्री हेतराम बेनीवाल : मुख्य पचास आदमी होंगे।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, में माननीय सदस्यों को....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुख्य मंत्रीजी यह तो आपको घोषणा करानी चाहिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कह कर माननीय सदस्यों को यही निवेदन करूंगा कि राजस्थान विद्युत उत्पादन के अन्दर कोयले की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से एक बहुत ही कमजोर स्थिति के अन्दर है, माननीय सदस्यों को और हम सब को मिल कर यह कोशिश करनी पड़ेगी, ऊर्जा का संरक्षण हमको करना चाहिए ऊर्जा बचानी चाहिए और कम से कम ऊर्जा का दुरूपयोग हो-इसके लिए कोशिश हो। जहां कहीं भी माननीय सदस्यों के नोटिस में चोरी आती हो, उस जगह चोरी को रोका जावे। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि चोरी हो रही है उनको कनेक्शन दे दिया जाये तो यह भी एक ऐसी स्थिति है कि चोरी करने वालों को कनेक्शन मिले और जो चोरी नहीं करने वाले वो लाख आदमी लाइन के अन्दर लगे हुए हैं उनको हम कनेक्शन नहीं दें, यह बात भी ठीक नहीं है। चोरी करने वालों का भी इन्तजाम किया जायेगा। वन पोल, टू पोल या नो पोल के जो कनेक्शन्स होंगे उनके ऊपर भी कोई विचार करके निर्णय लिया जायेगा। इस प्रकार की राजस्थान सरकार की योजना है। मैं माननीय सदस्यों को फिर इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी....

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्षजी, दिन को बिजली देने वाली बात पर जरा थोड़ा सा बता दीजिए। दिन को बिजली क्यों नहीं दे सकते किसान को ?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान के अन्दर कई जगह....

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं-नहीं, बिजली दिन को ही नहीं देनी, रात को भी देनी है और दिन को भी देनी है। रात को देनी है, बहुत ही अच्छा किया है।

श्री रामनारायण विश्नोई : रात को भी देते हैं और दिन को भी देते हैं।

डा. चन्द्रभान : माननीय मंत्रीजी, मैंने एक सवाल किया था, आप, जवाब नहीं दे रहे हैं, बैठे हैं, दिन में यदि आप बिजली देते हैं तो मैंने कहा कि यह जो रेट है, 46 की बजाय 47 पैसे देने के लिए किसान तैयार हैं लेकिन यह रात को देते हैं। तो मैंने वह टेलीफोन वाली व्यवस्था का सवाल उठाया था जैसे कि टेलीफोन में रात को दस बजे से सवेरे पांच बजे तक एक चौथाई लगता है तो क्या किसान को आप एक चौथाई के हिसाब से देंगे बिजली और दिन में देंगे क्या ? दिन में देंगे तो कोई दिक्कत नहीं।

श्री उपाध्यक्ष ; बिराजिए डाक्टर साहब।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, शायद कुछ सदस्यों को यह गलतफहमी हो कि रात के टाइम में बिजली सस्ती उत्पादित हो रही है और दिन के टाइम में बिजली जो है, यह कोई फर्क नहीं होता है इसके अन्दर....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : कोई लेना नहीं चाहता उसको, लोड फेक्टर नहीं रहता, कोई दूसरे लोग नहीं लेना चाहते।

श्री रामनारायण विश्नोई : कोई रात और दिन में फर्क नहीं होता है बिजली उत्पादन के अन्दर....

डा. चन्द्रभान : आप दिन में किसानों को बिजली देते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : बिजली उत्पादन में सस्ती....(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, मैं आपको सजेशन देता हूं, बताऊं क्या है कि आपने चूंकि केन्द्र सरकार के कहने से किया, बाकी तो आप नहीं करते इसलिए आप जो रात को दे रहे हैं वह सौ, डेढ़ सौ करोड़ रुपये रात को लगा दीजिए आप।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, ऐसा है....(व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : रात को दूसरे नहीं लेते हैं न इनकी बिजली, इसलिए किसानों को देते हैं यह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, बिजली का जिस प्रकार से वितरण किया जा रहा है, कभी दिन के अन्दर मिलती है, कभी रात को मिलती है और यह जो भ्रम है कि रात को बिजली सस्ती मिलती है, यह भ्रम ही है। बिजली चाहे रात में हो, चाहे दिन में हो, बिजली के उत्पादन का खर्चा बराबर ही चलता है।

डा. चन्द्रभान : आपकी लेता कौन है रात को, यह बताइये आप....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्षजी, इनकी बिजली का रात को कन्जम्शन कम है इसलिए किसानों को देते हैं यह।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात सुन ली गई है। अब बिराजिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली, खाद और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन तीन के विषय पर बड़ी रोचक चर्चा हुई। इस चर्चा में मुख्य मुद्दा बिजली की टेरिफ बढ़ाने का बनाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 47 लाख काश्तकारों की यूनिट्स हैं, 47 लाख। अब इन 47 लाख में 4 लाख 6 हजार के करीब काश्तकारों को बिजली के कनेक्शन्स दिये हुए हैं और 4 लाख 6 हजार में भी 90 हजार के करीब फ्लेट रेट वाले हैं। अब केवल तीन लाख काश्तकार बचते हैं जिन काश्तकारों को बिजली के कनेक्शन्स दिये जा रहे हैं जिनकी रेट बढ़ाई गई है। लगभग 2 लाख 12 हजार एप्लीकेशन्स पड़ी हैं। बिजली की उपलब्धता हो तो और भी एप्लीकेशन्स आयेंगी, कुए भी खुदेंगे और कुए खुदने और बिजली की उपलब्धता के कारण राजस्थान में उत्पादन भी बढ़ेगा। अब प्रश्न यह आता है कि इस सारी गतिविधि को रोक दिया जाय या राजस्थान के विकास के लिए और इस प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाय।

(8.00 रात्रि)

यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि नये काश्तकारों को बिजली नहीं दी जाये यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नये कनेक्शन के साथ ही घाटा बढ़ता है। नये कनेक्शन देने का मतलब होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और घाटा हो। मैं इस सदन की इच्छा पर छोड़ता हूं कि सदन यह फैसला कर ले कि नये कनेक्शन नहीं देने हैं तो फिर आपने टेरिफ घटाने की बात जो कही है उस पर विचार किया जा सकता है....

श्री चन्दनमल वैद : हमसे पूछकर टेरिफ बढ़ाई थी क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत :....मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं। अब यदि काश्तकारों का हित है तो एक तरफ तो 2 लाख 12 हजार के करीब एप्लीकेशन्स पड़ी हैं और दूसरी तरफ 3 लाख काश्तकारों की रेट बढ़ी है। अब उस रेट बढ़ने के कारण से यदि 2 लाख 12 हजार काश्तकारों को कनेक्शन मिल जाये तो इसमें आपति किस को होगी ? अब क्वेश्चन आता है कि बिजली का एक्सपान्शन् तो करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को बिजली का कनेक्शन मिले इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब वह बिजली आये कहां से ? हमारे पास तो जैसा श्री रामनारायण जी विश्नोई ने कहा कि बिजली का जितना उत्पादन है प्लान्ट लोड फैक्टर बढ़ाकर जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज्यादा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिजली का उत्पादन हम कर रहे हैं। उसके बाद में बिजली आयेगी कहां से? आप यह कहेंगे कि सूरतगढ़ में काम हमने चालू किया है उससे कोई इस साल बिजली आ जायेगी, इसकी सम्भावना नहीं है। आज कोई यह उम्मीद करे कि वरसिंहसर का काम आज और चालू हो जाये तो 4 वर्ष पहले कोई बिजली उपलब्ध हो जायेगी, इसकी आशा नहीं करनी चाहिए। आर. ए. पी. पी. की जिस प्रकार की स्थिति है मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं उससे हमें कोई एडीशनल पावर मिल जायेगी, इसकी भी कोई सम्भावना नहीं है। जैसलमेर में हमारा गैस का प्लान्ट लग रहा है उसके कारण से बिजली की कमी की पूर्ति हो जायेगी, इसकी कोई आशा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में देखना पड़ेगा कि क्या हम बाकी की जो भविष्य में अब तक एप्लीकेशन लेंगे 2 लाख और कुछ हजार व्यक्ति के जो भविष्य में कुए खुदा रहे हैं और बिजली कनेक्शन लेने की आशा में बैठे हैं क्या उन लोगों को निराश करना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे यहां उत्पादन नहीं है तो हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है और बाहर से जो बिजली खरीदनी पड़ रही है उसकी 1 रुपया 19 पैसा पर यूनिट की कास्ट आती है। अब 1 रुपया 19 पैसा में जिस बिजली को खरीदें और उसको यदि 45 पैसे में बेचें तो भी जबरदस्त घाटा है। उस घाटे को सहन करते हुए यदि हमने बिजली की रेट बढ़ा दी तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का खजाना भरने के लिए बनाई है? बिजली की एक्टीविटी को किस तरह से बढ़ायें, किस तरह से एक्सपेन्शन किया जाये और ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को बिजली मिले, राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा बिजली के प्रलोभन में कुए खुदें, राजस्थान में किसानों का उत्पादन बढ़े तो किसानों के हित में यदि व्यवस्था की जाये उसको हम केवल इस हद तक सीमित कर दें कि कि इस रेट को बढ़ा दिया गया तो काश्तकार तबाह हो जायेगा इस रेट को बढ़ा दी गयी तो काश्तकार आन्दोलन करेंगे। अब आन्दोलन करना है तो करिये। लोकतंत्र में आपको अधिकार है लेकिन परिणाम क्या होगा? आप आन्दोलन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे को भविष्य में और न बढ़ाये इसके लिए बिजली खरीदना यदि बन्द कर दिया तो आज जो 8 घंटे बिजली मिल रही है वह भी नहीं मिलेगी। अब आप काश्तकारों के हित चिन्तक हैं। आप सोच रहे हैं कि काश्तकारों को 8 घंटे बिजली मिलनी चाहिए या नहीं, आप यह सोच रहे हैं कि बाकी के काश्तकार जिन्होंने एप्लीकेशन्स दी हुई है उन एप्लीकेन्ट्स को बिजली मिलनी चाहिए या नहीं और यदि आपका यह इरादा हो कि उनको बिजली मिलनी चाहिए तो कुछ न कुछ बिजली के लिए साधना जुटाने पड़ेंगे। अब आप कहें कि बिजली की रेट आपने किस के दबाव में बढ़ाई तो मैं समझता हूं कि दबाव की इसमें कोई स्थिति नहीं है। आज जिन राज्यों ने बिजली की रेट नहीं बढ़ाई है उनकी हालत क्या हुई है। यू. पी. ने बिजली की रेट नहीं बढ़ाई तो एन. टी. पी. सी. की बकाया में एक बिजली पैदा करने वाला कारखाना उनको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बेचना पड़ा। आप यह चाहते हैं कि कोटा थर्मल को बेच दिया जाये। आज बिजली बोर्ड के ऊपर जितनी बकाया है उसको चुकाने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब वह बकाया चूके कैसे मुझे इस बात की तो खुशी है कि राजस्थान में लगभग 30 लाख के करीब कन्ज्यूमर्स हैं सारे मिलाकर। 30 लाख कन्ज्यूमर्स में केवल 3 लाख कन्ज्यूमर्स जिनकी टेरिफ बढ़ी है उसके बारे में विरोध किया गया। डोमेस्टिक टेरिफि बढ़ी उसका विरोध नहीं किया, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज की रेट बढ़ी उसका विरोध नहीं किया, मीडियम क्लास इन्डस्ट्री की रेट बढ़ी उसका विरोध नहीं किया, आज जो ज्यादा बिजली लेकर उद्योग लगा रहे हैं उनका नहीं किया—इसका मतलब 30 लाख में से 27 लाख तो आपने माइनस कर दिये। 27 लाख की आपको चिन्ता नहीं है, आपको तो केवल चिन्ता 3 लाख की है और मुझे चिन्ता है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा बिजली आकर राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्शन दिये जायं। यहां डॉ. चन्द्रभान जी आखिर में कह गये कि हमें दिन में ही बिजली दे दो और 47 पैसे ले लो। तो आपकी मोटी समस्या पैसों की नहीं है, आपकी समस्या है रात और दिन की...

डॉ. चन्द्रभान : मैंने आल्टरनेटिव कहा है कि रात में टेलिफोन वाली व्यवस्था कर दो। जो 1/4 रेट लगती है और किसानों को दिन में दे दो तो फिर कोई दिक्कत नहीं पूरे पैसे ले लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूं समस्या इस बात की नहीं है 45 पैसे या 46 पैसे। इस बात की समस्या है कि बिजली काश्तकारों को रात को न देकर दिन में दें। एक भ्रम का निराकरण तो माननीय मंत्री ने कर दिया एक भ्रम बना हुआ था कि रात को बिजली सस्ती आती है और दिन में बिजली महंगी होती है। मैं समझता हूं कि कोई दूसरा सुन लेगा तो बहुत बुरा होगा। मैं समाचार पत्र वालों से कहना चाहूंगा कि यह बात नहीं लिखें।

डॉ. चन्द्रभान : देखिए! आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा था कि जिस तरह से टेलिफोन की सेवाओं का उपयोग रात को लोग कम करते हैं इसी तरह से बिजली का जो प्राडक्शन होता है वह रात में उसका कन्जम्प्शन नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

डॉ. चन्द्रभान : मेरी बात को क्लियर तो करने दीजिये। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि क्योंकि आपकी बिजली रात को कोई नहीं लेता है इसलिए आप किसानों को बिजली देते है और उनसे पूरा पैसा लेते हैं। इसका मेरा विरोध है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी समस्या है कि दिन में बिजली मिलनी चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बिजली ज्यादा खरीदेंगे तो दिन में भी देने की व्यवस्था करेंगे। इसमें आपके और हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। मैं चाहता हूं कि काश्तकार को दिन में बिजली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिले लेकिन जितनी बिजली है उसका बंटवारा रात और दिन के हिसाब से किया जायेगा। यदि ज्यादा बिजली मिलती है, बिजली मैंने आपको बता दिया कि हमारा उत्पादन नहीं हो रहा है और हम खरीद कर ले रहे हैं। बिजली हम ज्यादा खरीद पायें उसके लिए धन राशि की आवश्यकता है और उस धनराशि के लिए हमने यह व्यवस्था की है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इतना भी कहना चाहता हूं....

श्री रामसिंह विश्नोई : आप आज रात और दिन की बात कह रहे हैं। रात को अच्छी वोल्टेज मिलती है, सही बिजली आती है और दिन में दुनियाभर के उद्योग चलते हैं इसलिए पूरी बिजली नहीं मिलती है इसलिए आप दिन में ही देने का फैसला मत कर लेना। दिन में भी दें लेकिन रात को भी जरूर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप रात और दिन के चक्कर में पड़े हुए हैं। माननीय सदस्य जो मण्डावा से आये हैं उनसे मैं बात करके, हमारे पास जितनी बिजली का उत्पादन है आप स्वयं देखें किस प्रकार से उसका बंटवारा रात और दिन में, आप चाहें जिस प्रकार से बंटवारा कर लें इसमें कोई जिद्द नहीं है कि हम दिन में बिजली नहीं देंगे। और रात को ही देंगे। जिद्द इतनी सी है कि हमारे पास आज कमी है उसका समयबद्ध कार्यक्रम किस प्रकार से बनाया जाये कि सारे उपभोक्ता उसका लाभ उठा सकें, केवल प्रश्न इतना सा है।

अब आपको मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि रेट बढ़ने के प्रश्न पर आपने कहा कि कई राज्यों ने रेट नहीं है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगले 6 महीने के अन्दर-अन्दर हिन्दुस्तान में कोई राज्य नहीं रहेगा जो 50 पैसा टेरिफ का नहीं करे। आप यह मत समझिये कि किसी इलैक्टिसिटी बोर्ड के ऊपर बकाया नहीं है। सारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों पर थोड़ी बहुत बकाया है। दो तीन पर कम है बाकी के बोर्ड पर बहुत बड़ी बकाया है। और उस बकाया को वसूल करने के लिए पिछले दो वर्ष में इन्होंने एक अटम्प्ट किया कि प्लान असिस्टेन्स जो हमारी मिल रही थी उसमें से काटना शुरू कर दिया। अब राजस्थान का ओवर आल डवलपमेण्ट, वह प्लान असिस्टेन्स से होता है और प्लान असिस्टेंस से एन.टी.पी.सी. की बकाया कटने लगगयी तो राजस्थान का और क्षेत्रों में विकास रुक जायेगा। पैसे तो वह काटेंगे लेकिन विकास के कामों में से काटेंगे। अब आप सोच लीजिए कि विकास का जिसका लाभ पूरे राजस्थान को मिलने वाला है उसमें कटौती करायी जाय या 3 लाख काश्तकार जिसका लाभ उठा रहे हैं उनकी रेट बढ़ायी जाय ? मैं समझता हूं थोड़ी गम्भीरता से विचार करेंगे, तो रेट बढ़ाने में मुझे भी दुख है। जितना आपको दुख है मुझे भी है लेकिन मजबूरियां हैं जिन मजबूरियों के कारण से इस रेट बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हमारे पास बिजली खूब होती, प्लाण्ट लोड फैक्टर के आधार पर हम हिन्दुस्तान में आगे चले गये, पहले नम्बर पर आ गये। उसी तरह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से दूसरे यूनिट्स के अन्दर भी हम फायदे के अन्दर चलते और यह समस्या किसी प्रकार से खड़ी नहीं होती। इसलिए गम्भीरता से चिन्तन करें।

राजस्थान में लगभग 8 लाख कुएं हैं दो लाख के करीब एप्लीकेशन्स पड़ी हैं। हर आदमी जिसने कुआ खोदा है वह इस उम्मीद में बैठा है मि मुझे बिजली का कनेक्शन मिले। अब आप यह विचार करिये शनैः शनैः यदि काश्तकारों के कुओं के ऊपर बिजली पहुंचायें, वह बिजली लाऊं कहां से? इस बिजली बोर्ड का सारा हिसाब देख लें, जितनी बिजली मिलती है उसको देख लें और देखने के बाद में आप रास्ता निकाल लीजिए कि इन 8 लाख कुओं पर बिजली का कनेक्शन किस प्रकार से दिया जाय, तो जहां 3 लाख का प्रश्न आता है वहां राजस्थान के 8 लाख किसानों को बिजली का कनेक्शन दिया जाय, यह यह भी प्रश्न आता है और इस आधार पर बिजली हमारी मिलती रहे, 1 रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब बिजली हमें मिलती रहे, इस कोशिश के नाते हमें एन. टी. पी. सी. में और बाकी के जहां-जहां की भी बकाया है उस बकाया को चुकाने की हमारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य इस बात को चाहें कि नहीं बकाया चुकाने की आवश्यकता नहीं है, बिजली खरीदने की आवश्यकता नहीं है जितनी भी बिजली राजस्थान में पैदा होती है उसका बटवारा कर दें, तो एक घण्टे भी बिजली प्रतिदिन की नहीं मिलेगी। आप रिस्क उठाना चाहें तो उठा लें मैं तो आपका हुकुम मानने के लिए तैयार हूं। अब आप यह कहें कि काश्तकार आन्दोलित हो जायेगा, मैंने जैसे आपने निवेदन किया, जिस समय सरकार बनी उस समय हमने साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया, यह भी किसानों का कर्जा माफ किया, बारानी जमीन का हमने लगान माफ किया, वह भी किसानों का कर्जा हमने माफ किया, कुआ खोदने का इन्श्योरेंस हमने कराया, वह भी किसानों के हित में कराया, स्प्रिंकलर्स के लिए सब्सिडी दी, लिफ्ट इरिगेशन के लिए सब्सिडी दी, धोरे बनाने के लिए सब्सिडी दी, वह सारे काश्तकारों के लिए की है। काश्तकारों के लिए जहां सरकार की गुंजाइश है, काश्तकारों के हित में सरकार सबप्रकार के काम करने को तैयार है लेकिन सदन के माननीय 5 सदस्य बैठ जायं, डॉ. चन्द्रभानजी बैठ जायं और बैठ जायं, यहां यह कहने लगे कि ट्रांसमिशन लोसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ट्रांसमिशन लोसेस में, पंडितजी ने तो यहां तक कह दिया कि "भगवान जाने यह लोसेस किस तरह से केलकुलेट किये गये हैं," यह कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वह कैलकुलेशन हिन्दुस्तान की स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की एनुअल रिपोर्ट होती है वर्किंग ग्रुप की, उस वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट दी है। जिसमें 22 प्रतिशत इस प्रकार के ट्रांसमिशन लोसेस हैं। एक माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये कि ट्रांसमिशन लोसेस यदि कम कर दिया जाय तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का घाटा ही दूर हो सकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि आल इण्डिया एवरेज भी आप देखें तो आल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इण्डिया एवरेज है 20.7 अब 20.7 में एक पर्सेण्ट और ज्यादा बिजली अगर हम आल इण्डिया एवरेज पर भी आयें तो एक पर्सेण्ट का फर्क रहता है। अब एक पर्सेण्ट ट्रांसमिशन लोसेस कम करने से यदि बिजली बोर्ड का घाटा पूरा हो जाय, उसको आप देख लें। यदि घाटा पूरा होता है तो मैं समझता हूं हम भी ऐसे गलती करने वाले नहीं हैं कि उस घाटे की पूर्ति टैरिफ बढ़ा कर हम किसी प्रकार से करें। मैं इसलिए माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न के ऊपर जरा गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों ने अभी तक बढ़ा दिया है, उड़िसा ने बढ़ाया। अब उड़िसा का, सरकार कोई दबाव में आ कर के बढ़ा रही है, यह मैं नहीं मानता। इसी तरह से हरियाणा ने बढ़ाया, 54 पैसे किये हैं उन्होंने, कर्नाटक में 50 पैसे किये हैं, आसाम में 76 पैसे हैं वेस्ट बंगाल में 55 पैसे हैं, मेघालय में 50 पैसे हैं लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि इस बात पर इलैक्ट्रिसिटी विभाग के मंत्रियों की और मुख्य मंत्रियों की बैठक में प्रधान मन्त्रीजी भी उपस्थित थे, उस समय यह निर्णय लिया गया कि इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की धारा के अनुसार 3 पर्सेण्ट के प्रोफिट के ऊपर यदि कोई इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं चलेगा तो न तो विदेशी सहायता मिलेगी और न पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन राज्य के उस बोर्ड को सहायता देगा। अब मुझे आप बता दीजिये, जहां 11 सौ करोड़ रुपये सूरतगढ़ के प्लाण्ट पर लगने वाला है, यह 11 सौ करोड़ रुपये मैं कहां से लाऊं? बरसिंहसर के ऊपर जितना रुपया लगने वाला है, वह रुपया मैं कहां से लाऊं? आज और कहीं, धोलपुर में अभी विवाद चल ही रहा है, धोलपुर कामन्जूर हो गया तो उसके लिए पैसा कहां से लाऊंगा? वर्ल्ड बैंक के लोगों से मैंने बात-चीत की है, बाकी जितने भी प्राइवेट सैक्टर वाले आ रहे हैं उनसे भी मैंने बातचीत की है, प्रश्न यह आता है कि जो भी इन्वेस्ट-मैण्ट करता है वह इस बात की गारण्टी लेना चाहता है कि मैंने जो कुछ इन्वेस्टमैण्ट किया है उसका चुकारा हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक तो साफ कहता है कि 3 पर्सेण्ट आपके एक्ट में प्रावधान किया हुआ है, यदि ऐक्ट के अनुसार 3 पर्सेण्ट के प्रोफिट पर बोर्ड नहीं चलता है तो यह बोर्ड जो कुछ भी हम कर्जा दे रहे हैं वह कर्ज की अदायगी नहीं कर सकता। इसलिए न वर्ल्ड बैंक से सहायता मिलने वाली, न पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से सहायता मिलने वाली और नप्राइवेट सेक्टर उसके अन्दर आने वाला। इसका मतलब यह होगा कि राजस्थान में आज जो बिजली कोटा थर्मल पावर से उपलब्ध है वह बिजली हम उपयोग करते रहें और बाहर से 1 रुपया 19 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली नहीं खरीदें, राजस्थान में पूरा अंधेरा हो जाय, राज-स्थान में इण्डस्ट्रीज नहीं लगें, राजस्थान में बेकारी की समस्या जटिल होती जाय, मैं यह समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों की इस प्रकार की इच्छा नहीं होगी और इसलिए स्टेण्ड अनपॉपुलर। मुझे मालूम है पिछली बार मैंने बजट पेश किया था तो भरतपुर से आने वाले माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्य ने और श्री विश्नोई साहब ने 2 बात सदन में कही थी कि मुख्य मन्त्रीजी, टैक्स नहीं लगा रहे हैं, यह बिल्कुल पापुलिस्ट बजट है। टैक्स लगाने की हिम्मत होनी चाहिए और जब तक आप टैक्स नहीं लगाओगे तब तक राजस्थान का विकास नहीं कर पाओगे, राजस्थान के लिए साधन नहीं जुटा पाओगे। आज मैंने अगर टैरिफ बढ़ा दिया तो, मुझे खुशी है कि श्री विश्नोई साहब तो बोले नहीं लेकिन पंडितजी अपनी आदत के अनुसार बोले बिना नहीं रहे, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज····

श्री रामकिशन : मैंने यह कहा था, जो देने लायक हैं उन पर लगाओ, अमीरों पर जो देने लायक हैं। अगर आप जब बोल रहे हो तो पूरी सच बोल दीजिये, आधा हिस्सा क्यों बोल रहें हैं आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने उस दिन भी पूछा था आपसे कि अमीरों की लिस्ट देओ न, किस-किस पर क्या टैक्स लगाऊं ? आप उस समय भी चुप्पी साध गये, आज भी आप बता देओ। आप बता देओ न पिछले 6 महीने तो हो गये बताये नहीं और अगले फिर निकल जायेंगे।

श्री रामकिशन : उसके बाद आपने कब पूछा था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूछने की जरूरत ही नहीं है' आप राजस्थान के हित में सोचने वाले हैं, अपने आप बता देते, मैं ऐसा समझता हूं। इसलिए, उपाध्याय महोदय, अब प्रश्न दूसरा आता है। यह तो मैंने आपकी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत के बारे में जिक्र किया।

अब मैं पूछना चाहता हूं कि 37 पैसे से अब 45 पैसा हमने किया है····(व्यवधान) ····अब 46 मान लो आप, आपका कहना मान लेऊं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन पिछले दिनों में महंगाई कितनी बढ़ी, लोहे की कितनी कीमत बढ़ी, कोयले की कीतनी कीमत बढ़ी, रेल माल भाड़ा कितना बढ़ा, सीमेण्ट की कीमत कितनी बढ़ी ? इन सब चीजों को ध्यान रख कर चलें तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप अंदाज लगा लेगें। यदि प्रपोसनेटली हम तय कर लें, यह आज की बात नहीं कह रहा हूं, मैं भविष्य की बात कहता हूं कि आखिर कुछ हमें पैरामीटर्स तय कर के चलना पड़ेगा। किन पैरामीटर्स के आधार पर बिजली की रेट बढ़ायी जाय ? अगर उपकरण महंगे होंगे तो निश्चित रूप से आपको बिजली की रेट बढ़ानी पड़ेगी। आज डीजल महंगा हो गया। आप जानते हैं कि डीजल का 40 पर्सेण्ट कन्जम्प्शन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में होता है। अब इधर 40 पर्सेण्ट का कन्जम्प्शन बढ़ेगा और आर. एस. आर. टी. सी. से आप कहोगे कि 40 पर्सेण्ट की की बढ़ोतरी हो गयी। कोई चिन्ता की बात नहीं है। तुम यहां भाड़ा नहीं बढ़ा सकते तो वह आर. एस. आर. टी. सी. भी घाटे में चलेगा इसलिए कोई न कोई, मैं आज की नहीं कहता, भविष्य के बारे में भी हमें तय करना पड़ेगा कि क्या पैरामीटर्स, जिन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पैरामीटर्स के आधार पर टैरिफ का क्वेश्चन हो, किराये का क्वेश्चन हो, इन दोनों चीजों के बारे में विचार कर सकें।

मैं इसके लिए सदन का आव्हान करना चाहता हूं, कोई भी सिस्टम बता दे जिस सिस्टम के आधार पर ऑटोमेटिकली रेट बढ़ती हैं अगर यह सिस्टम हमने नहीं किया तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय सदस्य जो हनुमानगढ़ से आये हैं यह सिस्टम केवल सब्सिडी के आधार पर संसार में एक गवर्नमेण्ट चली वह रसियन गवर्नमेण्ट है, सब्सिडी के कारण से रसियन गवर्नमेण्ट की हालत ऐसी खराब हो गई कि उसका डिसइण्टीग्रेशन हो गया। आप चाहते हैं कि इसके कारण से हिन्दुस्तान का डिसइण्टीग्रेशन हो? समझता हूं कोई भी नहीं चाहेगा कि इसमें डिसइण्टीग्रेशन का सवाल पैदा हो। दूसरी तरफ आप इजराइल को देखिए, यह इजराइल छोटासा मुल्क जिसमें समुद्र के पानी को मीठा किया और मीठा करने के बाद आज संसार में एक ताकत के रूप में खड़ा है। कई युद्ध उसने लड़ लिये। लेकिन पिछले 15-20 दिनों में इजरायल के इस सारी डवलपमैंट की एक्टिविटीज के बारे में जानकारी की और जानकारी करने पर मुझे पता लगा कि वैसी स्थिति में इजरायल इतनी तरक्की क्यों कर पाया, इजरायल में कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो कास्ट बेसिस पर, नहीं चल रही। बिजली कास्ट बेसिस पर, इर्रिगेशन कास्ट बेसिस पर, ट्रांसपोर्ट सर्विस कास्ट बेसिस पर, कम्युनिकेशन सर्विस कास्ट बेसिस पर, सिचाई कास्ट बेसिस पर आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि इजरायल में एक एकड़ का सिचाई शुल्क 467 रुपया है, 467, इस कारण से वहां एक सिस्टम पैदा हुआ, ड्रिप इर्रिगेशन। बूंद-बूंद की कीमत, बूंद-बूंद पानी, यह बूंद-बूंद पानी इसमें से निकला है कि हर बूंद की वहां कीमत है। बिना कास्ट, प्राइस से कोई काम ही नहीं है। सारी सर्विसेज की कास्ट प्राइस देनी पड़ती है। छोटासा मुल्क, सारे अरब देशों का मुकाबला किया, किसी देश की परवाह नहीं करता, लगातार वहां विकास होता जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि उसके सिर के ऊपर युद्ध के बादल नहीं मंडराते हों। इस आधार के ऊपर उस मुल्क ने तरक्की की, कास्ट सर्विस एक मोटा सिद्धान्त है; कास्ट बढ़ती जायेगी तो सर्विसेज की कास्ट बढ़ती जायगी। सर्विसेज की कास्ट बढ़ेगी तो वहीं पर किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा। वह देश लगातार तरक्की करता जाएगा। हमने दुर्भाग्य से इस तरह के कोई पैरामीटर्स नहीं बनाया और जब पैरामीटर्स नहीं बनाये तो यह उसी का परिणाम है कि न तो हिन्दुस्तान में बिजली की समस्या का कोई समाधान हुआ, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हो पाई। मैं इसलिए कहना चाहता हूं अब आप यह कहेंगे कि टेरिफ आपने बढ़ा दी। मैं आज टेरिफ वापस भी ले लेऊं। आप कह सकते हैं। मैं आपका हुक्म मानने को तैयार हूं, मैं टेरिफ वापस ले लेऊं, कुछ दिनों के बाद नेशनल टेरिफ बोर्ड बनने वाला है वह नेशनल टेरिफ बोर्ड ने यदि टेरिफ बढ़ा दी फिर आप क्या करेंगे? जहां 6 हजार करोड़ रुपये पैट्रालि-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ गई, क्या करेंगे ? खाद की कीमत हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ गई, आप क्या करेंगे ? नेशनल टेरिफ बोर्ड ने यदि कीमतें बढ़ा दी और टेरिफ बढ़ा दी, नुकसान हमको होगा कि जब तक वह टेरिफ न बढ़ाये उस समय तक हम जितना एक्सपान्शन कर सकते हैं उस प्रकार का हम एक्सपान्शन नहीं कर पाये ।

मैं इसलिए सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर यह कहें कि हम आन्दोलन करेंगे, यह करेंगे, काश्तकार आपके भी हैं, काश्तकार हमारे भी हैं। हम ऐसा नहीं है कि काश्तकारों के विरोधी हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम काश्तकारों में जा नहीं सकते हैं । यह काश्तकारों को सही हालत की जानकारी हम भी देंगे कि अगर आठ लाख कुओं के ऊपर बिजली के कनेक्शन लेने हैं तो बिजली की इतनी कीमत आपको देनी पड़ेगी। अगर आप यह कहेंगे कि नहीं इतनी बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जावे तो आठ घण्टे की जगह चार घण्टे बिजली मिलेगी । एक माननीय सदस्य कह गये कि हम बिजली के बिल नहीं चुकायेंगे । तो हमारे कौनसी खुजली आती है कि बिजली का बिल नहीं चुकायेंगे, उनको कहेंगे बिजली जलाते ही जाओ । आखिर जो बिजली का बिल नहीं चुकायेंगे, बिजली की कटौती होगी, मैं तो साफ तौर पर कहना चाहता हूं । इसलिए मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप गम्भीरता से विचार करें । कांग्रेस के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि मैं जब विपक्ष में था, मैंने विरोध किया । हालांकि विरोध किया, उस समय यह प्राइस स्ट्रक्चर इस प्रकार का नहीं था उस प्राइस स्ट्रक्चर के आधार पर हमने किया । और एक और बता देऊं आपको कि उस समय मिनिमम चार्जेज की मोटी लड़ाई थी । मिनिमम चार्जेज वसूल नहीं किए जायं । इस विधान सभा के आप भाषण उठाकर देख लें, सबसे ज्यादा विरोध मिनिमम चार्जेज का था । हमने उस समय जब विरोध किया तो मिनिमम चार्जेज खत्म नहीं हुए लेकिन चुनाव के दिन आये तो सात दिन पहले मिनिमम चार्जेज भी खत्म कर दिये । आज तक हमने मिनिमम चार्जेज वापस नहीं लगाये । इस आधार पर मैं डॉक्टर साहब से और बाकी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह भी गांव के रहने वाले हैं और मैं भी गांव का रहने वाला हूं इसलिए गांवों में यदि बहबूदी लानी है तो ज्यादा से ज्यादा बिजली का विस्तार हो, हमें इस बात की व्यवस्था करके चलना पड़ेगा । इसके लिए यही आवश्यक है कि हम बिजली की रेट 119 पैसे नहीं कर रहे हैं लेकिन यदि 45 पैसे कर रहे हैं उस पर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, काश्तकारों को समझाना चाहिए । बिजली बोर्ड के सम्बन्ध में आपको यदि कोई शिकायत हो तो शिकायत के बारे में पी. यू. सी. बिजली बोर्ड का इक्जामिनेशन करती है, माननीय चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं, मैं ऐसा समझता हूं, वह अपनी रिपोर्ट में यदि बिजली की व्यवस्था में क्या-क्या सुधार किये जायं इसकी दृष्टि से कुछ बतायेंगे तो मैं निश्चित तौर से इस बात कोशिश करूंगा ।

(श्री भैरोसिंह शेखावत)

अब उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री परसराम जी ने कहा था और मैं इसकी इसकी ताईद भी करता हूं। राजस्थान में आज के बहुत वर्षों पहले हो सकता है। 5 वर्ष पहले बिजली में हाइडल और थर्मल पावर का रेश्यो था 80 और 20; 80 परसेण्ट बिजली हमको हाइडल पावर मिलती और 20 परसेण्ट पावर हमको मिलती थी थर्मल की। अब रेश्यो बदल गया अब 70 परसेण्ट थर्मल की और 30 परसेण्ट है हाइडल की। अब अपने तो हाइडल की जितनी गुंजाइश थी हमने पैदा कर ली। चम्बल के ऊपर जितने कारखाने लगाते वह लगा लिये। एक राहू घाट का मामला और है वह भी उलझा हुआ है। वह मामला भी निपट जाये तो इसके लिए भी धन चाहिए। पानी के जितने स्रोत हमारे पास थे उन स्रोतों के आधार पर हमने व्यवस्था करली। अब 15-16 तारीख को मैंने हिमाचल के मुख्य मंत्री से रिक्वेस्ट की है कि पार्वती में हमारा कुछ शेयर रखें। वहां पर दो-तीन मुख्य मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, मैंने उनसे कहा है कि 50 परसेण्ट शेयर राजस्थान का पार्वती प्रोजेक्ट में रखें उसके लिए हम हाथ की हाथ जो भी हमारा शेयर है चाहे हमें किसी भी प्रकार से कहीं भी रुपया निकालना पड़े हम उसमें जमा करायेंगे। वह भी केवल इस लिए कि यदि हमारा हाइडल का मिक्स कुछ बढ़ जाये तो पावर कास्ट ऑफ जनरेशन थोड़ी कम हो और किसानों को किसी प्रकार से राहत दे सकें।

इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई जिद का, प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। मैं तो आज ही इस सदन के सामने यह छोड़ने को तैयार हूं कि सदन इस बात का फैसला कर लें कि बिना टेरिफ बढ़ाये यदि मुझे 119 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से और बिना कर्जा चुकाये और बिना कीमत चुकाये भारत सरकार के कारपोरेशन बिजली दे दे तो मुझे बिजली की रेट बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, मैं रेट जो बढ़ाई है इसको आज ही वापस ले लेऊं लेकिन कोई भी अपना सामान देने वाला उधार एक महीने को दे दे, दो महीना दे दे लेकिन लगातार उधार में भी मामला चलता रहे वहां पर कल जो कानून बनाया था, साहूकारी कानून, यह उसके ऊपर भी लागू नहीं होता, उसके ऊपर तो एक ही कानून लागू होता है कि जिस समय चुकारा नहीं हुआ उस समय बिजली का कनेक्शन काट दे। यदि आप चाहें कि मैं बिजली का कनेक्शन कटवाकर राजस्थान में अंधेरा कर देऊं तो मुझे दुःख तो होगा लेकिन सदन का आदेश होगा कि राजस्थान में अंधेरा करो तो मैं समझता हूं कि सदन का मैं गुलाम हूं, मुझे तो उसी गुलामी की व्यवस्था में चलना पड़ेगा।

मैं इसी आधार पर माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में और कोई बात करने की बजाय हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि साधन जुटाने के बारे में ध्यान दें। साधन आज यहां कहा गया कि वर्ल्ड बैंक के सामने भारत सरकार गई है। वर्ल्ड बैंक के सामने मैं भी गया हूं। मैं अपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिए कर्जा लेने नहीं गया, स्टेट के रेवेन्यू डेफ़िसिट को पूरा करने के लिए कर्जा लेने के लिए मैं नहीं जा रहा, राजस्थान में विकास हो, विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और इन्फ्रास्ट्रक्चर में मैन आइटम जो बिजली है उस बिजली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े इसलिए वर्ल्ड बैंक से हमने भी बात-चीत की है। सूरतगढ़ थर्मल प्लाण्ट को हम पाइप लाइनों में भेज सकें, हम वर्ल्ड बैंक से सहायता ले रहे हैं। उसी प्रकार से बरसिंहसर प्लाण्ट जिसमें अभी कहा है इस ऐट्थ फाइव ईयर प्लान में एन. एल. सी. के इन्वेस्टमैण्ट के लिए ज्यादा धनराशि नहीं रखी उस कारण से वह विथड्रा कर गये, आज एक आस्ट्रेलियन कम्पनी से बात हो रही है उस कम्पनी का भी यही कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की धाराओं का आप पालन कर लेंगे तो निश्चित तौर से हम यहां पर इन्वेस्टमैण्ट कर देंगे। इसी आधार पर और भी लिग्नाइट प्रोजेक्ट जितने लगने वाले हैं आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान एक दृष्टि से बड़ा भाग्यशाली है, सदन ने यदि सहयोग दिया और इस प्रकार के टैरिफ के मामले को कोई विवादास्पद नहीं बनाया तो आपको विश्वास से कह सकता हूं कि आज तक हम राजस्थान में जो भी बिजली पैदा करते थे, बिहार से या सिंगरौली से कोयला लाते हैं लेकिन यदि लिग्नाइट प्रोजेक्ट राजस्थान में लग गये तो पिट हैड्स के ऊपर ही इस प्रकार के कारखाने लग सकते हैं, लगने की उम्मीद है। हमने सबकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, भारत में जितने भी उद्योगपति इस सम्बन्ध में योगदान दे सकते हैं वह भी आजकल स्टडी कर रहे हैं, भारत सरकार भी स्टडी कर रही है और कुछ विदेशी भी इस बात की स्टडी कर रहे हैं। हम इस बात की कोशिश करें कि कोई ऐसा वातावरण इस राजस्थान में नहीं बना दें कि जिसके कारण से न तो वर्ल्ड बैंक यहां पैर रख सके, न कोई विदेशी पूंजी वाले यहां पैर रख सके और न हिन्दुस्तान का कोई उद्योगपति पूंजी निवेश कर सके। यह वातावरण के ऊपर निर्भर करेगा। आप जिस प्रकार का वातावरण बनाते हैं उसी से पूंजी निवेश होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो रेट बढ़ाई हैं वह तो बढ़ाई है लेकिन भगवान की कृपा से इस प्रकार का वातावरण बनायें कि बिजली के उत्पादन में पूंजी निवेश की गुंजाइश बन जाएं, वह चाहे केन्द्रीय सरकार करे, चाहे वर्ल्ड बैंक करे। चाहे कोई पूंजीपति करे, चाहे कोई विदेशी कम्पनी करे, मैं इतनी ही आपको गारण्टी दे सकता हूं कि पूंजी निवेश करने वाला हमारी स्वतन्त्रता को राजस्थान में कोई खरीद ले, इस प्रकार की गुंजाइश नहीं रहेगी मैं इस आधार पर आपको उस संदेह से भी दूर करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सारी स्थिति में राजस्थान विद्युत के संकट में फंसा हुआ है और इस संकट से निराकरण का केवल मात्र एक ही रास्ता बचा है। इस रास्ते को बंद करने के परिणाम बड़े घातक होंगे इसलिए जो कुछ हमने सुझाव दिया है, टैरिफ बढ़ायी है, मेरा विश्वास है सदन उसको स्वीकार करते हुए इस प्रकार का वातावरण बनायेगा कि बिजली के उत्पादन के लिए और लोग आगे आयें और राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में उत्पादन बढ़े। 8 लाख जो कुएं बन गये, उनको बिजली का कनेक्शन मिले और कनेक्शन से राजस्थान का उत्पादन बढ़े।

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में आज हमने सरदार श्री मनमोहन सिंह का भाषण सुना है।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि आपको मेरा भाषण बहुत पसन्द आया है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल मुख्य मंत्रीजी को....

श्री उपाध्यक्ष : पंडित जी अब क्या रह गया है?

श्री रामकिशन : सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस विषय की चर्चा समाप्त होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गई। आप बाद में करेक्ट कर देना।

श्री रामकिशन : यह लोसेस जो आप कह रहे हैं ना नहीं है, यह आडिटर जनरल की रिपोर्ट आप पढ़ लें और खास तौर पर 1981-82, 1982-83, 1983-84....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपका सुन लिया है और इसीलिए मेरे पास एक किताब है। हम असेसमेण्ट नहीं करते हैं, यह असेसमैण्ट सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट करती है।

श्री रामकिशन : वह किताब तो पुरानी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह किताब आप ले जाओ। आप वाली किताब मुझे दे जाओ और नयी आप ले जाओ।

श्री रामकिशन : नहीं, नहीं यह मैं समझ रहा हूं आप कहां से उठा लाये उस किताब को।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। मुख्यमंत्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री शांतिलाल चपलोत (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा। (अनुपस्थित)। श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : एक मिनट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट में क्या होगा? आपका तो खड़े होना ही

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमें ज्ञानवर्धक का कारण लगता है। अब बैठ जाओ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस संशोधन को किस लिए लायी है, मेरी समझ में तो यह बात आती नहीं है। यानि आप यह चाहते हैं कि किसान के नाम से कुछ ऐसे लोग जो चोरी का धंधा करते हैं, वह राजस्थान से माल को बाहर निकाल दें। आप जानते हो तो वास्तविक किसान हैं और जैसा आपने कहा भी है कि वास्तविक किसान तो कहीं ले नहीं जाता अपने माल को और उसमें भी आपने केवल दो चीजों को चुना है दलहन और तिलहन। दलहन और तिलहन पर जो आपने पेनल्टी लगाने की कोशिश की है, वह टैक्स के बराबर तो है। केवल आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर इस संशोधन की मंशा क्या है? आपको ख्याल होगा पहले राजस्थान से चना निकल गया झुन्झुनूं से। इसी तरह के संशोधनों के मार्फत चना निकला, टैक्स वसूल हुआ नहीं। काफी हल्ला-गुल्ला हुआ। दो-एक अफसर मुवत्तिल भी हुए और बाद में रिइंस्टेट हो गये और अब पेन्डेंसी के तहत उनके केस और खोल दिये गये, तो जहां हम पहले थे, वहीं की वहां ही पहुंच गये। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, आपको अगर छूट ही देनी है कि खेती की तो और पैदावार भी है। उसमें गेहूं भी है, उसमें ज्वार, बाजरा भी है, उसमें कपास भी है, केवल इन दो चीजों को चुनने के पीछे आपकी क्या मंशा है और क्या यह डिसक्रिमिनेशन नहीं हो जायेगा। पेनल्टी और इसके साथ-साथ यह सेण्टर की लिस्ट है। सेण्टर ने जो लिस्ट प्रकाशित की है, उसमें आप पेनल्टी में डिफरेंसेज कैसे कर सकते हैं? यह कांस्टीट्यूशन की भावना के खिलाफ भी है और सेण्ट्रल सैल्स टैक्स एक्ट है उसमें इस बात को साफ भी किया गया है। मैं ज्यादा बहस नहीं करके आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप उसकी थोड़ी मंशा बता दें और दूसरा आपने 22 ए में भी जो संशोधन किया है। ट्रिब्युनल से जो फैसले दिये हैं, सैल्स टैक्स ट्रिब्युनल, वह आपकी नजर में होंगे। जब माल बिका ही नहीं, राज्य से बाहर गया ही नहीं, उस पर टैक्स कैसे लगेगा। यह दो संशोधन जो आपने किये हैं, उनकी मंशा क्या है? इसको अगर आप साफ कर देंगे तो मेरी तरफ से भी पास ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगले सेशन में देखेंगे यह अभी पास कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : महावीर प्रसाद जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय दलहन और तिलहन के लिए पहले तो पांच गुना पेनल्टी का प्रावधान था उसके स्थान पर दुगुनी पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार हमने टैक्स कम करके टैक्स इनकम बढ़ायी है, पांच गुना टैक्स के कारण लोग अपील में, चले जाते थे वह दुगुने टैक्स के कारण जाएंगे नहीं और चुपचाप टैक्स दे देंगे। मुझे इसकी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मंशा यही लगती है और इसलिए यह अच्छा है। मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रेमसिंह दहिया। (अनुपस्थित)।

श्री हेतराम बेनीवाल। (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्रीजी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

श्री शांतिलाल चपलोत (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 25-9-92 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 8.38 बजे शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर, 1992 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 98 का विवरण

जनवरी 1992 से 31 अगस्त, 1992 की अवधि में तहसील नगर में चालू की गयी योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	तहसील का नाम	योजना का नाम	लाभान्वित ग्रामों के नाम	कार्य पूर्ण संधारण में आने का माह
1.	नगर	क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना हुसैनपुर	1. एडवर्ड मानपुर 2. बलदेव बास	मार्च, 1992

नोट :—योजना पर जल वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है ।

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4
1.	लादियाका	2	2
2.	भदपुरा	3	1
3.	उदपुरी	4	1
4.	रामपुर.खुर्द	5	2
5.	सादपुरी	6	2
6.	सेमली	11	1
7.	सेमला खुर्द	12	1
8.	पीपलू	13	2
9.	केंचकी	15	1
10.	मानोता कला	18	2
11.	रानोता	20	1
12.	कल्ला खेडी	26	1
13.	खकावली	27	4
14.	बरखेडा	29	1
15.	शेखपुर	30	1
16.	पेंडिका	41	2
17.	हुसेपुर	50	1
18.	आलूकी	17	2
19.	झंझार	61	1

226

1	2	3	4
20.	आलपुर	—	1
21.	फतेहपुर कला	114	2
22.	विरगमा	116	1
23.	धूत	118	1
24.	नगला रामरतन	121	1
25.	सारंगपुर	120	1
26.	ईसनाका	127	1
27.	पहलवास	132	1
28.	कुरकेन	133	1
29.	मूडिया	139	1
30.	सुजालपुर	161	1
31.	सुन्दरावली	164	1
32.	मंगावक	165	1
33.	तरोडर	166	1
34.	हयातपुर	—	1
35.	ठेकरी	—	1
		कुल	46 हैण्डपम्प

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का विवरण

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1.	पशु पालन विभाग	511
2.	सिंचाई विभाग	461
3.	समाज कल्याण विभाग	16
4.	सहकारिता विभाग	168
5.	खाद्य एवं रसद विभाग	65
6.	कृषि विभाग	1092
7.	उद्योग विभाग	139
8.	आयुर्वेद विभाग	168
9.	भ्रमणशील चिकित्सा	34
10.	चिकित्सा विभाग	325
11.	वन विभाग	545
12.	राजस्व मण्डल	108
13.	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	7
14.	भू-प्रबन्ध विभाग	6
15.	खान एवं खनिज विभाग	18
16.	लेखा एवं कोष प्रशासन विभाग	10
17.	गजेटियर विभाग	4
18.	आबकारी विभाग	12
19.	जेल विभाग	24
20.	सहायता विभाग	17
21.	पुनर्वास विभाग	29
	योग :	3759

परिशिष्ट "ख"

पुनर्गठित राजेन्द्र जैन समिति द्वारा वर्ष 1990–91 से अगस्त, 1992 की अवधि में विभाग वार पदों को समाप्त करने की सिफारिश :—

विभाग का नाम	समाप्त किये गये पदों की संख्या	
कृषि विभाग	40	
नगर नियोजन विभाग	17	
राजस्व मण्डल	21	
सहकारिता विभाग	97	
विशिष्ट योजना संगठन	838	
	1013	(कुल 971 पद समाप्त करने की सिफारिश, 133 नये पद सृजित अतः वास्तविक रूप में 838 पद समाप्त किये गये ।)

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 102 का विवरण

पंचायत समिति झंडोला जिला उदयपुर में स्थिति तालाबों से वर्ष 1989–90 से 1991–92 तक ग्रामवार सिंचित क्षेत्र एवं सिंचाई का विवरण

क्र.सं.	नाम तालाब	तालाब के अधीन सिंचाई ग्राम	वर्ष 1989–90			वर्ष 1990–91			वर्ष 1991–92		
			प्रस्तावित सिंचाई एकड़ में	वास्तविक सिंचाई एकड़ में	नहर खोलने एवं बंद करने की दिनांक	प्रस्तावित सिंचाई एकड़ में	वास्तविक सिंचाई एकड़ में	नहर खोलने एवं बंद करने की दिनांक	प्रस्तावित सिंचाई एकड़ में	वास्तविक सिंचाई एकड़ में	नहर खोलने एवं बंद करने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	झाड़ोल	झाडोल, आवरड़ा वेलनिया, गणेशपुरा लीलावास, खाखड़, गोयला, बरदाना, गोदाणा			7–11–89 10–12–90 तक रेलनी		राजस्व विभाग द्वारा सिंचाई दर्ज नहीं	15–11–90 से 30–11–90 10–12–90 से 25–12–90 5–1–91		राजस्व विभाग द्वारा सिंचाई दर्ज नहीं	16–11–91 से 25–11–91 5–12–91 से

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			—	——		——	की गई ।	20–1–91	——	की गई ।	15–12–91
			65	65		620		30–1–91 से	215		
								15–2–91			
2.	कन्धारिया	कन्धारिया, बाड़ूंद			1–11–89		,,	10–11–90 से		,,	12–11–91 से
		ढीमड़ी, सुलतान जी			21–11–89			30–11–90			26–11–91
		का खेड़ा, बान्सवारी	——	——	रेलनी	——		रेलनी			रेलनी
			483	321	1–12–89 से	480		10–12–90 से			13–12–91 से
					21–12–89			30–12–90			28–12–91
					प्रथम			प्रथम			प्रथम
					1–1–90 से			10–1–91 से			11–1–91 से
					21–1–90			30–1–91			26–1–92
					द्वितीय एवं			द्वितीय			द्वितीय
					तृतीय			10–2–91 से			
								28–2–91			
								तृतीय	——		
									436		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	नागमाला	श्यामपुरा, श्यामपुरा खुर्द, फलासिया, बोरिया बस्सी, बिजेवाड़ा	530	378		530	,,		530		
4.	जाड़ा पीपला	जाड़ा, पीपला, लुनियारा, जेटवाड़ा, कोल्यारी	85	85	5–11–89 से 17–11–89 रेलनी 27–11–89 से 6–12–89 प्रथम 27–12–89 से 6–1–90 द्वितीय 27–1–90 से 6–2–90 तृतीय	200	,,	5–11–90 से 20–11–90 रेलनी 30–11–90 से 12–12–90 प्रथम 25–12–90 से 5–1–91 द्वितीय 25–1–91 से 12–2–91 तृतीय	190	,,	10–11–91 से 25–11–91 रेलनी 5–12–91 से 25–12–91 प्रथम 1–1–90 से 16–1–92 द्वितीय तृतीय

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	कोल्यारी	कोल्यारी	निर्माणाधीन वर्ष		5–11–90 से	— 97	,,	5–11–90 से 20–11–90 15–2–91 से 5–5–91 तीन पाण	—— 125	,,	26–11–91 से 16–1–92 तीन पाण
6.	ओगणा	ओगणा बांयी एवं दांयी नहर कीतावतों का खेड़ा, उछनती बेरी, ढारला, पेमादेवी का खेड़ा, डूंगरियावास, देवड़ावास, पडिया-वास, इटाटिया, नांदीया, जनिया, कुमारवास, मोहनी, नाथादेवी, अजयपुरा, राणपुर, क्यारा, ओगणा	—— 800	—— 328	25–10–90 से रेलनी	—— 1200			—— 1020		8–11–91 से 20–11–91 रेलनी 10–12–91 से 22–12–91 प्रथम 10–1–91 से 24–1–92 द्वितीय 16–2–92 से 28–2–92 तृतीय

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	मानत	माक्डादेई, सागदरी तेलाना	205	143	5–1–89 से 20–11–89 रेलनी	200	,,	25–10–90 10–11–90 रेलनी	200	,,	8–11–91 से 1–11–91 रेलनी
					5–12–89 से 20–12–89 प्रथम			25–11–90 से 10–12–90 प्रथम			8–12–92 22–12–92 प्रथम
					5–1–90 से 20–1–90 द्वितीय			25–12–90 से 10–1–91 द्वितीय			8–1–92 से 21–1–92 द्वितीय
					5–2–90 से 20–2–90 तृतीय			25–1–91 से			
	कुल जोड़ :		2148	1315		3140			2896		

नोट :–वर्ष 1990-91 व 1991-92 में राजस्व विभाग द्वारा सिंचाई का इन्द्राज नहीं किया गया।
अतः वास्तविक सिंचाई के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 103 का विवरण

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा–छोटीसादड़ी में गत ढाई वर्षों में अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्य, राशि व खर्च का विवरण

क्र.सं.	नाम कार्य	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख)	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
(1)	पंचायत समिति निम्बाहेड़ा :			
1.	नाली खरन्जा निर्माण कनेरा	19-1-91	0.983	0.295
2.	कनेरा-निम्बोदा-बंगला कच्ची सड़क निर्माण कार्य	19-1-91	2.177	2.177
3.	उ. प्रा. मैलाना में 2 कमरों का निर्माण	19-1-91	0.99	0 99
4.	ग्राम टाई में रास्ता निर्माण	19-1-91	0.60	0.36
5.	कनेरा-बांगरेड़ा रास्ता निर्माण	28-1-91	1.10	1.10
6.	उ. प्रा. वि. केली में एक कमरे का निर्माण	11-2-91	0.87	0.87
7.	ग्राम सांड में सड़क निर्माण	5-3-91	0.897	0.897
8.	मा. वि. बिनौता में 3 कमरों का निर्माण	10-9-91	0.876	0.788

1	2	3	4	5
9.	उ. प्रा. वि. रानीखेड़ी एक कमरा निर्माण	27-1-92	0.59	0.354
10.	उ. प्रा. वि. क. वि. केली में 2 अति. कक्षाकक्ष निर्माण	19-2-92	0.76	0.228
11.	उ. प्रा. वि. मैलाना में बरामदा, शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण	1-7-92	0.309	0.093
12.	उ. मा. वि. कनेरा में 2 कमरे मय बरामदा	1-9-92	1.66	0.498
13.	उ. प्रा. वि. ऊंखलिया में छत व एक कमरे का निर्माण कार्य	15.9.92	1.577	—
	योग :–(पंचायत समिति निम्बाहेड़ा)		13.389	8 65
(2)	**पंचायत समिति छोटीसादड़ी :**			
1.	छोटीसादड़ी–अचलपुरा सड़क निर्माण	5-2-91	1.04	1.04
2.	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन बरखेड़ा निर्माण	5-1-91	0.65	0.65
3.	प्रा. वि. जलोदिया खुर्द एक कमरा मय बरामदा निर्माण	5-2-91	0.59	0.59
4.	मुख्य सड़क से गांव बरखेड़ा तक सड़क निर्माण	5-3-91	0.34	0.34
5.	मा. वि. केसन्दा में एक कमरा मय बरामदा निर्माण	15-3-91	1.87	0.716
	योग : (पं. सं. छोटीसादड़ी)		3.807	3.336
	18 कुल योग विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा-छोटीसादड़ी		17.196	11.986

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 104 का विवरण

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1992–93 में दिनांक 15–9–92 तक विभागान्तर्गत संचालित औषधालयों को सप्लाई की गई औषधियों की राशि विवरण—

क्र. सं.	नाम जिला	राशि औषध सप्लाई (रुपयों में)
1.	अजमेर	439904.80
2.	अलवर	74130.89
3.	बांसवाड़ा	223986.60
4.	बाड़मेर	20717.42
5.	भरतपुर	318658.87
6.	भीलवाड़ा	365976.72
7.	बीकानेर	147282.62
8,	बून्दी	2500.83
9.	चित्तोड़गढ	143696.72
10.	चुरू	21939.56
11.	धोलपुर	111831 90
12.	डूंगरपुर	228836.06
13,	श्रीगंगानगर	25397.79
14.	जयपुर व दौसा	351453.69
15.	जैसलमेर	72022.44
16.	जालौर	8337.00
17.	झालावाड़	138167.52

1	2	3
18.	झुन्झुनू	88359.98
19.	जोधपुर	299888.16
20.	कोटा व बारा	20306.18
21.	नागौर	488571.71
22.	पाली	8012.90
23.	सवाई माधोपुर	28018.10
24.	सीकर	44568.64
25.	सिरोही	140618.58
26.	टोंक	351075.60
27.	उदयपुर व राजसमन्द	326243 20
	योग	4490504.49

परिशिष्ट-6

तारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूची

कोटपूतली तहसील में सीमेन्ट के चालू कारखानों की सूची

1.	कोटपूतली सीमेन्ट, ग्राम-रामसिंहपुरा ।	सम्मति विचाराधीन
2.	स्वदेशी सीमेन्ट, कोटपूतली	सम्मति निकरस्त
3.	चन्द्रा सीमेन्ट, कोटपूतली ।	सम्मति विचराधीन

परिशिष्ट–7

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

भिक्षावृत्ति उन्मूलन

107. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) एवं श्री राम नारायण वर्मा (नैनवा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भिक्षावृत्ति रोकने हेतु कानून बनाने हेतु विधान सभा में सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो आश्वासन की क्रियान्विती कब तक कर दी जावेगी ?

(2) क्या भिक्षावृत्ति समाप्ति हेतु, प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या तथा इस बाबत अब तक क्या सफलता मिली है ?

उत्तर

(1) जी हां । मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । जिस पर निर्णय होना बाकी है । निर्णय होने के उपरान्त क्रियान्विति कर दी जावेगी ।

(2) भिक्षावृत्ति की समाप्ति हेतु अजमेर में राजकीय सेवा सदन खोला हुआ है । जहां पर भिक्षुओं को भिक्षावृत्ति छोड़ने के लिये रखा जाता है तथा स्वावलम्बी बनाने के लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है ।

नगरपालिका शिवगंज के सरप्लस कर्मचारी

108. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका शिवगंज में ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जो सरप्लस लगाये गये हैं ?

(2) क्या उक्त कर्मचारियों पर होने वाला व्यय बजट प्रावधान से अधिक होने के कारण ऑडिट द्वारा आक्षेप लगाया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त अतिरिक्त कर्मचारियों के कारण नगरपालिका शिवगंज द्वारा अतिरिक्त व्यय भार वहन किये जाने के कारण नगर का विकास अवरुद्ध हो गया है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, शिवगंज में कुल 18 सरप्लस कर्मचारी लगाये हैं ।

(2) जी हां । इन कर्मचारियों के बकाया वेतन मुगतान हेतु 2·60 लाख रुपये भी पालिका को विशेष अनुदान सरकार द्वारा दिया गया है ।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) सरप्लस कर्मचारियों के लगाये जाने से प्रशासनिक व्यय भार में बढ़ोतरी हुई है, परन्तु इससे नगर का विकास अवरुद्ध होने जैसी बात नहीं है ।

श्री गंगानगर जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों पर अतिक्रमण के प्रकरण

109. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की कितनी-कितनी भूमि पर उच्च स्वर्ण जाति के कब्जों के कितने मुकदमें अदालतों में विचाराधीन हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पिछले पांच वर्ष में अदालतों द्वारा ऐसी भूमि के कितने फैसले किये गये, कुल कितनी भूमि राज्य सरकार की घोषित हुई और अन्य लोगों को अलाट की गई ? अलाटमेंट की गई भूमि किस-किस तहसील में कितनी-कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) स्वर्णों द्वारा बेनामी अनुसूचित जाति के लोगों का नाम लेकर काश्त करने के कितने मुकदमें विचाराधीन हैं और पिछले पांच वर्ष में कितने मामलों में फैसला हुआ है ?

(4) कुल कितनी भूमि राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ली है क्या उसमें से अलॉट भी की गई है ? यदि हां, तो कितनी और किस-किस तहसील में कितने लोगों को ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में आर. टी. ए. की धारा 183-बी के तहत 81 मामले विभिन्न तहसीलों में दर्ज है । उक्त मामलों से संबंधित भूमि 1081 बीघा है । तहसीलवार सूची संलग्न है ।

(2) पिछले पांच वर्षों में आर. टी. ए. की धारा 175 के तहत 120 मामलों का निर्णय हुआ, जिनमें से छः मामलों में 41·19 बीघा भूमि सरकारी घोषित कर 10 व्यक्तियों को आवंटित की गई । सूची संलग्न है ।

(3) ऐसा एक मामला प्रकाश में आया है । जिस का वाद उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के कार्यालय में जेरकार है ।

(4) आर. टी. ए. 175 के तहत 41·19 बीघा भूमि राज्य सरकार की घोषित की गई । उक्त 41·19 बीघा भूमि 10 व्यक्तियों को श्री करणपुर तहसील में आवंटित की गई है ।

(२५)

आर. टी. ए. की धारा 175 के तहत रियूम कर आवंटन की सूची

क्र. सं.	नाम आवंटन मय पता	साकिन	रकबा बीघा में
1.	श्री देवीलाल पुत्र हंसराज, मेघवाल	डेलवा	8-10
2.	,, शेराराम पुत्र सुखराम बावरी	,,	8-00
3.	,, मुकन्दसिंह पुत्र अर्जुनसिंह मजबी	4 डी. डी.	4-00
4.	,, सुरजाराम पुत्र मामराज मेघवाल	डेलवा	4-00
5.	,, आसमासिंह पुत्र गुलाबसिंह जटसिख	43 आर. बी.	2-03
6.	,, रामपाल पुत्र बगडावत विश्नोई	7 एम. एम. पी.	1-06
7.	,, समुन्द्रसिंह पुत्र भगतसित कम्बोखिज	47 एफ	0-08
8.	,, हरदयालसिंह पुत्र इशरसिंह जटसिख	7 एल. एम. पी.	2-00
9.	,, बलदेवसिंह पुत्र इशरसिंह जटसिख	7 एल. एम. पी.	1-06
10.	,, गुरजन्टसिंह पुत्र नन्दसिंह मजबी	13 ई. ई. ए.	10-00

नोट :—1970 के 6-आवंटन नियमों के नियम 6 (3) के अन्तर्गत गंगकेनाल, भू-आवंटन नियम 6 (5) में एवं भाखड़ा केनाल भू आवंटन नियम 175 के तहत रिक्यूम की गई भूमि उसकी जाति के अन्य व्यक्तियों को आवंटित की गई हैं। लेकिन छोटे भू-खण्ड होने के कारण एस. सी. का 175 आर. टी. ए. में खारिज रकबा को अन्य जातियों को स्माल पेच में राजहैड के 4 गुणा पर आवंटन किया गया है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

विधान सभा प्रश्न संख्या 19 के सम्बन्ध में श्री गंगानगर जिले की तहसील वाइज हरिजनों की भूमि पर स्वर्णों के कब्जे के सम्बन्ध में विचाराधीन प्रकरणों की सूचना—

क्रम सं.	नाम तहसील	मामलों की संख्या
1.	श्री गंगानगर	11
2.	पदमपुर	04
3.	करमपुर	13
4.	रावतसर	02
5.	अनूपगढ़	06
6.	नोहर	03
7.	भादरा	—
8.	रायसिंहनगर	01
9.	घड़साना	02
10.	हनुमानगढ़	17
11.	संगरियां	01
12.	विजयनगर	04
13.	सादुलशहर	10
14.	पीलीबंगा	03
15.	सूरतगढ़	02
16.	टी. बी	00

जिला कलक्टर
श्री गंगानगर

बेरोजगारी समाधान

110. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या मुख्य (जन शक्ति आयोजन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डॉ. व्यास की अध्यक्षता में बेरोजगारी की समस्या के समाधानार्थ एक कमेटी का गठन किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उसने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1992 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है ?

(3) क्या यह सही है कि बजट भाषण 1992-93 में यह अंकित किया गया था कि उक्त रिपोर्ट सदन की राय के लिए सदन में प्रस्तुत की जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट सदन में अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) उक्त रिपोर्ट में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में प्रमुख सिफारिशें क्या-क्या थीं और उन पर अब तक किन-किन सिफारिशों पर क्या-क्या क्रियान्विति की गई अथवा इस हेतु क्या प्रभावशाली कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन कर पूर्ण रोजगार प्रदान करने के अवसरों के लिए सुझाव देने हेतु डा. वी. एस. व्यास की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं, समिति की रिपोर्ट सदन की राय जानने हेतु सदन के पटल पर दिनांक 6·4·92 को रख दी गई है।

(5) समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्न है :—

1. रोजगार को विकास का उपोत्पाद (By product) होना चाहिये। आर्थिक सुदृढ़ता का ध्यान रखे बिना जॉब सृजित करना प्रति उत्पादक (Counter Productive) होगा।

2. बेरोजगारी की समस्या का निदान सरकारी नौकरशाही को बढ़ाने से नहीं होगा। राज्य को आधारभूत सुविधायें सृजित कर ऐसी नितियां बनानी चाहिये जिससे लोग स्वयं पहल कर रोजगार पैदा कर सके।

3. इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में योजनाओं के मूल्यांकन में रोजगार सृजित करने के लक्ष्य को अत्यधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

4. सामान्यतया राज्य के निर्धनतम क्षेत्रों, विशेषरूप से आदिवासी भागों में और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

5. अल्प रोजगार (Under Employ-ment) की समस्या को और भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिये जितना

(मुख्य (जन शक्ति आयोजना) मंत्री)

बेरोजगारी की समस्या की ओर दिया जाता है।

6. शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा विशेषत: उच्च स्तर पर प्रशिक्षार्थियों को अपनी समाजोत्पादक कार्यक्षमता (Social Productivewor) को घटाने के बजाय रोजगार के योग्य बनाना चाहिये।

प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

बीसलपुर परियोजना से सिंचाई

111. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीसलपुर सिंचाई योजना के कमाण्ड क्षेत्र के बारे में अधिशासी अभियन्ता, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान खण्ड, अजमेर द्वारा दिनांक 4-5-61 को अधीक्षण अभियन्ता, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान वृत्त, जयपुर, को पत्र लिखकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रिपोर्ट में सुझाये गये एलाइन्मेंट में फिर फेरबदल किया गया है ? यदि हां, तो फेरबदल के कारण सिंचाई सुविधा से वंचित रहने वाले गांवों के लिए सरकार द्वारा कौन-सी योजना बनाई गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के कमाण्ड क्षेत्र में बांध से कम दूरी पर पड़ने वाले गांवों के बजाए अधिक दूरी पर स्थित गांवों को सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गई तकनीकी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नैनवा तहसील के 56 गाँवों को कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए माही परियोजना की नहरों हेतु काटे गये पत्थरों से भी कम दूरी एवं गहराई तक ही पत्थरों की कटिंग करनी होगी ? यदि हां, तो उक्त गांवों को सरकार द्वारा कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, बीसलपुर सिंचाई योजना के कमाण्ड क्षेत्र के बारे में पत्र दिनांक 4-5-61 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान खण्ड, जयपुर ने अधीक्षण अभियन्ता, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान वृत्त, जयपुर को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी न कि अधिशाषी अभियन्ता, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान खण्ड, अजमेर ने। रिपोट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर इत्यादि शहरों/कस्बों एवं रास्ते में पड़ने वाले गांवों हेतु पेयजल की मात्रा आरक्षित करने के पश्चात् सिंचाई हेतु उपलब्ध सीमित जल की मात्रा को देखते हुए, नहर के कमाण्ड क्षेत्र को कम किया गया है जिससे नहर की लम्बाई कम हो गई है। इस फेरबदल के कारण सिंचाई सुविधा से वंचित रहने वाले गावों के लिए कोई अन्य योजना नहीं बनाई गई है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) नैनवां तहसील के 56 गांवों को कमाण्ड क्षेत्र में इसलिए सम्मिलित नहीं किया गया है कि पेयजल हेतु आरक्षित जल की मात्रा के पश्चात् उपलब्ध शेष जल से बांध के नजदीक के गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात् इन गांवों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु जल की मात्रा बचती ही नहीं है। इन गांवों को कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित नहीं करने का नहरों की कटिंग से कोई सम्बन्ध नहीं है। सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी की सीमित मात्रा के कारण इन गांवों को कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

खण्डार (सवाई माधोपुर) में इन्दिरा आवास योजना

112. श्री चुन्नीलाल (खण्डार): क्या विशिष्ट-योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 से अब तक पंचायत समिति सवाई माधोपुर व पंचायत समिति खण्डार में किन-किन ग्राम पंचायतों में इन्दिरा आवास योजना स्वीकृत की गई? सूची ग्राम-पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इन्दिरा आवास योजनाओं का किस-किस अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया? सत्यापन के दौरान क्या कमियां पाई गई?

(3) क्या यह सही है कि कई ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों को पूर्ण दिखाकर पूर्व में ही भुगतान उठा लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार जिन इन्दिरा आवास का भुगतान उठा लिया है, उनकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से अब तक पं. स. खण्डार एवं सवाई माधोपुर में स्वीकृत इन्दिरा आवासों की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) इन्दिरा आवास योजना का भौतिक सत्यापन पं. स. के सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता एवं विकास अधिकारी द्वारा किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान प. स. खण्डार के 74 पूर्ण आवासों में तथा प. स. सवाई माधोपुर के 91 पूर्ण आवासों में से 49 आवासों में लैट्रीन एवं बाथरूम नहीं बनवाये गये थे जो मौके पर ही लाभार्थियों को लेट्रिन बाथरूम बनवाने हेतु निर्देशित किया गया।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति खण्डार में इन्दिरा आवासों का निर्माण कार्य लाभार्थी द्वारा स्वयं किया गया है। तथा आवास पूर्ण होने पर ही भुगतान भी लाभार्थियों के नियमानुसार किया गया है। सचिवों को नहीं किया गया। पंचायत समिति सवाई माधोपुर के 42 आवासों का कार्य पूर्व सरपंचों द्वारा किया गया एवं शेष 64 आवासों का निर्माण कार्य लाभार्थियों द्वारा किया गया।

क्र. सं.	वर्ष	ग्राम पंचायत	ग्राम	स्वी. आवास संख्या
1		2	3	4
पंचायत समिति, खण्डार				
1.	1990–91	तलावड़ा	तलावडा	8
		मेईकलां	पावड़ी	5
		सिंगोरकलां	सिंगोरकलां	6
		दौलतपुरा	सेवती	8
		भूरी पहाड़ी	भूरी पहाड़ी	7
		बरनावदा	बरनावदा	8
		फलौदी	विजयनगर	10
		लहसोडा	सिवायगंज	6
		लालेर	गोविन्दपुरा	6
		छान	छान	6
				70
	1991–92	गोठड़ा	रावरा	5
		तलावडा	नायपुर	4
		बिचपुरी गुजरान	बिचपुरी गूजरान	6
				15
पंचायत समिति, सवाई माधोपुर				
2.	1990–91	बलरियां	रूपनगर	10
		आटूणकलां	आटूणकलां	10
		जड़ावता	जडावता	12

1	2	3	4
	पावाडेरा	गुणशीला	10
	आदलवाड़ाकलां	एकड़ा	10
	सारसोप	सारसोप	10
	बिन्जारी	ठेकड़ा	10
	चेकेरी	चकेरी	10
			182
1991–92	छारोदा	छारोदा	9
	पढाना	पढाना	10
	जड़ावता	जड़ावता	3
	मुई	मुई	2
			24

ह०/–
अतिरिक्त कलक्टर (विकास),
सवाई माधोपुर ।

प्रशिक्षित वैद्यों का पदस्थापन

113. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-मीम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ट्रेनिंग शुदा बेरोजगार वैद्यों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या अब तक ऐसे बेरोजगार वैद्यों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब उक्त बेरोजगार वैद्यों को रोजगार उपलब्ध कराने का वचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । सरकार द्वारा केवल आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद भरने हेतु आश्वासन दिये गये हैं जिनकी अनुपालना में दिनांक 15-9-92 को अल्पकालीन विज्ञापन जारी किया गया है एवं शेष रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जावेगा । एक मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को आयुर्वेद चिकित्सक पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है ।

(2) आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था की जा रही है ।

मरु अनुसंधान योजना, जैसलमेर

114. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के लिए मरु अनुसंधान योजना के सहयोग से एक वृहद् योजना तैयार की गई है ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना के अधीन कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं ?

(3) उपरोक्त कार्यों के लिए कितनी धनराशि चालू वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है और अब तक किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी एवं गैर-सरकारी मंदिरों को सहायता राशि

115. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी मंदिरों में सेवा-पूजा तथा पोशाक आदि व्यवस्था हेतु राज्य सरकार की ओर से कितनी-कितनी राशि दिये जाने की व्यवस्था है ?

(2) क्या यह राशि पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार इस राशि को बढ़ाने हेतु क्या प्रावधान कर रही है तथा कब तक उचित व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सरकारी मंदिरों का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा गैर सरकारी सहायता अनुदान प्राप्त मंदिरों को भोगराज हेतु आंशिक सहायता अनुदान राशि के रूप में न्यूनतम 30/–रु. वार्षिक भुगतान किया जाता है।

(2) सरकार सहायता अनुदान राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है तथा इस सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूचित जाति निगम द्वारा संचालित योजनाएं

116. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति निगम के द्वारा सामूहिक व व्यक्तिगत हित की योजनायें चलाई जा जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनायें चलाई जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बांसवाड़ा में कौन-कौनसी योजनायें चलाई जा रही है? वर्ष 1985 से 1992 तक इन योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, निगम द्वारा सामूहिक एवं व्यक्तिगत हित की निम्न योजनायें संचालित की जा रही है :—

(अ) शहरी योजनायें :—

पैकेज ऑफ प्रोग्राम, दुकान, आटो-रिक्शा, स्काइट, कष्ट मुक्त हुए हरिजनों का पुर्नवास योजना, साइकिल रिक्शा।

(ब) ग्रामीण योजनायें :—

सामूहिक पंप सैट, व्यक्तिगत पम्पसैट, ब्लास्टिंग एवं बोरिंग, दुकान, शिल्पशाला, बुनकर शाला, हाथकर्घा साधारण एवं अर्ध-स्वचालित यंत्र, उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराना, उन्नत नस्ल की भैंसें उपलब्ध कराना, उन्नत कृषि यंत्र, कुकुट पालन, विद्युत कनेक्शन।

(स) निगम द्वारा संचालित योजनायें :—

शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण, राजस्थान हाथ करघा विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण, फलोद्यान योजना, क्षारीय भूमि सुधार योजना, आवास विकास संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण।

(2) बांसवाड़ा जिले में चलाई जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। वर्ष 1985 से 1992 तक इन योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर में पेयजलापूर्ति

117. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) प्रतिदिन कितना पानी प्रति व्यक्ति औसतन अपेक्षित होता है और उसके विपरीत इस समय उदयपुर में कितना पानी पीने का वाटर वर्क्स द्वारा वितरित किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर में पीने के पानी की औसत मांग के अनुसार वितरण कम है ? यदि हां, तो इसके निराकरण के लिए विभाग क्या उपाय कर रहा है ?

(3) उदयपुर में पानी कम दबाव से किन-किन वार्डों में वितरण किया जाता है और इस समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

(4) उदयपुर के पेयजल का मुख्य स्रोत पिछोला और फतेहसागर झील के पानी की स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिमाह कितनी बार जांच की जाती है और यह जांच किस एजेन्सी द्वारा की जाती है ?

(5) क्या यह सही है कि इन झीलों के किनारे होटल बनने से दूषित पानी इस पेयजल में मिलने और जल कमी के कारण उदयपुर में कई संक्रामक रोग और पेट की बीमारियाँ फैल रही है ? यदि हां, तो इस पानी की स्वच्छता के लिए क्या सुधार किया जा रहा है ?

(6) क्या यह सही है कि पीने के पानी में विभाग द्वारा जो क्लोरिन मिलाई जाती है वह आगे चलकर स्वास्थ्य के लिए अहितकर है और उससे उदर रोग फैलते हैं ? यदि हाँ, तो इसके निराकरण के क्या उपाय हैं और यह क्लोरिन पानी में किस अनुपात से मिलाई जाती है ?

(7) उदयपुर के पेयजल के वितरण के संदर्भ में कुल कितने फिल्टर प्लांट वर्तमान में कार्यरत हैं और कितने फिल्टर प्लान्ट बनाने के प्रस्ताव और हैं तथा यह फिल्टर प्लान्ट कब तक बन जायेंगे ?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या हेतु निर्धारित न्यूनतम 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मांग के विरुद्ध वर्तमान में 115 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल वितरण किया जा रहा है।

(2) पेयजल मात्रा में कमी को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में जयसमन्द स्रोत से जलापूर्ति की योजना का कार्य प्रगति पर है।

(3) उदयपुर शहर के वार्ड संख्या 13, 22, 28, 29, 30, 34 एवं 35 आदि के कुछ भागों में कम दबाव की शिकायतें हैं, जिनके निराकरण हेतु वितरण प्रणाली में सुधार तथा तीन स्थानों पर बूस्टिंग की व्यवस्था किए जाने हेतु कार्य प्रगति पर है।

(4) उल्लेखित स्रोतों से प्राप्त जल का वितरण किये जाने से पूर्व शोधन के पश्चात् क्लोरीनीकरण किया जाता है तथा विभिन्न स्थानों से लगभग दस नमूने प्राप्त किए जाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से विभाग द्वारा जांच की जाती है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(5) उल्लेखित कारणों से बीमारियां फैलना प्रमाणित नहीं है।

(6) जी नहीं। क्लोरीन की मात्रा इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि वितरण व्यवस्था में अवशेष क्लोरीन की मात्रा लगभग 0.2 भाग प्रति मिलियन हो।

(7) उदयपुर पेयजल योजना में वर्तमान में 7 फिल्टर संयंत्र कार्यरत हैं तथा तीन और संयंत्रों का निर्माण प्रगति पर है। इन संयंत्रों को वर्ष 1993-94 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

राशन सामग्री वितरण

118. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रेल, 1992 से आज तक भारत सरकार ने गेहूं का कितना कोटा आवंटित किया ? उसमें से कितना उठा लिया गया तथा कितना नहीं ? अगर पूरा कोटा नहीं उठाया तो क्यों ?

(2) अप्रेल, 1992 से अब तक राजस्थान के जिलों को कितना-कितना गेहूं, चावल, तेल, चीनी आदि आवंटित किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिलों में आवंटन के बाद भी पूरा सामान नहीं उठाया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि चूरू जिले में कई कस्बों व गांवों में जनसंख्या अनुपात से मात्र 2 किलो गेहूं तथा 200 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति माहवार दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? आवंटन करने के क्या नोर्म्स हैं ?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1992 से सितम्बर, 1992 तक भारत सरकार द्वारा राज्य को जितना गेहूं का कोटा आवंटन किया, उसमें से जितना उठाया और जितना उठाना शेष रहा, उसका विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है। आवंटित गेहूं में से कुछ गेहूं का कम उठाव भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर समुचित मात्रा में स्टोक नहीं होने के कारण हुआ है।

(2) अप्रेल, 1992 से सितम्बर, 1992 तक राज्य के जिलों को जितना-जितना गेहूं, चावल, खाद्य तेल, चीनी का आवंटन किया गया है, उसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही है कि जिलों में आवंटन के बाद भी कुछ मात्रा में सामान नहीं उठाया गया। इसका कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं और चावल का समुचित स्टाक नहीं होना, चीनी के लिए देय कमीशन कम होना, सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, रेल्वे-वैगन समय पर उपलब्ध नहीं होना, मिलों के पास चीनी का उत्पादन कम होता है। खाद्य-तेल के कम उठाव का कारण राज्य में सरसों व अन्य तेलों के मूल्य पामोलीन से कम होना तथा छोटे पैक्स में स्टाक उपलब्ध नहीं होना है।

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

(4) जी हां। चूरू जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 किलो से 5 किलो तक आवंटन किया गया है। शहरी क्षेत्रों में अनुपात 2.50 से 5 किलो रहा है। साधारणतया विभाग की चेष्टा 5 किलो प्रति यूनिट के अनुपात में वितरण की रहती है, परन्तु आवंटन कम होने के कारण यह सदा सम्भव नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नवें वित्त आयोग की सिफारिशें

119. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या मुख्य आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नवें वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य सरकार को कितना फायदा हुआ तथा कितने अतिरिक्त साधन उपलब्ध हुए हैं ?

(2) अतिरिक्त साधन उपलब्ध होने में राज्य के किस-किस अधिकारी का क्या-क्या योगदान रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में विशेष योगदान करने वाले अधिकारी को सोने का मैडल दिया गया है ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) नवें वित्त आयोग की सिफारिशों से हुए फायदे एवं प्राप्त अतिरिक्त साधनों के बाद अकाल राहत कार्यों के लिए कितनी धनराशि दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1990-95 में आठवें वित्त आयोग की तुलना में अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी। आठवें व नवें वित्त आयोग के अनुसार केन्द्रीय सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :—

(राशि करोड़ रुपयों में)

	1984-89	1990-95
(1) करों और शुल्कों का हिस्सा	1538.18	4613.83
(2) सहायता अनुदान आयोजना भिन्न व आयोजना के अन्तर्गत (उनकी सिफारिशें)	42.63	1446.79
(3) क्रमोन्नत कार्य हेतु सहायता	53.48	—
(4) राहत कार्य हेतु अनुदान (मार्जिन मनी)	41.88	465.00
	1676.17	6525.62

(2) निम्नलिखित अधिकारियों ने नवें वित्त आयोग के समक्ष सहायता अनुदान प्राप्त करने एवं अतिरिक्त संसाधन की उपलब्धि हेतु राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन

(मुख्य आयोजना मंत्री)

(मेमोरेण्डम) में अथक परिश्रम एवं उत्कृष्ट सेवा की है जिस पर राज्य सरकार ने उनकी सेवा को सराहनीय मानकर स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया है।

1. श्री टी. वी. रमणन, तत्कालीन वित्त आयुक्त एवं सचिव

2. श्री सी. आर. मेहता, तत्कालीन विशिष्ट सचिव, वित्त आयोग प्रकोष्ठ

3. श्री यतीन्द्रसिंह, तत्कालीन वित्त आयुक्त एवं सचिव

4. श्री एस. पी. गुप्ता, तत्कालीन विशिष्ट वित्त सचिव

(3) जी हां,।

26 जनवरी, 1991 को गणतन्त्र दिवस समारोह पर उन्हें गोल्ड मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया।

(4) नवें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 90-95 में प्रति वर्ष 93.00 करोड़ केन्द्रीय सहायता अकाल राहत हेतु प्राप्त होती है तथा 31.00 करोड़ राज्य सरकार को अपना हिस्सा मिलाना होता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष 124.00 करोड़ की राशि में से अकाल राहत व्यय किया जाता है। यदि अकाल नहीं पड़ता है तो इस राशि को पृथक से अलग खाते में रखा जाता है जिसका उपयोग आगामी वर्षों में किया

बूंदी जिले के ग्राम विषधारी में बांध निर्माण

120. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बून्दी जिले के ग्राम विषधारी के पास सिंचाई हेतु बांध का कार्य प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो कब तथा किस योजना के तहत ?

(2) उक्त बांध पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(3) क्या सरकार उक्त बांध का निर्माण कार्य पूरा करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विषधारी बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1977 एवं 1979 में अकाल राहत योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था।

(2) उक्त बांध पर इस योजना के तहत 5.64 लाख की राशि व्यय हो चुकी है।

(3) जी नहीं लाभ लागत से योजना उपयोगी सिद्ध होने पर समिति वित्तीय संसाधनों से प्लान मद में यह कार्य कराना संभव होगा।

मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से ग्रामों में कराये गये कार्य

121. श्री जुबेरखान (रामगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जुबेरखान)

(1) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1990-91-92, 1991-92 एवं 1992-93 में मेवास विकास बोर्ड के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

(2) गत तीन वर्षों में यह पैसा किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस प्रकार के कार्य मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से कराए जाते हैं ?

(4) मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से किन-किन ग्रामों में कार्य कराया जाता है ? पंचायत के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1990-91, 91-92 एवं 92-93 में मेवात् विकास बोर्ड के लिए क्रमशः 39.67, 100.00, 100.00 लाख रुपये राशि आंवटित की गई।

(2) गत तीन वर्षों में यह राशि सड़क निर्माण, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, पेयजल, प्रावेधिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के विकास कार्यों पर व्यय की गयी है (परिशिष्ट–1) 91-92 से सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) मेवात् विकास बोर्ड के माध्यम से मेवात् क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास के कार्य कराये जाते है।

(4) मेवात् विकास योजनान्तर्गत अलवर जिले को 7 पंचायत समितियों (गोविन्दगढ़, मुख्यालय लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, किशनगढ़बास, मुण्डावर, कठूमर व उमरैण) तथा भरतपुर जिले की 3 पंचाय समितियां (नगर, कामां एव डीग) सम्मिलित हैं जिसमें अलवर जिले के 1109 तथा भरतपुर जिले के 520 ग्राम सम्मिलित है। इन गांवों में आवश्यकतानुसार कार्य होते है। पंचायतों के नामों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

अवैध शराब की रोकथाम

122. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि प्रान्त में करीबन 9 करोड़ देशी शराब की बोतलों की आवश्यकता है ?

(2) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल्स को जितनी रेक्टीफाइड स्प्रिट उपलब्ध हो पाती है उसके आधार पर 3-4 करोड़ बोतल शराब ही बना पाते हैं

(3) क्या यह सही है कि आज इस आवश्यकता की पूर्ति गांव-गांव में अवैध शराब के द्वारा हो रही है।

(4) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल्स अवैध शराब बनाने वालों से मिले हुये हैं ?

(श्री रमाकान्त)

(5) क्या यह सही है कि इस अवैध शराब के कारण ग्रामीण क्षेत्र में नैतिकता में ही गिरावट नहीं अपितु उनका जीवन भी खतरे में है ?

(6) क्या यह सही है कि अवैध शराब के बन्द कराने से राज्य सरकार की आय में आशातीत वृद्धि होगी ?

(7) यदि हां, तो राज्य सरकार अवैध शराब को बन्द करने के लिए क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1991-92 में 8.81 करोड़ देशी शराब की बोतलों की आवश्यकता के अनुरूप बिक्री हुई।

(2) जी नहीं, वर्ष 1991-92 में समस्त 8.81 करोड़ बोतलों को उत्पादन गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा ही किया गया था। इसे बनाने के लिए 2.41 करोड़ लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट प्रयोग में लाई गई जिसमें 0.42 करोड़ लीटर का उत्पादन गंगानगर डिस्टलरी में किया गया व शेष मात्रा गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा ही अन्य स्रोतों से मंगाई गई।

(3) जी नहीं। जैसा भि उपरोक्त वर्णित है समस्त आवश्यकता की पूर्ति गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा की जा रही है।

(4) जी, नहीं।

(5) आबकारी विभाग का पूर्ण प्रयास रहता है कि किसी प्रकार की अवैध शराब का निर्माण एवं बिक्री न हो एवं इसके लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं निरोधक दलों द्वारा निरन्तर रूप से एवं सूचना मिलने पर धावों का आयोजन किया जाता है। सिद्धान्त रूप से अवैध शराब पाने से यदि उसमें जहरीले अथवा हानिकारक तत्व है तो उपभोक्ता के शरीर पर कुप्रभाव पड़ सकता है एवं अत्यधिक मदिरापान से व्यक्ति का नैतिक पतन भी सम्भव है।

(6) वर्तमान आबकारी नीति के अनुसार अनुज्ञाधारी के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र की दुकानों के ठेके हेतु निर्धारित एकाकी राशि विशेषाधिकार राशि की पूर्ति करें चाहे उसकी बिक्री कुछ भी क्यों न हो। इस सन्दर्भ में अवैध शराब की प्रभावी रोक-थाम से राज्य सरकार की आय में वैध मदिरा की अधिक बिक्री से प्राप्त विभिन्न शुल्कों के रूप में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

(7) राज्य सरकार द्वारा अवैद्ध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री पर नियन्त्रण रखने के लिए पूर्ण सजगता बरती जाती है एवं प्रभावी कदम उठाये जाते है। आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग इस नियन्त्रण हेतु कार्यवाही करने में सक्षम है। आबकारी विभाग में अलग से निरोधक दल की इकाई है जो सक्रियता से सुचारू रूप से अथवा सूचना प्राप्त होते ही अवैध निर्माण एवं बिक्री के अड्डों पर धावा आयोजित कर अभियोग दर्ज करता है। अगले बन्दोबस्त की आबकारी नीति बनाते समय अवैध शराब की प्रभावी रोक-थाम के लिए सक्रिय

(श्री आबकारी मन्त्री)

कदम उठाने हेतु और भी गहन प्रयास किये जायेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र (अलवर) में औद्योगिकीकरण से प्रदूषण

123. श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा)

श्री सम्पतसिंह (नगर) एवं

श्री परसादीलाल (लालसोट) : क्या पर्यावरणमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर के राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में तीव्र गति से हो रहे औद्योगिकरण से क्या इस परियोजना क्षेत्र में प्रदूषण नहीं फैलेगा ?

(2) क्या राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र का मकसद दिल्ली और एन. सी. आर. को प्रदूषण रहित बनाने का है ?

(3) भवाडी स्थित मैसर्स श्रीराम फाइबर्स में अगस्त, 1991 से अगस्त, 1992 तक कितनी बार गैस का रिसाव हुआ ? क्या कार्यवाही की गई ? क्या भारत सरकार के वन व पर्यावरण विभाग की कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ?

उत्तर

(1) औद्योगिकरण से राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में प्रदूषण फैलने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(2) जी हां।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2001 में एन. सी आर को प्रदूषण रहित बनाने हेतु निम्न प्रावधान रखे गये हैं।

1. परिस्थितिक प्रणाली में संतुलन बनाये रखने के लिए पेड़ पौधों की सुरक्षा, एन. सी. आर. क्षेत्र में बन से कम से कम 33% भाग में वनों की सुरक्षा।

2. जल एवं वायु प्रदूषण रोकने हेतु व्यापक सुरक्षा उपाय करना, जलेमल निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना।

(3) श्री राम फाइबर्स, भिवाड़ी में अगस्त, 1991 से अगस्त, 1992 तक एक बार गैस का रिसाव मार्च, 92 में हुआ था। जिला कलेक्टर अलवर ने प्रभावित कृषकों को 81,489/=

रुपये राशि का मुआवजा देने के आदेश प्रबन्धकों को पब्लिक लाइब्लिटी इन्श्योरेन्स एक्ट की धारा 7 के तहत दिये गये हैं। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग की कोई रिपोर्ट इससे सम्बन्धित राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

दौसा जिले में समस्या समाधान

124. श्र

क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा जिलान्तर्गत विभिन्न तहसिलों में इस वर्ष लगाये गये समस्या समाधान शिविरों में वृद्धावस्था, अपाहिजों तथा

(श्री परसादीलाल मीणा)

असहायों के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदन-पत्रों में कितने आवेदकों की पेंशन स्वीकृति की जा चुकी है तथा कितने विचाराधीन हैं और क्यों ?

उत्तर

(1) जिला दौसा के अन्तर्गत विभिन्न तहसीलों में आयोजित समस्या समाधान शिविरों में वृद्धावस्था, अपाहिज एवं असहायों के कुल 971 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्राप्त आवेदन पत्रों में से 474 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। 187 आवेदन पत्र फार्मों की पूर्ति जांच कराये जाने हेतु विचाराधीन हैं। शेष आवेदन पत्र स्वीकृति योग्य नहीं पाये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम डांगावास (नागौर) की पेयजल योजना

125. श्री रामकरण (मेड़ता) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मेड़ता शहर व अन्य कई गांवों को पीने का पानी ग्राम डांगावास के ट्यूब वैलों से सप्लाई किया जा रहा है ?

(2) ग्राम डांगावास में कितने ट्यूबवैल इस प्रयोजनार्थ हैं ?

(3) क्या इन ट्यूब वैलों के पानी में फ्लोराइड अधिक मात्रा में हैं ?

(4) क्या इस प्रकार के पानी से लोगों द्वारा पीने से कई प्रकार की बीमारियां होने की शिकायतें एवं जानकारी मिली है ?

(5) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पेयजल की भावी क्या योजना बनाई गई है और इसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में कार्यरत ? 6 नलकूपों से जलापूर्ति की जा रही है।

(3) एक नलकूप के अतिरिक्त शेष के पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से कुछ अधिक है।

(4) पेयजल में अधिक मात्रा में फ्लोराइड होने से दांतों में धब्बे (मौटलिंग) तथा अत्यधिक मात्रा होने से हड्डियों का फ्लोरोसिस होने की सम्भावना रहती है।

(5) पेयजल मात्रा में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से पुनर्गठन योजना बनाने हेतु तकनीकी जांच की जा रही है तत्पश्चात् ही संवर्धन योजना बनाकर स्वीकृत करने पर विचार किया जावेगा।

ग्राम माण्टूण्दा (बून्दी) में पैमाइश - कार्य

126. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) ग्राम माण्टूदा, जिला बूंदी की पैमाइश का कार्य किस वर्ष में किया गया था तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाया गया रेकार्ड किस वर्ष से प्रभाव में आया है ?

(2) क्या बन्दोबस्त विभाग के द्वारा तैयार किये गये रेकार्ड की खामियों, नक्शे एवं रेकार्ड में अन्तर होने की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो गलत रिकार्ड बनाने के लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

(3) उक्त गांव के रिकार्ड को दुरुस्त किया जाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम माण्टूदा तहसील बून्दी का बन्दोबस्त वर्ष 1963 में आरम्भ कराया गया था तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाया गया रेकार्ड वर्ष 1971 से प्रभाव में आया।

(2) बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किए गए रिकार्ड की खामियों के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया है। जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र दिनांक 30-11-87 द्वारा चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में भू-आवंटन एवं विक्रय नियमों के अन्तर्गत भूमि का विक्रय एवं आवंटन तथा पूर्व बन्दोबस्त में खेतों की स्थिति बदल जाने से सैटलमेन्ट रेकार्ड एवं पुराने खातेदारों की भूमियों की स्थिति में अन्तर आ जाने से असरेनो सैटलमेन्ट कराये जाने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर को मुताबिक मौका तरमीम कर उसी के अनुरूप अभिलेख तैयार कराये जाने के निर्देश दिनांक 28-11-88 को दिये गये थे। जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा तरमीम कार्य कराये जाने हेतु सर्वे दल का गठन किये जाने के आदेश 15-6-92 को पारित किये जा चुके हैं। अतः उक्त कार्य जिला कलक्टर द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है।

(3) इसका उत्तर भाग–2 में दिया जा चुका है।

कतिपय विभागों में तकनीकी सचिव का पदस्थापन

127. श्री सालिगराम (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तकनीकी विभागों में सचिव का पद तकनीकी अधिकारी से भरने से विभाग की कार्य कुशलता प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हो सकती है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या मानस रखती है ?

(2) कृषि, वन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक, सिंचाई आदि विभागों में क्या सरकार तकनीकी व्यक्तियों को सचिव बनाने का विचार रखती है ?

(मुख्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री)

उत्तर

(1) तकनीकी विभागों में सचिव का पद तकनीकी अधिकारी से भरने से विभाग की कार्य कुशलता/प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हो सकती है अथवा नहीं, यह सचिव पद पर पदस्थापित होने वाले अधिकारी की योग्यता पर निर्भर करता है। फलतः यह कहना सम्भव नहीं है कि इससे कार्य कुशलता/प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हो सकती है अथवा नहीं।

(2) वर्तमान में कृषि, वन, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, सिंचाई आदि विभागों में तकनीकी व्यक्तियों को सचिव बनाने का कोई विचार नहीं है।

शहीद रमेश स्वामी नहर का निर्माण कार्य

128. श्री रामप्रसाद (बैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की तहसील बैर की शहीद रमेश स्वामी नहर अटारीपुरा बांध को बांण गंगा नदी से पानी भरने के लिये निकाली गई थी, जो बीस वर्षों से सूखी पड़ी है ?

(2) क्या यह सही है कि विगत बीस वर्षों के दौरान पचास लाख रुपया विभाग द्वारा तीस लाख रुपया जन सहयोग द्वारा उक्त नहर पर खर्च किया जा चुका है ? यदि हां, तो इस दौरान नहर पर क्या-क्या कार्य हुए ? किए गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नहर का निर्माण कार्य सरकार कब तक पूरा कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि 27 जून 1992 को क्रोस डेम की कार्य एवं 12 जुलाई, 1992 से 15 जुलाई तक नाके को बन्द करवाने का कार्य किया गया जो कि टूट गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नहर से प्रति वर्ष वर्षात के मौसम में पानी बहता है।

(2) जी नहीं।

(3) नहर पूर्व से हो बनी हुई है। फिलहाल कोई निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(4) क्रोस डेम नदी के तल में पानी को रोक कर नहर की तरफ मोड़ देकर, नहर में पानी चलाने के लिए वर्षा पूर्व जून, 1992 में बनाया गया था। नदी में नहर की छमता से अधिक पानी आने की वजह से माह जुलाई, 1992 में क्रोस डेम टूट गया था।

मण्डावरा से मोठड़ी वृक्षारोपण

129. श्री हरिश चन्द्र (नावां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग को मण्डावरा से मोठड़ी तक 20 किलोमीटर रोड साइट पर प्लांटेशन हेतु वर्ष 1991-92 में 3.496 लाख उसी

(श्री हरिशचन्द्र)

वित्त वर्ष में खर्च करने तथा 0.604 लाख रुपये वर्ष 1992-93 में खर्च करने हेतु स्वीकृत किये गये थे ? कितनी राशि खर्च की गई कितने किलोमीटर पर क्या-क्या कार्य किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना के अन्तर्गत उक्त कार्य किस एजेन्ट के द्वारा कब चालू किया गया ? तथा कौन-कौन से पेड़ पौधे कहां से कब प्राप्त कर यह पेड़ पौधे लगाये गये और कितनी राशि व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस हेतु कितने क्विन्टल एगल लोहें के तार, गिट्टी, सीमेन्ट किस के यहां से कब क्रय की गई ? बाउचर्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) इस योजना के अन्तर्गत कुचामन रेल्वे स्टेशन से कुचामन शहर एवं निमोद (डीडवाना रोड) तक रोड साइट प्लान्टेशन कब किया जाना सम्भव होगा ? क्या यह प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग की मण्डावरा से मीठड़ी तक 20 रो. कि. पी. वृक्षारोपण हेतु वर्ष 91-92 रुपये 3.496 लाख स्वीकृत थे किन्तु राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण उस वित्त वर्ष में कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष 92-93 में अग्रिम मृदा कार्य व वृक्षारोपण हेतु रुपये 1.661 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें से अगस्त, 92 तक रुपये 8133-75 1—व्यय किये गये जिसमें 20 रो. कि. पी. में मृदा कार्य, फेंसिग एवम् पौधारोपण आदि सम्मिलित है।

(2) उक्त कार्य वन विभाग द्वारा 2 मार्च 92 को प्रारम्भ कराया गया जिस पर अगस्त 92 तक रुपये 81313.75 1—व्यय किये जा चुके हैं। अन्य विवरण सूची। पर उपलब्ध है।

(3) इस हेतु ऐंगल व लोहे के तार क्रय न कर पुराने वृक्षारोपण से एकत्रित करवा कर फेंसिग कराई गई, गिट्टी व सीमेन्ट क्रय सम्बन्धी वाउचर की फोटो प्रति संलग्न है।

(4) यह कार्य 92-93 की योजना में स्वीकृत नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अनुसूचित जाति के छात्रावास

130. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

राज्य में अनुसूचित जाति के कितने छात्रावास किन-किन जिलों में हैं तथा उनमें छात्र-छात्राओं को क्या-क्या सुविधा उपलब्ध हैं ?

उत्तर

राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रावासों की जिलेबार सूचना परिशिष्ट "अ" पर एवं छात्र/छात्राओं की दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत जिलेबार स्वीकृत छात्रावासों की संख्या :

क्र.सं.	नाम जिला	अनुसूचित जाति के स्वीकृत छात्रावास संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	11
2.	अलवर	10
3.	बाड़मेर	12
4.	भीलवाड़ा	16
5.	बीकानेर	14
6.	भरतपुर	11
7.	धौलपुर	6
8.	बून्दी	7
9.	चित्तौड़गढ़	6
10.	चुरु	10
11.	गंगानगर	19
12.	जयपुर	22
13.	दौसा	5
14.	जोधपुर	21
15.	झालावाड़	2
16.	जालौर	4
17.	झुन्झुनू	17
18.	सिरोही	6
19.	कोटा	6
20.	बांरा	7
21.	नागौर	13

1	2	3
22.	जैसलमेर	8
23.	पाली	11
24.	सवाईमाधोपुर	5
25.	सीकर	14
26.	टोंक	6
27.	उदयपुर	8
28.	राजसमन्द	5
29.	डूंगरपुर	1
	योग :–	285

263

प्रत्येक छात्रावास में उपलब्ध सुविधायें

1. भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, बाल कटाई, तेल, साबुन, जूतें की सुविधा हेतु 250/–रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से साढ़े नौ माह के लिये राशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. प्रत्येक सत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60/– रुपये प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/– रुपये प्रति छात्र पुस्तकें/स्टेशनरी तथा फीस हेतु दिये जाते हैं।

3. प्रति छात्र को उपयोग हेतु निम्न सामान उपलब्ध कराया जाता है :—

1. दरी
2. दो कम्बल
3. एक तकिया मय दो गिलाफ
4. दो चादर
5. एक गद्दा
6. एक थाली
7. एक प्लास्टिक मग (बड़ा)
8. दो कटोरी
9. चारपाई या तख्ता
10. अलमारी या लोहे का बक्सा

7. प्रत्येक छात्रावास में कठिन बिषयों जैसे–गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को पढ़ाने हेतु विशेष कोंचिग की सुबिधा उपलब्ध करवाई जाती है। जिसके लिये प्रत्येक विषय हेतु 200 – रुपये प्रतिमाह नवम्बर से फरवरी माह तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 137 का विवरण

परिशिष्ट "क"

श्री एम. के. वर्मा, सहायक अभियंता, नगर उपखण्ड, सवाई माधोपुर द्वारा
माह 9/91 से अब तक मस्टर रोल/एच. आर. पर रखे गये
कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्य का नाम	मस्टर रोल पर रखे कर्मचारियों की संख्या	एच. आर. के माध्यम से भुगतान पर रखे गये कर्मचारियों की संख्या
1.	शहरी जल योजना, सवाईमाधोपुर	15	1
2.	शहरी जल योजना, सवाईमाधोपुर (चौकीदार)	—	1
3.	वाहन चालक	—	1
4.	हैण्डपम्प मरम्मत अभियान का कार्य (तहसील सवाई माधोपुर)	11	5
		26	8

265

श्री आर. एस. गुप्ता, सहायक अभियन्ता, जिला उपखण्ड, सवाई माधोपुर द्वारा माह 6/90 से अब तक मस्टर रोल/एच. आर. पर रखे गये कर्मचारियों का विवरण

क्र सं.	योजना/कार्य का नाम	एच. आर. पर रखे कर्मचारियों की संख्या	एच. आर. के माध्यम से भुगतान पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या
1.	ग्रामीण जल योजना, खण्डार	2	1
2.	ग्रामीण जल योजना, बौंली	4	—
3.	ग्रामीण जल योजना, मलारना चौड़	2	—
4.	ग्रामीण जल योजना, पीपलवाड़ा	2	—
5.	ग्रामीण जल योजना, हिन्दूपुरा	1	—
6.	ग्रामीण जल योजना, बदरावण्डा कलां	1	—
7.	ग्रामीण जल योजना, मलारना डूंगर	3	1
8.	ग्रामीण जल योजना, शेषा	1	—
9.	कार्यालय	—	1
		16	3

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 140 का विवरण

ओर से—मदनलाल पिता चौथमल जी टक, निवासी–कानोड़ ।

वास्ते :—सेवामें,

श्री प्रशासक महोदय,
नगर पालिका, कानोड़

विषय :—उदयपुर धरियावद रोड पर दुकान के सामने मिट्टी व पत्थर तुरन्त हटाने बाबत ।

सन्दर्भ :—आपका पत्र क्रमांक दिनांक : 5-8-92

उपरोक्त सन्दर्भ एवं विषय में आपका सूचना पत्र दिनांक 2-8-92 को प्राप्त हुआ उसका प्रत्युत्तर मुझ प्रार्थी मदनलाल का निम्न है :—

1. यह कि आपका सूचना पत्र मुझे प्राप्त हुआ, आपके आदेशानुसार मुझ प्रार्थी ने जो मिट्टी पानी में बह कर जमा हुयी थी उसे आपके सामने ही हटा ली गई किन्तु फिर भी आप सड़क पर जो पानी भरा हुआ था व है अभी तक नहीं निकला है, इस तथ्य का परिज्ञान आपको हो चुका है फिर भी आपने बिना विचार किये मुझे अवैधानिक सूचना-पत्र दिये जो स्वीकार होने योग्य नहीं है ।

2. यह कि आप प्रशासक महोदय के परिज्ञान के वक्त निरीक्षण यह स्पष्ट हो चुका हैं कि श्री सन्तोषलाल ने अवैध दिवाल रास्ते की भूमि पर की है, जिससे पानी अवरुद्ध हुआ है फिर भी आपने श्री सन्तोषलाल की दिवाल जानते हुए नहीं हटाई यह बात मेरे व गांव के अन्य नागरिकों के समक्ष भी नहीं आई जबकि आपको पूर्ण अभिज्ञान हो गया कि पानी अवरुद्ध (इकट्ठा) सड़क पर हुआ व हो रहा है मात्र सन्तोषलाल के अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने से हुआ है, फिर भी आप द्वारा सन्तोषलाल की अवैध निर्मित दीवाल को नहीं हटाई जो कस्बे के नागरिकों के लिए व आवागमन के हित में नहीं है ।

267

3. अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि श्री सन्तोषलाल द्वारा जो अवैध अतिक्रमण कर दिवाल का निर्माण किया है वह तुरन्त हटाई जावे ताकि पानी सड़क पर इकट्ठा न होवे व राजकीय तथा नगर पालिका की सड़क नहीं टूटे।

4. श्री सन्तोषलाल अपनी मन-मानी पर अड़ा हुआ है तथा असत्य प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर केवल मात्र मुझे ही नहीं बल्कि कस्बा कानोड़ा के निवासियों के सभी के आंखों में धूल झोंक रहा है जिसका परिज्ञान आपको भी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी दिवाल को हटाने का प्रयास किया गया तो उसे भी नहीं हटाने दी, श्री सन्तोषलाल इस प्रकार अपने काश्त की जमीन के भूखण्ड बना कर कस्बे के लोगों को लूट रहा है। जिसका परिज्ञान उप तहसीलदार, पटवारी, हाजा सभी को है फिर भी कोई विधिवत कार्यवाही नहीं हुई है। पानी बहकर जो आता है वर्षों से सन्तोषलाल की आराजी में होकर निकल रहा था जिसका परिज्ञान आपको मौके पर हो गया फिर भी आपने अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया है, कस्बा कानोड़ा के नागरिकों ने भी आपको अवगत करा दिया था।

आप सद्भावनापूर्वक विचार कर तुरन्त सन्तोषलाल के अवैध दिवाल निर्माण को हटाया जावे ताकि आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं होवे व पानी रुका न रहे व बह कर चला जावे। मेरे द्वारा मिट्टी हटा लेने पर भी पानी वहीं जमा रहा जिसका परिज्ञान भी आपको हो गया, मेरी मिट्टी हटाने से पानी का जमा होना रुका नहीं है इस तथ्य का भी परिज्ञान आपको हो गया फिर भी आपने सन्तोषलाल के अवैध निवास को नहीं हटाई इससे कस्बा कानोड़ के निवासियों के मन में भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो रही है। इसलिए पुनः आपसे निवेदन है कि मुझे प्रार्थी को अवैध सूचना पत्र जारी नहीं करे व सद्भावनापूर्वक विचार कर तुरन्त सदैव की भान्ति पानी सन्तोषलाल की अवैध निर्मित दिवाल को हटा कर पानी का निकास करावें, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है मेरे यहां पानी भरा रहने से मेरे को भारी क्षति हो रही है सन्तोषलाल के पुत्र की पेट्रोल, डीजल की दुकान है मेरा मेरा पुत्र सुरेश कुमार भी उक्त व्यवसाय ही करता है जिसका परिज्ञान-आप श्रीमान की है श्री सन्तोषलाल अपने पुत्र के व्यवसाय में लाभ पहुंचाने की बदनियति से अवैध दिवाल का निर्माण किया है जिससे मेरे पुत्र को क्षति हो, इसलिए आपसे पुनः निवेदन

है कि मेरे प्रतिकथन पर गौरपूर्वक विचार करें व अवैध निर्मित दीवाल को हटा मुझे व कस्बा कानोड़ के निवासियों को तथा आवागमन में उत्पन्न अवरोध को समाप्त करावें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे जवाब पर सद्भावनापूर्वक विचार कर श्री सन्तोषलाल का अवैध निर्मित दीवाल को हटा अवरोध समाप्त कर देंगे।

दिनांक : 6-8-92

मदनलाल ढक

कार्यालय प्रशासक न. पा. कानोड़

पत्र क्रमांक :

दिनांक : 5-8-92

निमित,

श्री मदनलाल ढक,
निवासी—कानोड़

विषय :—उदयपुर धरियावद रोड पर दुकान के सामने मिट्टी व पत्थर तुरन्त उठाने बाबत।

आज दिनांक को मेरे द्वारा उदयपुर धरियावद रोड़ कस्बा कानोड़ मौका देखा गया कि श्री सन्तोषलाल व्यास व आपके मकान व दुकान के सामने आप द्वारा मिट्टी व पत्थर पट्टियां डालने के कारण पानी रोड़ पर अवरुद्ध हो गया जिससे पानी भरा हुआ पाया गया।

अतः आपको तत्काल आदेश दिया जाता है कि मकान व दुकान के सामने पड़ी मिट्टी, मलबा हटायें। यदि मलवा व पट्टियां नहीं हटाने से भरे हुए पानी कोई दुर्घटना हुई तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

नकल नोटिस प्राप्त किया मदनलाल ढक
ता. : 5-8-92

इकबाल हुसेन
प्रशासक
नगर पालिका, कानोड़।

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 141 की सूची

कार्यालय नगर परिषद, सवाई माधोपुर

(प्रेम मन्दिर आवासीय योजना) में आवंटियों की सूची:

क्रमांक	नाम आवंटी	प्लाट नं.	1/4 व 3/4 राशि जमा
1	2	3	4
1.	श्री प्रभातीलाल/गिरधारीलाल	1	—
2.	,, परवेन्द्र सिंह	2	,,
3.	,, ओमप्रकाश साहू	3	,,
4.	,, बाबूलाल गुप्ता	6	,,
5.	,, हरिप्रसाद	7	,,
6.	,, स्वतन्त्र कुमार जैन	8	,,
7.	,, महेश कुमार जैन	10	,,
8.	,, मूल सिंह	11	,,
9.	,, जगदीश प्रसाद नागर	12	,,
10.	,, रघुनाथ प्रसाद	13	,,
11.	,, इमामुदीन	14	,,
12.	,, हनुमान प्रसाद जैन	17	,,
13.	,, दुर्गालाल गुप्ता	18	,,
14.	,, फारुख मोहम्मद	19	,,
15.	,, सीताराम रैगर	20	,,
16.	,, रामजीलाल गुप्ता	21	,,
17.	,, मोहम्मद हुसेन	22	,,

1	2	3	4
18.	श्री राधावल्लभ गुप्ता	23	,,
19.	,, मनोज कुमार छुजलानी	24	,,
20.	,, जगदीश प्रसाद गोयल	25	,,
21.	,, अब्दुल खालाद	26	,,
22.	,, ओमप्रकाश बैरवा	27	,,
23.	,, राधेश्याम स्वर्णकार	28	,,
24.	,, गुलाब चन्द मीणा	30	,,
25.	,, महावीर प्रसाद जैन	31	,,
26.	,, बालकृष्ण शर्मा	32	,,
27.	,, ओमप्रकाश गुप्ता	33	,,
28.	,, कैलाश चन्द स्वर्णकार	34	,,
29.	,, गिर्राज किशोर सिन्दल	35	,,
30.	,, रमेश चन्द गोदार	36	,,
31.	,, भीमसिंह मीना	37	,,
32.	,, बाबूलाल	38	,,
33.	श्रीमती इन्दुबाला जैन	39	,,
34.	श्री मुरारीलाल अग्रवाल	40	,,
35.	,, सीताराम शर्मा	41	,,
36.	,, माणकचन्द जैन	42	,,
37.	,, रतनचन्द जैन	43	,,
38.	,, सुरेश चन्द जैन	44	,,
39.	,, रतनलाल यादव	45	,,
40.	,, सीताराम मंगल	46	,,
41.	,, रामजोलाल गुर्जर	47	,,
42.	,, माणकचन्द जैन	48	,,
43.	,, उमरावमल	49	,,

1	2	3	4
44.	श्री हाकिम सिंह	50	,,
45.	,, राजेन्द्र कुमार जैन	51	,,
46.	,, रमेश चन्द गुप्ता	52	,,
47.	,, सिराज रसूलजैदी	5	केवल 1/4 राशि जमा
48.	,, दामोदर प्रसाद	4	कोई राशि जमा नहीं कराई।
49.	,, भंवरलाल	9	,,
50. ,,	नागाराम	29	,,

ह०/-
आयुक्त,
नगर परिषद, सवाई माधोपुर

वेयर हाउस योजना में से महाराणा प्रताप कालोनी में बदले हुए प्लाटों का विवरण :—

क्रमांक	नाम आवंटी	प्लाट वेयर हाउस		प्लाट महाराणा प्रताप
1.	श्री इकरामुदीन पुत्र यासीन खां	84	से	120
2.	श्री कजोड़मल पुत्र श्री बद्रीलाल शर्मा	79	से	121

ह०/-
आयुक्त,
नगर परिषद, सवाई माधोपुर

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची

लालकोठी योजना में विधान सभा भवन के लिए आरक्षित भूमि पर
अतिक्रमणियों की सूची, जिनका मौके पर कब्जा हैं

क्र.सं.	नाम (कब्जाधारी)	विवरण	
1.	श्री मौरीलाल पुत्र विजयलाल	खातेदार	
2.	श्री रामकिशन पुत्र श्री मौरीलाल		
3.	श्री चौथमल पुत्र श्री रामशरण		
4.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि श्री कालूराम		
5.	श्री मौरीलाल अग्रवाल		
		अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समिति (बाबा नारायण दास नगर)	
6.	श्री बद्री नारायण	"	"
7.	श्रीमती शान्ति देवी	"	"
8.	श्री सूरजमल	"	"
9.	श्रीमती भगवती देवी	"	"
10.	श्री कैलाश चन्द	"	"
11.	श्री श्याम सुन्दर	"	"
12.	श्री रामचन्द्र	"	"
13.	श्री लखनचन्द्र	"	"
14.	श्री दीनदयाल	"	"
15.	श्री अशोक कुमार	"	"
16.	श्री ज्ञान चन्द्र	"	"
17.	श्री महेन्द्र	"	"
18.	श्री विजय कुमार	"	"

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 148 की सूचना

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., द्वारा सूत/काटन/
पोलिस्टर उपलब्ध कराये गये का विवरण

क्रमांक	नाम समिति	वर्ष	मात्रा सूत (किलोग्राम)
(1)	राजीव हैण्डलूम को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर	1990–91	5,025.690
	,, ,,	1991–92	2,350.000
(2)	आधुनिक रैनवाल हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., जयपुर	1990–91	—
		1991–92	350.000
(3)	शुभम् हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., जयपुर	1990–91	—
		1991–92	350.000
(4)	संगम हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., जयपुर	1990–91	2,609.025
		1991–92	1,050.000
(5)	रत्नगिरी हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति-सांगानेर	1990–91	—
		1991–92	1,050.000
(6)	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी समिति लि., जयपुर	1990–91	2,630.102
		1991–92	350.000

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 150 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला मंच	मनोनीत अध्यक्ष	मनोनीत सदस्य
1	2	3	4
1.	अजमेर	श्री आर. के. अंकोदिया आर. एच. जे. एस	1. श्री एस. के. सक्सैना, अधिवक्ता 2. श्रीमती रेणुका भाटी पत्नि श्री चन्द्रवीर सिंह, अजमेर।
2.	बीकानेर	श्री मोहम्मद यामीन आर. एच. जे. एस.	1. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता बीकानेर। 2. श्रीमती रमा टिक्कू, सामाजिक कार्यकर्त्ता, बीकानेर
3.	जयपुर	श्री के. एल. व्यास, आर. एच. जे. एस.	1. श्री राजकुमार जैन, 27, जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर। 2. श्रीमति विजय लुणिया।
4.	जोधपुर	श्री चन्द्रसिंह, आर. एच. जे. एस.	1. श्री शांतिमल जैन, पार्टनर सकलेचा ब्रादर्स, जोधपुर। 2. श्रीमती सरोजनी भाटी पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।
5.	गंगानगर	श्री भंवरसिंह शेखावत आर. एच. जे. एस.	1. श्री सत्यपाल मिगलानी, एडवोकेट। 2. श्रीमति पुष्पा नाहटा, पत्नि श्री प्रेम नाहटा, पीलीबंगा।
6.	कोटा	श्री हरिसिंह पूनिया आर. एच. जे. एस.	1. श्री रमारमण शर्मा, एडवोकेट 2. श्रीमती सुमन श्रृंगी।

2275

1	2	3	4
7.	उदयपुर	श्री खेमचन्द शर्मा, आर. एच. जे. एस.	1. श्री एस. आर. धांवाई, सामाजिक कार्यकर्त्ता, उदयपुर । 2. सुश्री राजू आर्य, सामाजिक कार्यकर्त्ता, मोपालपुरा, उदयपुर ।
8.	बांसवाड़ा	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांसवाडा ।	1. श्री पतराम दवे एडवोकेट । 2. श्रीमति विजयलक्ष्मी श्रीमाल ।
9.	अलवर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर ।	1. श्री शिवनारायण शर्मा, एडवोकेट । 2. श्रीमती शालिनी शर्मा, बसन्तबिहार, अलवर ।
10.	सिरोही ।	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरोही ।	1. श्री लक्ष्मण भंभाणी, माउन्ट आबू । 2. श्रीमती शकुन्तला बाजपेयी ।
11.	चुरू	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चुरू ।	1. श्री घीसाराम चौधरी, एल. एल. एम. 2. श्रीमती सत्यभामा शर्मा, द्वारा, श्री सत्यदेव, पत्रकार ।
12.	बून्दी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बून्दी ।	1. श्री अनिल सक्सेना, एडवोकेट । 2. श्रीमती शालिनी विजय, खोजागेट, बून्दी ।
13.	भीलवाड़ा	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भीलवाड़ा	1. श्री दयाराम मेठानी, एडवोकेट । 2. श्रीमती मंजू वर्मा एम. ए. बी. एड.
14.	भरतपुर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भरतपुर	1. श्री आत्मासिंह, बी. एन. गेट 2. श्रीमती गीतेश तिवाड़ी, भरतपुर ।
15.	पाली	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाली ।	1. श्री सोहनराज मेहता, एडवोकेट । 2. श्रीमति हर्षलता राठौड़, मारवाड़ जंक्शन ।

1	2	3	4
16.	सवाईमाधोपुर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर।	1. श्री हरीसिंह मीणा, एम. ए. एल. एल. बी, करोली। 2. श्रीमती कमला शर्मा पत्नि श्री किशन लाल शर्मा, गंगापुर सिटी।
17.	सीकर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीकर।	1. श्री मोहनलाल पुरी, एडवोकेट, श्रीमाधोपुर। 2. श्रीमती राजकुमारी शर्मा।
18.	टोंक	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टोंक।	1. श्री कपूरचन्द गोयल, एडवोकेट। 2. सुश्री उषा राजपूत, एडवोकेट
19.	धोलपुर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धोलपुर।	1. श्री हरिबाबू सर्राफ। 2. श्रीमती दमयन्ती देवी, पत्नि श्री भगवत शरण रस्तोगी।
20.	डूंगरपुर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डूंगरपुर।	1, श्री शंकरसिंह, एडवोकेट। 2. श्रीमती बसन्ती देवी बागड़िया।
21.	जालौर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जालौर।	1. श्री अर्जुनसिंह 2. श्रीमती मायादेवी, पत्नि श्री बाघूमल।
22.	झालावाड़	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झालावाड़।	1. श्यामसुन्दर शर्मा, एडवोकेट, झालावाड़ 2. सुश्री रीटा भाटिया, एडवोकेट।
23.	झुन्झुनूं	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झुन्झुनूं।	1. बजरंगलाल घाबाई, एडवोकेट, पोस्ट मण्डावा। 2. श्रीमती जहांआरा बेगम, कोलियान खेतड़ी।
24.	बाड़मेर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोतरा।	1. उम्मेदसिंह अरावा, एडवोकेट। 2. श्रीमती सूरजकला भूतड़ा, बालोतरा।

1	2	3	4
25.	चित्तौडगढ़	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ ।	1. श्री कमलाशंकर भट्ट । 2. श्रीमती शशि दूग्रा ।
26.	जैसलमेर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर ।	1. श्री रघुनाथसिह एडवोकेट । 2. श्रीमती विययेन्द्र कुमारी पत्नि श्री महेन्द्रसिह ।
27.	नागौर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेड़ता ।	1. श्री शंकरसिह चौहान 2. श्रीमती शकुन्तला चौधरी, एडवोकेट ।
28.	दौसा	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दौसा ।	1. श्री छीतरमल जैमन, एडवोकेट दौसा 2. श्रीमति अलकासिह पत्नि श्री नाथूसिह, दौसा ।
29.	बांरा	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांरा ।	1. श्री प्रेमचन्द शुक्ला, एडवोकेट बांरा । 2. श्रीमती सावित्री दाधीच पत्नि श्री नरोत्तम दाधीच ।
30.	राजसमन्द	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजसमन्द ।	1. श्रीमती कमला कुमावत पत्नि श्री लीलाधर, निवासी कांकरी । 2. श्री नन्दलाल सिंघवी पुत्र श्री भीमराज, निवासी-गवारड़ी-तहसील रेलमगरा ।

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 154 की सूची

राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सकों के 74 रिक्त पदों की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	स्पष्ट रिक्त पदों की संख्या
1.	बांसवाड़ा	5
2.	बाड़मेर	10
3.	भीलवाड़ा	3
4.	बीकानेर	2
5.	चित्तोडगढ	5
6.	डूंगरपुर	5
7.	श्रीगंगानगर	3
8.	जयपुर	2
9.	जैसलमेर	5
10.	झुंझुनूं	1
11.	जोधपुर	5
12.	पाली	5
13.	राजसमन्द	5
14.	सिरोही	8
15.	उदयपुर	10
	योग :	74

279

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 156 का विवरण

(1) पंचायत समिति, झाड़ोल एवं पंचायत समिति कोटड़ा में वर्ष 1990–91 से 1992–93 (अगस्त 92 तक) में लाभान्वित किये गये चयनित परिवारों के व्यक्तियों का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	प.स. झाड़ोल	प.स. कोटड़ा
1.	90–91	770	557
2.	91–92	776	466
3.	92–93 (अगस्त, 92 तक)	20	44
	योग :	1566	1067

(2) लाभान्वित परिवार के व्यक्तियों का उद्देश्यवार विवरण

क्र.सं.	नाम प.स.	उद्देश्य/संसाधन	लाभान्वितों की संख्या		
			90–91	91–92	92–93 (अगस्त, 92 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	झाड़ोल	(अ) प्राथमिक क्षेत्र			
		बैल जोड़ी	117	68	5
		गाय यूनिट	18	29	–

1	2	3	4	5	6
		भेड़ यूनिट	7	3	–
		भैंस यूनिट	69	79	–
		बकरी यूनिट	203	238	15
		नया कुआ	3	—	–
		कूप गहरा करना	9	14	–
		पम्प सेट	6	7	–
		(ब) द्वितीय क्षेत्र			
		ग्रामीण दस्तकारी एवं उद्योग धन्धे	97	123	–
		(स) तृतीय क्षेत्र			
		सिलाई यूनिट	15	16	–
		ग्रामीण दुकानें	42	29	–
		बैलगाड़ी	18	37	–
		ऊंट गाड़ी	—	4	–
		अन्य विविध संसाधन	116	129	–
		योग :	770	776	20
2.	कोटड़ा	(अ) प्राथमिक क्षेत्र			
		बैल जोड़ी	254	287	37
		गाय यूनिट	11	—	–
		भैंस यूनिट	15	15	–
		बकरी यूनिट	—	68	4
		भेड़ यूनिट	—	—	–
		नया कुआ	—	6	–

1	2	3	4	5	6
		कूप गहरा कराना	9	1	–
		पम्प सेट	2	1	–
		(ब) द्वितीय क्षेत्र			
		ग्रामीण दस्तकारी एवं उद्योग धन्धे	53	16	–
		(स) तृतीय क्षेत्र			
		सिलाई व निटींग	17	2	–
		ग्रामीण दुकानें	49	31	3
		बैल + गाड़ी	—	1	–
		ऊंट + गाड़ी	—	3	–
		अन्य विविध संसाधन	147	35	–
		योग :	557	466	44

अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
जिला ग्राम विकास अधिकारी,
उदयपुर

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 161 की सूची

अतिक्रमियों की सूची ग्राम सिन्देसर कलां

क.सं	नाम अतिक्रमी	आराजी नम्बर	रकबा अतिक्रमण	किस्म भूमि
1	2	3	4	5
1.	श्री भैरा पिता भूता भारती	513	(5)	चरागाह
2.	श्री देवकिशन पिता हीरा चमार	513	(2)	,,
3.	श्री वरदा पिता गोमा गाडरी	513	(5)	,,
4.	श्री रामलाल पिता हरलाल जाट	513	(5)	,,
5.	श्री फकरू पिता वजीरखां मुसलमान	513	(5)	,,
6.	श्री देवा पिता पदा भारती	534	(4)	,,
7.	श्री कुतबदीन पिता साबूदीन	739	(6)	,,
8.	श्री शिवसिंह, भैरूसिंह पिता रामसिंह राजपूत	739	(7)	,,
9	श्री भोपालसिंह पिता नाथूसिंह	1132	(10)	,,
10,	श्री मांगू पिता जोधा चमार	1159	(4)	,,
11.	श्री रूपा भेरा बलाई	1348 519	(4///)	,,
12.	श्री अर्जुन/चतरा कलबेलिया	1132	(5)	,,
		योग	(62///)	चरागाह

283

ग्राम सिन्देसर खुर्द

1.	श्री जवारू पिता तलोक चमार	1139 1066	(1/)	चरागाह
2.	श्री जवारू पिता तलोक चमार	1140 1066	(5/)	,,
3.	श्री उदेराम/नगतीराम जाट	1102	(/)	,, बाड़ा
4.	श्री भैरू पिता डालू सुथार	1102 मी.	(3)	,, बाड़ा
5.	श्री गणेश पिता पेमा कुम्हार	1102 मी.	(/)	,,
6.	श्री पेमा पिता जालम कुम्हार	1102 मी.	(/)	,,
7.	श्री भूरा पिता वेणा कुम्हार	1102 मी.	(/)	,,
		योग–	(7//)3	

ह०
जिला कलक्टर
राजसमन्द